दशम माला, खंड 19, अंक 17

बुधवार, 17 मार्च 1993
26, फाल्गुन 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 19 में अंक 10 से 20 तक हैं।)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 19, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 17, बुधवार, 17 मार्च, 1993/26 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	301, 303, 305 और 306	4—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		25—268
तारांकित प्रश्न संख्या :	302, 304 और 307 से 320	25—57
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3061 से 3096, 3098 से 3102, 3104 से 3146, 3148 से 3158, 3160 से 3219, 3221 से 3227 और 3229 से 3259	59—268
कलकत्ता में हाल ही में हुए बम विस्फोट के बारे में		268—83
मन्त्री द्वारा वक्तव्य		
कलकत्ता में हाल ही में हुए बम विस्फोट		283—86
सभा पटल पर रखे गए पत्र		286—91
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		291
सत्रहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
समितियों के लिए निर्वाचन		291—94
(एक) प्राक्कलन समिति		291
(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति		292
(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		293
(चार) लोक लेखा समिति		293

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 294—97

(एक) उड़ीसा के किसानों से कृषि ऋण किस्तों में वसूल करके उन्हें सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 294

(दो) केरल के पालाक्काड, कन्नौर, केसरकोड और वायनाड क्षेत्रों को उपग्रह से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन 295

(तीन) नवेली लिगनाइट कारपोरेशन, तमिलनाडु में विस्फोट की घटनाओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० पी० कालियापेरुमल 295

(चार) राजस्थान में हनुमानगढ़ तहसील के पास चीनी फैक्टरी के लिए रखी गई भूमि बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह 296

(पांच) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार 296

(छः) मैसर्स इण्डियन लैड प्राइवेट लिमिटेड (थाणे) को तुरन्त किसी दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे 297

(सात) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार को और अधिक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 297

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश (1993 का संख्या 1) का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक 298—360

श्री नीतीश कुमार 298

विषय	पृष्ठ
श्री ए० के० एन्टनी	303
श्री शरद दिघे	309
श्री श्याम बिहारी मिश्र	312
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	322
श्री पवन कुमार बंसल	325
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	329
श्री मोहन सिंह	331
श्री ए० वेंकट रेड्डी	333
श्री गुमान मल लोढा	334
श्री ए० अशोकराज	337
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु	339
श्री शरत चन्द्र पटनायक	340
श्री सूर्य नारायण यादव	341
श्री सैयद मसूदल हुसैन	342
श्री तेज नारायण सिंह	343
श्री दत्ता मेघे	345
श्री तारा चन्द्र खण्डेलवाल	347
श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे	349
श्री गिरधारी लाल भार्गव	351
श्री ए० के० एन्टनी	352

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश (1993 का संख्या 1) का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

और

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री ए० के० एन्टनी	360

विषय	पृष्ठ
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	302
आधे घण्टे की चर्चा	361—378
विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	361
श्री गिरधारी लाल भार्गव	363
श्रीमती भावना चिखलिया	364
श्री वसुदेव आचार्य	364
श्री अनिल बसु	366
श्री एन० के० पी० साल्वे	368

लोक सभा

बुधवार, 17 मार्च, 1993/26 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कलकत्ता में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सदन में स्टेटमेंट होना चाहिए। यह एक गम्भीर घटना है। (व्यवधान)

बम्बई के बाद, अब कलकत्ता में इसी तरह की घटना हुई है और देश में बराबर ऐसे कांड हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर) : बम्बई और कलकत्ता के बाद, ये बम की घटनाएं दूसरे बड़े शहरों में भी हो सकती हैं। इसलिए सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए और सदन में स्टेटमेंट करना चाहिए कि वह क्या करने जा रही है। यह वास्तव में गम्भीर चिन्तन का विषय है। श्री आडवाणी जी ने बम्बई में हुए बम कांड की चर्चा के समय यह चेतावनी दी थी। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : प्रधानमन्त्री जी भी सदन में आ गए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे तुरन्त सदन में कलकत्ता की घटना के सम्बन्ध में बयान दें। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं इसलिए सरकार को तुरन्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कलकत्ता में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अब तो दिल्ली की, पार्लियामेंट की बारी है। (व्यवधान)

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : पटना में भी बम मारने की ट्राई की गई है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या सरकार प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए तैयार है ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम सरकार से वक्तव्य चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैंने प्रश्नकाल निलम्बित करने के लिए सूचना दी है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कलकत्ता में हुई घटना सचमुच एक ऐसी घटना है जिससे हम सभी प्रभावित होंगे और इसके लिए हम सभी को खेद है और इसलिए पहली बात हम यह चाहेंगे कि हम उन परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें जिनके सदस्य मारे गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय मैं सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं और हम समझ सकते हैं कि वे इस मामले पर चर्चा करना चाहेंगे। वे इस पर केवल चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे बल्कि इस प्रकार चर्चा करना चाहेंगे जिससे कुछ परिणाम सामने आ सकें जोकि सरकार, संसद और लोगों के लिए सहायक होंगे। यदि हमारी प्रणाली में कोई कमी है तो उन पर प्रकाश डाला जा सकता है और हम उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। मैं प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात चर्चा की अनुमति देना चाहता हूं और मैं सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की अनुमति दूंगा। कुमारी ममता बनर्जी आपको भी बोलने की अनुमति दी जाएगी। आप जितना समय चाहेंगी, मैं आपको दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, अभी आप बोल रहे हैं। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात कहूंगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। 35 से अधिक लोग मारे गए हैं। प्रधान मन्त्री यहां उपस्थित हैं। प्रधान मन्त्री जी को स्थल का दौरा करना चाहिए। कम से कम लोगों को खुशी तो होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए पर्याप्त समय दूंगा। इतना ही नहीं। हम इस पर प्रश्नकाल के तुरन्त बाद विचार करेंगे। लेकिन कुछ वरिष्ठ और माननीय सदस्यों और नेताओं ने चर्चाओं, मामलों जिन पर सरकार के साथ चर्चा की जा सकती है, के बारे में मुझे कुछ सुझाव दिए हैं। मैं निश्चय ही सरकार के साथ विचार-विमर्श करूंगा और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप इस पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टि से चर्चा करना चाहती हैं कि किस बात की सम्भावना है, आधुनिकीकरण के लिए क्या आवश्यक है और हमें इन बातों से प्रशासनिक, तकनीकी, राजनैतिक, सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से कैसे निपटना है। इन सब पर चर्चा की जा सकती है। सर्वप्रथम, मैं इस मामले पर सरकार के प्रतिनिधियों, सरकार और नेताओं से चर्चा करूंगा। हम इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा करेंगे। लेकिन हमें प्रश्नकाल जारी रखने दें। प्रश्नकाल के समाप्त होने के तुरन्त बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : मैं झारखण्ड क्षेत्र के आर्थिक नाकेबंदी को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। लोगों को पुलिस ने मारा। (व्यवधान) पुलिस ने चार लोगों को मारा। वहां आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को कल उठाने की अनुमति दी थी।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : चार दलों के नेता इस क्षेत्र को अलग करने में लगे हैं।

[हिन्दी]

झारखण्ड में पुलिस का आतंक मचा हुआ है···(व्यवधान) यहां पर सभी दल के लोगों ने समर्थन किया है।···(व्यवधान) हम लोगों की आवाज को नहीं सुना जा रहा है।···(व्यवधान)

श्री ्रज मंडल : ऐडीटर को न्यूज छापने पर···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आपको कलकत्ता में हुई हत्याओं के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही ऐसा कर चुका हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : टाइम्स आफ इण्डिया के ऐडीटर को झारखण्ड की न्यूज छापने पर मोटर साइकिल से सरकार के लोग मारने के लिए आए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस समय इस मुद्दे को नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रोपर वे में बुलाएं तो हम भी कुछ कहें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भी इस प्रकार शामिल नहीं हो सकते। आप प्रश्नकाल के बाद ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार बोलेंगे तो यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रश्नकाल के बाद आप बोलिएगा। उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपड़े का उत्पादन

*301. श्री आनन्द अहेरिन :
श्री राजेश कुमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा, विद्युत-करघा तथा मिल क्षेत्रों में कपड़े का पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष क्षेत्र-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान कपड़े के उत्पादन में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इस गिरावट के क्षेत्र-वार कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा, विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र में कपड़े का प्रति वर्ष उत्पादन :

(मिलियन वर्ग मीटर)

वर्ष	मिल क्षेत्र	हथकरघा क्षेत्र	विद्युतकरघा क्षेत्र	कुल
1989-90	2667	3924	14007	20598
1990-91	2589	4295	16044	22928
1991-92	2376	4123	16089	22588
1992-93 (अनुमानित)	2255	4255	16630	23140

*होजरी सहित ।

(ख) जी, नहीं । कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है । तथापि, केवल वर्ष 1991-92 के दौरान मामूली सी गिरावट आई थी ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री आयनल अबेदिन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा अपने वक्तव्य में दिए गए आंकड़े यह दिखाते हैं कि कपड़े का कुल उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन मिल क्षेत्र में उत्पादन निरन्तर गिर रहा है। वर्ष 1989-90 में 26670 लाख वर्ग मी० से यह 1992-93 में गिरकर 22550 लाख वर्ग मी० रह गया। मैं मिल क्षेत्रों में उत्पादन गिरने के कारणों को जानना चाहूंगा। क्या ऐसा मिलों की रुग्णता बढ़ने और बन्द होने के कारण हुआ है? यदि ऐसा है तो अभी तक कितनी मिलें स्थायी रूप से बन्द हो गई हैं? कितने मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं? उनमें से कितनों को कपड़ा मजदूर पुनर्वास निधि से लाभ प्राप्त हो चुके हैं?

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, देश में 1137 मिलें हैं जिसमें बी० एफ० आर० में 243 गई हैं, न० आफ क्लोज्ड टेक्सटाइल मिल्स 12,163 स्पिनिंग मिल्स, कम्पोजिट मिल्स 58 हैं।

[अनुवाद]

31-1-93 को बन्द मिलों के कारण प्रभावित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,69,852 है। कुल 1137 मिलों में मजदूरों की कुल संख्या 10,67,740 है। यह वास्तविक स्थिति है।

[हिन्दी]

प्रोडक्शन नीचे क्यों जा रहा है, उस मामले में दो बातें मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। 1989-90 में 2,667 मिलियन मीटर का जो प्रोडक्शन था वह 1992-93 में 2,255 मिलियन मीटर आया है।

इसकी वजह है और पावरलूम का इनक्रीज होना जा रहा है। इसके कारणों को मैंने माननीय सदस्य तक सप्लाई कर दिया है। मिल क्लॉथ का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। पावरलूम और मिल क्लाथ में कम्पीटिशन के कारण ऐसा हो रहा है। पहले हैंडलूम के साथ पावरलूम का कम्पीटिशन था। मगर हैंडलूम का प्रोडक्शन घटा नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत ज्यादा है। पावरलूम और मिल क्लॉथ के बीच कम्पीटिशन होने की वजह से मिल क्लॉथ कमजोर होता जा रहा है। इसकी वजह ओवर ड्यूज ज्यादा है। मिल क्लॉथ की वर्किंग कण्डीशन में ओवर ड्यूज ज्यादा हैं। पावरलूम का एक्सपेंडिचर कम है। इसलिए भी कम्पीटिशन में पावरलूम का क्लॉथ ज्यादा बिक्री हो रहा है। यही मेन वजह है। अगर इसके बाद भी माननीय सदस्य को और कुछ जानना है तो मैं आंकड़े भी देना चाहता हूं। वैसे मैं वह दे चुका हूं। हैंडलूम में कोई ज्यादा कमी नहीं हुई है। मिल क्लॉथ का प्रोडक्शन 2255 मिलियन स्केवअर मीटर हुआ, हैंडलूम का 4255 मिलियन स्केवअर मीटर और पावरलूम का 6630 मिलियन स्केवअर मीटर प्रोडक्शन हुआ।

[अनुवाद]

श्री आयनल अबेदिन : महोदय, पिछले दो वर्षों के दौरान कपड़े का उत्पादन तीव्रता से बढ़ा है। इस बढ़े हुए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि नियंत्रित कपड़ा योजना के

अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लिए निर्मित सस्ते कपड़े का उत्पादन कितना बढ़ा है ? और नियंत्रित कपड़ा योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाने वाले अच्छे किस्म के कपड़े के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ? कमजोर वर्गों के लिए ऐसे कपड़े की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में क्षेत्रवार और ईअरवाइज घाटे के बारे में पूछा था। इन्होंने ईअरवाइज तो दिया लेकिन क्षेत्रवार कितना घाटा हुआ और कहां घाटा हुआ, इसका जवाब नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश की कॉटन मिल बन्द के कगार पर क्यों खड़ी है जबकि गया कॉटन मिल में मशीनें बिल्कुल अप-टु-डेट हैं। मेटिरियल की आपूर्ति न करने के कारण वह बन्द के कगार पर है। इसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनको रोजी-रोटी देने के लिए और मिल को सही व समय पर मेटिरियल पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का सरकार का क्या कोई विचार है ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर टेक्सटाइल मिल की हालत दिन-प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है। जब बम्बई में स्ट्राइक हुई, उसके बाद गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने 750 करोड़ रुपया माडर्नाइजेशन के लिए दिया और वह आई०डी०बी०आई० बैंक में रखा गया। उससे बहुत सारी मिलों ने फायदा उठाया है। 800 करोड़ रुपये माडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अभी भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया उनको प्रोत्साहन दे रही है और कह रही है कि आप माडर्नाइजेशन के लिए बाहर से मशीनें लाइए क्योंकि क्लॉथ में कम्पीटिशन यहीं नहीं है, एक्सपोर्ट के अन्दर यह बहुत ज्यादा चल रहा है। क्वालिटी आफ क्लॉथ इम्प्रूव करने के लिए और माडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कुछ पैसा आई०डी०बी०आई० में रखा है। वहां से वह यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा मशीनें सप्लाई करने के लिए इम्पोर्ट टैक्स में भी सहूलियत दी गई है। अगर बिहार में कोई मिल है, इसको यूज करने की उसकी इच्छा है तो यूज कर सकती है। अभी भी अगर बाहर से मशीनरी लाने के लिए सहूलियत चाहते हैं तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया इम्पोर्ट टैक्स में भी छूट दे सकती है।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वैश्चन गया कॉटन मिल के बारे में है। उसके बारे में बताइए। गया कॉटन मिल की मशीनरी ठीक है, मेटीरियल आप नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, इनका प्रश्न अन्य मिल से है, इसमें क्या कंडीशन्स हैं, उनके बारे में अगर क्वैश्चन करें तो मैं बता सकता हूं। परटीकूलरली बिहार की मिल के लिए क्वैश्चन नहीं है। मैं उसके बारे में कैसे इनको बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इनको बाद में लिखकर भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने पहले ही स्वीकार किया है कि मिल

क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन गिर रहा है जबकि विद्युतकरघा क्षेत्र में यह बढ़ रहा है। विद्युतकरघा क्षेत्र ऊपरी व्यय के कारण मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। क्या यह सच है चूंकि विद्युतकरघा क्षेत्र में श्रमिक असंगठित हैं, श्रम कानून कम है और श्रम कानूनों का उचित कार्यान्वयन नहीं होता है और इसीलिए विद्युतकरघा क्षेत्र मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, इसमें टैक्सटाइल मिनिस्टरी क्या कर सकती है। अगर माननीय सदस्य लेबर मिनिस्टर से क्वेश्चयन करें तो वे इन को जवाब दे सकते हैं। मैं पावर लूम के लिए क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : विद्युतकरघा क्षेत्र में, जहां पर असंगठित श्रमिक हैं, जहां पर श्रम कानूनों का कम क्रियान्वयन होता है, आप क्या करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : यह सत्य है कि अन-आर्गेनाइज्ड लेबर है, इसलिए एक्सप्लाइटेशन हो रहा है। यह मैं जानता हूं। लेबर एक्सप्लाइटेशन पावर लूम सैक्टर में हो रहा है। मगर क्वेश्चयन मेरा नहीं है। यह प्रश्न लेबर मिनिस्टर से पूछिए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : इन्हें सरकार की ओर से उत्तर देना है। वह यह नहीं कह सकते कि यह उनका विषय नहीं है। यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। यदि मंत्री नहीं कह सकता तो प्रधानमंत्री को उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। वे यहां उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा बुनियादी सवाल है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो जवाब दिया है, हैण्डलूम सैक्टर के बारे में हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के ज्यादा लोग हैण्डलूम सैक्टर में काम करते हैं। बुनकरों की जो दुर्दशा है, जिस तरह से उन में भुखमरी है मंत्री महोदय स्वयं उसको जानते हैं। क्योंकि इनके प्रदेश के ज्यादातर भुखमरी के शिकार बुनकर हुए है। मैं जानता हूं कि हैण्डलूम और पावरलूम के दरमियान जो प्रतिस्पर्द्धा चलती है इसमें पावरलूम जिन्दा रहता है। ऐसा मंत्री जी के आंकड़ों से साबित होता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से बुनकरों की स्थिति है और जिस तरह से वे भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं, मैं बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसका जवाब दें कि क्या यह सही है कि टैक्सटाइल कंट्रोल अमेण्डमेंट आर्डर 1992 के तहत पावरलूम के ऊपर जो पाबन्दी थी लाइसेंस की, लाइसेंस लेने के लिए जो उनका अधिकार था, वह वापस हो गया है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से पावरलूम को खुली छूट दी है और प्रतिस्पर्द्धा में पावरलूम

जिम्दा रहेगा, इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे निकला है उसमें पावरलूम के लिए लाइसेंस का सवाल था, उसको उठा दिया गया''।

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि, पावरलूम के बुनकरों को बचाने के लिए टैक्सटाइल कन्ट्रोल आर्डर (अमेंडमेंट), 1992 को वे क्या रिसिंड करने जा रहे हैं ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, पावरलूम के बारे में रवि राय जी ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। मैं आनरेबिल मैम्बर को यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसे ही मैं टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में आया, यह मैं उनकी इन्फार्मेशन के लिए कह रहा हूं, सारे हिन्दुस्तान में बुनकरों की हालत को किस तरह से ऊपर लाया जा सकता है, उनकी जो भुखमरी की हालत है, बिलो-पावर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए हम योजना बनाकर गांव-गांव के अन्दर बुनकरों को ऊपर लाने के लिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे है। अंतरिम में मैं उन बुनकरों की कान्फ्रेंस भी किया और फिर सारे देश के हैंडलूम मिनिस्टर से कान्फ्रेंस किया। वहां कुछ निर्णय किए हैं और उन निर्णयों के साथ उन बुनकरों की सहायता के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। टैक्सटाइल कन्ट्रोल आर्डर के बारे में जो माननीय सदस्य, रवि राय जी ने कहा है, बिल्कुल सही है, 1985 तक कन्ट्रोल आर्डर पावरलूम के लिए था। अब आज वह जा चुका है। जिस वक्त यह कन्ट्रोल था, उस वक्त छ. लाख पावरलूम थे। आज की स्थिति में 12 लाख पावरलूम हो चुके हैं। जब पावरलूम को रोकने की बात आती है, तो आज हमारे उसके अन्दर पावरलूम के एम्पलाइज की संख्या 62 लाख है। हमारे लिए पावरलूम को भी देखना है और उधर वर्किंग क्लास तथा हैंडलूम वर्कर्स को भी देखना है। हैंडलूम वर्कर्स के लिए''' (व्यवधान)'''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवधानों का उत्तर मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : महोदय, मैं बताना चाह रहा था, बुनकरों की हालत के लिए जो उनकी वर्किंग कंडीशन हैं, उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है और उनको किस तरह से यार्न सप्लाई किया जा सकता है। इस बारे में हमने स्कीम तैयार की है और अन्तरिम में उसको इम्पलीमेंट करने जा रहे हैं।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। असल में वेंकट स्वामी जी जो कर रहे है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरा बुनियादी सवाल था। मन्त्री जी क्या इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि इस कन्ट्रोल आर्डर अमेंडमेंट के तहत बुनकरों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बाधा उत्पन्न होती है। वे जो कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सटाइल कन्ट्रोल आर्डर अमेंडमेंट, 1992 के तहत बुनियादी तौर पर बाधा तैयार करता है। उस बाधा को हटाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं ? इस बारे में मुझे जवाब नहीं मिला है। वे क्या उसको रिसिंड करेंगे या नहीं ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, जो कन्ट्रोल आर्डर अमेंडमेंट हुआ है, वह मौजूदा हालात में बुनकरों की हालत को देखते हुए, जो 22 रिजर्व कैटेगरीज है, जैसाकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, वह हैंडलूम वीवर्स की सहायता के लिए आया है। उसके इम्पलीमेंटेशन को

रखते हुए और दूसरे पावर लूम और टैक्सटाइल के लोगों को जिस तरह से सहूलियत दी जाए, वह कन्ट्रोल आर्डर है ।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बुनकर समाज से आता हूं । मंत्री जी ने कहा है, वे बुनकरों की हालत को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं । जो गांवों में बुनकर रहते हैं, उनको न सूत मिलता है, न धागा मिलता है और न कोई सहयोग मिलता है । बुनकरो के नाम पर अन्य लोग पेट भरते हैं । माननीय मन्त्री जी ने बुनकरो के सदस्यों को बुनाया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या आपका प्रश्न है, आप प्रश्न पूछिए ।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो बुनकर लोग गांवों मे हैं, उनको सहयोग देने के लिए और उनका जो अपना पारिवारिक व्यवसाय है, उसको जीवित रखने के लिए, सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी ? इसके साथ ही जो मिलें बन्द हो रही हैं और मिलो में काम करने वाले लोग दिन-प्रति दिन घर जा रहे हैं मेंडेटरी रिटायरमेंट स्कीम के द्वारा जबरदस्ती लोगों को रिटायर किया जाता है, ऐसी स्थिति मे मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हू, कपड़े का उत्पादन किस तरह से बढ़ेगा ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं, माननीय सदस्य के लिए मैं दोबारा दोहराता हूं । बुनकरों के हालात को टटोलकर उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के लिए हम योजना चला रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कृशिण पटेल : वह योजना क्या है, उस पर प्रकाश तो डलवाइये । योजना बना रहे हैं वह तो हम बहुत दिनों से जान रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, असल में बुनकरों के आज देश के अन्दर जो हालात हैं, उनकी कण्डीशन को सुधारने के लिए किस तरह से वे बिलो पावर्टी लाइन में दबे हुए हैं, उनको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से कुछ स्कीमें बन रही है । एक तो यह कि बुनकरों को किस तरह से यार्न वक्त पर सप्लाई किया जाय और उनको किस तरह से रंगो की सप्लाई की जाय, उसके लिए यह योजना बन रही है ताकि वह अपना हैण्डलूम का काम करते हुए कम से कम मिनिमम वेज हासिल कर सकें । मिनिमम वेज हासिल करने के लिए यह योजना तैयार की जा रही है । स्टेट गवर्नमेंट से इसका इम्पलीमेण्टेशन होने की जरूरत है तो स्टेट गवनमेंट्स से भी हम बातचीत कर रहे हैं । सारी बातें जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स को कन्विंस करके इम्पलीमेंटेशन की तरफ नहीं जायेंगे तब तक यह नहीं होगा । यह योजना सारी पूरी तरह से तैयार होने के बाद जरूर आपके सामने आऊंगा ।

श्री संदीपान भगवान थोरात : अध्याक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शोलापुर शहर मे टॉवर और चादर का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है मगर अब उसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है । इसके लिए 22 आइटम्स को बैन किया गया, इस बैन मे टावल और चादर यह दो आइटम्स ऐसे है जिनका वजह से हमको फारेन एक्सचेंज बड़े तौर पर मिलती है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पावरलूम्स पर जैकार्ड चादर या टावल शोलापुर मे इतनी बढ़िया होती है, सारे देश में मशहूर है, आपके घर में भी शोलापुर चादर होगी तो जेकार्ड लूम पर जो टावल और चादर तैयार होती है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है, उसके लिए जो बैन लगाया गया है, वह बैन हटाऐंगे या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें से निकलता है क्या ?

श्री बी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, आनरेबिल मैम्बर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बारे में कह रहे हैं, जो 22 आइटम्स हैण्डलूम के लिए रिजर्व हैं, उसमें से निकालकर पावरलूम को देते हैं, शायद वह पूछ रहे हैं तो ऐसा तो अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। उस आर्डर को हम इम्पलीमेण्ट करने की तरफ जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आधा घण्टा हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न पर जायेंगे।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र

\+

303. **श्री मनोरंजन भक्त** :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर में तेजी से गिरावट आने की सम्भावना है, जैसाकि 16 फरवरी, 1993 के "पायनियर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र की 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान विकास दर क्या है;

(घ) क्या सरकार अभी भी लघु उद्योगों के क्षेत्र-वार कार्य-निष्पादन का अध्ययन कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय लघु क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों की तिमाही आधार पर गणना करता है। इस सूचकांक के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में 1991-92 में लघु क्षेत्र में 2.4 प्रतिशत विकास दर थी। यह अनुमान है कि 1992-93 के दौरान लघु क्षेत्र

में विकास दर खासतौर पर लघु औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन के 5 प्रतिशत विकास से अधिक होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 199:-92 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में परिवहन उपकरण क्षेत्र में उत्पादन विकास दर 23.3 प्रतिशत चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद में 17.3प्रतिशत आधारभूत धातु उद्योगों में 13.8 प्रतिशत और गैर-वैद्युत मशीनरी समूह में 12.1 प्रतिशत थी और धातु तथा धातु उत्पादों में 10.5 प्रतिशत तथा फुटवियर और पहनने के वस्त्र में (—) 3.3 प्रतिशत नकारात्मक विकास देखी गई थी।

(च) सरकार ने लघु क्षेत्र के हितों की सदा रक्षा की है। भारत सरकार द्वारा लघु क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :—

(1) रियायती उत्पादन में छूट।

(2) 2 लाख रु० तक के ऋणों पर रियायती ब्याज दरें।

(3) एम० एस० आई० सी०, एम० एस० आई० डी० सी० के माध्यम से इनके उत्पादों के लिए विपणन सुविधा।

(4) केवल लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए मदों का आरक्षण।

(5) सरकारी खरीद के लिए मदों का आरक्षण।

(6) लघु उद्योग से खरीद में मूल्य में प्राथमिकता।

(7) परिवहन राज-सहायता।

(8) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना।

(9) छोटे एककों के सम्बन्ध में संयन्त्र और मशीनरी की निवेश सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रु० करना और व्यापार तथा उद्योग सम्बन्धित सेवाओं की छोटे एकक के रूप में शामिल करना और महिला उद्यमों की परिभाषा मे परिवर्तन करना।

(10) पंजीकरण के सम्बन्ध में नियमों और प्रक्रिया का सरलीकरण।

(11) छोटी और अनुषंगी उपक्रमों को भुगतान में देरी सम्बन्धी अध्यादेश का जारी किया जाना।

(12) राष्ट्रीय इक्विटी फण्ड योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार।

(13) छोटी इकाईयों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 24 प्रतिशत तक की भागीदारी।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, यह जानकर वास्तव में हैरानी हुई है कि मंत्री ने उत्तर

देने से मना कैसे कर दिया । यदि 1987 88 में की गई जनगणना कोई सूचक है तो ऐसी 40 प्रतिशत इकाइयां गैर-कार्यालय होंगी या जिनका कुछ पता नहीं होगा तथा लगभग 2,21,000 रुग्ण उद्योग होंगे । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 14,9',000 पंजीकृत इकाइयों में से 7,00,000 इकाइयां कार्य कर रही होंगी । यदि ऐसा है तो मैं नहीं समझ सकता कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लघु क्षेत्र में विकास की सम्भावित गिरावट को कैसे नकार दिया है । नई उदार औद्योगिक और आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए, तथा अप्रतिबन्धित आयात नीति पिछले नौ महीनों के लिए क्षेत्रीय आधार पर विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा सूचकांक में क्या विकास दर्ज किया गया ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, 1991-92 के दौरान लघु क्षेत्र में विकास दर निर्माण क्षेत्र की नकारात्मक विकास दर की तुलना में 2.4 प्रतिशत रही । जहां तक पिछली तिमाही के क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन का सम्बन्ध है विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के अनुसार विकास दर लगभग 5 प्रतिशत थी । हमारे 14 क्षेत्रीय उद्योग हैं । केवल दो क्षेत्रों में हमारी विकास दर नकारात्मक रही । यह सूचना माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, देश में लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई रियायतों की घोषणा की है । विवरण में दिए गए 13 उपायों की स्वागत सूची की प्रशंसा की गई है । लेकिन इन रियायतों का लाभ उठाने के लिए लघु उद्योगों को ऐड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा । एककों को समय पर लाभ नहीं मिल रहे हैं इससे इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है ।

अतः मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इन एककों द्वारा वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए क्या सरकार का एकल खिड़की पद्धति प्रारम्भ करने का विचार है ।

दूसरे, कभी-कभी पर्याप्त बजटीय आबंटन के अभाव में रियायतें जैसे परिवहन राजसहायता, पूंजी, राजसहायता समय पर उपलब्ध नहीं होते । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्रवाई करने पर विचार किया है ?

तीसरे, ब्याज भी अदा करना होगा । लेकिन वर्षों से सरकारी क्षेत्र के संगठन, लघु उद्योगों को वह नहीं दे रहे हैं । अतः आपने जिक्र किया है कि ब्याज अदा करना होगा । लेकिन जबकि मूल राशी नहीं दी गई है तो ब्याज का प्रश्न कहां से आया ? इस प्रकार का कुछ विधान होना चाहिए ताकि ऐसे एककों द्वारा देय समय पर भुगतान आवश्यक कर दिया जाए । सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, 6 अगस्त, 1991 को लघु क्षेत्र के लिए घोषित मूल नीति उपायों में एक, क्षेत्र का अनारक्षण, उन पर से नियन्त्रण हटा लेना है । माननीय प्रधानमन्त्री ने सुझाव दिया है कि बार-बार बैठकों की बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए । केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने इसे क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को पहले ही लिख दिया है । पर्यावरण मन्त्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित निर्देश दे दिए हैं । कुछ चुनिंदा उद्योगों को छोड़कर, लघु उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए समय-समय पर छूट दी गई है । पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतया सरल बना दिया गया है ।

इस दिशा में माननीय प्रधानमन्त्री ने हमें राज्यों के उद्योग मन्त्रियों की शीघ्र बैठक बुलाने की

सलाह दी है । हमें राज्यों के मन्त्रियों से उनके विचार प्राप्त होंगे । अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है । इस पहलू की राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जानी है । उन्हें इन निर्देशों को क्रियान्वित करना है ।

हमने 1988 में पूंजी राजसहायता बन्द कर दी है । 16 मामले लम्बित हैं । हमें इन्हें निपटाना है ।

लघु क्षेत्र को ब्याज के भुगतान के बारे में एक अध्यादेश जारी किया गया है । सदन में एक विधेयक लम्बित पड़ा है । इसे इस महीने में पारित किया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नवल किशोर राय ।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : परिवहन राजसहायता हेतु बजटीय आवंटन क्या है ? (व्यवधान)

श्री एम० अरुणाचलम : वास्तव में परिवहन राजसहायता योजना अभी भी विद्यमान है । हम परिवहन राजसहायता दे रहे हैं । जहां तक आपके राज्य का सम्बन्ध है, यदि इसमें कोई देरी हुई है तो मैं इसे निपटाने के लिए तैयार हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नवल किशोर राय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप मन्त्री से उनके चैम्बर में बात कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार, आपको केवल दो प्रश्न पूछने की इजाजत है । मैंने तीसरे प्रश्न की इजाजत दे दी । आप चौथा प्रश्न पूछना चाहते हैं । अन्य सदस्य भी यहां है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया जिरह मत कीजिए । कृपया, आप मन्त्री जी से मिलिए । वे आपकी सहायता करेंगे । कृपया अब बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित माननीय

प्रधान मन्त्री जी से बेरोजगारों के सम्बन्ध में सवाल करना चाहता हूं। इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आया है वह लघु उद्योग इकाई में रियायत देने के सम्बन्ध में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में आज देश में बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में हैं और चार करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हैं। सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम में भारत सरकार की नीति है जिसमें 1. हजार रुपए व्यवसाय करने के लिए, 25 हजार रुपए सेवा उद्योग के लिए और 35 हजार रुपए की सीमा लघु उद्योग के लिए है, माननीय प्रधान मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आज देश में मुद्रास्फीति बढ़ गई है तो क्या इसमें लघु उद्योग इकाई लग सकती है। अगर सही मायनों में··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री नवल किशोर राय : बेरोजगारों को अनुदान देने की बात की जाती है तो माननीय प्रधान मन्त्री जी इस सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का विचार रखते हैं ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को मिल सकें और क्या 75 हजार रुपए अनुदान करने का विचार करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, शिक्षित युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना 1983 से चल रही है। माननीय सदस्य ने ऋण सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया है। वह एक अच्छा सुझाव है, हम इसके लिए वित्त मन्त्री से बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कहते हैं कि यह एक अच्छा सुझाव है, तब यह एक आश्वासन बन जाता है।

श्री शरतचन्द्र पटनायक : लघु क्षेत्र में विकास दर को सुधारने की दृष्टि से क्या सरकार लघु उद्योग बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो मैं विस्तृत ब्यौरा जानना चाहता हूं।

श्री एम० अरुणाचलम : हमारे पास राष्ट्रीय लघु उद्योग सलाहकार बोर्ड है। हमने पहले ही इसका गठन कर दिया है और यह कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लघु उद्योग में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए आपकी क्या योजना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री एम० अरुणाचलम : हम महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा विशेष उद्यम विकास योजनाओं के माध्यम से हम विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, कुछ एकक बहुत कठिनाई में हैं। लेकिन बहुत से लघु उद्योग

हैं जो निर्यातोन्मुख हैं। क्या सरकार का उनको, विशेषकर वर्तमान विदेशी मुद्रास्फीति को देखते हुए प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री एम० अरुणाचलम : आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाना तथा गुणवत्ता में सुधार सरकार के मूलभूत उद्देश्य हैं तथा हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम निर्यातोन्मुख एककों को सुविधाएं दे रहे हैं; गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमने बड़े उद्योग क्षेत्र से लघु क्षेत्र में 24 प्रतिशत भागीदारी की इजाजत दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह आपको बड़े उद्योगों के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए न कि लघु उद्योगों के बारे में।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने यह उत्तर दिया है कि लघु उद्योग के माध्यम से हम इसके विकास का पूरा ध्यान रख रहे हैं और बेरोजगार नौजवानों को इसमें रोजगार देने की योजना बना रहे हैं। गांवों में लघु उद्योग की तमाम इकाइयां सरकार के सहयोग से ही लग रही हैं। जो सामान लघु उद्योग के माध्यम से बनाए जाते हैं और जो काम इनके माध्यम से होते हैं, वही काम बड़े उद्योगों में भी होते हैं। उसका प्रचार-प्रसार इतना होता है कि लघु उद्योग पूरी तरह तबाह हो जाता है और लघु उद्योग की ऋण की अदायगी भी नहीं हो पाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगों में जो काम होते हैं और जो सामान बनाए जाते हैं तो उन पर रोक लगाने की योजना बनाई है जैसे लघु उद्योगों में होता है।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, लघु क्षेत्र के लिए 836 मदें आरक्षित हैं और बड़े क्षेत्र उनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

वे 75 प्रतिशत निर्यात करने के लिए वचनबद्ध हैं।

श्री अमल दत्त : उत्तर में सरकार द्वारा किए गए कई प्रयत्नों का जिक्र किया गया है। इस देश में लघु उद्योग के विकसित नहीं होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि लघु उद्योग वित्त निगमों अथवा बैंकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अपर्याप्त रही है। उनके पास निधियां होने पर भी वे आवेदकों को ऋण देने में अत्यन्त सावधानी बरतते हैं और इसमें काफी समय लगाते हैं। यदि लघु उद्योग का विकसित करना है, तब सरकार को यह अवश्य देखना चाहिए कि ऋण सम्बन्धी आवेदनों को तुरन्त निपटाया जाये और कम समय में ऋण दिया जाए, चाहे उद्योग को आरम्भ करने अथवा उसे पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रारम्भ में ऐसा करना जरूरी है जबकि कार्यकारी पूंजी में वृद्धि करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सरकार को नियमों और परिनियमों सहित आगे आना चाहिए और वह यह देखे कि लघु उद्योग निगम और बैंक लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को वरीयता दें। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए। क्या सरकार, यदि आवश्यक हुआ तो नियमों और अधिनियमों की सहायता से इस प्रकार

की वरीयता देने और एक समय समय सीमा निर्धारित करने के लिए तैयार है जिसके अन्तर्गत यह सब अनिवार्यतः किया जाना चाहिए ?

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हू कि यह हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं है। उद्योग विभाग की संस्तुति और सुझाव के आधार पर एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर श्री नायक हैं। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपना प्रतिवेदन भेज दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक लघु क्षेत्र में ऋण प्रवाह के इस पक्ष की जांच कर रहा है। हम इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह ठीक है कि सरकार की नीति बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को विशेषरूप से लघु क्षेत्र मे उन्हें प्रोत्साहित करने की है। परन्तु वास्तव में हम यह देखते हैं कि औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के पश्चात् महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को काफी परेशान किया जाता है और उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता।

दूसरे, पश्चिम बंगाल में 23,000 लघु उद्योग बन्द हो गए हैं। वे पूरी तरह से बन्द हो गए हैं। मैं अन्य राज्यो के बारे में आंकड़े नहीं जानती हू परन्तु मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल मे यह संख्या 23,000 है। क्या मन्त्री जी यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करेंगे कि ये उद्योग बन्द क्यों हो गए हैं जबकि लाखों बेरोजगार युवा व्यक्ति सड़को पर आ गए हैं ? मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह एक सर्वेक्षण करे और बेरोजगार युवाओ और महिलाओं को प्रोत्साहित करें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

श्री एम० अरुणाचलम : मुझे महिला उद्यमियों के उत्पीड़न के बारे में जानकारी नहीं है। हमने विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्रियों को सम्मेलन में आमन्त्रित किया है। हम इस मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करेंगे। अधिकांश मुद्दों पर तो स्वयं राज्य सरकारों द्वारा ही विचार किया जाना है।

जहां तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, मैं वापस जाऊंगा और यह पता लगाने के लिए अपने अधिकारियो के साथ चर्चा करूंगा कि क्या पहले ही कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है। यदि नहीं, तो हम विस्तार मे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

नागरिक सुविधाओं सम्बन्धी योजना

*305. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा आवास और शहरी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में छोटे और मझोले शहरों में बेहतर नागरिक तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना मंजूर की है;

(ख यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा में इस मद में कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) तक एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

नागरिक सुविधाओं सम्बन्धी योजना" बाबत 17 मार्च, 93 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) तथा (ख) नागरिक सुविधाएं प्रदान करना सम्बन्धित स्थानीय निकायों का दायित्व है । ये स्थानीय निकाय सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से अपनी योजनाएं बनाते हैं । राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को स्वयं सीधे तथा हुडको, जीवन बीमा निगम आदि वित्तीय संस्थाओं से उधार के लेकर सहायता देती हैं । भारत सरकार तो केवल नोडल और प्रेरक की भूमिका निभाती है । केन्द्र प्रवर्तित छोटे और मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की 1979-80 से चालू योजना की मार्फत भी वित्तीय सहायता दी जा रही है । तब से 31-3-92 तक, 176.17 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है, जिसका 517 छोटे व मझोले कस्बों को लाभ मिला है ।

(ग) तथा (घ) छोटे व मझोले कस्बों की विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर 22 कस्बों में योजनाएं स्वीकृत की गई है, तथा 1979-80 से 31-3-92 तक 710.75 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है । कस्बों की एक सूची, अलग-अलग स्वीकृत राशि सहित, अनुलग्नक में है ।

(ङ) वित्त वर्ष 1992-93 में इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए कोई राशि नहीं दी गई है ।

1979-80 से 31-3-92 तक की अवधि में छोटे व मझोले कस्बों की विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता का कस्बा-वार ब्यौरा

(रु० लाख में)

क्रम सं०	कस्बे का नाम	धनराशि
1	2	3
	छठी योजना	
1.	पुरी	40.00

1	2	3
2.	संबलपुर	27.50
3.	बालासोर	40.00
4.	रूरकेला	40.00
5.	जेपुर	40.00
6.	ढेंकनाल	40.00
	जोड़ :	237.50
	सातवीं योजना	
7.	क्योंझर	46.525
8.	बारीपाटा	46.00
9.	बोलंगीर	46.00
10.	पारादीप	36.00
11.	कोरापुट	40.00
12.	फूलबानी	37.725
13.	भवानीपतनम	41.00
	योग :	293.25
	1990-91	
14.	केन्द्रपाटा	10.00
15.	अंगुल	25.00
16.	जयपुर रोड	25.00
17.	बैरागढ़	23 00
18.	रायगढ़	15.00
19.	गोपालपुर	20.00
	योग :	120.00

1	2	3
20.	भद्रक	20.00
21.	सुन्दरगढ़	20.00
22.	जगतसिंह पुर	20.00
	योग	60.00
	सकल योग	710.75

श्री श्रीकान्त जेना : मैं सिर्फ भारत सरकार की भूमिका जानना चाहूंगा। उत्तर में यह स्पष्टतः बताया गया है कि भारत सरकार केवल नोडल और प्रेरक की भूमिका निभाती है। आपका नोडल और प्रेरक की भूमिका से वास्तव में क्या अभिप्राय है ?

श्रीमती शीला कौल : नोडल की यह भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी राज्यों का केन्द्र की इस नोडल भूमिका की ओर ध्यान है। बढ़ी हुई शहरी आबादी से शहरों की पहले से ही कमजोर बुनियादी सुविधाओं पर दबाव पड़ा है। अतएव संतुलित शहरी विकास प्राप्त करने और विभिन्न राज्यों में बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए लघु और मध्यम कस्बों के समन्वित विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1979-80 में आरम्भ की गयी थी। यदि आप उन राज्यों के नाम जानना चाहते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नोडल मन्त्रालय पर निर्भर थे, मैं आपको उन सभी राज्यों के नाम बता सकता हूं। मेरे विचार से ये लगभग 25 हैं। ये विभिन्न राज्य हैं :— आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोआ और गुजरात आदि। यदि आप चाहते हैं कि मैं वे सब नाम पढ़, मैं पढ़ सकता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं नहीं चाहता परन्तु मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग था।

श्रीमती शीला कौल : आप केन्द्र की नोडल भूमिका के बारे में जानना चाहते थे।

श्री श्रीमती जेना : और प्रेरक की भूमिका के बारे में भी।

श्रीमती शीला कौल : केन्द्र इस रूप में प्रेरक की भूमिका निभा रहा है कि केन्द्र सभी राज्यों को उन विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां प्रदान कर रहा है जो समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं। हमारे पास लघु और मध्यम कस्बों में स्वच्छता, सड़क, टर्मिनलों, पार्कों और आवास से सम्बन्धित योजनायें हैं। ऐसी सभी योजनाओं के लिए भी वे निधि प्राप्त करने के लिए पुनः केन्द्र सरकार तथा शहरी विकास मन्त्रालय पर निर्भर होते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : हम सभी जानते हैं कि लघु मध्यम कस्बों के विभिन्न स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं के लिए आई.डी.एस.एम.टी. की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। उस योजना के अनुसार भारत सरकार ने पहले ही लगभग 376 करोड़ रुपया

खर्च कर दिया है। परन्तु जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, 1992-93 के वित्तीय वर्ष के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई। मैं उड़ीसा सरकार द्वारा की गई मांग के बारे में जानना चाहता हूं तथा यह भी कि आपने वर्ष 1992-93 में कोई भी धनराशि क्यों नहीं दी ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि मेरे यथासंभव प्रयासों के बावजूद कि मैं उड़ीसा में भी पिछली जनवरी में गई थी और वहां पर मुख्य मंत्री से अनुरोध किया था—इसके बावजूद भी हमें अभी तक उन विभिन्न योजनाओं के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं जो पहले से ही वहां पर चलाई जा रही हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र कि किसी योजना विशेष के लिए आबंटित की गई धनराशि अर्थात् उपयोगिता प्रमाणपत्र भी केन्द्र सरकार के पास भेजा जाना है। परन्तु हमें अभी तक यह प्रमाणपत्र नहीं मिला है। मैं आपकी आभारी होऊंगी यदि आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके हमें उपयोगिता प्रमाणपत्र भिजवा दें। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि 31 मार्च से पहले आपको प्रमाणपत्र मिल जाये तो क्या आपके लिए धन देना संभव होगा ?

श्रीमती शीला कौल : हमें मिल जाये, फिर हम आगे देखेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उड़ीसा सरकार ने आई० डी०एस०एम०टी० योजना के तहत वित्तीय समर्थन के माध्यम से भारत सरकार से कितनी धनराशि की मांग की थी। यह योजना 1979-80 से लागू है। तब से लगभग 15 वर्ष हो गये हैं। परन्तु उड़ीसा को संपूर्ण योजना के लिए आबंटित किए गए कुल 176 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 7 करोड़ रु० की धनराशि का ही आबंटन किया गया है। इसमें भारत सरकार की कितनी त्रुटि है ?

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि वक्तव्य में उल्लिखित इन 22 कस्बों को धन देने के बावजूद भी इन सभी योजनाओं को या तो उन्हें ठीक से लागू न करने अथवा निधि की कमी के कारण अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

अतः, क्या भारत सरकार को पता है कि ये योजनाएं अधूरी पड़ी हैं ? और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न शहरी निकायों तथा उड़ीसा सरकार से, इन छोटे कस्बों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में अत्यावश्यक सहायता करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है ? अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उड़ीसा के छोटे तथा मझोले कस्बों को पेयजल योजना के जरिए वित्तीय सहायता देगी ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, हम विभिन्न राज्यों, विशेषकर उड़ीसा को, अधिक से अधिक सहायता देना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने पानी की सप्लाई के बारे में पूछा है......

अध्यक्ष महोदय : विशेष रूप से उड़ीसा ही क्यों ?

श्रीमती शीला कौल : क्योंकि अन्य राज्य अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते रहते हैं। मैं यह कहना नहीं चाहती क्योंकि कारण आप जानते हैं।

हमारे पास ग्रेटर सम्बलपुर, जाजपुर रोड, जयपुर, कटक, केन्द्रपाड़ा और भुवनेश्वर के लिए पानी सप्लाई करने की योजनाएं है। हमारे पास कटक के लिए तीन, भुवनेश्वर के लिए तीन तथा कुछ अन्य योजनाएं हैं जिनका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या इन्हें पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी······

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरे सदस्यों का भी आदर करना चाहिए। कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कृपया बैठ जाइए। मुझे एक ही प्रश्न पर बहुत कुछ कहने को विवश मत कीजिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश के शहरों के बिगड़ते स्वरूप तथा शहरी पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों के द्वारा ही भारी पैमाने पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि इस योजना के प्रारम्भ से अब तक 517 छोटे कस्बों के लिए 176 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस तरह इन वर्षों में लगभग 30 लाख रु० प्रति कस्बे का औसत आया। मेरा मानना है कि क्योंकि यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, इसमें एक निश्चित अंशदान राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाना चाहिए, और शायद नगरपालिकाओं द्वारा भी—कितना, यह मैं नहीं जानता। यह अनुपात 50 : 50 का हो सकता है। ऐसा होने पर भी, शहरों के बिगड़ते स्वरूप को सुधारने के लिए लगभग 60 लाख रुपए का औसत आएगा। माननीय मन्त्री महोदया से मेरा प्रश्न यही है। क्या उन्होंने शहरों में जन सुविधाओं के ह्रास के स्तर का तथा इसको रोकने के लिए आवश्यक साधनों की मात्रा का एवं कस्बों की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया है और उनके विचार में उसके आधार पर यह आवंटन पर्याप्त है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल शहरों की बिगड़ती स्थिति की बात नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि उनके आकलन में, अपने देश में शहरों की स्थिति में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए क्या यह आवंटन उचित है।

श्रीमती शीला कौल : यदि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न मुझसे अलग से पूछा होता, तो अच्छा होता और मैंने और अधिक विस्तृत विवरण दिया होता। यह उड़ीसा से सम्बन्धित है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में प्रतिदिन 300 परिवार आते हैं। आज

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

मुम्बई की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि मुम्बई शहर से आपको 17,944 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। हमें आपने मुम्बई शहर के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए दिए। उसमें बढ़ोतरी करने का क्या सरकार का इरादा है? दूसरी बात यह कि शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने एक मुफ्त घर झोपड़-पट्टी वासियों को देने के लिए आपके पास एक स्कीम भेजी है। मैंने भी अर्बन डवलपमेंट कमेटी में एक स्कीम रखी थी। क्या उसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं?

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने कहा है कि यह प्रश्न उड़ीसा से सम्बन्धित है, इसलिए अगर सदस्य मुम्बई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और स्लम क्लियरेंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से सवाल भेजें या पूछें तो उचित रहेगा।

हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई

*306. श्री नीतीश कुमार : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान अनुमानत: कुल कितने हथकरघे चल रहे हैं;

(ख) क्या पूरे वर्ष भर इन हथकरघों को चालू रखने के लिए अपेक्षित धागे की मात्रा के बारे में सरकार ने कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस आकलन के अनुसार हथकरघा उद्योग के लिए अपेक्षित किस्म के धागे का देश में उत्पादन नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस धागे का औसतन वार्षिक उत्पादन कितना हुआ; और

(च) भविष्य में हथकरघा उद्योग की मांग के अनुरूप इस प्रकार के धागे की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय देश में लगभग 20.5 लाख वाणिज्यिक हथकरघे कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सूत की आवश्यकता कपड़े के नमूने की मांग और बुनाई के नमूने पर निर्भर करती है जो क्षेत्रवार और विभिन्न मौसम में भिन्न-भिन्न होती है। मोटे तौर से हथकरघा क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 400 मिलियन किलोग्राम सूत की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी, नहीं। हथकरघा क्षेत्र में सूत की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) गत 3 वर्षों के दौरान हैंक यार्न की सिविल डिलीवरी का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन किलोग्राम में)
1989-90	332
1990-91	362
1991-92	383

उपरोक्त आंकड़ों में हथकरघा क्षेत्र में उपलब्ध रेशम, पटसन, ऊनी और मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(च) हथकरघा क्षेत्र में सूत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं :—

(1) हथकरघा क्षेत्र में सूत के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सहायता देने की योजना।

(2) हथकरघा बुनकरों को मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की योजना।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अंतर्विरोध से भरा हुआ है। सरकार ने जवाब दिया है कि :

[अनुवाद]

"मोटे तौर पर, प्रतिवर्ष 400 मिलियन किलोग्राम सूत की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।"

उसके बाद सरकार ने यह बताया है कि :

"पिछले तीन वर्षों के दौरान हैंक यार्न की सिविल डिलीवरी का विवरण इस प्रकार है" :—

[हिन्दी]

मोटे तौर पर प्रतिवर्ष लगभग 400 मिलियन किलोग्राम सूत की आवश्यकता का सरकार ने अनुमान लगाया है। इसके अगेन्स्ट वर्ष 1989-90 में 232 मि० किलोग्राम, 1990-91 में 362 मि०

किलोग्राम और वर्ष 1991-92 में 383 मि० किलोग्राम हैंक यार्न की डिलीवरी की गई, ऐसा उत्तर में दिया गया है। उसके आगे कहा है कि :—

"हथकरघा क्षेत्र में सूत की कमी की कोई सूचना नहीं है।"

अध्यक्ष जी, यहां जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वह जानकारी के लिए ही पूछा जाता है, यदि हमारी बात सुन ली जाए और मूल प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से दे दिया जाए तो फिर सप्लीमेंटरी में अपनी बात पूछने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। हम आपके माध्यम से एक ही सप्लीमेंटरी में अपनी बात पूछ लेते हैं। चूंकि मेरे प्रश्न का उत्तर अन्तर्विरोध से भरा हुआ है, इसीलिए मुझे सप्लीमेंटरी करनी पड़ रही है। जब सरकार ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र में सूत की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि पिछले फरवरी महीने में यहां बुनकरों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसे माननीय प्रधानमन्त्री जी ने सम्बोधित किया था। उसमें सबसे प्रमुख मांग यही रखी गई थी कि साल भर के लिए हथकरघा उद्योग और बुनकरों को हैंक यार्न नहीं मिलता है, वह मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह बात सही है।

दूसरी बात यह है कि हैंक यार्न प्रोड्यूस करने के बारे में एक कमिटमैंट है कि सब लोग, जो भी कम्पनियां इसको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, जितनी यूनिटस हैं, जैसे एन०टी०सी० है, हैंक यार्न प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने भी यह बताया है कि जो हैंक यार्न ऑब्लीगेशन स्कीम है, उसके मुताबिक, अपने प्रोडक्शन का 50 प्रतिशत उन्हें हथकरघा उद्योग के लिए, हैंक यार्न प्रोडक्शन करना था, वे अपने कमिटमैंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उससे बहुत कम उत्पादन कर पा रहे हैं। कोआपरेटिव सैक्टर में भी बहुत कम उत्पादन हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, उसका वांछित उत्पादन हो, कमिटमैंट के मुताबिक हो, सरकार इसके लिए कौन-सी कार्यवाही कर रही है। इसके अलावा, बुनकरों ने प्रधानमंत्री जी के सामने जो मांग रखी थी, उसके सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : ऑनरेबल मेम्बर, हमारी सरकार बुनकरों के लिए जो काम कर रही है, उससे तो सन्तुष्ट मालूम पड़ते हैं। एटलीस्ट 50 परसेंट आफ द टोटल जो यार्न प्रोड्यूस होगा, उसमें से सिविल कन्जम्पशन के लिए, हैंक यार्न की फार्म में होगा। हर मिल के लिए यह अनिवार्य है कि 50 परसेंट यार्न हैंक यार्न के रूप में प्रोड्यूस करे, ऐसा हमने कानून बनाया है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। जो लोग नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कुल 428 मिलों को हमने एफ०आई०आर० में बुक किया है। ऐसे ही, जो यार्न बाजार में ले जाते हैं, उसमें से भी 50 परसेंट उन्हें हैंक यार्न के लिए रिजर्व करना पड़ता है। इसलिए इस प्रावधान को हम सख्ती के साथ देख रहे हैं और इम्पलीमैंट करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि बुनकरों को सही मायने में हैंक यार्न पहुंचाया जा सके।

अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है कि हैंक यार्न मिलने में मुश्किल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हैंक यार्न मिलने में मुश्किल नहीं हो रही है बल्कि जितनी उनकी जरूरत है उतना यार्न उनके लिए सप्लाई हो रहा है, मगर मुश्किल बुनकरों के सामने यह आ रही है कि यार्न के रेट्स में फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण बुनकर परेशान हैं। कभी यार्न की कीमत बढ़ जाती है तो वे खरीद नहीं पाते हैं। यार्न की कीमत को एक लेवल तक लाने के लिए गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने अपनी तरफ से कोशिश की है, वह कोशिश अब भी की जा रही है। अभी जैसा मैंने बताया कि हैंक यार्न

को उन तक पहुंचाने के लिए, किस तरह उनको बैंक यार्न आसानी से पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंटरी न हो, तो मैं दूसरे माननीय सदस्यों से प्रश्न करने को कहूं ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मेरे पास दूसरा सप्लीमेंटरी है, लेकिन मैं दूसरे के लिए उसे छोड़ने को तैयार हूं ।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, बुनकरों को सूत की आपूर्ति करने के लिए सहकारी क्षेत्र में कुछ कताई मिलें स्थापित करने का सरकार का विचार था । बिहार में 5 सहकारी कताई मिलें स्थापित करने का विचार था, परन्तु उनका काम अधूरा पड़ा है । सरकार इन कताई मिलों का कार्य पूरा करने का विचार रखती है अथवा नहीं ?

दूसरे, सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में बुनकर गांवों के निर्माण का प्रस्ताव किया है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के सूत बैंक बनाए जाएंगे या नहीं ?

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : स्पिनिंग मिल्स सेट-अप के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में टेक-अप किया गया है । एक तो मिल के लिए कोपरेटिव सैक्टर में पूरी तरह से अम्ल करने की कोशिश की गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राजस्थान में पेयजल

*302. **श्री मनफूल सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, विशेषरूप से उसके रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का स्थाई रूप से हल करने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार से अन्तिम परिणाम अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) पेयजल की समस्या को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के सामान्य कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, मिनी-मिशन तथा उप-मिशन योजनाओं और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हल किया जा रहा है। केन्द्र सरकार 1987-88 से मरूस्थली जिलों में पेयजल सप्लाई के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बराबर के योगदान के बिना विशेष सहायता दे रही है।

(घ) 1993-94 में राज्य के लगभग 2000 गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने की सम्भावना है। 1993-94 में राज्य सरकार को 27.91 करोड़ रुपए की सामान्य योजना सहायता के अलावा, मरूस्थली जिलों के लिए 13.92 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे। राज्य सरकार ने इन जिलों में पेयजल सप्लाई हेतु द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुछेक परियोजनाएं तैयार की हैं।

[अनुवाद]

चर्मशोधन कारखानों को बढ़ावा देना

*304. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगठित क्षेत्र में चर्मशोधन कारखानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू और निर्यात दोनों प्रयोजनों के लिए चमड़े की कुल कितनी वार्षिक मांग है;

(ग) क्या चमड़े की वस्तुओं और वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए देश में संयुक्त क्षेत्र के चर्मशोधन कारखानों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एकक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1994-95 हेतु घरेलू एवं निर्यात दोनों प्रयोजनों के लिए चमड़े की अनुमानित कुल वार्षिक अपेक्षा 1804 मिलियन वर्ग फिट है।

(ग) और (घ) देश में संयुक्त क्षेत्र के चर्मशोधन कारखानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

संगठित क्षेत्र में चर्मशोधन कारखानों का राज्य-वार ब्योरा

आन्ध्र प्रदेश

क्रम स०	नाम	स्थान	अधिष्ठापित क्षमता (20 लाख में)	
1	2	3	4	
			खाल	चमड़ा
1.	आन्ध्र प्रदेश टैनरीज लि० 10-2/99, कुकुममेटा विजयानगरम	मालीमर्ला विजयानगरम	2.00	
2.	अवंती लैदर लि० 10, सिनोटेक रोड मद्रास-600018	चित्तूर, जिला	1.50	18 00
3.	डिकेल लैदर लि० 6-6-666/ए, पंजागुट्टा, हैदराबाद-4	पटनाचेरी मिडाक, जिला	—	6.00
4.	हैदराबाद टैनरीज दुर्गा हुसैनी शावली, हैदराबाद-500008	राजाबुंग गांव	1.80	3.00
5.	मोहम्मद बशीर एण्ड कं० टैनर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एनुमामूला बोसियापेट, वारांगल (आंन्ध्र प्रदेश)	वारांगल आन्ध्र प्रदेश	—	18.00
6.	होए लैदर गारमेंटस लि० 12-2-709/1, "बरबुन", हैदराबान-500028	—	—	7.10
	कुल :		5.30	52.10

1	2	3	4	
		बिहार		
	1. बाटा इण्डिया लि० मोकामघाट-803301	मोकामघाट	3.06	—
	2. बिहार फिनिशड लेदर लि० न्यू पाटलीपुरा कालोनी, पटना-800013	बरौनी जिला बेगुसराय	—	6.00
	कुल :		3.06	6.00
		गुजरात		
	1. गुजरात लेदर इण्डस्ट्रीज लि० 3000, जी०आई०डी०सी० इंड० एस्टेट, अंकलेश्वर-2	अकलेश्वर	1.80	3.00
		हरियाणा		
	1. हरियाणा टैनरी लि० हांसी रोड, जिंद	जिंद	1.50	7.20
		केरल		
	1. वाजिद लेदर लि० 24/470, थएग्वियाल लेन पो० बाक्स 1751 कोचीन-682016	कुट्टीपुरम केरल	1.50	3.00
		कर्नाटक		
	1. मै० बंगलौर लेदर एण्ड लेदर क्राफ्ट प्रा०लि० 55/1 टैनरी रोड, नागवारा, बंगलौर		—	6.30
		मध्य प्रदेश		
	1. टाटा एक्सपोर्ट लि० ब्लाक-ए, शिवसागर एस्टेट एनी बेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-400018	देवास	3.60	19.00

1	2	3	4	
		महाराष्ट्र		
1.	गोदावरी ब्रदर्स 132, जोली मेकर्स, चैम्बर्स नं० 12 255, नरीमन पाईन्ट, बम्बई-21	भिवंडी, घर्द महाराष्ट्र	0.08	21.03
2.	लैदर इंड० कारपो० आफ महाराष्ट्र लि० विकास भवन डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, औरंगाबाद-1	बीड	0.75	9.00
3.	महाराष्ट्र लैदर लि०, औरंगाबाद	औरंगाबाद	—	12.00
4.	वैस्टर्न इण्डिया टैनरीज, 2-ए, धारवी रोड, बम्बई-17	धारवी	2.60	1.44
5.	बुक बोंड इण्डिया लि० 9, शेक्सपीयर स्ट्रीट, कलकत्ता-700016	औरंगाबाद	5.00	—
6.	राज लैदर (प्रा०) लि० 10, ईस्ट हाई कोर्ट रोड रामदास पोत, नागपुर-10	बांदरा, जिला	7.50	—
7.	भारत टैनरीज, सहकारी कारखाना लि० प्रो० कालोनी रोड, देवपुर धुले-424002	देवपुर, जिला धुले महाराष्ट्र	1 20	3.00
	कुल :		17.13	46.47
		पंजाब		
1.	पंजाब टैनरीज लि० नाकोदर रोड, पो०ओ० नं० 602, जालन्धर-3	जालन्धर	1.36	2.88

1	2	3	4	
	2. बाबा शूज (प्रा०) लि० इण्डस्ट्रीयल कम्पलैक्स, श्री गोइंदवाल साहिब जिला अमृतसर, पंजाब	तरनतारन	2.25	—
	3. बाबा स्किन कम्पनी, पो०ओ० रामदासपुर जालन्धर सिटी, पंजाब	जालन्धर	3.52	1.34
	कुल :		7.13	4.22
	राजस्थान			
	1. राजस्थान स्टेट टैनरी लि० पी०-6, तिलक मार्ग "एस" स्कीम, जयपुर-6	टोंग	1.36	12.60
	तमिलनाडु			
	1. मै० एम०आर०एफ० लि० ता·ापुर टावर, 826, अन्ना रोड, पो०बो० नं० 350, मद्रास-600002	रानीपत	0.60	3.00
	2. ए० रफीक अहमद एण्ड कं० हबीब मैनसनन, 163, ब्राडवे, मद्रास-1	वलोरे, टी०एन०	—	25.95
	3. ए० अब्दुल शकूर एण्ड कम्पनी हबीब मैनसन्स, 163, ब्राडवे, मद्रास-1	वेनियमबाडी, टी०एन०	—	25.00
	4. कमानिया लैदर कं० 936 पेरियार, ई०वी०आर०, हाई रोड, मद्रास-84	कसबा रोड, अम्बूर, टी०एन०	—	5.41

1	2	3	4	
5.	बेनिल लैदर कारपो० द्वितीय तल, 5, नवल हास्पीटल रोड, पेरियामेट, मद्रास	नागालकेरी, टी०एन०	0.63	9.97
6.	भारत स्किन कारपो०, 113, बेपरी हाई रोड, पेरियामेट, मद्रास	नागालकेरी, टी०एन०	—	9.00
7.	बाक्यू टैनरीज लि०, 20, ईस्ट वैन्यू, केशवपेरूमलपुरम, आफ ग्रीनवेस रोड, मद्रास-28	पुड़पक्का, टी०एन०	—	15.00
8.	क्रोम लैदर कं० लि०, 7, वर्क्स रोड, मद्रास	क्रोमेपत, टी०एन०	4.80	3.00
9.	कोरोमण्डल लैदर (प्रा०) लि० 20, पेरिआना मेस्ट्रो स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास	रानीपत, टी०एन०	—	9.00
10.	सी० अब्दुल रहमान एण्ड कं० 29 और 30, बी०बी० कोली स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास-3	अम्बुर, टी०एन०	—	5.41
11.	ई०के० हाजी मोहम्मद मीरा शाही एण्ड संस, 9, वेपरे हाई रोड, पेरियामेट, मद्रास-3	इरोडे, टी०एन०	2.15	0.77
12.	ईस्टर्न क्रोमे टैनिंग कारपो०, 31, मैडक्स स्ट्रीट, मद्रास-112	अम्बूर, टी०एन०	—	7.20
13.	फरीदा प्राइम टैनरी, 28, बी०बी० कोली, स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास-3	चूथीपत, अम्बूर, टी०एन०	—	30.00
14.	गोरडन वुडरोफे एण्ड कं० (प्रा०) लि० 36, राजाजी रोड, मद्रास-1	पालावरम, टी०एन०	4 80	12 00
15.	इण्टर कोंटिनेंटल लैदर, मद्रास	रानीपत	—	9.00

1	2	3	4	
16.	के०एम०मो० अब्दुल कादीर, 40-ए०बी०बी० कोली स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास-3	डिंडीगुल, मदुरै, टी०एन०	—	14.50
17.	एम०ए० खिज्जर हुसैन एण्ड संस 26 बी०बी० कोली स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास-3	रानीपत	8.46	1.72
18.	एम०एस० मो० सिद्दकी लि० 16 बी०बी० कोली स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास-3	तिरुचापल्ली	—	10.56
19.	मयपार लैदर, 100, पुनासाली हाई रोड, मद्रास-10	पालावरम	—	6.50
20.	एम०एम० खलीलुल्लाह एण्ड क०, 2, बुथयोटन स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास-3	अम्बूर, टी०एन०	—	21.00
21.	मलिक लैदर्स 19/बी० डाई मोस्क रोड, मेलविशम	रानीपत, टी०एन०	—	3.00
22.	एम०एम० जकारिया एण्ड कं० 24, बी०बी० कोली स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास-3	थूथीपत, अम्बूर, नोर्थ अरकोट	—	1.80
23.	प्रजिडेंसी किड लेदर प्रा० लि० 378, एन०एस०सी० बोज रोड, मद्रास	गुदीनचेरी	—	5.00
24.	रानीपेट लेदर फिनिसिंग प्रा० लि० 22, वेपेरी हाई रोड, पेरियामेट, मद्रास-3	रानीपेट	—	6.00
25.	एस०के०एस०सी०, 17, कमांडर-इन-चीफ एगमोर, मद्रास-8	वानीयामबाडी	1.46	—
26.	साउथ ईस्ट टानिंग कंपनी, 1-सी, नाबल होस्पिटल रोड, पेरियामेट, मद्रास-3	अम्बूर, टी०एन०	—	40.00

1	2	3	4	
	27. श्रीनिवासन एण्ड कंपनी, 44, सन्डेनहम्स रोड, पेरियमेट, मद्रास-3	मद्रावरम	—	7.00
	28. टी० अब्दुल रज़ाक एण्ड सन्स 18, वेपरी हाई रोड, पेरियापेट, मद्रास-3	अम्बूर, टी०एन०	0.50	1.25
	29. टी० अब्दुल वाहिद एण्ड कंपनी 26, वेपरी हाई रोड, पेरियमपेट, मद्रास-3	अम्बूर, टी०एन०	3:00	26.00
	30. वी० गुरुवेह नाइडू एण्ड सन्स 1', वी०वी० कोली स्ट्रीट, पेरियमपेट, मेद्रास-3	अथूपतम	—	4.47
	31. टी० अब्दुल वाहिद टैनरीज प्रा०लि० 19, वेपेरी रोड, पेरियमपेट, मद्रास	पुटीपेट, टी०एन०	—	30.00
	32. वेकजाह लेदर इण्डस्ट्री 46, बी०सी०डे० रोड, कलकत्ता-15	कोमपेट, टी०एन०	—	2.76
	33. जुबेदा टानिंग इण्डस्ट्रीज 15, कुमारप्पा लेदर स्ट्रीट, पेरियमपेट, मद्रास-3	पुटीपेट, तमिलनाडु	—	4.00
	34. के०ए०के० अनवर 64, साइडम हाम्स रोड, पेरियमपेट, मद्रास-3	वनियांमेंबदी	—	5.50
	35. अकबर लेदर्स लि० 13, वेपेरी हाई रोड, मद्रास-3	सोमूर, वनियामबदी	—	5.83
	36. खिजरिया लैदर्स 9, कुमारप्पा स्ट्रीट, पेरियमपेट, मद्रास	नार्थ आर्कोट	2:68	—

1 2	3	4	
37. सी०ए० अख्तर एण्ड कम्पनी 64, साइडनहम्स रोड, पेरियापेट, मद्रास-3	नार्थ आर्कोट	6.00	—
38. साउथ ईस्ट टेनरी प्रा०लि० 1-सी नवल हास्पीटल, पेरियापेट, मद्रास-3	अम्बूर, टी०एन०	—	9.00
39. शाफिक लेदर मलिक नगर, रानीपेट	रानीपेट	1.73	—
40. मो० इस्मैल एण्ड कं० 1, कुमारप्पा चेरी स्ट्रीट, पेरियापेट, मद्रास	नार्थ आर्कोट	6.00	—
41. जय भारत टानर्स 8, एम० थियागराजनपुरम वेलौर, नार्थ आरकोट-632001	नार्थ आरकोट	—	2.75
40. वी० मेरनामबुट स्माल टानर्स लेदर फिनिशिंग सर्विस इण्ड० को० सोसाइटी लि० गुडियाथम रोड, नार्थ आरकोट, पेरनामबुट	गुडियाथम, नार्थ आरकोट	4 5	—
43. दी रानीपेट लेदर फिनिशिंग सर्विस इण्ड०को० सोसाइटी लि० इण्ड० नं० 943, एम०बी० रोड, रानीपेट-632401	नार्थ आरकोट	5.25	—
44. डिंडिगुल लेदर फिनिशिंग सर्विस इन्ड० कोप० लि० इण्ड० नं० 938, डिंडिगुल, जिला मदुर्ई, तमिलनाडु-624002	मदुरै	1.50	7.50
45. रामको सुपर लेदर लि० सेतु हाउस, 28, डा० अलगप्पा रोड, मद्रास-600084	वेलौर	—	10.60

1	2	3	4	
46.	शफीक शामील एण्ड कं०, 29, ई०वी०के० सम्पत रोड, वेपेरी, मद्रास-600007	अम्बूर तहसिल बनियामबाडी एन०ए० जिला, टी०एन०	—	25.00
47.	ए०एस० निशार अहमद एण्ड कं०, 7, नावीकम सुवेदन स्ट्रीट, पेरियामेट, मद्रास	अम्बूर, नार्थ आरकोट	—	12.60
48.	ओडिल आशफकी एण्ड कं०, 12, रामा स्ट्रीट; पेरियामेट, मद्रास-600003	अम्बूर, नार्थ आरकोट	—	5.40
	योग :		52.29	440.37
	उत्तर प्रदेश			
1.	प्राइमा टैनरीज कोलोबोला, कलकत्ता-73	फैजाबाद	9.00	—
2.	टैनरी एण्ड फुटवियर कोरपोरेशन 13/400, सिविल लाइन्स, कानपुर-1	कानपुर	9.60	—
3.	हाजी मंजूर आलम इण्ड० सुल्तान बेली, जाजमऊ, कानपुर	जाजमऊ, कानपुर	5.00	2.5
4.	जाम जाम टैनर्स 90/254, पुरवाहुर हीरामन पी०बो० नं० 383, कानपुर	उन्नाव यू०पी०	0.99	19.00
5	मै० बेशन एण्ड कं०, पो०बो० नं० 42, ओल्ड भरतपुर रोड, बोडला, आगरा	आगरा	1.64	—
6.	सुपर टैनरी (इण्डिया) जाजमऊ रोड, कानपुर-208110	जाजमऊ	—	—

1	2	3	4	
	7. अमीन सन्स लि० 15/288, सिविल लाइन, कानपुर	उन्नाव, कानपुर	1.16	—
	योग :		27.39	21.60
	पश्चिम बंगाल			
	1. आलम टैनरी प्रा० लि० 187, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700017	कलकत्ता	0.55	6.50
	2. बाटा इण्डिया लि० 24, परगना, कलकत्ता-17, पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	3.60	—
	3. सी०आर०सी० टैनरी प्रा०लि० 129, मोयेश्वरटीला रोड, हैदराबाद-46	कलकत्ता	0.32	—
	4. फैब लेदर लि० कोर्नर आफ हार्न रोड एण्ड सोमपुर रोड, कलकत्ता-27	कलकत्ता	·1.38	—
	5. इण्टरनेशनल ट्रेनिंग इण्ड०, 4, मुकाम बिजानी बाल रोड, कलकत्ता-39	कलकत्ता	—	1.44
	6. मैसूर क्रोम टैनिंग कंपनी लि० मैसूर रोड, बंगलौर-560006	पगलाडंग कलकत्ता	1.5	9.00
	7. नेशनल टैनरी कं०लि० कनाल साउथ रोड, पगलाडंग, कलकत्ता	पगलाडंग कलकत्ता	1 84	13.20
	8. सबेरा एण्ड कं०लि०, 18, टंगरा रोड, कलकत्ता-46	कलकत्ता	0.60	2.40

1	2	3	4	
	9. बेबना प्रा० लि०, 24-ए० ब्राइट स्ट्रीट, कलकत्ता-17	कलकत्ता	0.60	11.04
	10. वेस्ट बंगाल लेदर डवलपमेंट कारपोरेशन 2 एण्ड 3 ब्लॉक बर्न लेन, (चौथी मन्जिल), कलकत्ता-12	कलकत्ता	1.70	9.00
	योग :		12.19	53.18

औद्योगिक क्षेत्र द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग

*307. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र विदेशी सहायता का मात्र 21 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया है, जैसाकि 22 जनवरी, 1993 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) अन्य कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस सहायता का उपयोग नहीं कर सके हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1992-93 के बजट में किए गए 1800.98 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र की विदेशी सहायता प्राप्त द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय परियोजनाओं को 1-12-1992 तक 634.60 करोड़ रुपए अर्थात 35 23% राशि दे दी गयी है।

(ख) से (घ) तीन विशिष्ट परियोजनाओं अर्थात् निर्यात-II (ऋण सं० 3059-आई० एन०), इलेक्ट्रानिक उद्योग (ऋण सं० 3094-आई० एन० और 3095-आई० एन०) तथा पेट्रोलियम परिवहन परियोजना (ऋण सं० 3044-आई० एन०) में कार्य न होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र को धन का वितरण धीमा रहा। पहली दो में उप-कर्जदारों के ब्याज की दर बहुत ऊंची हो गयी थी जबकि पेट्रोलियम परिवहन परियोजना की संशोधित लागत मूल अनुमानित लागत से बहुत अधिक हो गयी थी। अतः इन्हें रद्द करने का निर्णय लिया गया था। उपर्युक्त 1800.98 करोड़ रुपए की राशि में रद्द की गयी इन परियोजनाओं के 547.00 करोड़ रु० भी सम्मिलित हैं। दिनांक 28-2-1993 तक के उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वितरण की अनन्तिम राशि 906.44 करोड़ रुपये या 72 28% है जिसमें रद्द की गयी राशि भी शामिल है।

औषधि-मूल्य समकरण लेखा

*3 ε. श्री वसुदेव आचार्य :

श्री सुधीर गिरि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत औषधि-मूल्य समकरण लेखा के निमित्त औषधि कम्पनियों से कोई धनराशि वसूल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) कितनी धनराशि अभी भी वसूल की जानी है; और

(घ) शेष धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार ने 29 कम्पनियों से अब तक 17.89 करोड़ रुपए की राशि वसूल की है ।

(ग) और (घ) वसूल की जाने वाली राशि का अभी अन्तिम रूप से निर्धारण किया जाना है। अधिकांश मामलों में कम्पनियों ने अब तक की गई गणना को चुनौती दी है और या तो विभिन्न अदालतों से स्थगन आदेश/विशिष्ट निर्देश प्राप्त किए हैं या व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा है, जो दी जा रही हैं ।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*309. श्री राम विलास पासवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा वस्तुतः कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) आबंटित की गई/जारी की गई वित्तीय सहायता किन-किन एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए वितरित की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि वास्तव में गरीब लोगों तक कितनी धनराशि पहुंचती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं कि जारी की गई सम्पूर्ण राशि गरीबों तक पहुंचे ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना दो प्रमुख गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 331.65 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आबंटन किया गया है और इसकी तुलना में अब तक 298.36 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को 1992-93 के लिए 2046.00 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आबंटन किया गया है जिसमें से अब तक 2032 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है।

(ख) राज्यों में जिला स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित वित्तीय सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को वितरित की जाती हैं।

जवाहर रोजगार योजना के मामले में, कार्यक्रम को राज्यों में जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा और बुनियादी स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल आबंटन की 20 प्रतिशत राशि दस लाख कुंओं की योजना के लिए निर्धारित की जाती है और राज्यों को आबंटित की जाती है। इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना की निधियों का 6 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय स्तर पर इन्दिरा आवास योजना के लिए निर्धारित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दस लाख कुंओं की योजना और इन्दिरा आवास योजना के दो निर्धारित क्षेत्रों के लिए निधियों की व्यवस्था करने के बाद एक जिले के लिए आबंटित निधियों का कम से कम 80 प्रतिशत भाग जिले की पंचायतों को आबंटित किया जाता है और शेष 20 प्रतिशत जिला स्तर पर अन्तर खण्ड/गांव के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कापार्ट को अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

(ग) से (ङ) सरकार कार्यक्रमों के प्रभाव का जायजा लेने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उचित उपाय करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित, स्वतन्त्र गैर-सरकारी/अनुसंधान संगठनों की मार्फत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का नियमित रूप से समवर्ती मूल्यांकन करवा रही है। जनवरी-दिसम्बर, 1989 के दौरान कराए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के नवीनतम दौर के अनुसार 84 प्रतिशत मामलों में कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पात्र लाभार्थी परिवारों तक पहुंचे हैं। मूल्यांकन से यह भी पता चला है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत मुहैया कराई गई परिसम्पत्तियों से 42 प्रतिशत मामलों में 2000 रुपए वार्षिक से अधिक, 18 प्रतिशत मामलों में 1001 रुपए से 2000 रुपए के बीच और 9 प्रतिशत मामलों में 501 रुपए से 1000 रुपए के बीच अतिरिक्त आय हुई थी। लगभग 83 प्रतिशत लाभार्थियों ने परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता को पर्याप्त पाया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का चौथा दौर अब सितम्बर-अक्तूबर, 92 से चल रहा है।

जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन जनवरी, 1992—दिसम्बर, 1992 के दौरान कराया गया था और उसके आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं।

सरकार ने फील्ड निरीक्षणों, आवधिक रिपोर्टों और समीक्षा बैठकों के जरिए केन्द्र, राज्य, जिला और निचले स्तरों पर कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी की एक प्रणाली तैयार की है। जिला स्तर पर विभिन्न कर्मचारियों के लिए एक निरीक्षण अनुसूची निर्धारित की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा जहां कहीं आवश्यक होता है, राज्यों को उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रमों को मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है और उनके लाभ गरीबों तक पहुंच रहे हैं। ऐसी निगरानी में भौतिक और वित्तीय दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है।

गरीबों के उत्थान हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग

*310. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :

श्री तेज सिंह राव भोंसले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान हेतु कुछ योजनाएं इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है और अनुमानतः इन पर कितना व्यय किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय की विज्ञान और समाज कार्यकलाप, जैव प्रौद्योगिकी और महासागर विकास के अधीन अनेक योजनाएं हैं जिनसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को लाभ मिलता है।

(ख) से (घ) विज्ञान और समाज कार्यक्रम के अधीन कुछेक प्रमुख कार्यकलाप काफी समय पहले छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में शुरू किए गए थे और जिनमें सातवीं योजना के दौरान विस्तार किया गया। ये कार्यकलाप कमजोर वर्गों, महिलाओं (विशेषकर कमजोर वर्गों से) और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से सम्बन्धित हैं। अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है जैसे कि खालों का वनस्पतियों की सहायता से चमड़ा बनाना, अपशोधन, सम्पूर्ण काकंस उपयोग, चमड़े का सामान बनाना, छोटे तालाबों में मछली बीजन और कार्परेजिंग, तटीय क्षेत्रों में मछली संग्रहण यन्त्रों का डिजाइन बनाना तथा उन्हें स्थापित करना, खाद्य पादपों की जंगली किस्मों की खेती और प्रचार करना और मधु मक्खी पालन। इसके अलावा 1991-92 के दौरान एक

आदिवासी उपयोजना आरम्भ की गई है और 1992-93 में एक विशेष संघटक योजना शुरू की गई थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास के लिए 1990 में जैव प्रौद्योगिकी के अधीन एक विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इनमें खुम्बी उत्पादन, जैव उर्वरक, मुर्गी पालन और कम्पोस्टिंग तथा आदिवासियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

महासागर विकास के अधीन, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूहों सम्बन्धी कार्यों का तटीय क्षेत्रों के प्रबन्ध से सीधा सम्बन्ध है और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक लाभ प्रदान करता है। समुद्री उपग्रह सूचना प्रणाली सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से मछली पकड़ने वाले समुदाय को विभव फिशिंग जोनों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करती है। इसी भांति वाकी-टाकी का उपयोग करते हुए जहाज से तट तक संचार प्रणाली के विकास सम्बन्धी परियोजना से भी तटवर्ती मछुआरों को संचार सुविधाएं प्रदान करने का इरादा है।

निम्नलिखित तालिका में बजट आबंटन जानकारी दी गई है:

कार्यकलाप	1992-93 के लिए बजट आबंटन (लाख रुपयों में)
विज्ञान और समाज कार्यकलाप	440
जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	50
जहाज से तट संचार प्रणाली	45
समुद्री उपग्रह सूचना सेवा	390
योग:	925

बजट में आबंटित की गई राशि का उपयोग हो चुका है।

रुग्ण एकक

*311. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने एकक रुग्ण थे;

(ख) इन रुग्ण एककों में राज्य-वार कुल कितनी राशि लगी हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने एककों को फिर से चालू किया गया है; और

(घ) शेष एककों की रुग्णता समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लघु क्षेत्र में 221472 औद्योगिक एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 1461 औद्योगिक एकक मार्च, 1991 के अन्त में रुग्ण थे। रुग्ण एककों के राज्यवार आंकड़े विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 1991 के अन्त में रुग्ण एककों पर कुल बकाया बैंक ऋणों की राशि 7897.61 करोड़ रुपए थी। राज्यवार आंकड़े विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) जिन एककों को रुग्ण अथवा कमजोर माना गया है उन सभी के लिए जीव्यता कुछ अध्ययन वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा किए जाते हैं। लघु क्षेत्र में रुग्ण एकक के बारे में 221472 एककों में से 16140 एकक सम्भावित रूप से जीव्यक्षम और 202998 एकक गैर-जीव्यक्षम पाए गए। 2334 एककों के सम्बन्ध में जीव्यक्षमता निश्चित नहीं की गई है। लघु क्षेत्र में सम्भावित रूप से 16140 जीव्यक्षम एककों में से मार्च, 1991 के अन्त में 13224 एककों को उपचारात्मक कार्यक्रमों के अधीन लाए गए थे।

गैर-लघु क्षेत्र में 1461 रुग्ण एककों में से 534 एकक सम्भावित रूप से जीव्य और 703 एकक गैर-जीव्यक्षम पाए गए। 224 एककों के बारे में जीव्यक्षमता तय नहीं की गई है। गैर-लघु क्षेत्र में सम्भावित रूप से 534 जीव्यक्षम एककों में से 374 एकक मार्च, 1991 के अन्त तक उपचारात्मक कार्यक्रमों के अधीन लाए गए। राज्यवार ब्यौरे विवरण-2 और विवरण-3 में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण पहलू विवरण-4 में दिए गए हैं।

विवरण-1

मार्च, 1991 के अन्त में लघु देश में लघु क्षेत्र तथा गैर-लघु क्षेत्र में
रुग्ण औद्योगिक एककों का राज्य-वार ब्यौरा

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु क्षेत्र एककों की सं०	बकाया राशि	लघु क्षेत्र एककों की सं०	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6
1.	असम	7	9.83	4892	26.84

1	2	3	4	5	6
2.	मेघालय	1	1.14	66	0.50
3.	बिहार	38	105.18	5171	70.46
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	22	0.03
5.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	10	0.24
6.	पश्चिमी बंगाल	185	725.62	30748	257.11
7.	नागालैंड	1	2.35	47	1.22
8.	मणिपुर	—	—	2278	1.36
9.	उड़ीसा	35	115.43	7443	42.17
10.	सिक्किम	1	2.92	75	0.44
11.	त्रिपुरा	—	—	605	1.74
12.	उत्तर प्रदेश	94	255.48	27477	230.94
13.	दिल्ली	20	67.29	4364	176.61
14.	पंजाब	32	68.86	5288	91.7
15.	हरियाणा	49	151.46	2720	64.53
16.	चण्डीगढ़	16	30.39	305	9.52
17.	जम्मू और कश्मीर	2	9.15	720	7.08
18.	हिमाचल प्रदेश	15	29.16	848	11.36
19.	राजस्थान	52	125.26	12196	61.42
20.	गुजरात	154	584.22	6240	211.14
21.	महाराष्ट्र	301	1342.05	20332	561.66
22.	गोवा	14	38.23	1148	15.56
23.	दमन और दीव	1	4.04	70	1.52

1	2	3	4	5	6
24.	दादरा और नगर हवेली	2	2.09	7	0.63
25.	मध्य प्रदेश	48	126.39	17146	111.34
26.	आंध्र प्रदेश	135	409.27	29487	236.64
27.	कर्नाटक	93	308.49	12858	173.25
28.	तमिलनाडु	127	382.59	10757	260.73
29.	केरल	34	205.13	17973	159.42
30.	पांडिचेरी	4	3.55	179	4.58
	योग :	1461	5105.57	221472	2792.04

विवरण-2

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु रुग्ण औद्योगिक एककों की कुल संख्या	सम्भावित जीव्यक्षमता एककों की संख्या	अजीव्यक्षम एककों की संख्या	उन एककों की संख्या जिनकी जीव्यक्षमता अभी तय की जानी है	उपचारात्मक कार्यक्रमों के अधीन जीव्यक्षम एककों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	4892	624	4220	48	618
2.	मेघालय	66	22	44	—	19
3.	बिहार	5171	418	4679	74	330
4.	अरुणाचल प्रदेश	10	—	10	—	—
5.	पश्चिम बंगाल	30748	5751	24602	395	5666
6.	नागालैंड	47	—	47	—	—
7.	मणिपुर	2278	70	2208	—	70
8.	उड़ीसा	7443	298	7058	87	242
9.	सिक्किम	75	—	75	—	—
10.	त्रिपुरा	605	3	600	2	3

1	2	3	4	5	6	7
11.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	22	—	22	—	—
12.	उत्तर प्रदेश	27477	326	27086	65	249
13.	दिल्ली	4364	147	4181	36	87
14.	पंजाब	5288	337	4913	38	284
15.	हरियाणा	2720	86	2632	2	55
16.	चण्डीगढ़	305	20	284	1	14
17.	जम्मू एवं कश्मीर	720	12	706	2	9
18.	हिमाचल प्रदेश	848	83	714	51	26
19.	राजस्थान	12196	187	11945	64	67
20.	गुजरात	6240	426	5770	44	214
21.	महाराष्ट्र	20332	2132	17997	203	1721
22.	दमन एवं दीव	70	1	69	—	1
23.	गोवा	1148	179	960	9	162
24.	दादरा तथा नगर हवेली	7	—	6	1	—
25.	मध्य प्रदेश	17146	273	16801	72	198

1	2	3	4	5	6	7
26.	आन्ध्र प्रदेश	29487	830	28320	337	299
27.	कर्नाटक	12858	831	11606	421	478
28.	तमिलनाडु	10757	1842	8719	196	1470
29.	केरल	17973	1232	16496	245	935
30.	पांडिचेरी	179	10	168	1	7

विवरण-3

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रुग्ण एककों की कुल संख्या	जीव्यक्षम एककों की संख्या	अजीव्यक्षम एककों की संख्या	उन एककों की संख्या जिनकी जीव्यक्षमता अभी तय करनी है	उपचारात्मक कार्यक्रमों के अधीन जीव्यक्षम एककों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	7	2	2	3	2
2.	मेघालय	1	—	1	—	—
3.	बिहार	38	17	19	2	9
4.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
5.	पश्चिम बंगाल	185	51	107	27	38
6.	नागालैंड	1	—	1	—	—
7.	उड़ीसा	35	18	20	5	8
8.	सिक्किम	1	—	—	1	—
9.	उत्तर प्रदेश	94	32	48	14	16
10.	दिल्ली	20	4	10	6	4

1	2	3	4	5	6	7
11.	पंजाब	32	10	17	5	8
12.	हरियाणा	49	17	29	3	9
13.	चण्डीगढ़	16	5	9	2	4
14.	जम्मू एवं कश्मीर	2	—	1	1	—
15.	हिमाचल प्रदेश	15	8	5	2	5
16.	राजस्थान	52	21	19	12	14
17.	गुजरात	154	52	88	14	31
18.	महाराष्ट्र	301	106	142	53	66
19.	दमन एव दीव	1	—	1	—	—
20.	गोवा	14	2	10	2	1
21.	दादरा एवं नगर हवेली	2	1	1	—	1
22.	मध्य प्रदेश	48	17	21	10	9
23.	आन्ध्र प्रदेश	135	67	43	25	42
24.	कर्नाटक	93	35	42	16	24
25.	तमिलनाडु	127	52	63	12	40
26.	केरल	34	15	11	8	14
27.	पांडिचेरी	4	2	1	1	2
	योग :	1461	534	703	224	344

विवरण-4

सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए उठाये गये कदम

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई० एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक रुग्णता रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीत रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंक को निदेश दिए गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों का विलय/एकीकरण करके भी रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित किया जाता है। सम्मिलित किए जा रहे रुग्ण एकक के पुनरुज्जीवन के लिए स्वस्थ कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के अधीन कर के लाभ दिए जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित कामकारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करेगा।

(7) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए एक पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया है।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से सम्भावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रु० तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(9) केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रही है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000 रुपए तक की जाती है।

(10) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव-क्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनः स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीकरण योजना चलाई जा रही है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

*312. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से क्या-क्या कार्य किए जायेंगे; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा कितनी खर्च की गयी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आठवीं योजना दस्तावेज में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई०आर०ई०पी०) के लिए 250 करोड़ रु० का प्रावधान दर्शाया गया है जिसका उपयोग मुख्यत: राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए योजना एवं कार्यान्वयन हेतु क्षमताओं का विकास करने के लिए किया जाएगा। आई०आर०ई०पी० ब्लाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्यूनतम घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आठवीं योजना दस्तावेजों में 500 करोड़ रुपए का अन्य प्रावधान दर्शाया गया है।

(ख) आठवीं योजना में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख घटकों जैसाकि पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित है :—

(1) कम से कम प्रतिवर्ष 100 ब्लाकों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार;

(2) आई०आर०ई०पी० ब्लॉकों में कुकिंग, हीटिंग तथा लाइटिंग की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करना ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100% कवरेज सुनिश्चित हो सके;

(3) सतत कृषि और ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और विकल्पों की अत्यधिक लागत प्रभावी मिश्रण की व्यवस्था करना;

(4) कार्यक्रम के योजना और कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना; और

(5) क्रियाविधि और समन्वय प्रबन्ध की स्थापना करना और सुदृढ़ बनाना ताकि ऊर्जा एवं आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय योजना एवं कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण ऊर्जा के लिए माइक्रोस्तरीय योजना का कारगर ढंग से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

(ग) सातवीं योजना (1986-87 से 1989-90 तक) के दौरान आई०आर०ई०पी० केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए 5.91 करोड़ रु० का परिव्यय प्रदान किया गया था। इस सातवी योजना अवधि में 6.05 करोड़ रु० की धनराशि प्रदान की गई थी।

तामिलनाडु की आवास योजनाएं

*313. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मंजूरी और वित्तीय सहायता हेतु आवास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारें राजकीय बजट राशि व संस्थागत वित्त के अनुसार अपनी योजनाएं बनाने और चलाने के लिए स्वतन्त्र हैं। भारत सरकार आवास परियोजनाओं के लिए किसी राज्य सरकार को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती।

तथापि राज्य सरकारों को हुडको की मार्फत हुडको ऋण सहित केन्द्रीय राज्यानुदान दिया जाता है, जो केन्द्र प्रवर्तित नेहरू रोजगार योजना (आश्रय उन्नयन जिसका एक भाग है) और पटरी वासियों के लिए रैन बसेरा और सफाई सुविधाएं योजना के अन्तर्गत दिया जाता है तमिलनाडु को स्वीकृत इन दो योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

तमिलनाडु को नेहरू रोजगार योजना (आश्रय उन्नयन घटक) तथा फुटपाथवासियों के लिए रैन बसेरों योजना के अन्तर्गत हुडको की मार्फत अक्तूबर, 1989 से 28-2-93 तक स्वीकृत स्कीमें/राशि

	योजना की किस्म	
	नेहरू रोजगार योजना म शुरू से आश्रय उन्नयन	मई, 90 से रैन बसेरा
1	2	3
1. स्वीकृत योजनाएं	60	3

1	2	3
2. कुल परियोजना लागत	5269.22 लाख रु०	73.78 लाख रु०
3. स्वीकृत केन्द्रीय राज्य अनुदान राशि	10'6 लाख रु०	10.58 लाख रु०
4. जारी केन्द्रीय राज्यानुदान राशि	876.16 लाख रु०	9.83 लाख रु०
5. स्वीकृत हडको ऋण राशि	3999.54 लाख रु०	34.18 लाख रु०
6. जारी हडको ऋण राशि	3453.58 लाख रु०	4.08 लाख रु०
7. उन्नयन हेतु मकानों की संख्या	1,26,968	658 सीट

[हिन्दी]

अल्कोहल का उत्पादन

*314. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को सीरे का उपयोग करके अपने-अपने राज्यों के खाण्ड उद्योगों के माध्यम से अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सीरा और अल्कोहल के क्षेत्र में हुई व्यापक प्रगति की जानकारी है और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) खांड उद्योग से उत्पन्न शीरे के माध्यम से अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों मे शीरे और अल्कोहल के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है और कुछ मात्रा में शीरे और अल्कोहल का नियमित रूप से निर्यात किया गया है।

[अनुवाद]

औषध निर्माण उद्योग में मौलिक अनुसंधान

*315. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध निर्माण उद्योग में इस समय किया जा रहा मौलिक अनुसंधान कार्य अनुसंधान और विकास की तुलना में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध मे सरकार का क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) मौलिक अनुसंधान एक दीर्घावधि कार्यक्रम है जिसके लिए दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रायोगिक अनुसधान और विकास की तुलना में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रायोगिक अनुसंधान और विकास को वरीय ा देने की प्रवृत्ति है।

(ग) वर्तमान प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, औषध नीति की पुनरीक्षा के एक भाग के रूप में अनेक अन्य सुझाव विचाराधीन हैं जैसाकि !2-8-1992 को सभा-पटल पर रखे गए पृष्ठभूमि नोट में उल्लेख किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ किए गए समझौतों का मूल्यांकन

*316. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और प्रशासनिक मन्त्रालयों के बीच शुरू की गई समझौतों की नई प्रणाली का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौता नीति का अन्तिम लक्ष्य क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके कार्य-निष्पादन को देखने के पश्चात् इसे जारी रखने का है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां। सरकारी उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन प्रणाली का मूल्यांकन किया है। वर्ष 1990-91 में सरकारी क्षेत्र के 23 उद्यमों में से 15 उद्यमों को और वर्ष 1991-92 में सरकारी क्षेत्र के 23 उद्यमों में से 31 उद्यमों के कार्यनिष्पादन को "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी क्षेत्र के 70 उद्यमों के बारे मे विशेषज्ञों के एक अन्य स्वतन्त्र निकाय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 64% प्रत्यर्थियों (रेस्पोंडेन्ट्स) के विचारानुसारा समझौता ज्ञापन पद्धति ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमो उत्तरदायिता की संस्कृति उत्पन्न करने में अनुकूल प्रभाव डाला है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्तरदायिता और स्वायत्तता की वृद्धि करने के साथ-साथ उनके कार्यनिष्पादन म सुधार करना, समझौता ज्ञापन नीति का अंतिम उद्देश्य है।

(घ) जी हा।

[हिन्दी]

प्रबन्धन परामर्श में सहयोग

*317. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रबन्धन परामर्श के क्षेत्र में कुछ देशों के साथ सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु किन-किन देशों/कम्पनियों को आमंत्रित किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु पन-बिजली परियोजनाओं के लिए टर्बाइन

*318. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लघु पन-बिजली परियोजनाओं में प्रयोग में लाने के लिए अनेक उच्च कार्यक्षम क्रॉस-फ्लो टर्बाइनों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक प्रकार के प्रोटोटाइपों का निर्माण और उनका सफल परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रौद्योगिकी का अन्तरण औद्योगिक क्षेत्र को कर दिया गया है; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तत्सम्बन्धी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) क्रास-फ्लो टर्बाइन के अनेक लाभ हैं जैसाकि गुहिकायन से मुक्त, एक समान कार्यकुशलता कई पर कार्य-निष्पादन, तैयार करने में आसानी, छोटे सिविल कार्य, का पूंजी निवेश, कम रख-रखाव लागत। ये विशेषताएं इस सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों मे लो हैड के अधीन बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त बना देती है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में क्रास-फ्लो टर्बाइन को डिजाइन और विकास करने सम्बन्धी अनुसंधान और विकास परियोजना प्रायोजित की है। इस परियोजना के उद्देश्य क्रास-फ्लो टर्बाइन को डिजाइन करना और उनकी संचालन विशिष्टताओं में सुधार करना तथा कुछ प्रोटोटाइप तैयार करना था ताकि उन्हें प्रदर्शन यूनिटों के रूप में स्थापित किया जा सके। इन टर्बाइनों का रनर अक्षंव्यास और चौड़ाई तथा 10

कि० वाट से 100 कि० वाट के बीच की क्षमताओं वाली टर्बाइनों के लिए सामग्री और निर्माण सम्बन्धी ब्यौरा मानकीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) अभी तक तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, केरल और मिजोरम में 10 कि० वाट 20 कि० वाट और 50 कि० वाट की क्षमता वाली यूनिटें स्थापित की गई हैं। 100 कि० वाट क्षमता की यूनिटें, एक उत्तर प्रदेश में और दो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही हैं। नीचे सारणी 1 और 2 में इन परियोजनाओं की सूची दी गई है :—

सारणी-1

पूरी की गयी परियोजनाएं

स्थल	क्षमता	कब पूरी हुई
केम्पटी झरना, मसूरी के नजदीक, उत्तर प्रदेश	10 कि० वा०	मार्च, 1990
सहस्रधारा, उ० प्र०	10 कि० वा०	फरवरी, 1991
बाबर, उ० प्र०	50 कि० वा०	नवम्बर, 1991
सुगन्धगिरि, केरल	10 कि० वा०	अक्तूबर, 1991
पुकोट, केरल	10 कि० वा०	नवम्बर, 1991
बारखांग मिजोरम	20 कि० वा०	परख का कार्य पूरा किया गया और जांच की गई। राज्य एजेंसी द्वारा जैसे ही जल नहर कार्य पूरा कर लिया जाएगा, सैट चालू कर दिया जाएगा।

सारणी-2

संस्थापनाधीन परियोजनाएं

स्थल	क्षमता	कब तक पूरी हो जाएगी
1	2	3
खोखटा, उ० प्र०	50 कि० वा०	जून, 1993
केदारनाथ, उ० प्र०	100 कि० वा०	जुलाई, 1993

1	2	3
रूपा, अरूणाचल प्रदेश	2×100 कि० वा०	अक्तूबर, 1993
टिरबिन, अरूणाचल प्रदेश	50 कि० वा०	नवम्बर, 1993
कालकटांग, अरूणाचल प्रदेश	50 कि० वा०	जनवरी, 1994

प्रदर्शन चरण में सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया का मानकीकरण हुआ। इन पहलुओं में सुधार करना एक निरन्तर प्रयास रहेगा।

(ङ) और (च) प्रौद्योगिकी को अभी औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना है। तथापि, पहले से ही स्थापित विभिन्न क्षमताओं के प्रोटोटाइप तैयार करने में दो उद्योग कार्यरत हैं। लगभग छः उद्योगों ने प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करने सम्बन्धी मामले पर विचार करने के लिए उद्योगों के साथ अप्रैल में एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस स्वदेशी प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने के लिए ये उपाय आवश्यक पूर्व-अपेक्षाएं हैं।

भोपाल के गैस पीड़ितों को मुआवज़ा

*319. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के विरुद्ध आपत्तियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने मृत्यु के दावों के सम्बन्ध में मुआवजे की सीमा 1 से 3 लाख रुपए तक से संशोधित करके 1 से 5 लाख रुपए तक कर दी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में दक्षता के सम्बन्ध में संगोष्ठी

*320. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

डा० अमृत लाल कालिदास पटेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनेक वरिष्ठ प्रबन्धकों ने जनवरी, 1993 में दिल्ली में आयोजित "प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में प्रबन्धन की सफलता के लिए नीति" के बारे में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रकार अभिव्यक्त विचारों/सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) संगोष्ठी में किए गए विचार-विमर्श के दौरान व्यक्त, विचार विवरण में दिए गए हैं, जो संलग्न है।

(ग) और (घ) व्यक्त किए गए विचार नोट कर लिए गए हैं।

विवरण

(1) देश के भीतर और बाहर दोनों के व्यापारिक वातावरण में हो रहे तीव्र व प्रगतिशील परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नैगम योजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

(2) यह महसूस किया गया था कि नीतिगत परिवर्तनों और उनके उदारीकरण से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ और वास्तविकता यह है कि वस्तुतः इससे सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को प्रतियोगी वातावरण का सामना करना पड़ा था जिसके लिए उन्हें अपने आपको तैयार करना पड़ा था।

(3) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य स्थिर, स्पष्ट और निष्कपट अभिव्यक्ति की आवश्यकता महसूस की गई थी जो केवल आवश्यकतानुसार सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करे।

(4) यह महसूस किया गया कि व्यापारिक वातावरण में सम्पूर्ण परिवर्तनों के बावजूद सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्धों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रोजमर्रा के प्रबन्ध में सरकार का हस्तक्षेप कम कर दिया जाना चाहिए और इसे केवल वार्षिक सामान्य बैठकों और निदेशक मण्डल की बैठकों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में इसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रोजमर्रा के प्रबन्ध से सरकार को दूर रखा जाना चाहिए।

(5) सरकारी क्षेत्र में सक्षम मानव शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि आने वाले वर्षों में इस सम्पदा को निजी क्षेत्र द्वारा ले लिए जाने की आशंका है।

(6) वरिष्ठ प्रबन्धकों और निदेशक मण्डल स्तरीय कर्मचारियों सहित सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन से सम्बन्धित प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।

(7) व्यापार नीति की समीक्षा करके तथा बाजार में अन्य पक्षों से नीतिगत गठबन्धन स्थापित करके सरकारी क्षेत्र के व्यापार को घरेलू और विश्व बाजार से जोड़ने पर बल दिया गया था। किस्म और कीमत प्रभावकता पर भी बल दिया गया था।

(8) यह महसूस किया गया था कि समझौता ज्ञापन कार्य निष्पादन के मापदण्ड के लिए एक अच्छा साधन है और उचित नियमों का निर्धारण और वास्तविक मूल्यांकन आदि विभिन्न उपायों द्वारा इस प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना है।

(9) यह महसूस किया गया था कि अनिवेश के बाद निर्णय करने की शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करते हुए, निदेशक मण्डलों में व्यवसायिक रूप से प्रतियोगी व्यक्तियों की नियुक्ति करके उसको और अधिक स्वायत्तता देने जैसे अन्य परिवर्तन किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

इलाहाबाद में सड़कों के निर्माण के लिए ठेका

3061. डा० लाल बहादुर रावल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 1993 में अब तक इलाहाबाद में सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए कितने ठेके दिए गए;

(ख) इस कार्य के लिए जिन ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान जिला इलाहाबाद में सड़क निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अवार्ड किए गए ठेकों की संख्या 2480 थी।

(ख) ठेकेदारों के नाम और पते संलग्न विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 में दिए गए हैं।

(ग) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित करना आवश्यक नहीं है।

विवरण-1

श्रेणी अ ब स में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची जिन्होंने विगत तीन वर्षों में जनपद इलाहाबाद में

कार्य किया है :—

श्रेणी-अ

(1) मैसर्स एस० के० एण्ड कम्पनी,
इलाहाबाद

(2) मैसर्स वरुणा एण्ड कम्पनी,
वाराणसी

(3) मैसर्स हरीश कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,
केडिया कोट, कम्पा देवी रेलवे पुल, रायबरेली

(4) मैसर्स शक्ति कांस्ट्रक्शन,
कचहरी रोड, सिविल लाइन, रायबरेली

(5) मैसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स,
राम बाग, इलाहाबाद

श्रेणी-ब

—शून्य—

पंचम वृत्त, लो० नि० वि०, इलाहाबाद कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची

क्रम सं०	पंजीकृत संख्या एवं दिनांक	नाम व पता	कब तक के लिए पंजीकृत हैं
1	2	3	4
1.	सं० 114/5सी, दि० 27-12-92	श्री सत्यप्रकाश, 296, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद	30-6-95
2.	सं० 113/5सी, दि० 28-12-92	मैसर्स श्रीराम एण्ड कम्पनी, 86, नया बैरहना, इलाहाबाद	30-6-95
3.	सं० 112/5सी, दि० 23-12-92	मैसर्स बाबूलाल एण्ड सन्स, दारागंज, इलाहाबाद	30-6-95
4.	सं० 111/5सी, दि० 23-12-92	मैसर्स सैयद इन्टरप्राईजेज, 12/13, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद	30-6-95

1	2	3	4
5.	सं० 110/5सी, दि० 3-11-92	श्री अमरनाथ जायसवाल, 263, पुराना कटरा, इलाहाबाद	30-6-95
6.	सं० 109/5सी, दि० 3-11-92	श्री सतीश कुमार, 263, पुराना कटरा, इलाहाबाद	30-6-95
7.	सं० 108/5सी, दि० 3-11-92	मैसर्स सतीश एण्ड कम्पनी, 9 /ए, 10/7, बाघम्बरी गद्दी, इलाहाबाद	30-6-95
8.	सं० 107/5सी, दि० 17-12-92	श्री हसनइमाम हैदरी, ए/127, मेहदौरी कालोनी, इलाहाबाद	30-6-95
9.	सं० 106/5सी, दि० 9-10-92	श्री एन० सी० आहूजा, 4 , अशोक नगर, इलाहाबाद	30-6-94
10.	सं० 105/5सी, दि० 29-9-92	श्री मिश्री लाल सिंह, 385, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद	30-6-95
11.	सं० 104/5सी, दि० 15-9-92	मैसर्स विश्वा एण्ड कम्पनी, 170/1, कर्नलगंज, इलाहाबाद	30-6-95
12.	सं० 103/5सी, दि० 8-9-92	मैसर्स विकास एण्ड कम्पनी, 96/84के, [illegible], अल्लापुर, इलाहाबाद	30-6-95
13.	सं० 102/5सी, दि० 8-9-92	श्री [illegible] सिंह, शंकरगढ़, इलाहाबाद	30-6-95
14.	सं० 101/5सी, दि० 8-9-92	श्री योगेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम व पोस्ट—कठौली, मेजा रोड, इलाहाबाद	30-6-95

1	2	3	4
15.	सं० 100/5सी, दि० 14-8-92	मैसर्स सिंह वाहिनी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 468, तिलोई कोठी, दारागंज, इलाहाबाद	30-6-95
16.	सं० 99/5सी, दि० 20-7-92	श्री व्यास मुनी पाण्डेय, ग्राम व पोस्ट—पतौकी बसही, करछना, इलाहाबाद	30-6-95
17.	सं० 98/5सी, दि० 1-7-92	श्री राजबली सिंह, 23/47/13, मटियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद	30-6-95
18.	सं० 97/5सी, दि० 17-8-92	श्री अनुज प्रताप सिंह, ग्राम—पूरे फौजीशाह, धीनपुर, इलाहाबाद	30-6-95
19.	सं० 95/5सी, दि० 8-9-92	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, 23, नई बाजार, नैनी, इलाहाबाद	30-6-95
20.	सं० 94/5सी, दि० 6-3-92	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, पुत्र श्री भुवनेश यादव, ग्राम— टेलर, थाना—हंडिया, इलाहाबाद	30-6-94
21.	सं० 93/5सी, दि० 21-3-92	श्री हरिश्चन्द्र, पुत्र श्री राम सुमेर, वार्ड नं० 10, भैरोपुर, हंडिया, इलाहाबाद	30-6-94
22.	सं० 92/5सी, दि० 15-1-92	मैसर्स नारायण एण्ड कम्पनी, 6ए, केनी रोड, इलाहाबाद	30-6-94
23.	सं० 91/5सी, दि० 11-12-92	मोहम्मद आरिफ, ग्राम व पोस्ट—परवास, सराय अकिल, इलाहाबाद	30-6-94
24.	सं० 90/5सी, दि० 30-11-91	मैसर्स गुलाब ट्रेडिंग कम्पनी, 512-ए, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद	30-6-94

1	2	3	4
25.	सं० 89/5सी, दि० 27-11-91	मैसर्स एस० कुमार इन्टरप्राईजेज, 10/82 ए, मालवियानगर, इलाहाबाद	30-6-94
26.	सं० 88/5सी, दि० 3-10-91	मैसर्स एस० के० कन्स्ट्रक्शन, 478, नई बस्ती, कीटगंज, इलाहाबाद	30-6-94
27.	सं० 87/5सी, दि० 4-9-91	मैसर्स अशोक एण्ड कम्पनी, 28बी/38/1, सोहबतियाबाग, इलाहाबाद	30-6-94
28.	सं० 86/5सी, दि० 6-8-91	श्री अरविन्द कुमार, 23/47/119, अल्लापुर, इलाहाबाद	30-6-94
29.	सं० 85/5सी, दि० 30-7-91	मैसर्स राजकुमार एण्ड कम्पनी, 16/1, लेबर कालोनी, इलाहाबाद	30-6-94
30.	सं० 84/5सी, दि० 25-1-91	श्री भीष्मसिंह, प्रोपराइटर भक्ति बिल्डर्स, 10/51, शिवनगर कालोनी, इलाहाबाद	30-6-94
31.	सं० 83/5सी, दि० 19-1-91	श्री गोपालदास, पुत्र स्व० संगम लाल, पुरानी झूंसी, इलाहाबाद	30-6-93
32.	सं० 82/5सी, दि० 4-12-90	श्री विनेश कुमार पाल, 81, जवाहरगंज, बरहरिया, इलाहाबाद	30-6-93
33.	सं० 80/5सी, दि० 4-12-90	मैसर्स राहुल इन्टरप्राईजेज, 1/ 0, प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद	30-6-93
34.	सं० 79/5सी, दि० 17-11-90	श्री बच्चन सिंह, भीखा गर्ग का पूरा, कोशाम्बी, इलाहाबाद	30-6-92

1	2	3	4
35.	सं० 78/5सी, दि० 7-11-90	श्री आलोक शुक्ला, पुत्र श्री एस० पी० शुक्ला, 17, राजेन्द्र नगर, बलुआघाट, इलाहाबाद	30-6-93
36.	सं० 77/5सी, दि० 26-10-90	श्री आर० बी० सिंह, 41सी/3ए, शिवकुटी, इलाहाबाद	30-6-93
37.	सं० 76/5सी, दि० 9-10-90	मैसर्स जावेद अख्तर सिद्दीकी, 76, सैयदबाड़ा, फतेहपुर	30-6-92
38.	सं० 7[illegible]/5सी, दि० 31-8-90	श्री सुदामी सिंह, प्रोपराइटर मैसर्स एस० एस० एसोसिएट, 6/8, शिवनगर कालोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद	30-6-93
39.	सं० 72/5सी, दि० 7-3-90	मैसर्स महिमा ट्रेडिंग कम्पनी, 174-चक, इलाहाबाद	30-6-92
40.	सं० 70/5सी, दि० 26-8-89	मैसर्स सिंह कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, हरिहरगंज, फतेहपुर	30-6-92
41.	सं० 69/5सी, दि० 28-6-89	मैसर्स ए० के० अग्रवाल, 542-कीटगंज, इलाहाबाद	30-6-92
42.	सं० 68/5सी, दि० 28-6-89	मैसर्स काशीनाथ, 542-कीटगंज, इलाहाबाद	30-6-92
43.	सं० 64/5सी, दि० 20-8-89	श्री रमेश चन्द्र वर्मा, 14/1, छीटा बगीचा, इलाहाबाद	30-6-92
44.	सं० 63/5सी, दि० 14-8-89	श्री मोहम्मद अली, 2, शफिकअली मार्ग, इलाहाबाद	30-6-92

1	2	3	4
45.	सं० 62/5सी, दि० 7-8-89	श्री आर० पी० श्रीवास्तव, निकट रेलवे स्टेशन, आजमगढ़	30-6-92
46.	सं० 61/5सी, दि० 7-8-89	श्री आर० एस० सत्यार्थी, अहिराई सिकन्दरा, बहरिया, इलाहाबाद	30-6-92
47.	सं० 59/5सी, दि० 14-6-89	श्री पन्ना लाल, भारती का पूरा, फाफामऊ, इलाहाबाद	30-6-92
48.	सं० 58/5सी, दि० 24-6-89	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, 119, नया ममफोर्डगंज, इलाहाबाद	30-6-92

"डी" श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची जिन्होंने विगत 3 वर्षों में कार्य किए

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० इलाहाबाद

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	पता
1	2	3
	श्री	
1.	राम मनोहर	करछना, इलाहाबाद
2.	हृदय नारायण	95/28, सर्वोदय नगर, इलाहाबाद
3.	लालता प्रसाद पाण्डेय	खूंटा मेजा, इलाहाबाद
4.	मै० प्रसाद इन्टरप्राईजेज	437, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
5.	अशर्फी लाल	भरती का पूरा फाफामऊ, इलाहाबाद
6.	तारा सिंह जायसवाल	384, कीटगंज, इलाहाबाद
7.	कृष्ण नन्द सिंह	426/4बी/1, बक्शी खुर्द दारागंज, इलाहाबाद
8.	सतीश चन्द्र जायसवाल	43/3सी, कर्नेल गंज, इलाहाबाद

1	2	3
	श्री	
9.	बलराम प्रसाद तिवारी	मोहगरा, इलाहाबाद
10.	भारत सिंह	341/16बी/1, शास्त्रीनगर, इलाहाबाद
11.	बसन्त लाल	62सी, राजापुर, इलाहाबाद
12.	राज किशोर	46ए/1ए, तेलियरगंज, इलाहाबाद
13.	मै० अशोक जनरल आर्डर सप्लायर्स	47, मार्थ मलाका, इलाहाबाद
14.	नरेन्द्र सिंह	23/47/79, किदवई नगर, इलाहाबाद
15.	लाल राम पाण्डेय	मेजा कोरांव, इलाहाबाद
16.	लाल मणि सिंह	बेलव मांडा, इलाहाबाद
17.	कन्हैया लाल	अकबरोशाह मेजा, इलाहाबाद
18.	आर० डी० तिवारी	5/4, करेलाबाग, इलाहाबाद
19.	मै० ओम कान्स्ट्रक्शन कं०	296, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
20.	मुकेश सिंह	9/2, शिवनगर कालोनी, इलाहाबाद
21.	राम राज	490, कर्नल गंज, इलाहाबाद
22.	आजाद अली	मेजा रोड, इलाहाबाद
23.	अमरीश कुमार	263, पुराना कटरा, इलाहाबाद
24.	राम सुमेर तिवारी	भारी बारी, इलाहाबाद
25.	मै० सर्वहारा श्रम संविदा सहकारी समिति	उत्वा, इलाहाबाद
26.	सन्तोष सिंह	28बी/26ओ, अल्लापुर, इलाहाबाद
27.	उमा शंकर सिंह	10ए, शहराराबाग, इलाहाबाद
28.	लल्लन सिंह	मेजा रोड, इलाहाबाद
29.	वीरेन्द्र कुमार सिंह	पुरवाखास करछना, इलाहाबाद
30.	शीतला प्रसाद त्रिपाठी	सहिली, बरौत, इलाहाबाद
31.	लालजी	263, पुराना कटरा, इलाहाबाद

1	2	3
	श्री	
32.	भाई लाल	देवली खुर्द करछना, इलाहाबाद
33.	चिन्ता मणि शुक्ला	होलागढ़, इलाहाबाद
34.	कमलेश कुमार पाण्डेय	असरा बाजार रेलवे कालिज, इलाहाबाद
35.	ठाकुर प्रसाद	करछना, इलाहाबाद
36.	रोशन लाल चावला	527/6ए, कक्करनगर, इलाहाबाद
37.	शंलेन्द्र सिंह चौहान	528, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
38.	राजेश कुमार	155ए, अपोलोबाग, इलाहाबाद
39.	विभाकर राय	देवकली बलिया
40.	भवानी प्रसाद सिंह	सिकरी ऊंचडीह बाजार मेजा, इलाहाबाद
41.	मैं० सनी कांस्ट्रक्शन कारपोरेशन	840, दारागंज, इलाहाबाद
42.	दिनेश प्रताप सिंह	करछना, इलाहाबाद
43.	देशराज सिंह	मेजा, इलाहाबाद
44.	मैं० मिश्रा कान्ट्रैक्टर एण्ड कं० सप्लायर्स	28बी/55, अल्लापुर, इलाहाबाद
45.	हरी प्रसाद सिंह	170/1, कर्नेलगंज, इलाहाबाद
46.	मै० राज इन्टरप्राईजेज	170/2, कर्नेलगंज, इलाहाबाद
47.	मैं० नेपाल मेटलस	मियां बाजार, गोरखपुर
48.	कुलदीप	28बी/29सी, रामानन्द नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद
49.	मैं० अंकिता कांस्ट्रक्शन	196, एलनगंज, इलाहाबाद
50.	सन्त लाल	तिलकनगर, इलाहाबाद
51.	महेन्द्र सिंह	करछना, इलाहाबाद
52.	मैं० रवी इन्टरप्राईजेज	राजरूपपुर, इलाहाबाद
53.	अर्जुन सिंह	28बी/7, अल्लापुर, इलाहाबाद
54.	राजेन्द्र प्रधान	842, दारागंज, इलाहाबाद

1	2	3
	श्री	
55.	विजयानन्द उपाध्याय	पाती, इलाहाबाद
56.	सिद्ध नाथ मिश्रा	सैदाबाद, इलाहाबाद
57.	मै० स्नेह कांस्ट्रक्शन	67/47, नार्थ मलाका, इलाहाबाद
58.	लालेन्द्र प्रताप सिंह	फूलपुर, इलाहाबाद
59.	मै० एम० के० ट्रेडर्स	कीटगंज, इलाहाबाद
60.	मै० शिवम इन्टरप्राईजेज	459, कर्नेलगंज, इलाहाबाद
61.	मै० सुमन ट्रेडर्स	27एफ/3बी, चक दोंदी नगर, नैनी, इलाहाबाद
62.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	1के, तिलकनगर, इलाहाबाद
63.	जे० के० बिल्डर्स	85/2, म्योराबाद, इलाहाबाद
64.	मै० जय दुर्गा कांस्ट्रक्शन	बक्शी खुर्द, इलाहाबाद
65.	श्री विनीत कुमार त्रिपाठी	7/4, हंडिया, इलाहाबाद
66.	श्री शिव शंकर प्रसाद शुक्ला	करछना, इलाहाबाद
67.	श्री राम यतन शुक्ला	करछना, इलाहाबाद
68.	श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय	52/326, एलेनगंज, इलाहाबाद
69.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	मेहदौरी कालोनी, इलाहाबाद
70.	श्री त्रिभुवन सिंह	रसूलपुर, इलाहाबाद
71.	श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव	बहराइच रोड, गोन्डा
72.	मेसर्स एन० के० एण्ड कं०	इलाहाबाद "ए" श्रेणी
73.	मैसर्स बबणा एण्ड कम्पनी	वाराणसी "ए" श्रेणी

"डी" श्रेणी के ठेकेदारों की सूची जिन्होंने विगत तीन वर्षों में कार्य किए

विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग) इलाहाबाद

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	पता
1	2	3
	श्री	
1.	एखलाख हुसेन	मानेमऊ, नसरतपुर, इलाहाबाद

1	2	3
	श्री	
	2. सन्त लाल	नई आबादी, शाहगंज, जौनपुर
	3. राम किंकर मिश्र	बरडीधर का पूरा, अटरामपुर, इलाहाबाद
	4. दया शंकर सिंह	23/47/13, अल्लापुर, इलाहाबाद
	5. योगेन्द्र प्रताप सिंह	170, कर्नलगंज, इलाहाबाद
	6. अख्तर अली	केशव रायपुर, चन्दापुर हंडिया, इलाहाबाद
	7. पन्ना लाल	भरती का पूरा फाफामऊ, इलाहाबाद
	8. सिद्ध नाथ मिश्र	बजहा मिश्रान, सैदाबाद, इलाहाबाद
	9. मैसर्स विनायक एण्ड कं०	6ए, बेली रोड, इलाहाबाद
	10. मैसर्स मटियारा श्रम संविदा सहकारी समिति लि०	मटियारा, इस्माईलगंज करौंदी, इलाहाबाद
	11. महेन्द्र सिंह अरोरा	232, एच०आई०जी० प्रीतमनगर, इलाहाबाद
	12. मैसर्स विमल एण्ड कम्पनी	258/13बी, न्यू बस्ती सोहबतियाबाग, इलाहाबाद
	13. विजय इन्जीनियरिंग कं०	598, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
	14. उपेन्द्र नाथ पाण्डेय	सारीका पूरा कस्तूरीपुर, होलागढ़ सोरांव, इलाहाबाद
	15. अमरजीत मौर्य	बसमुहुआ सोरांव, इलाहाबाद
	16. चन्द्र पाल	45, पूरा गडेरिया, इलाहाबाद
	17. मैसर्स सिंह एसोसिएट	264, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
	18. चन्द्र शेखर उपाध्याय	फिरोजीपुर, अटरामपुर, इलाहाबाद
	19. योगेश चन्द्र जैन	34, पान दरीबा, इलाहाबाद
	20. राघवेन्द्र प्रसाद	47, बाघम्बरी हाउसिंग, इलाहाबाद
	21. शिव प्रसाद मिश्रा	बाबूपुर लावर, इलाहाबाद
	22. गुलाम अहमद जाफरी	मानेमऊ नसरतपुर, इलाहाबाद
	23. हरी लाल	अम्बाबा, रसूलपुर कटहरा, इलाहाबाद
	24. विजय कुमार जायसवाल	65, मुन्डेरा बाजार, इलाहाबाद

1	2	3
	श्री	
25.	मुरलीधर	556, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
26.	दल बहादुर सिंह	पृथ्वीपुर हडिया, इलाहाबाद
27.	मैसर्स कृष्णा कान्स्ट्रक्शन कं०	90ए/612, बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, इलाहाबाद
28.	अश्विनी कुमार मिश्रा	28बी/२ए-एफ, अल्लापुर, इलाहाबाद
29.	सन्तोष कुमार	23/47/55, बाई बाघम्बरी रोड अल्लापुर, इलाहाबाद
30.	रामा सिंह	कमलानगर सिकन्दरा, इलाहाबाद
31.	विनोद कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट म्योहर, इलाहाबाद
32.	नजीमुर्रहमान	149, पुराना कटरा, इलाहाबाद
33.	दुर्गा प्रसाद	रामगढ़ कोठारी, इलाहाबाद
34.	लालता प्रसाद द्विवेदी	बड़हरी, गोराजू, इलाहाबाद
35.	नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	45, राजेन्द्र नगर, बलुआघाट, इलाहाबाद
36.	मैसर्स अभ्भाल ट्रेडर्स	डी-29, जी०टी०बी० करेली, इलाहाबाद
37.	सुभाष चन्द्र चौरसिया	161/12, काशीराज नगर, कटघर, इलाहाबाद
38.	राम लखन त्रिपाठी	95/29, सर्वोदय नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद
39.	विशम्भर दयाल	लौढ़वा कर्वी बांदा
40.	अरुण कुमार	मालापुर पुरहना, इलाहाबाद
41.	सहबाउद्दीन	45, मढ़ी कला, इलाहाबाद
42.	श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह	अडौरा छाता, इलाहाबाद
43.	श्री बांके बिहारी सिंह	गोरापुर सिकन्दरा, इलाहाबाद
44.	मैसर्स गणेश एण्ड कं०	नया कटरा, इलाहाबाद
45.	मैसर्स स्ट्रांग कान्स्ट्रक्शन कं०	7/8, शिवनगर कालोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद
46.	श्री कन्हैया लाल पाण्डेय	जोग धर का पूरा, अटरामपुर, इलाहाबाद
47.	मैसर्स ब्रदर्स बिल्डर्स	247ए/6जी/1, ओम गायत्री नगर, इलाहाबाद

1	2	3
48.	श्री श्रीराम यादव	अल्लापुर, इलाहाबाद
49.	श्री सुनील प्रताप सिंह	1बी/4, बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, इलाहाबाद
50.	श्री भूपेन्द्र राय शुक्ल	14ई, पुरा हल्दी, कोटगंज, इलाहाबाद
51.	श्री शिव बरन मौर्या	पूरा सराय अकिल, इलाहाबाद
52.	मुमताज अहमद	25, गुलाब बारी, मंसूर पार्क, इलाहाबाद
53.	श्री इन्द्रजीत सिंह	शेरडीह झूंसी, इलाहाबाद
54.	श्री संजय सिन्हा	10820, मालवीय नगर, इलाहाबाद
55.	श्री देवी शंकर पाण्डेय	छिबैया, इलाहाबाद
56.	श्री पुरषोत्तम पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट सिकन्दरा, इलाहाबाद
57.	मैसर्स गंगा श्रम संविदा सहकारी समिति	14, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद
58.	श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी	868, पुराना कटरा, इलाहाबाद
59.	श्री सारिक इम्तियाज	21, वोंदीपुर, इलाहाबाद
60.	श्री विनोद सिंह	385, बादशाही मण्डी, इलाहाबाद
61.	श्री दान बहादुर सिंह	उदईपुर रामगढ़ कोठारी, इलाहाबाद
62.	श्री राम राज यादव	नेका महीन झूंसी, इलाहाबाद
63.	मो० लईक	ग्राम व पोस्ट मेहरोड़ा, इलाहाबाद
64.	श्री अवनीश मिश्रा	करमा बाजार, लालगंज, रायबरेली
65.	मैसर्स शक्ति ट्रेडर्स	552, चौथा मार्ग स्मिथ रोड, इलाहाबाद
66.	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	बीबी चौराहा लोहगरा, इलाहाबाद
67.	मैसर्स लाभ इन्टरप्राईजेज	406, बदलापुर, इलाहाबाद
68.	श्री हरिश्चन्द्र पहाड़ी	110/2, बाई का बाग, इलाहाबाद
69.	श्री एस० एस० सिंह	23/49, मटियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद
70.	श्री रमेश सिंह	मोरहूं फाफामऊ, इलाहाबाद
71.	श्री विनोद कुमार सिंह	30, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइन, इलाहाबाद

1	2	3
72.	श्री आनन्द प्रकाश	67, फाफामऊ, इलाहाबाद
73.	श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी	चन्दापुर बसमऊ सहसों, इलाहाबाद
74.	मैसर्स पप्पी कान्स्ट्रक्शन	436, हासिमपुर रोड, इलाहाबाद
75.	श्री सुदामा सिंह	6/8, शिवनगर कालोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद
76.	मोहम्मद जुबेर	14, अम्मार नगर, फूलपुर, इलाहाबाद
77.	मैसर्स भुवन कान्स्ट्रक्शन	267सी, तुलाराम बाग, इलाहाबाद
78.	श्री जगतधर त्रिपाठी	46, राजेन्द्र नगर, बलुआघाट, इलाहाबाद
79.	श्री [illegible] सिंह	23/47/13, मटियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद
80.	श्री राजबली सिंह	23/47/13, मटियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद
81.	श्री लियाकत अली	24बी, सुल्तानपुर भावा, इलाहाबाद
82.	मो० अली	2, शौकत अली रोड, इलाहाबाद
83.	श्री राजेश कुमार	155ए, अलोपी बाग, इलाहाबाद
84.	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	माधोपुर, इलाहाबाद
85.	श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय	बरोत, इलाहाबाद
86.	मैसर्स संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन	337बी/420, ओल्ड कटरा, इलाहाबाद
87.	श्री वी० पी० बधावन	बैनीगंज, इलाहाबाद
88.	श्री शेषनाथ सिंह	7/8, शिव नगर कालोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद
89.	श्री बसन्त लाल	महीन झूंसी, इलाहाबाद
90.	श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी	641, कर्नलगंज, इलाहाबाद
91.	श्री कमलाकान्त तिवारी	11, विलकशा, नया कटरा, इलाहाबाद
92.	श्री तनवीर अहमद फारुकी	138, नुरुल्ला रोड, इलाहाबाद
93.	श्री परमानन्द	59, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद

"डी" श्रेणी के ठेकेदारों की सूची जिन्होंने विगत तीन वर्षों में कार्य किए

अस्थायी खण्ड नं० 2 इलाहाबाद

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	पता
1	2	3
1.	श्री तीर्थेन्द्र प्रसाद सिंह	468, राजा तिवारी की कोठी, दारागंज, इलाहाबाद

1	2	3
2.	मै० बमरोली कांस्सट्रक्शन कं०	12, न्यू मार्केट बमरोली, इलाहाबाद
3.	श्री कृष्ण मूर्ति द्विवेदी	हर्रायपुर सराय अकिल, इलाहाबाद
4.	मै० ए० ए० बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	सेनी सिराथू, इलाहाबाद
5.	श्री फूल सिंह	बरवासीपुर बेलेरू खागा, फतेहपुर
6.	श्री मथुरा प्रसाद	बुलामीपुर (गनेया) सेना, इलाहाबाद
7.	श्री श्याम केश	10ए, शहराराबाग, इलाहाबाद
8.	श्री आनन्द कुमार सिंह	हुलियेपुर हवेली, जौनपुर
9.	मै० अमर ज्योति इन्टरप्राईजेज इलाहाबाद	शकरगढ़, इलाहाबाद
10.	श्री श्याम	311, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
11.	श्री नत्थूराम द्विवेदी	महिला मंझनपुर, इलाहाबाद
12.	श्री सन्तोष कुमार	23/47/33, बाई अल्लापुर, इलाहाबाद
13.	श्री परमानन्द	69, ममफोर्डगज, इलाहाबाद
14.	श्री सेवा लाल यादव	ग्राम फतेहपुर शाहापुर करछना, इलाहाबाद
15.	श्री सुरेन्द्र कुमार	1082, मालवीय नगर, इलाहाबाद
16.	श्री राम सागर सिंह	शाखा मंझनपुर, इलाहाबाद
17.	श्री विजय शंकर राय	19डी, बेला नगर, इलाहाबाद
18.	श्री घनश्याम त्रिपाठी	गुरौली बिरोला, इलाहाबाद
19.	श्री शक्ति कांसट्रक्शन	904, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद
20.	श्री सत्य नारायण	रक्सपारा मंझनपुर, इलाहाबाद
21.	श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	गुरोली, बिरौंचा मंझनपुर, इलाहाबाद
22.	श्री मो० अब्बास	380ए, सुल्तानपुर भावा, इलाहाबाद
23.	श्री बद्री सिंह	23/47/213, मढियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद
24.	श्री कुंज नारायण त्रिपाठी	दाई का पूरा कोशाम्बी, इलाहाबाद
25.	मै० कार्तिके कांस्ट्रक्शन कं०	बरवा, इलाहाबाद

1	2	3
26.	श्री मै० अब्बास ट्रेडर्स	शोकत अली मार्ग, इलाहाबाद
27.	मै० अमर एण्ड कम्पनी	रवसपारा करारी, इलाहाबाद
28.	मै० शिवा एण्ड कम्पनी	103/297, कर्नलगंज, इलाहाबाद
29.	श्री सन्तोष कुमार मिश्रा	95/119, सर्वोदय नगर, इलाहाबाद
30.	श्री सालिक राम	मकनपुर टिकरी, इलाहाबाद
31.	श्री राघवेन्द्र प्रसाद	127, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम अल्लापुर, इलाहाबाद
32.	श्री रमाशंकर त्रिपाठी	42/2, तिलकनगर, अल्लापुर जार्ज टाउन, इलाहाबाद
33.	मै० दावा कांस्ट्रक्शन कं०	पूरखास चायल, इलाहाबाद
34.	मै० स्ट्रांग कांस्ट्रक्शन कं०	शिवनगर कालोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद
35.	श्री बिनोद कुमार	22, बलुआघाट, इलाहाबाद
36.	श्री सन्त लाल	143सी, न्यू कालोनी, अलोपी बाग, इलाहाबाद
37.	श्री मो० अफजल	12/16, न्यू मार्केट बमरौली, इलाहाबाद
38.	श्री चुन्नी लाल निषाद	64, मोडरीगेट, दारागंज, इलाहाबाद
39.	श्री सुशीलचन्द्र त्रिपाठी	चोसापुर बजहा मियान, सैदाबाद, इलाहाबाद
40.	श्री राजेन्द्र प्रधान	842, दारागंज, इलाहाबाद
41.	श्री कृष्ण कुमार	रक्सबारा, इलाहाबाद
42.	श्री हीरा लाल	आलमचन्द, इलाहाबाद
43.	श्री रमेश चन्द्र	751, शंकरघाट कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद
44.	श्री रवीन्द्र शंकर मिश्रा	67, न्यू लसकर लाईन, पुराना बैरहना, इलाहाबाद
45.	मै० शिरानी कांस्ट्रक्शन कं०	380ए/1, सुल्तानपुर भावा, इलाहाबाद

विवरण-2

वर्ष 1990-91

इलाहाबाद जनपद में राष्ट्रीय मार्ग के कार्यों हेतु उन ठेकेदारों की सूची जिनके नाम ठेके दिए गए

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	श्रेणी	पता
1	2	3	4
1.	मैसर्स नई बस्ती सी० सी० एस०	A	161, कीटगंज, इलाहाबाद

1	2	3	4
	2. मैसर्स अब्बास ट्रेडर्स	D	2, शौकत अली रोड, इलाहाबाद
	3. श्री राज कुमार	A	25बी, दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद
	4. संजय ट्रेडिंग कारपोरेशन	D	337-8/420, पुराना कटरा, इलाहाबाद
	5. मोहम्मद युसुफ	C	2, शौकत अली रोड, इलाहाबाद
	6. के० के० बिल्डर्स	C	423, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद
	7. श्री आर० बी० सिंह	C	मटियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद
	8. श्री अनिल कुमार जैन	C	263, नया ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
	9. श्री रमेश चन्द्र वर्मा	B	15८, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
	10. श्री राम मिश्रा	D	12, तुलाराम बाग, इलाहाबाद
	11. श्री जुगुल किशोर	C	84/8, तिलक नगर, दारागंज, इलाहाबाद
	12. जाफरी बिल्डर्स	B	महुगवा, इलाहाबाद
	13. ओरियन्टल कांसट्रक्शन कम्पनी	A	26, सुलेम सराय, इलाहाबाद
	14. श्री अमरनाथ सिंह	D	पहाड़पुर, जगतपुर, इलाहाबाद
	15. कांटीनेन्टल कांसट्रक्शन कं०	B	689, पलटन बाजार, सुलतानपुर
	16. मारूति कांसट्रक्शन कं०	D	गुलामीपुर, सिराथू, इलाहाबाद
	17. श्री राम राज यादव	D	झूंसी, इलाहाबाद
	18 श्री अश्विनी कुमार मिश्रा	D	28बी/84एफ, अल्लापुर, इलाहाबाद
	19. मैसर्स श्री राम एण्ड कम्पनी	C	86, नया बैरहना, इलाहाबाद
	20. श्री के० पी० सिंह	D	17, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
	21. श्री लालता प्रसाद सिंह	C	28ए/2ए, अल्लापुर, इलाहाबाद
	22. श्री एन० सी० आहूजा	C	43, अशोक नगर, इलाहाबाद
	23. श्री सुदामा सिंह	C	6/8, शिव नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद
	24. मैसर्स एन० के० एण्ड कम्पनी	A	527बी/6ए, कक्कड़ नगर, इलाहाबाद
	25. मैसर्स चमनन एण्ड कम्पनी	A	शकरघाट, तेलियरगंज, इलाहाबाद
	26. श्री मदन मोहन मिश्रा	C	श्री पट्टी, मोदैया, मिर्जापुर

1	2		3
27.	श्री ए० के० गर्ग तकनीकी परामर्शी	—	डी-7, नई दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I नई दिल्ली
28.	मैसर्स विक्की मौर्या	A	14/1, छोटा बघाड़ा, इलाहाबाद
29.	मैसर्स बृज इन्टरप्राईजेज	A	माल रोड, वाराणसी

वर्ष 1991-92

इलाहाबाद जनपद में राष्ट्रीय मार्गों के कार्यों हेतु उन ठेकेदारों की सूची जिनके नाम ठेके दिए गए

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	श्रेणी	पता
1	2	3	4
1.	श्री अमर नाथ सिंह	D	पहाड़पुर, जगतपुर, इलाहाबाद
2.	मैसर्स चम्नन एण्ड कम्पनी	A	शंकर घाट, तेलियरगंज, इलाहाबाद
3.	श्री श्रीराम मिश्रा	D	12, तुलाराम बाग, इलाहाबाद
4.	नई बस्ती सी०सी०एस०	A	161, कीटगंज, इलाहाबाद
5.	मांझी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	A	सिविल लाइन, राय बरेली
6.	श्री राकेश कुमार शुक्ला	D	4/2, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद
7.	श्री मदन मोहन मिश्रा	C	श्रीपट्टी, मोरैया, मिर्जापुर
8.	श्री रोशन लाल चावला	A	542जी/6ए, कक्कड़ नगर, इलाहाबाद
9.	श्री विक्की मौर्या	A	14/1, छोटा बघाड़ा, इलाहाबाद
10.	जाफरी बिल्डर्स	B	ग्राम व पोस्ट महुगांव, इलाहाबाद
11.	श्री रमेश चन्द्र	C	155, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
12.	मैसर्स एन० के० एण्ड कम्पनी	A	527जी/6ए, कक्कड़ नगर, इलाहाबाद
13.	ओरियन्टल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	A	26, सुलेम सराफ, इलाहाबाद

1	2	3	4
14.	मोहम्मद युसुफ	C	2, शौकत अली रोड, इलाहाबाद
15.	श्री राज बजी सिंह	D	मटियारा रोड, अल्लापुर, इलाहाबाद
16.	मैसर्स सईद कारपोरेशन	A	10, सईद बाड़ा, फतेहपुर
17.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	D	पुरेविक्रमसाह, बीबीपुर, इलाहाबाद
18.	श्री राजकुमार	A	25बी, दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद
19.	श्री कृष्णा नन्द सिंह	D	426/4डी, बक्शी खुर्द, दारागंज, इलाहाबाद
20.	मोहम्मद शोएब खान	C	602, शाहगंज, इलाहाबाद
21.	श्री बांके बिहारी सिंह	D	गोरापुर, सिकन्दरा, इलाहाबाद

वर्ष 1992-93

इलाहाबाद जनपद में राष्ट्रीय मार्ग के कार्यों हेतु उन ठेकेदारों की सूची जिनके नाम ठेके दिए गए

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	श्रेणी	पता
1	2	3	4
1.	श्री मदन मोहन मिश्रा	C	श्रीपट्टी, मोबैया, मिर्जापुर
2.	श्री राज कुमार	A	25बी, दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद
3.	मै० चन्नन एण्ड कम्पनी	A	49, हाई कोर्ट, इलाहाबाद
4.	मै० एन० के० एण्ड कम्पनी	A	527जी/6ए, कक्कड़ नगर, इलाहाबाद
5.	श्री ललिता प्रसाद सिंह	C	28ए/2ए, अल्लापुर, इलाहाबाद
6	श्री रमेश चन्द	C	155, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
7.	मै० नई बस्ती बी०सी०एस०	A	161, कीटगंज, इलाहाबाद
8.	श्री राम एण्ड कम्पनी	C	बेरहना, इलाहाबाद
9.	श्री राम प्रसाद	D	बेधुआ, सदर, मिर्जापुर

1	2	3	4
10.	मोहम्मद युसुफ	C	2, शौकत अली रोड, इलाहाबाद
1..	मैसर्स मैगनम इन्टरप्राइजेज	D	42, बी०एम०एस० स्कीम, अल्लापुर, इलाहाबाद
12.	श्री रोशन लाल चावला	A	527बी/6ए, कक्कड़ नगर, इलाहाबाद
13.	श्री अश्विनी कुमार मिश्रा	D	दारागंज, इलाहाबाद
14.	श्री कन्हई लाल	D	पहाड़पुर, जगतपुर, इलाहाबाद
15.	मैसर्स आर० बी० सिंह	C	42/सी/3ए, शिवकुटी, इलाहाबाद
16.	श्री सन्तोष कुमार	D	23/47/557, बाघम्बरी रोड, इलाहाबाद
17.	श्री राज बली सिंह	D	मटियारा रोड, इलाहाबाद
18.	श्री विनोद कुमार सिंह	D	56, तिलक रोड, बलुआघाट, इलाहाबादे
19.	श्री आलोक कुमार सिंह	D	15/10बी, नई बस्ती सोहबतियाबाग, इलाहाबाद
20.	मैसर्स काशी इंजीनियरिंग वर्क्स	C	10/2/6/2, बाघम्बरी मढ़ी, अल्लापुर, इलाहाबाद
21.	श्री एन० सी० आहूजा	C	43, अशोक नगर, इलाहाबाद

विवरण-3

विश्व बैंक परियोजना के अधीन ठेकेदारों की सूची

1. मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली सी० बी० नं० 1/एम०ई०-64वां सर्किल, डब्ल्यू०एण्ड पी०, इलाहाबाद दिनांक 22-7-91.

[अनुवाद]

पशुओं के गोबर से बिजली

3062. श्री गुमान मल लोढा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं के गोबर से बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में कोई संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "सामुदायिक संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयन्त्र कार्यक्रम" के अन्तर्गत ऐसे अनेक स्थानों पर बायोगैस से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता स्थापित हो पाई है जहां कि मुख्यतया गोबर आधारित बड़े आकार के सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयन्त्र देश में 1991-92 से लगाए गए हैं। दोहरे ईंधन जनित्र सहित 85 घनमीटर क्षमता के सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर अनुमानित लागत लगभग 4.00 लाख रुपये है और केन्द्र सरकार ऐसे प्रति संयत्रों पर 1,99,800 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। राज्य नोडल विभागों, राज्य एजेंसियों और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से आगे और तकनीकी पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण सहायता का भी प्रबन्धन किया जाता है।

हथकरघा क्षेत्र के लिए योजनाएं

3863. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में जनगणना तथा इस सम्बन्ध में हथकरघा बुनकरों से समय-समय पर सरकार को मिले अभ्यावेदनों के आधार पर हथकरघा क्षेत्र के लिए कोई योजनाएं तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मिले अभ्यावेदनों/सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए अभी हाल ही में निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं :—

(क) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी।

(ख) प्रोजेक्ट पैकेज योजना।

(ग) समूह बीमा योजना।

(घ) स्वास्थ्य पैकेज योजना।

(ङ) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना।

ये योजनायें हथकरघा गणना की उपलब्धियों और सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों को आधार मानकर तैयार की गई हैं। हथकरघा बुनकरो के समेकित विकास और कल्याण-कारी योजनाओं की ओर विशेष बल दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

3864. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में तालचेर में स्थापित संयंत्र की तरह बिहार में कोयले पर आधारित उर्वरक संयत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में कोयले पर आधारित अन्य संयंत्रों के कार्यकरण ने यह दर्शाया है कि अमोनिया/यूरिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीफिकेशन प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध कोयले की किस्म के साथ लागत प्रभावी नहीं है।

[अनुवाद]

भारत में फ्रांसीसी निवेश

3065. **श्री एस० बी० थोरात** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस के निजी और अन्य संगठनों से भारत के पूंजी निवेश के लिए परियोजना-वार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) फ्रांस की किन-किन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में पूंजी निवेश करने में रुचि दिखाई है; और

(ग) इनके द्वारा कितना पूंजी-निवेश किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) 1991 से 1993 के दौरान किए गए विदेशी पूंजी निवेश अनुमोदनों में फ्रांसीसी कम्पनियों द्वारा भारत में प्रस्तावित कुल प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	कुल विदेशी पूंजीनिवेश (रु० मिलियन में)
1991	193.4
1992	296.4
1993 (फरवरी तक)	39.6

इन अनुमोदनों के विवरण अर्थात भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, विनिर्माण की मद संलग्न विवरण में दिए गये है।

विवरण

क्रम सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोग	विनिर्माण की मद
1	2	3	4
1.	सेपवू इंडिया प्रा० लि० हरियाणा	सेपवू अल्टरा फाइन, फ्रांस	हाई परफार्मेन्स माइक्रोनाइजर्स
2.	ऊषा रेक्टिफायर कार्पो० इंडिया लि० पूना	मात्रा हरीस सेमीकन्डक्टर, फ्रांस	स्वीकृत चिप्स
3	एच०जे० कन्सल्टेंट्स, प्रा० लि० नई दिल्ली	पुलमैन अंतर्राष्ट्रीय होटल, फ्रांस	आपरेशन होटल आदि की स्थापनना
4.	हेवेल्स इलैक्ट्रोनिक्स, प्रा० लि० नई दिल्ली	सोकोमैक एस०ए०, फ्रांस	डिजाइन ऑन लोड चेंजओवर स्विचेज
5.	नागा टॉयज प्रा० लि० दीमापुर	(क) बूलूम एस०ए०, फ्रांस (ख) कांगा टॉयज नीदरलैंड	टॉयज और शैक्षिक सहायता संबंधी खिलौने
6.	रोकेश खन्ना प्रोमोटर नई दिल्ली	फ्रांस सिनेमा डिफ्यूजन पैरिस	सिनेमेटोग्राफी संबंधी कार्य शुरू करना
7.	त्रिलोचन सिंह, बम्बई	एस० एन० आर० रूलमेंट्स,	टेपर रोलर बियरिंग और बाल बियरिंग
8.	बसंत सेपस एनवायरमेंटल सिस्टम्स प्रा० लि० हैदराबाद	सेपस एटीकोरोसिन, फ्रांस	प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी उपकरण
9.	इंडिया रिप्रोग्राफिक्स कम्पनी सिस्टम्स लि० नई दिल्ली	अल्काटेल सी० आई० टी०	इलैक्ट्रिक स्विचिंग उपकरण
10.	जे० एफ० लेबोरेट्रीज लि० बम्बई	फाइनैंसियर लैंस केमिस फ्रांस	100% निर्यातोन्मुख योजना के अधीन एमीनो एसिड
11.	इण्डो फ्रेंच बायो फार्म प्रा० लि० हैदराबाद	एग्रो बायो, फ्रान्स	टिश्यू कल्चर द्वारा पौधों का विकास व उत्पादन
12.	एस०ए०एफ० ईस्ट, बम्बई	लीजेफ्रेट साई, फ्रांस	बिस्कफिण्वन

1	2	3	4
13.	बालमेर लारी एण्ड कम्पनी कलकत्ता	एम० बाई० सी० ओ० एम०ए०, फ्रांस	ल्यूब्राकेन्ट्स आदि
14.	ऊषा रेकटिफॉयर कम्पनी, सिंधिया लि०, नई दिल्ली	मात्रा सेन्टर इलैक्ट्रानिक्स ला कम्बेतीय एण्ड डी०सी० गुवेट सी०डी०/3008	सी० ए० डी० साफ्ट और आई० सी० डिजाइन सम्बन्धी एप्लीकेशन साफ्टवेयर
15.	स्पोर्ट्स एण्ड लेजर अपारेल लि०, नई दिल्ली	लॉं कशमाइज लाकोस्ट फ्रांस एण्ड डेवानले सा फ्रांस	पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों हेतु लेकोस्ट एपारेल्स की रेंज
16.	मार्बिक होम प्रोड० प्रा० लि० बम्बई	बी०एस०एन० सा ग्रुप, फ्रांस	खाद्य प्रसंस्करण
17.	जोसपॉल इलैक्ट्रानिक इन्ड० प्रा० लि०	पॉल सैण्मडर, फ्रांस	एल्यूमिनियम इलैक्ट्रोलाइटिक कपेसिटर्स हेतु मशीनों का निर्माण
18.	यूनीकार्न टीन्यूनैचूरल प्रो० आन्ध्र प्रदेश	फ्रैन्कोइस जेरल्ड लेस्टोइलेरिफ युज, फ्रांस	चीनी में आरक्षित पौधे
19.	मुगल आर्ट पैलेस (प्रा०) लि० राजस्थान	जे० एस० योसियस, फ्रांस	लकड़ी से निर्मित हस्तशिल्प
20.	पी० एस० आई० दाता सिस्टम लि० बंगलौर	बुल एस० ए० फांस, फ्रांस	डी० पी० मशीन सोफ्टवेयर
21.	मोस्टैर्स ग्लास फाइबर इंड० प्रा० लि०, बम्बई	पोरशर टैक्सटाइल एस० ए० फ्रांस	ग्लास क्लोथ साइलेन
22.	तिलकनगर हिलरीज एण्ड इंडिया लि० बम्बई	अलतेर, 26 रु पासकल कोम्बो, फ्रांस	ताजे अंगूरों की शराब आदि
23.	इनटेप आर० ए० इंजी० प्रा० लि० नई दिल्ली	फ्रांस	मेटीरियल उत्पादों हेतु मशीनरी
24.	हिन्दुस्तान एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट कार्पो० प्रा० लि०	जार्ज बेसेल, फ्रांस	अंगूरों से शराब और ब्रांडी
25.	ई० एल० एफ० ल्यूब्रीकेंट्स (इंडिया) प्रा० लि० बम्बई	ई०एल०एफ० ल्यूब्रीकेंट्स टूर ई०एल०एफ०, फ्रांस	ल्यूब्रीकेटिंग ऑयल/ ग्रीस

1	2	3	4
26.	ओ/ई/एम/कम्पोनेन्टस लि० केरल	सुरियो एण्ड साहू 145-147	विद्युत उपकरण
27.	पियरे कार्डिन, नई दिल्ली	पियरे कार्डिन 19, फ्रांस	फैशन क्लोथ फैशन ज्वेलरी लैदर गुड्स
28.	सीजेलेक इंडिया लि०, गाजियाबाद	सीजेलेक, फ्रांस	डिजिटल आटोमेटिक डी०पी०एम०/सी०
29.	लिक्विड एयर इंजी० आई० पी० लि०, हैदराबाद	एयर लिक्विड इन्ट०, फ्रांस	औद्योगिक गैस
30.	मुगल आर्ट पैलेस, प्रा० लि० जोधपुर	जीन चार्ल्स केपुइस, फ्रांस	फ्रांस
31.	पटिना एक्सपोर्ट प्रा० लि० जयपुर	मेहमेट इक्सेल फ्रांस, फ्रांस	ट्रेनिंग कम्पनी
32.	सिनर्जी पालिकर्स लि० गुजरात	मल्टीबेस, एस०ए० फ्रांस	फार्मेलिप्रोपीलीन आदि
33.	इन्डो० फ्रेंच बायोटेक इन्टरप्राइजेज लि०, बम्बई	रिक्टर एस०ए०, फ्रांस	अंगूर
34.	हैरिटेज फर्नीचर लि० कलकत्ता	सेरिबो ग्रुप, फ्रांस	नॉकड डाउन फर्नीचर
35.	शेनेक्टेडी कैमिकल्स इंडिया लि०, बम्बई	शेनेक्टेडी डि०, फ्रांस	फिनोलिक रेजिन्स

कार्य के घण्टे बढ़ाना

3066. श्री के० चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष में सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों में सरकारी कार्यालय बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने कार्य घंटों का नुकसान होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार अवकाश के दिनों को कम करके कार्य घंटों को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) किसी संगठन मे काम के घंटों तथा छुट्टियों का निर्धारण उस संगठन की कार्यात्मिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है और इसलिए छुट्टियों को काम के घंटों का नुकसान मानना उचित नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

3067 श्री सुबास चन्द्र नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसकी उपलब्धि क्या रही है;

(ख) इनका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं योजना के अवधि के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान हैंडलूम वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

वर्ष (करोड़ों रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	320.00	407.27
1991-92	489.00	692.22
1992-93	916 00	813.88 (अप्रैल-जून 93 तक)

(क) सरकार ने सूती हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेकों कदम उठाये हैं जिसमें व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजना, बाजार अध्ययन कराना और बाजार अनुसंधान मुख्य बाजारों में मेलों में भाग लेना इत्यादि।

(ग) आठवीं योजना का उद्देश्य निर्यात में 13.6% वार्षिक वृद्धि का है इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए हैंडलूम क्षेत्र के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

जापानी निवेश के सम्बन्ध में गठित भारत-जापान अध्ययन समिति

3068 श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी निवेश बढ़ाने के लिए गठित भारत-जापान अध्ययन समिति ने 51 प्रतिशत तक के विदेशी पूंजी प्रस्तावों, जिसके लिए 100 प्रतिशत तक अनुमति दी जा सके, को स्वीकृति देने के लिए लगाये गए प्रतिबन्धों में छूट देने तथा अलाभप्रद औद्योगिक एककों को बन्द करने की वर्तमान नीति में परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत-जापान अध्ययन समिति की नई दिल्ली में दिनांक 4-5 फरवरी, 1993 में हुई 22वीं संयुक्त बैठक में जापानी पक्ष ने विचार व्यक्त किए कि विदेशी इक्विटी प्रस्तावों की 51 प्रतिशत तक आटोमैटिक स्वीकृति के लिए वर्तमान पाबन्दी में छूट देने और विदेशी इक्विटी को आटोमैटिक आधार पर 100 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देने और साथ ही उपयुक्त नीतियों और विधान के माध्यम से अव्यवहार्य औद्योगिक उद्यमों के विकास को आसान बनाने की आवश्यकता है ।

(ख) से (घ) भारत-जापान अध्ययन समिति का स्वरूप गैर-सरकारी है, इसकी संयुक्त बैठकों में आपसी हित के मामलों पर और नीतियों और समस्याओं के मूल्यांकन पर खुले विचार-विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाता है ।

पश्चिम बंगाल में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

3069. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं/योजनाओं/प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है और उन्हें लागू किया गया है तथा उनमें से कितने विचाराधीन हैं; और

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना/योजना कार्यान्वयन किस चरण में है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए हैं । पश्चिम बंगाल राज्य में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के संवर्द्धन और उपयोग के लिए एक पूर्ण प्रकार की नोडल एजेंसी नामतः पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास

एजेन्सी की स्थापना वर्ष 1992 में की गई। राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम में संलग्न स्वायत्त संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन और प्रसार कार्यकलाप किए जा रहे हैं। उपयोगकर्ताओं और विनिर्माताओं को आर्थिक सहायता, उदार शर्तों पर ऋण जैसे वित्तीय प्रोत्साहन और ह्रास भत्ता, उत्पाद शुल्क और सीमा कर में राहत के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रचार और जनजागृति अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अन्तर्गत पूरी कर ली गई प्रणालियों और युक्तियों की संख्या, वर्ष 1992-93 के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे और विचाराधीन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण "क" में दिया गया है। इस राज्य में स्थापित नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों की संचयी संख्या की स्थिति भी विवरण में दी गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल राज्य में उपलब्धियों की स्थिति और चल रही परियोजनाएं/योजनाएं

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिट	संचयी उपलब्धि 31-3-1992 तक	वर्ष 1992-93 के दौरान चल रही परियोजनाएं/योजनाएं
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय बायो गैस विकास परियोजना	संख्या	56,297	8,000
2.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	संख्या	3,99,202	50,000
3.	सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां	वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र	657	640
4.	सौर कुकर	संख्या	2,271	700
5.	सौर सड़क रोशनी प्रणालियां	संख्या	638	100*
6.	सौर घरेलू रोशनी/लालटेन	संख्या	30	300

1	2	3	4	5
7.	सौर सामुदायिक टेलीविजन	संख्या	1	16*
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	के०डब्ल्यू० पी०	3	5*
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत जल पम्प	संख्या	1	40*
10.	पवन पम्प	संख्या	15	—
11.	पवन मानीटरिंग स्टेशन	संख्या	—	1*
12.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	4	—
13.	पवन विद्युत जनित्र	के०डब्ल्यू०	—	20*
14.	लघु जल विद्युत परियोजनाएं	मेगावाट	7.46	1.20
15.	बैटरी वाहन	संख्या	—	1*

*विचाराधीन।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निर्माण

3070. श्री एन०जे० राठवा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किन-किन भवनों, सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) जनवरी, 1990 से इस प्रकार के निर्माण-कार्यों पर खर्च की जा रही धनराशि का, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब पूरा हो गए निर्माण-कार्य का ब्यौरा क्या है तथा कितना निर्माण-कार्य अधूरा पड़ा है; और

(घ) उक्त निर्माण के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (घ)

(क) ए०बी०सी०सी० लि० द्वारा गुजरात में बनाए जा रहे भवनों, सड़कों तथा पुलों के नाम	(ख) जनवरी, 1990 से किए गए कार्य का वर्ष-वार मूल्य (व्यय) (रु० लाखों में) 1990	1991	1992	1993 फरवरी, 93 तक	(ग) अब तक पूर्ण/अपूर्ण निर्माण कार्य	(घ) कार्य पूरा करने में विलम्ब के कारण
1	2				3	4
1. अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस का ठेका-III पर 12 सड़क ओवर ब्रिजों तथा 7 भूमिगत पार पथों का निर्माण	151.40	183.00	267.46	10.29	यह परियोजना फरवरी, 1993 में पूरी हो गई है।	लाभग्राही (क्लाइंट) की ओर से विलम्ब के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। लाभग्राही ने देरी स्वीकार करते हुए और 28-2-93 तक समय मांगा जो उन्हें दिया गया।
2. अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस-वे कांट्रेक्ट-IV पर 15 रोड ओवर ब्रिजों तथा 4 अण्डर पासों का निर्माण	50.00	115.00	209.40	60.50	लगभग 90% कार्य पूरा हो गया है। तीन ओवर ब्रिजों में, सुपर स्ट्रक्टर कार्य चल रहा है। लाभ-	लाभग्राही ने देरी स्वीकार कर ली है तथा 30-6-93 तक समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

1	2	3	4
		ग्राही द्वारा सहमत संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्य 30-6-93 तक पूरा होने की सम्भावना है।	
3. कांधला (गांधी धाम) में कांधला फ्री ट्रेड जोन के विकास हेतु निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य	103.20 141 00 165.10 33.00	यह एक अनुरक्षण करार है तथा लाभग्राही द्वारा समय-समय पर नियत प्राथमिकताओं और निधियों के आबंटन के अनुसार निष्पादित किया जा रहा है। कांधला फ्री ट्रेड जोन प्राधिकरण ने प्रशंसा की है कि निर्माण कार्य की वास्तविक प्रगति उनकी आशा से कहीं आगे है।	—शून्य—
4. बडोदरा में गुजरात विद्युत बोर्ड के लिए बहुमंजिले कार्यालय परिसर का निर्माण	— — 27.00 12.00	यह परियोजना अभी शुरू हुई है और समय-सारणी के अनुसार चल रही है।	—शून्य—

1	2				3	4
5. गांधी नगर में एस०ए०आई० के लिए खेल-कूद परिसर का निर्माण	15.00	17.00	12.50	1.70	कुल मिलाकर पूरी हो गई है।	यह एक अधिलागत परियोजना है तथा लाभग्राहियों द्वारा समय-समय पर निधियों के आबंटन और नियत प्राथमिकताओं के अनुसार चल रही है।
6. पोरबन्दर में नवोदय विद्यालय का निर्माण	18.20	—	15.20	5.00	मूल कार्य 1990 के दौरान पूरा हो गया था। वर्ष 1992 के दौरान सुपुर्द किया गया अतिरिक्त कार्य समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।	—शून्य—
7. अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस-वे कांट्रेक्ट-I पर 7 नदी पुलों तथा जल प्रणालियों का निर्माण	173.00	67.00	50.78	—	गुजरात लोक निर्माण विभाग द्वारा एन० बी० सी० सी० के दावों को अस्वीकार करने के कारण, एन० बी० सी० सी० ने सितम्बर, 1991 में करार । एवं 1 [illegible] वापस ले लिया।	गुजरात लोक निर्माण विभाग द्वारा संयत्र तथा मशीनरी (अत्याधुनिक), जो करार की शर्तों तथा निबन्धनों के बाहर थी, लगाने पर बल देने की वजह से परियोजना में देरी हुई थी। उन्होंने मृदा पैरामीटर को करार के मूल कार्यक्षेत्र के परे परिवर्तित भी किया।

1	2				3	4
7. अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस-वे कन्ट्रेक्ट पर 3 बड़े नदी पुलों का निर्माण	114.00	173.50	84.48	—	गुजरात लोक निर्माण विभाग द्वारा एन० बी० सी० सी० के दावों को अस्वीकार करने के कारण, एन० बी० सी० सी० ने सितम्बर, 91 में करार I एवं II वापस ले लिया।	गुजरात लोक निर्माण विभाग द्वारा अत्याधुनिक संयंत्रों तथा मशीनरी, (जो करार की शर्तों तथा निबन्धनों में शामिल नहीं थी), लगाने पर बल देने के कारण परियोजना में देरी हुई थी। उन्होंने मृदा पैरामीटर को करार के मूल कार्य-क्षेत्र के परे परिवर्तित भी किया।

[अनुवाद]

रोहिणी में भू-खंडों का आबंटन

3071. श्री राजेश कुमार :
डा० सी० सिलवेरा :
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी में भू-खंडों के आबंटन हेतु श्रेणी-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) भू खंडों के आबंटन हेतु अगली निकासी कब तक की जायेगी;

(ग) इस निकासी में श्रेणी-वार कितने भू-खंडों का आबंटन किया जाएगा;

(घ) क्या मार्च, 1991 और नवम्बर, 1991 में की गई निकासी में सफल घोषित पंजीकृत व्यक्तियों को भू-खंडों का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक भू-खण्ड आबंटित कर दिए जाएंगे ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार रोहिणी आवास योजना में 39679 पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं, ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

ई० डब्लू० एस०/जनता	—	4665
एल० आई० जी०	—	20583
एम० आई० जी०	—	14431
	योग :	39679

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, विकसित भूखण्ड उपलब्ध होने पर अगला आबंटन होगा।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, आबंटित किए जाने वाले भूखण्डों की संख्या विकासपूर्व स्थिति में नहीं करायी जा सकती।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, मार्च, 91 में हुए ड्रा में कुल 5740 भूखण्ड आबंटित किए गये थे। नवम्बर, 91 में कोई ड्रा नहीं हुआ। 5740 भूखण्डों में से 3635 सफल पंजीकृत लोगों को आबंटन तथा मांग पत्र जारी किये गये थे।

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार सभी सफल पंजीकृत लोगों को कब्जा इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि भूखण्ड अर्द्ध-विकसित अवस्था में थे और तीन किश्तों में प्रीमियम लेने का निर्णय लिया गया था। जिन मामलों में प्रीमियम की अन्तिम किश्त के भुगतान सहित सभी औपचारिकताए पूरी हो जाती है उन्हीं में कब्जा दिया जाता है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, शेष पंजीकृत लोगों को आठवीं योजना के दौरान आबंटन देने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

गन्धर्व महाविद्यालय पर दुरुपयोग जुर्माना

3072. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या शहरी विकास मन्त्री** 17 दिसम्बर, 1992 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्धर्व महाविद्यालय से दुरुपयोग जुर्माने की वसूली में क्या प्रगति हुयी है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल ससाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : गंधर्व महाविद्यालय ने इस आधार पर दुरुपयोग प्रभार छोड़ देने का अभ्यावेदन किया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें बिना किसी प्रभार के 10 प्रतिशत क्षेत्र को किराये पर उठाने की अनुमति दी थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण से संस्थान के इस कथन की पुष्टि/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः संस्था के अनुरोध पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कागज के कारखाने

3073 **डा० सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे राज्य-वार कागज के कारखानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कागज उद्योग/कारखानों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): : (क) देश मे कागज मिलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है।

(ख) सरकार ने कागज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) स्थापना स्थल सम्बन्धी शर्तें पूरी होने पर उन कागज एककों को अनिवार्य लाइसेंसीकरण के प्रावधान से मुक्त कर दिया गया है जो खोई, कृषि अवशिष्ट पदार्थों तथा अन्य गैर-पारंपरिक कच्चे माल से बनी 75% लुगदी उपयोग में लाते हों।

(2) जिन छपाई के कागजों, लिखने के कागजों और क्राफ्ट पेपरों को बनाने में खोई, जूट अथवा मेस्टा लुगदी (जिसका कुल लुगदी में कम से कम 75% भाग इन वस्तुओं का हो या इनके मिश्रण का हो) का इस्तेमाल किया जाता हो उनके उत्पादन को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। कागज बनाने के लिए गैर-परम्परागत कच्ची सामग्री के उपयोग की गुंजाइश बढ़ाने के लिए इस बजट में पूर्ण उत्पाद शुल्क

छूट योजना में चावल और गेहूं के भूसे से बनी लुगदी को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

(3) रद्दी कागज/लकड़ी लुगदी का आयात ई० आई० पी० नकारात्मक अथवा प्रतिबन्धित सूची में नहीं है और इसे सीमा शुल्क की बहुत ही कम दर (20%) पर आयात किया जा सकता है।

विवरण

दिनांक 1 जनवरी, 1993 को कागज और गत्ता बनाने वाले एककों की राज्यवार और क्षेत्र-वार क्षमता

क्षेत्र	एककों की संख्या	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता (मी० टनों में)	योग
1	2	3	4
उत्तर क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश	62	33226	
हरियाणा	16	150910	
पंजाब	19	168980	
राजस्थान	8	38850	
हिमाचल प्रदेश	15	68800	
चण्डीगढ़	1	3000	
जम्मू और कश्मीर	1	3300	766105
दक्षिण क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	19	434120	
कर्नाटक	14	202370	
तमिलनाडु	21	222372	
केरल	3	39350	
पांडिचेरी	1	9000	907212
पश्चिम क्षेत्र			
गुजरात	50	324579	

1	2	3	4
महाराष्ट्र	53	577320	
मध्य प्रदेश	16	177600	1079499
पूर्वी क्षेत्र			
पश्चिम बंगाल	21	263830	
बिहार	8	9 500	
उड़ीसा	7	221572	
असम	4	188000	
नागालैंड	1	33000	797902
कुल योग	340	3550718	3550718

रोहिणी में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन

3074. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी आवासीय योजना 1981 के अन्तर्गत कितने सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आवासीय प्लाटों का आबंटन किया गया; और

(ख) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पंजीकरण सूची को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान 353 पंजीकृत सेवानिवृत्त हुए/होने वाले व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार रोहिणी आवास योजना के तहत सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आबंटन, उनके लिए नियत 12 प्रतिशत कोटे के अनुसार, अन्य सामान्य पंजीकृत व्यक्तियों के साथ बड़े ड्रा में किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार शेष पंजीकृत लोगों को भूमि/भू-खण्ड सुलभ होने पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भू-खण्ड आबंटन का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

[हिन्दी]

"कपार्ट" को गुजरात से प्राप्त प्रस्ताव

3075. **श्री महेश कनोडिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कपार्ट" को गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो किस तरह के प्रस्ताव मिले हैं तथा ये किन-किन स्थानों से सम्बन्धित है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। परिषद केवल सोसायटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयसेवी संगठनों को ही सहायता उपलब्ध कराती है।

पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता

3076. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऊर्जा विकास अभिकरण पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के विभिन्न निगमों/संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगमित क्षेत्र की कुछ कम्पनियों ने सरकार को पवन शक्ति से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कुछ परियोजनाओं की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने ऐसी परियोजनाओं के स्थापनार्थ आर्थिक सहायता प्रदान की है;

(च) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में स्थापनार्थ केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) ये परियोजनायें कब तक स्थापित हो जायेंगी ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। पवन ऊर्जा परियोनाओं की स्थापना के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा परियोजना की लागत का 75% तक ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रमोटर की ओर से न्यूनतम अंशदान परियोजना का 25% है और अनुसूचित जाति/जनजातियों के उद्यमियों के मामले में यह 20 प्रतिशत है। यह ऋण समय पर पुनर्अदायगी के लिए 0.5% की छूट के साथ 12.9 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है। ऋण की पुनर्अदायगी अवधि 6 वर्ष है।

(ग) और (घ) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) को पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निगम क्षेत्र से अब तक 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 14 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, 4 परियोजना प्रस्ताव अस्वीकृत और शेष 2 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ङ) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से पवन विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक ने 15 मिलियन अमेरिकी डालर की अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद की साख और 13 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व पर्यावरणीय ट्रस्ट फण्ड सहायता अनुदान वाली साख लाइन देने पर सहमति प्रकट की है।

(च) विश्व बैंक से सहायता के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से कोई पवन ऊर्जा परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा का उपयोग

3077. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खडूरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पवन ऊर्जा की दृष्टि से सम्भाव्य स्थलों पर विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा का उपयोग करने सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट इस बीच सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिये उपयुक्त स्थलों का चयन करने हेतु दल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर किए गए प्रारम्भिक अनुसंधानों और लघु अवधि के पवन सर्वेक्षणों से विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा दोहन की सम्भाव्यताओं का पता चला है। तथापि पवन सम्भाव्यता का मात्रात्मक रूप से आकलन करने और पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थलों का पता लगाने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी उ० प्र० ने इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मेट्रोलोजी, फील्ड रिसर्च यूनिट (आई०आई०टी०एम०, एफ०आर०यू०), बंगलौर को पहाड़ी क्षेत्रों में नो सम्भाव्य स्थलों पर पवन मानीटरिंग केन्द्र स्थापित करने का कार्य सौंपा है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन का कार्य पवन मानीटरिंग परियोजनाओं के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और जर्मनी की सीमेन ए०जी० जर्मनी के बीच समझौता

3078. **श्री आर्ज फर्नान्डीज :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और जर्मनी की सीमेन ए० जी० जर्मनी के बीच विद्युत उत्पादक उपकरणों के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग पर कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भेल ने वाष्प टर्बाइनों और टर्बो जनरेटरों के डिजाइन और निर्माण के लिए वर्ष 1976 में क्राफ्टवर्क यूनियन (के० डब्ल्यू० यू०) ए० जी० (अब सीमन्स ए० जी) के साथ एक तकनीकी सहयोग करार किया था जो वर्ष 1991 में समाप्त हो गया। इस समझौते को 10 वर्षों की अवधि के लिए, 2001 तक बढ़ा दिया गया है जिससे भेल इस क्षेत्र में होने वाली विश्वव्यापी तीव्र प्रोद्योगिकीय प्रगति के साथ चल सके। भेल ने बड़े आकार के गैस टर्बाइनों के डिजाइनों और निर्माण के लिए वर्ष 1989 में 10 वर्षों की अवधि के लिए सीमन्स ए० जी० के साथ एक तकनीकी सहयोग करार भी किया था।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स

3079. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में एक इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स की स्थापना करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक काम्प्लेक्स की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में की जाएगी अथवा राज्य क्षेत्र में;

(घ) इस पर कितना धनराशि व्यय होगा; और

(ङ) इस कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगी

3080. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) क्या इस कार्यक्रम का कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों (परिवारों) की राज्यवार संख्या विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन राज्य सरकारों से प्राप्त टेलीग्राफिक सूचना, मासिक मुख्य सूचक रिपोर्टों, छमाही तथा वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है।

राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भी कार्यक्रम की निगरानी तथा पुनरीक्षा की जाती है। 1986 से मन्त्रालय द्वारा समवर्ती मूल्यांकन की एक प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें कई प्रतिष्ठित अनुसंधान सगठनों को शामिल किया गया है। 1986, 1987 तथा 1989 में समवर्ती मूल्यांकन के तीन दौर पूरे हो चुके हैं तथा चौथा दौर सितम्बर, 1992 से शुरू हुआ है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा को पार करने वाले परिवारों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थी (परिवार)

(लाभार्थियों की संख्या)

क्रमांक	राज्य	1989-90		1990-91		1991-92	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	214229	255228	174916	263391	165680	222848
2.	अरुणाचल प्रदेश	18275	8532	14922	8423	15022	10888
3.	असम	58509	61146	43261	50345	45249	46416
4.	बिहार	429239	499033	350469	415814	331578	336972
5.	गोआ	3807	3858	3109	3200	3129	2989
6.	गुजरात	88220	102465	72030	72426	68227	72326
7.	हरियाणा	21110	55657	17236	34179	16326	24756

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	7558	30417	6171	17037	5845	11819
9.	जम्मू व कश्मीर	10555	14375	8618	13008	8163	13581
10.	कर्नाटक	134098	140275	109482	125027	103701	108841
11.	केरल	72843	74150	59476	60877	56335	57562
12.	मध्य प्रदेश	284075	325995	231944	345514	219698	2[illegible]4810
13.	महाराष्ट्र	229475	248059	187364	214199	177472	197967
14.	मणिपुर	1694	3716	1383	4962	1310	4908
15.	मेघालय	5082	2320	4149	3134	3930	2874
16.	मिजोरम	7615	4982	6217	3366	6259	2811
17.	नागालैंड	7995	4932	6528	4429	6572	5442
18	उड़ीसा	140343	185969	114589	149612	108539	111712
19	पंजाब	17852	[illegible]6128	14576	35944	13806	27453
20.	राजस्थान	136825	159039	111716	135604	105818	131986
21.	सिक्किम	1523	1717	1243	1422	1251	1610
22.	तमिलनाडु	192337	221509	157041	181842	148749	161603
23.	त्रिपुरा	5994	12275	4894	12222	4635	16343

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	573362	630024	468144	508840	443427	462259
25.	पश्चिम बंगाल	239639	291847	195663	226603	185332	201476
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1904	1939	1554	1660	1564	1502
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादर नगर हवेली	381	387	311	311	312	313
29.	दिल्ली	1904	2375	1554	1567	1564	550
30.	दमन व दीव	761	726	622	600	625	482
31.	लक्षदीव	180	209	150	139	150	124
32.	पांडिचेरी	1:23	2089	1243	2078	1251	1343
	योग :	2908897	3351373	2370575	2897775	2251519	2536566

विवरण-2

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर (1989) के निष्कर्षों के आधार पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा को पार करने वाले परिवारों का प्रतिशत

क्रम स०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	3500 रुपए की गरीबी की रेखा	6400 रुपए की गरीबी की रेखा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.64	23.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.00	24.50
3.	असम	88.32	39.05
4.	बिहार	91.34	42.63
5.	गोआ	94.74	10.53
6.	गुजरात	96.49	18 65
7.	हरियाणा	71.25	10.00
8	हिमाचल प्रदेश	90.83	36.67
9.	जम्मू व कश्मीर	92.03	51.09
10.	कर्नाटक	55.59	5.59
11.	केरल	74.91	27.96
12.	मध्य प्रदेश	73.19	10.57
13.	महाराष्ट्र	82.09	23.83
14.	मणिपुर	80.00	31.82
15.	मेघालय	54.43	13.92
16.	मिजोरम	83.05	57.63
17.	नागालैंड	95.00	45.00
18.	उड़ीसा	63.85	1[illegible].54
19.	पंजाब	84 03	43 28

1	2	3	4
20.	राजस्थान	80.42	38.58
21.	सिक्किम	90.00	20.00
22.	तमिलनाडु	60.00	12.37
23.	त्रिपुरा	96.67	31.67
24.	उत्तर प्रदेश	87.17	39.68
25.	पश्चिम बंगाल	95.68	18.27
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	100.00	85.00
27.	चण्डीगढ़	80.00	50.00
28.	दादर और नगर हवेली	100.00	10.00
29.	दिल्ली	100.00	70.00
30.	लक्षद्वीप	80.00	50.00
31.	पांडिचेरी	80.00	10.00
	अखिल भारत	80.98	27.81

[हिन्दी]

कर्नाटक में पेट्रोरसायन परियोजनाएं

3081. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय कुल कितने पेट्रोरसायन परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) निर्माणाधीन और विचाराधीन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त परियोजनाए कब तक पूरी हो जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) कर्नाटक मे स्थित पेट्रोरसायन उद्योग सहित भारत में पेट्रोरसायन उद्योग संगठित क्षेत्र और लघु तथा अति लघु क्षेत्रों मे फैले हुए है। ऐसे एककों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त अब पेट्रोरसायन उद्योग को कुल मिलाकर लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। कार्यरत ऐसे सभी एककों के बारे मे आकड़े संकलित नहीं किए जाते है। फिर भी कर्नाटक स्थित प्रमुख पेट्रोरसायन परियोजनाओ से सम्बन्धित जानकारी जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए थे, संलग्न विवरण मे दी जाती है।

(ग) प्रमुख पेट्रोरसायन परियोजनाओं के पनपने की अवधि आमतौर पर 2 से लेकर 5 वर्षों तक की होती है।

विवरण

कर्नाटक स्थित प्रमुख पेट्रोरसायन परियोजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए थे

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	निर्माण की वस्तु	टिप्पणी
1.	मेसर्स कर्नाटक राज्य औद्योगिक विकास निगम	नायलॉन फिलामेंट यार्न	औद्योगिक लाइसेंस
2.	मेसर्स विक्रांत टायर्स	नायलॉन टायर कोर्ड	औद्योगिक लाइसेंस
3.	मेसर्स कार्बन कम्पोजिस्ट्स	कार्बन फाइबर वुवन फैब्रिक/ग्लास फाइबर प्रीप्रेगस आदि	औद्योगिक लाइसेंस
4.	मेसर्स मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	थ्येलिक एनहाइड्राइड	औद्योगिक लाइसेंस
5.	मेसर्स मेकास्टर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	स्पन बांडेड जिओ टेक्सटाइल्स "टाइपर"	आशय-पत्र
6.	मेसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	बेन्जेन, टोल्यून, हाइड्रोजन पाराफिन रेफिनेट, जाइलेनेस एण्ड हेवियर एरोमेटिक्स और फ्यूल गैस	आशय-पत्र

[अनुवाद]

बसन्त कुंज में स्वविस पोषी योजना के अन्तर्गत प्लॉटों का आवंटन

3082. श्री संजय लाल : क्या शहरी विकास मंत्री 18 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3515 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी०डी०ए० ने बसन्त कुंज में स्ववित्त पोषी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के 130 आवेदन प्राप्त करने के बाद सामान्य श्रेणी के कितने आवेदकों को फ्लैट आबंटित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल की योजनाएं

3083. श्री टी० जे० अंजलोस : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के विकास के लिए योजना आयोग के पास कुछ योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल की वार्षिक योजना 1993-94 में पहले से शामिल की गई विकास योजनाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने योजना आयोग के अनुमोदन के लिए कोई अन्य स्कीम नहीं भेजी है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों में समेकित विकास के लिए महाराष्ट्र को धनराशि

3084. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के छोटे अथवा मध्यम श्रेणी के विभिन्न शहरों के विकास के लिए 1991-92 और 992-93 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) विभिन्न विकासशील परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और किन-किन नगरों में इसे लागू किया जाएगा;

(ग) विकास के प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1993-94 के लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को 1991-92 के दौरान तथा 1992 93 के दौरान अभी तक क्रमश: 147 96 लाख रु० और 13.155 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ख) आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत 31-3-92 तक शामिल किए गए कस्बों की बाबत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) रिहायशी क्षेत्र विकास।

(ख) बाजार तथा मण्डियां।

(ग) यातायात तथा परिवहन।

(घ) औद्योगिक क्षेत्र विकास।

(ङ) पालिका बूचड़खाने।

(च) कम लागत की स्वच्छता।

महाराष्ट्र सरकार को अभी तक दी गई केन्द्रीय सहायता का योजना तथा कस्बा-वार ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने बताया है कि महाराष्ट्र में आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत अभी तक शामिल किए गए 48 कस्बों के सम्बन्ध में दी गई कुल 1747.041 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की तुलना में विकासात्मक प्रयोजनार्थ दिसम्बर, 92 तक राज्य अंश योगदान सहित 2909.376 लाख रुपए की राशि का उपयोग किया गया है।

(घ) आई०डी०एस०एम०टी० की योजना के अन्तर्गत, परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत होने से पूर्व निधियों का राज्यवार कोई नियतन नहीं किया जाता है। तथापि, नये कस्बों को शामिल करने के लिए 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को दी जाने वाली निधियों की मात्रा, प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों की संख्या, उन कस्बों की श्रेणी जिनके लिए परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं और निधियों की सुलभता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र के विभिन्न कस्बों में सातवीं योजना की चल रही योजनाओं के लिए 1993-94 में दी जाने वाली निधियों की राशि, प्रगति रिपोर्ट तथा पहले से दी गई केन्द्रीय सहायता के लिए उपयोगता प्रमाणपत्र प्राप्त होने तथा निधियों की सुलभता पर निर्भर करेगी।

विवरण

छठी, सातवीं और वार्षिक योजना—1990-91 तथा 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को आई०डी०एस०एम०टी० योजना के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता के कस्बा-वार ब्यौरे

(रु० लाख में)

क्रम सं०	योजना अवधि तथा कस्बे का नाम	दी गई धनराशि
1	2	3
	छठी योजना	
1.	मनमाड	42.940
2.	बारसी	43.895
3.	पार्लीबैजनाथ	41.800
4.	योतनाल	44.110
5.	सतारा	40.000
6.	रत्नागिरी	40.000
7.	काटोल	42.340
8.	आमलनेर	45.930
9.	परभानी	42.000
10.	केम्पटी	42.220
11.	किमवाट	40.000
12.	उस्मानाबाद	43.030
13.	मोरसी	41.770
14.	हिंगनघाट	42.640
15.	जालना	40.000
16.	अम्बेजुगई	42.810
17.	सेलू	42.586

1	2	3
18.	डिगरस	42.140
19.	भाम्द्रा	42.700
20.	वासिम	44.100
21.	इस्लामपुर	42.840
22.	बारामती	42.360
	योग :	932.211
	सातवीं योजना	
23.	पंधाटपुर	48.000
24.	रामटेक	43.860
25.	निलांगा	39.690
26.	चिपलन	31.00*
27.	आकोट	54.00
28.	तुलजापुर	48.75
29.	वर्धा	52 00
30.	इगतपुरी	28.41
31.	पुसाड	52 375
32.	कराड	46.00
33.	बीड	23.495**
34.	चन्द्रपुर	29.75
	योग :	497.33
	1990-91	
35.	गढ़चिरोली	27.60
36.	गोंडिया	22.00
37.	पोपड़ा	15.00

1	2	3
38.	खेमगाव	27.50
39.	नारखेड	27.50
40.	मलकापुर	27 50
41.	नन्दुरबार	27.50
42.	पैथन	18.00
	1991-92	
43.	बुलदाना	25.00
44.	हिंगोली	25.00
45.	चालीसगांव	25.00
46.	सावनेर	10.00
47.	अच्छलपुर	20.00
48.	नान्देड	20.00
	योग :	125.00
	सकल योग :	1757.041

*वर्ष 1992-93 के दौरान चिपलन कस्बे के लिए दी गई 12.00 लाख रुपए की द्वितीय किश्त इसमें शामिल है।

**वर्ष 1992-93 के दौरान बीड कस्बे के लिए कम लागत की स्वच्छता हेतु दी गई 1.155 लाख रुपए की अन्तिम किश्त इसमे शामिल है।

सौर ऊर्जा उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

3085. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 और 1 जनवरी, 1993 को देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी;

(ख) प्रति मेगावाट औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है; और

(घ) इस समय अधिष्ठापित किए जा रहे ऊर्जा उत्पादन में विदेशी उपकरणों का प्रतिशत कितना है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सौर ऊर्जा के सीधे ही उपयोग के लिए दो माध्यम हैं—सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय रूपांतरण। सौर तापीय माध्यम का इस्तेमाल मुख्यतया जल तापन प्रणालियों, सौर भभकों सौर काष्ठ भट्टियों सौर वायु तापकों और सौर कुकरों आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। यद्यपि इस माध्यम पर आधारित बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है, तथापि 20 कि० वा० और 50 कि० वाट की दो प्रायोगिक विद्युत यूनिटों के अलावा देश में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, जिनमे सीधे ही विद्युत पैदा की जाती है, की स्थापना विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा की जा रही है। देश में ऐसी प्रणालियों की समग्र सस्थापित क्षमता 1 जनवरी, 1992 को लगभग 6 मे० वा० और 1 जनवरी, 1993 को लगभग 7 मे० वा० होने का अनुमान है।

(ख) इस समय ग्रिड से जुड़ी हुई एक सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली की पूंजीगत लागत लगभग 30 करोड़ रुपए प्रति मे० वा० है।

(ग) जी हां।

(घ) देश मे बनाए गए सौर प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों में कुछ आयातित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो औसत का लगभग 40% है।

राजधानी के निर्माण हेतु असम की योजनाएं

3086. **श्री प्रबीन डेका** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम की स्थाई राजधानी के निर्माण हेतु योजना आयोग के पास कुछ योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सितम्बर, 1992 मे मुख्य मन्त्री, असम से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमे यह अनुरोध किया गया था कि असम के लिए एक राजधानी परिसर के निर्माण के लिए आठवी पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए की राशि शामिल की जाए। उन्होंने अनुरोध किया था कि असम की नई राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्ण राशि राज्य की सामान्य योजना स्कीम के बाहर केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप मे केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में मिलनी चाहिए। इस अनुरोध पर गहराई से विचार गया तथा इस उद्देश्य के लिए किसी निधि का प्रावधान उपलब्ध संसाधनों से नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए भूखण्ड

3087. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है वे अपने यहां पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट बना रहे हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पूर्ण किए जाने वाले संभावित फ्लैटों के ब्यौरे तथा उनकी प्रगति विवरण के अनुसार है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

निर्माणाधीन ई० डब्ल्यू० एस० के मकान

(क) 92-93 के दौरान जिनके पूर्ण होने की सम्भावना है।

उत्तरी जोन

1. नरेला में वर्धमान जनता आवास	940
2. अशोक विहार फेस III	36
पूर्वी जोन	
1. खिचड़ी गांव में ई० डब्ल्यू० एस० आवास (हिम्मत पुरी)	272
2. कोंडली घरोली में ई० डब्ल्यू० एस० आवास	232
दक्षिणी पूर्वी जोन	
1. दक्षिणपुरी में ई० डब्ल्यू० एस० आवास	40
2. मधुविहार विहार	7
दक्षिण पश्चिमी जोन	
1. अधचिनी गांव के निकट	120

पश्चिम अंचल

1. नागलोई सैयद में सामुदायिक सेवा कार्मिक फ्लैट	32
2. नसीरपुर गांव पाकेट 10 द्वारका में ई० डब्ल्यू० एस० आवास	224
3. पाकेट 3 में ई० डब्ल्यू० एस० आवास	64
योग :	1967

(ख) 1-4-93 की स्थिति के अनुसार जिनके प्रगति पर चलते रहने की संभावना है ।

पूर्वी जोन

1. कोंडली घरोली	728
कुल योग :	2695

फास्फेटिक उर्वरक को प्रोत्साहन देना

3088. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार शेष पर रुपए के पूर्ण प्रत्यावर्तनीयता के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए फास्फेटिक उर्वरक हेतु उपयुक्त क्षतिपूरक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार डाय-अमोनियम फास्फेट पर उपयुक्त आयात शुल्क लगाने का भी विचार कर रही है; और

(ग) उर्वरकों के आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) घरेलू फास्फेटिक उर्वरक उद्योग को उनकी उत्पादन लागत कम करने योग्य बनाने के लिए, फास्फेटिक एसिड पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है । वर्तमान में फास्फेटिक उद्योग को किसी अन्य राहत का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चूंकि आयात, मांग एवं पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है, अतः आयात को प्रतिबन्धित करने का कोई विचार नहीं है ।

दक्षिण दिल्ली में पानी की कमी

3089. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में रामकृष्णपुरम, श्रीनिवासपुरी जैसी सरकारी कालोनियों में बिना छने पानी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और इसकी कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बिना छने पानी की सप्लाई बढ़ाने हेतु सालों नलकूप लगाने लगाने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) रामकृष्णपुरम, श्रीनिवासपुरी, मोतीबाग आदि कालोनियों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पेयजल सप्लाई करने हेतु कितने नलकूप लगाए गए;

(च) इनमें से कितने नलकूप कार्य कर रहे हैं; और

(छ) बेकार पड़े नलकूपों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुल और उपरिपुलों का निर्माण

3090. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान कितने पुलों और उपरिपुलों का निर्माण शुरू किया गया है;

(ख) बस्ती-वार ये पुल कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या प्रत्येक परियोजना का निर्माण कार्य करने हेतु कोई लक्ष्य रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 28 फरवरी, 1993 की स्थितिनुसार प्रत्येक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(च) क्या सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को वर्ष 1993 के दौरान पूरा करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि गत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा रोड अण्डर ब्रिज की दो परियोजनाएं तथा दो अतिरिक्त आवागमन मार्गों का निर्माण शुरू किया गया है। लोक निर्माण

विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने जानकारी दी है कि गत तीन वर्षों में रेल अण्डर ब्रिज तथा रोड अण्डर ब्रिज एक-एक परियोजना शुरू की गई।

(ख) से (ङ) विवरण के अनुसार।

(च) से (छ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि लक्ष्य/संशोधित लक्ष्य के अनुसार निर्माण कार्य समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए समुचित निगरानी की जा रही है। तथापि, इन पुलों के पूरा होने का कार्य निधियों की सुलभता से जुड़ा है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का स्थल	अभी तक खर्च की गई धनराशि	पूरा करने की लक्ष्य तिथि	28 फरवरी तक प्रत्येक परियोजना में हुई प्रगति
1.	अशोक विहार का वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाला रेल अंडर ब्रिज	200.00 लाख रुपये	18-2-90 संशोधित तारीख 31-3-.994	60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है
2.	रेल अंडर ब्रिज 12 के दोनों तरफ दो अतिरिक्त आवागमन मार्गों का निर्माण	400.00 लाख रुपए	;0-8-1992	रेलवे द्वारा कार्य किया जा रहा है।
3	मधुबन के समीप रेल अण्डर ब्रिज	106.32 लाख रुपए	अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है।	कार्य अभी शुरू किया जाना है।
4.	यमुना बाजार चौराहे के समीप (मकी ब्रिज)	113.69 लाख रुपए	दिसम्बर, 92 संशोधित लक्ष्य तिथि जून, 95	28-2-93 की स्थिति के अनुसार प्रगति 21 प्रतिशत है।
5.	विकास मार्ग पर आई०पी० एस्टेट फ्लाईओवर के नजदीक एक रोड अण्डर ब्रिज	87750/- रुपए	मई, 1996	निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।
6.	विकास मार्ग पर आई० पी० एस्टेट फ्लाईओवर के निकट एक रेल अण्डर ब्रिज	1.98 करोड़ रुपए	मई, 1996	निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

चंडीगढ़ में पार्कों का रख-रखाव

3091. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में पार्कों और अन्य खुले स्थानों के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन पार्कों को लिया गया तथा वहां कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विज्ञान नीतियों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों में जागरूकता

3092. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों में विज्ञान नीति के पहलुओं के सम्बन्ध में भी अच्छी समझ तथा जागरूकता पैदा करने के लिए एक नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि संसद सदस्यों का वैज्ञानिक समस्याओं तथा वैज्ञानिकों के साथ सम्पर्क स्थापित हो सकें ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं के कार्यकरण को समझ सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों के बीच विज्ञान नीति संबंधी मामलों के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रियाविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संसदीय परामर्शदात्री समिति, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी संसदीय समिति, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने हेतु विभागों और स्वायत्त संगठनों की वार्षिक रिपोर्टें, वैज्ञानिक विभागों के बारे में नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे माध्यमों में सरकार द्वारा समर्थित अन्य विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की प्रस्तुति।

किसानों को वैकल्पिक भूखंड

3093. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विकास के लिए सरकार ने आठवें दशक के मध्य में लगभग 11 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से पालम क्षेत्र के किसानों से जमीन खरीदी थी;

(ख) क्या किसानों को वैकल्पिक भूखण्ड दिए जाने सम्बन्धी आबंटन योजना के अन्तर्गत पहले

बैंच को 730 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड दिए गए थे जबकि नए किसानों को 1655 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पालम क्षेत्र के किसान अपनी जमीन के बदलने में पर्याप्त मुआवजा मांग रहे हैं; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की योजना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को देय मुआवजे का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ अधिसूचना तिथि को भूमि की कीमत, भूमि-स्वामियों के द्वारा प्रस्तुत दावों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के अवार्ड द्वारा किया जाता है। भूमि स्वामी अवार्ड किए गए मुआवजे को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अवार्ड के विरुद्ध समुचित न्यायालय में अपील कर सकते हैं। समुचित न्यायालय द्वारा मुआवजे में वृद्धि अनुमत किए जाने पर दावेदारों को देय होती है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि भूमि का अधिग्रहण लगभग 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया था अथवा प्रभावित सभी किसान अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिन मामलों में कानूनन अधिक मुआवजे की अनुमति होती है, उनमें अधिक मुआवजा देय होता है।

(ख) और (ग) जिन लोगों की भूमि बड़े पैमाने पर अधिग्रहण विकास और निपटान योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई तथा जिन्होंने वैकल्पिक भूखण्ड के लिए आवेदन किया है, उन्हें दिल्ली प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक भूखंड आबंटित किए जाते हैं और उनसे समय-समय पर नियत पूर्व घोषित दरों के आधार पर मूल्य लिया जाता है। जिन व्यक्तियों को वैकल्पिक भूखण्ड आबंटित किए गए थे तथा जिन्होंने 1-4-92 से पूर्व भुगतान कर दिया था उन पर उस समय प्रचलित 130/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की पूर्व घोषित दर पर वसूली की गई थी, जबकि 1-4-92 के बाद के अन्य मामलों में उस समय प्रचलित 1650 65/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूली की गई।

विद्युतकरघा क्षेत्र को नुकसान

3094. श्री प्रफुल पटेल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सूरत में दंगों के कारण सरकार और विद्युतकरघा क्षेत्र को उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार और विद्युतकरघा क्षेत्र को अलग-अलग कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इस नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सूरत में हाल ही में हुए उपद्रवों के दौरान अन्य उद्योगों की तरह सूरत में विद्युतकरघा एकक भी प्रभावित हुए थे। तथापि, विद्युतकरघा उद्योग की विकेन्द्रीकृत प्रकृति होने के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए हुए घाटों का सही मूल्यांकन करना कठिन है। गुजरात सरकार ने इन दंगों के दौरान प्रभावित हुए व्यक्तियों को ऋण के ब्याज पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक योजना की घोषणा की है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राधिकार का दुरुपयोग

3095. श्री जीवन शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे नियम हैं जिनके अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों को प्रदत्त प्राधिकारों का दुरुपयोग करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों का दुरुपयोग करने पर उनके खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कारंवाई की जा सकती है।

(ग) ऐसे मामलों में विभिन्न सरकारी स्तरों पर उचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

ग्लूकोज को औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश की सीमा के अन्तर्गत लाना

3096. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार ग्लूकोज के उत्पादन पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ग्लूकोज को औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1987 की सीमा के अन्तर्गत लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा पर एक पृष्ठभूमि नोट जो अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य निर्धारण के पहलुओं

से सम्बन्धित है जिसमें मूल्य नियन्त्रण की सीमा भी सम्मिलित है, विचार-विमर्श के लिए 12-8-1992 को दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया है।

[अनुवाद]

डाक्टरी शिक्षा

3098. श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश :
श्री विजय एन० पाटील :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा डाक्टरी शिक्षा पर गठित उच्च स्तरीय उप समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस समिति ने देश में कोई और चिकित्सा कालिज स्थापित करने की सिफारिश की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निर्धनता उन्मूलक योजनायें

3099. **श्री रवि राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भिन्न-भिन्न राज्यों में सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलक योजनायें कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यों को दी गई सहायता का पृथक-पृथक राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और (2) जवाहर रोजगार योजना हैं। इन दोनों ही कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थी गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन परिवारों को स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। यह निर्धारित किया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल परिवारों में से 50% परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के होने चाहिए। लाभार्थियों के अन्य समूह में छोटे तथा सीमांत किसान, कारीगर और कृषि मजदूर आदि शामिल हैं।

जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को मजदूरी रोजगार दिया जाता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों, मुक्त बन्धुआ मजदूरों, भूमिहीन श्रमिकों और महिलाओं के लिए विशिष्ट सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

ऐसी प्रत्याशा है कि उपरोक्त दोनों गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऊपर बताई गई श्रेणियों में पिछले वर्गों के लोगों की सहायता दी जाती है। तथापि, पिछड़े वर्गों को दी गई सहायता का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं।

प्रति व्यक्ति आय

3 00. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वास्तव में वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी अनुमानित वृद्धि हुई हैं; और

(ग) 1990-91 और 1991-92 के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जनवरी, 1993 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिए गए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) में वास्तविक रूप में पिछले वर्ष की तुलना में 1992-93 के दौरान 2.2% की वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल राज्यों ने अग्रिम अनुमानों का प्रयास किया है। स्थिर (1680-81) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन०एस० डी०सी०) तथा 1990-91 से 1992-93 तक के वर्षों हेतु सभी राज्यों के लिए समान विकास दर विवरण के रूप मे संलग्न है।

विवरण

विवरण : स्थिर (1980-81) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा समान विकास दर

क्रम सं०	राज्य/सं० रा० क्षे०	प्रति व्यक्ति एन०एस०डी०पी०			पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर		
		1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1831	1848		0	.93	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	2377	—		4 07	—	—
3.	असम	1799	1915		14.15	6.45	—
4.	बिहार	1189	1142		12 7	—3.95	—
5.	गोवा	4082	4105		—2.44	.56	—
6.	गुजरात	2613	2526		—.8	—3.33	—
7.	हरियाणा	3449	3456		6.65	.2	—
8.	हिमाचल प्रदेश	2190	—		1.72	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	1662	—		.36	—	—
10.	कर्नाटक	2055	2171	2226	—5.86	5.64	2.53
11.	केरल	1886	—		18.17	—	—

1	2	3	4	5	6	7	.
12.	मध्य प्रदेश	1729	1588		10.71	—8.16	—
13.	महाराष्ट्र	3522	—		3.19	—	—
14.	मणिपुर	1850	2002		5.05	8 22	—
15.	मेघालय	1697	1756		7.68	3.48	3.08
16.	नागालैंड	2388	—		5.8	—	—
17.	उड़ीसा	1615	1652		2.28	—	—
18.	पंजाब	3744	3864	3932	3.2	3.21	1.76
19.	राजस्थान	1898	1717	1886	13.11	—9.54	9.84
20.	सिक्किम	—	—		—	—	—
21.	तमिलनाडु	1965	—		—1.5	—	—
22.	त्रिपुरा	—	—		—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	1628	1606		3.83	—1.35	—
24.	प० बंगाल	1929	—		1.96		—
25.	अ० व० नि० द्वीपसमूह	2295	—		—15.35	—	—
26.	दिल्ली	—	—		—	—	—
27.	पांडिचेरी	3314	3272		2.76	—1.27	—

—: सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्रोत : सम्बन्धित राज्य सरकारों के आर्थिक सांख्यिकीय निदेशालय।

टिप्पणी 1 : प्रमुख स्रोत सामग्री में अन्तर के कारण विभिन्न राज्यों/सं० रा० क्षेत्रों के लिए पर्णरूप से तुलनीय नहीं है।

टिप्पणी 2 : मिजोरम राज्य इन अनुमानों को केवल वर्तमान कीमतों पर तैयार करता है।

टिप्पणी 3 : चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व द्वीप तथा लक्षद्वीप इन अनुमानों को तैयार नहीं करते हैं।

अनिवासी भारतीयों से प्रस्ताव

3101. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 1993 तक स्वीकृति सम्बन्धी विशेष समिति ने अनिवासी भारतीयों के कितने प्रस्तावों पर विचार किया और कितने स्वीकृत किए और प्रत्येक प्रस्ताव में क्षेत्रवार कितना-कितना पूंजी निवेश किया जाएगा;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गये और प्रत्येक प्रस्ताव पर कितना पूंजी निवेश किया जाएगा;

(ग) अनिवासी भारतीयों ने पूंजी निवेश करने हेतु किन क्षेत्रों तथा राज्यों में रुचि दिखाई है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान पूंजी निवेश करने हेतु अनिवासी भारतीयों की अग्रिम प्रतिक्रिया क्या है और इन्हें पूंजी निवेश करने हेतु आकर्षित करने की क्या नीति है और प्रोत्साहन का क्या पैकेज दिया गया है/देने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान और जनवरी, 1993 तक सरकार ने इन्जीनियरी आटोमोबील, रसायन, इलैक्ट्रोनिक्स आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग लगाने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिनमें 4946.3 मिलियन रुपए का कुल अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है जबकि 1991 के दौरान अनुमोदित कुल अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश 197 मिलियन रु० था।

(ग) और (घ) आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के कारण देश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों की कुल प्रतिक्रिया कुल मिलाकर उत्साहवर्धक रही है। अनिवासी भारतीयों/विदेशों से और अधिक पूंजीनिवेश आकृष्ट करने के लिए उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों में लाभांश के भुगतान को निर्यात आय से संतुलित करने की शर्त समाप्त कर दी गयी है। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के समान निर्यात/व्यापार/स्टार ट्रेडिंग हाउसिज में पूरी तरह स्वदेश भेजने के आधार पर 100% एन० आर० आई० निवेश की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। हाल में सरकार ने कुछ शर्तों पर अनिवासी भारतीयों को स्वदेश प्रत्यावर्तन के आधार पर गृह निर्माण तथा अचल सम्पत्ति में 100% तक विदेशी इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दे दी है।

पेंशन हेतु युद्धकालीन सेवा को सिविल सेवा के साथ जोड़ना

3102. **श्री अन्ना जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेंशन की गणना हेतु युद्ध सेवा काल को सिविल सेवा काल के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क), से (ग) पेंशन की गणना हेतु युद्ध सेवा काल की अवधि को सिविल सेवाकाल के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में हाल ही में सरकार को सामान्य अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। पेंशन की गणना के लिए युद्ध सेवा काल को निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सिविल सेवा की अवधि के साथ जोड़ने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में उपलब्ध विद्यमान है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार

3104. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग गांवों में विभिन्न छोटे तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित करके ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कुल कितने युवकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वर्ष 1992-93 के दौरान कितनों को प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस अवधि के दौरान इनमें से रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवकों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण कामगारों को प्रदान किया गया रोजगागार इस प्रकार था :—

(व्यक्तियों की संख्या लाख में)

वर्ष	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1990-91	14.15	34 42	48.57
1991-92	14 20	35.96	50.16
1992-93 (संशोधित अनुमान)	14.50	36.55	51.05

खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के अधीन प्रदान किए गए कुल रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का भाग 15 लाख से अधिक था जो लगभग 30% है।

फास्ट फूड केन्द्रों के लिए विदेशी निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों की स्वीकृति

3105 प्रो० रीता वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फास्ट फूड केन्द्रों की श्रृंखला में विदेशी निवेश सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों को स्वीकृत दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। यू० एस० ए० की मैं० मेक्डॉनाल्ड्स कारपोरेशन को मेक्डानाल्ड के रेस्त्रां स्थापित करने के लिए भारत में एक सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी स्थापित करने हेतु 15 फरवरी, 1993 को अनुमोदन किया गया है। ये रेस्त्रां मुख्यतः निम्नलिखित के माध्यम से विकसित और संचालित होंगे :—

1. मेक्डॉनाल्ड को नियन्त्रित कम्पनी और भारतीय पार्टनरों के बीच संयुक्त उद्यम;

2. भारतीय लाइसेन्सधारियों; और

3. कुछ सीमित संख्या में रेस्त्रां सहायक कम्पनी द्वारा सीधे चलाये जाएंगे।

इस प्रस्ताव में भारतीय सहायक कम्पनी में 1,00,000 अमरीकी डॉलर इक्विटी पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है जिसे पहले सात वर्षों के दौरान बढ़ाकर 20 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष

3106. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से अलग कुछ धन की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो बिहार को अब तक कितना धन दिया गया है;

(ग) क्या इस धन का वास्तव में उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) रोजगार सृजन निधि (ई० जी० एफ०), जो राष्ट्रीय नवीकरण निधि

का एक हिस्सा है, का उद्देश्य सगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यकलापों के लिए धन उपलब्ध कराना है। रोजगार सृजन निधि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू होगी। तथापि, इस शीर्ष के अधीन न तो वित्तीय वर्ष 1992-93 में और न ही वर्ष 1993-94 के बजट अनुमानों में कोई राशि निर्धारित की गई थी।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

3107. **श्री भास्कर फर्नाण्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत और नीदरलैंड की सहायता से जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) उक्त योजना के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या जल की गुणवत्ता पर निगरानी करने का भी प्रावधान किया गया है; और

(घ) राज्यवार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात 1992-93 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है :

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	जिला/क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	1. नालगोंडा
		2. कुडप्पा
		3. श्रीकाकुलम
2.	दमन और द्वीव	1. दमन
		2. द्वीव

1992-93 के दौरान नीदरलैंड की सहायता से देश में कोई जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) 1992-93 के दौरान नालगोंडा, कुडप्पा तथा श्रीकाकुलम जिलों में प्रयोगशालाओं के लिये आंध्र प्रदेश को 5,59,500/- रुपये की राशि रिलीज की गई है। 1992-93 के दौरान दमन और द्वीव के केन्द्र शासित क्षेत्र को भी 4,48,000/- रुपये रिलीज किये गये थे।

(ग) जी, हां।

(ख) जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्यवार अग्रिम आबटन नहीं किया जाता है। अनुमोदित विशिष्ट प्रस्ताव और प्रगति तथा खर्च के चरणवार आधार पर सहायता रिलीज की जाती है।

हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड

3 08. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री हाराधन राय :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड के लिए आमूल चूक परिवर्तन योजना कार्यक्रमानुसार चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड के किसी आमूल चूक परिवर्तन का भी सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उत्पादों के तेजी से अप्रचलन की चुनौती का सामना करने के लिए, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने उत्पाद के पुनः परिवर्तन की कुछ योजनाओं को पहले ही शुरू कर दिया है जो संतोषजनक रूप से चल रही हैं। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कुछ नई परियोजनाओं को शुरू करके, अपने उत्पादों के विविधकरण का विचार कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने आवश्यक सुधारों को कार्यान्वित करने से पूर्व हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के लिए पुनर्संरचना और कार्पोरेट अध्ययन करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक लेखन

3109. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक लेखक संघ के प्रथम सम्मेलन में वैज्ञानिक लेखन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रगराजन कुमारमंगलम) : (क) समाचार पत्रों में छपी सूचना के अनुसार 12-13 फरवरी, 1993 को हुए भारतीय वैज्ञानिक लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया वे हैं : विज्ञान संचारकों को वैज्ञानिक सूचना की सुलभता, निजी क्षेत्र द्वारा विज्ञान लोकप्रियकरण, विज्ञान डिग्री पाठयक्रमों में विज्ञान संचार पर एक विशेष पत्र आरम्भ करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मामलों पर समाचार पत्रों/संसद द्वारा 15 प्रतिशत अपना समय/स्थान देना और विज्ञान संचार नीति को तैयार करना।

(ख) भारत सरकार का पहले से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नामक एक निकाय है। इसका सचिवालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में है जो इन मुद्दों से अवगत है और अनेक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के जरिये उन मुद्दों और उनमें सम्बन्धित समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में प्रयासरत है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद को कहा गया है कि सम्मेलन में उठाए गये मुद्दों की विशेष रूप से जांच करे और भारतीय विज्ञान लेखक संघ से विचार-विमर्श के बाद यदि आवश्यक हो तो इन समस्याओं के समाधान की दिशा में उचित कदम उठाये।

[अनुवाद]

परिक्रमा रेलवे

3110. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयपुर और बंगलौर शहर में परिक्रमा रेलवे के निर्माण हेतु धन-राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं, जयपुर बंगलौर शहर में परिक्रमा रेलवे के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार ने कोई निधियां स्वीकृत नहीं की हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूरिया संयन्त्र

3111. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री एन० के० बालियान :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माणाधीन तीन यूरिया संयन्त्र अपना उत्पादन कब से शुरू कर देंगे;

(ख) इन संयन्त्रों में से प्रत्येक संयन्त्र की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) उनके चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इनके आयात में कमी लाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) और (ख) एच० बी० जे० पाइप लाइन पर कार्यान्वयनाधीन तीन यूरिया संयन्त्रों की उत्पादन क्षमता और आरम्भण की अनुमानित तिथि नीचे दी गयी है :—

स्थान	यूरिया उत्पादन की वार्षिक क्षमता (लाख टन में)	आरम्भण की अनुमानित तिथि
गडेपन	7.42	1993 के अन्त तक
बबराला	7.42	1994-95 के दौरान
शाहजहांपुर	7.26	1994-95 के दौरान

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं में मुख्यत. नीचे दिये गये कारणों की वजह से विलम्ब हुआ है :

गडेपन : मूल स्थान अर्थात् स्वाई माधोपुर को पर्यावरण की दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं पाया गया और इसलिए एक नये स्थान की तलाश करनी पड़ी।

बबराला : प्रवर्तक पहले उत्पाद्य नमूनों के बारे में और बाद में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सामूहिक सत्ता के बारे में अनिर्णय की स्थिति में थे।

शाहजहांपुर : पहले प्रवर्तक ने परियोजना कार्यान्वयन में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई और इसलिए नये प्रवर्तक का चयन करना पड़ा, जिसमें समय लगा।

(घ) एवं (ङ) निजी क्षेत्र की उपरोक्त तीन परियोजनाओं के अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० और इफको भी क्रमशः विजयपुर और आंवला की अपनी गैस पर आधारित संयन्त्रों की चालू क्षमता को दुगनी करने की अपेक्षा करा रहे हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन (आन्ध्र प्रदेश) में मध्यम आकार के अमोनिया/यूरिया संयन्त्र के लिए गैस की उपलब्धता को भी सूचित किया गया है।

इफको उर्वरक कारखाना आंवला की क्षमता

3112. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इफको उर्वरक कारखाना, आंवला की विद्यमान क्षमता में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड को भेजा गया है; और

(ग) यदि हां तो उपर्युक्त प्रस्ताव कब से विचाराधीन है तथा इसे स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इफको का प्रस्ताव उनके आंवला संयन्त्र की वर्तमान क्षमता को 7.26 टन प्रति वर्ष यूरिया तक बढ़ाने का है।

(ख) आंवला के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रथम मंजूरी 13 जनवरी, 1992 को दी गयी थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 अक्तूबर, 1992 को प्राप्त हुई थी। ऐसी वृहत परियोजना की मंजूरी में अपरिहार्यता समय लगता है क्योंकि कई विभागों/अभिकरणों को विभिन्न पहलुओं से परियोजना का मूल्यांकन करना पड़ता है।

[अनुवाद]

भारतीय विवाह विच्छेद, अधिनियम

3113. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ईसाई संगठन भारतीय विवाह विच्छेद, अधिनियम, 1869 के निरसन पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस अधिनियम का निरसन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस चरण में है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) यह सत्य है कि कुछ क्रिश्चियन सगठनों ने भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का अधिनियम सं० 4) के निरसन की मांग की है। क्रिश्चियन समुदाय के विचारों का पता लगाने के बाद ही सरकार के लिए अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर विनिश्चय करना संभव होगा, क्योंकि सरकार की यह नीति है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित स्वीय विधि में कोई संशोधन तभी किया जाए जब सम्बन्धित समुदाय उसके लिए सहमत हो और इसके लिए समुदाय में व्यापक सहमति हो।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में रिक्त पड़े आरक्षित पद

3114. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में जनवरी, 1993 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणीवार कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० पिछली बकाया रिक्तियों को जनवरी, 1993 तक विवरण मे दिया जाता है।

(ख) और (ग) आई०डी०पी०एल० एक रुग्ण कम्पनी है, जिसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को भेजा गया है। रुग्णता का एक प्रमुख कारण आवश्यकता से अधिक जनशक्ति का होना है। कम्पनी के अन्दर ही अ०जा०/अ०ज०जा० के योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों का पर्याप्त संख्या में न उपलब्ध होने से पिछली बकाया रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। पहले से अधिक जन-शक्ति के होने के कारण यह कम्पनी बाहर से भर्ती नहीं कर रही है। 1990 और 1991 में इस कम्पनी ने विशेष भर्ती अभियान चलाया था। इसके परिणामस्वरूप, अ०जा०/अ०ज०जा० से सबंधित 18 उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकी। गम्भीर रुग्णता और बहुत अधिक जनशक्ति को महेनजर रखते हुए इस समय कम्पनी का नया विशेष भर्ती अभियान चलाने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

विवरण

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व में कमी को दर्शाता हुआ विवरण (जनवरी, 1992 तक)

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
(क)	26	18	44
(ख)	37	22	59
(ग)	86	117	203
(घ)	15	47	62
कुल :	164	204	368

[हिन्दी]

बिहार में पटसन का उत्पादन

3115. श्री लाल बाबू राय :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में गत दो वर्षों के दौरान पटसन का कुल कितना उत्पादन हुआ है इसमें से सरकार ने कुल कितना पटसन खरीदा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में

कच्चे पटसन का अनुमानित उत्पादन तथा भारतीय पटसन निगम सहित उसकी एजेंसियों द्वारा उसकी खरीद के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(लाख गांठों में)

वर्ष	उत्पादन (अनुमानित)	खरीद (भारतीय पटसन निगम तथा एजेंटों द्वारा)
1991-92	11.50	1.60
1992-93	7.70	0.80

हल्दिया उर्वरक एकक को गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचना

3116. श्रीमती सरोज दुबे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया उर्वरक संयंत्र को एक गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संयंत्र के लगाए जाने के समय से सरकार ने अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी, 1993 तक, हल्दिया उर्वरक परियोजना पर लगभग 700.00 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप का भूमि बन्दोबस्त और भूमि अभिलेख तैयार करना

3117. श्री अमर रायप्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में द्वीपसमूह (द्वीप-वार) का भूमि बंदोबस्त तथा भूमि अभिलेख अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना लक्षद्वीप प्रशासन से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग

3118. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में और अधिक लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(घ) राज्य में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्य उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार में स्थाई आधार पर क्रमशः 30246 व 33046 (अनन्तिम) लघु उद्योग एकको का पंजीकरण किया गया था। इन पंजीकृत एककों का स्थान वार (जिला-वार) ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र मे लघु उद्योग एकक उद्यमियों द्वारा स्वयं जुटाए गए वित्त की सहायता से स्थापित किए जाते हैं। लघु उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं—उत्पाद शुल्क सम्बन्धी लाभ, केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु मदों के आरक्षण के जरिए विपणन सहायता, लघु उद्योग एकको से खरीद हेतु मदों का आरक्षण, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद आधार पर मशीनरी की आपूर्ति, तकनीकी/प्रबन्धकीय/आर्थिक परामर्शदायी सेवाओं का प्रावधान, औद्योगिक स्थान का प्रावधान, जांच सुविधाएं और सामान्य सुविधा सेवाएं।

(घ) लघु अतिलघु तथा ग्राम्य उद्योगों को बढ़ावा देने और दृढ़ता प्रदान करने के लिए संसद में 6-8-91 को रखे गए नीति सम्बन्धी उपायों का प्राथमिक उद्देश्य लघु क्षेत्र को और जीव्यता तथा विकास संवेग प्रदान करना है ताकि यह उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में अपना सम्पूर्ण योगदान कर सके।

विवरण

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए लघु उद्योगों की संख्या संबंधी विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	वर्ष के दौरान स्थापित किए गए लघु उद्योगों की संख्या 1990-91	1991-92
1	2	3	4
1.	हरिद्वार	314	337
2.	सहारनपुर	700	745
3.	मुजफ्फर नगर	965	1129
4.	मेरठ	1235	1488
5.	गाजियाबाद	980	1224
6.	बुलन्दशहर	908	1118
7.	आगरा	598	733
8.	अलीगढ़	694	684
9.	मथुरा	528	553
10.	मैनपुरी	260	248
11.	एटा	383	369
12.	फिरोजाबाद	334	477
13.	बरेली	719	805
14.	बदायूं	579	629
15.	पीलीभीत	442	484
16.	शाहजहांपुर	594	616
17.	मुरादाबाद	884	969
18.	रामपुर	457	498

1 2	3	4
19. बिजनौर	460	504
20. झांसी	552	555
21. ललितपुर	377	372
22. जालौन	365	370
23. बांदा	301	311
24. हमीरपुर	288	327
25. लखनऊ	775	830
26. रायबरेली	418	445
27. लखीमपुर	293	334
28. सितापुर	389	337
29. उन्नाव	577	613
30. हरदोई	433	472
31. इलाहाबाद	915	981
32. फतेपुर	471	514
33. प्रतापगढ़	314	302
34. कानपुर शहर	500	568
35. कानपुर देहात	532	510
36. इटावा	454	497
37. फर्रूखाबाद	459	511
38. वाराणसी	985	997
39. मिरजापुर	292	483
40. सोनभद्र	253	304
41. जौनपुर	377	378
42. गाजीपुर	465	446
43. बलिया	450	415

1 2	3	4
44. गोरखपुर	350	450
45. बस्ती	250	280
46. देवरिया	415	416
47. आजमगढ़	281	311
48. सिधार नगर	218	219
49. मऊ	162	166
50. महागंज	200	221
51. बहराइच	316	362
52. गोंडा	341	365
53. फैजाबाद	585	655
54. बाराबंकी	476	543
55. सुलतानपुर	470	489
56. देहरादून	483	489
57. पौढ़ी	228	254
58. टिहरी गढ़वाल	219	237
59. चमोली	225	218
60. उत्तर काशी	226	191
61. नैनीताल	565	694
62. अल्मोड़ा	428	355
63. पिथौरागढ़	378	281
64. नोएडा	261	268
योग :	30246	33046

[अनुवाद]

छोटे एककों की स्थापना के लिए युवाओं को प्रशिक्षण

3119. डा० परशुराम गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एकक स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु गैर-सरकारी तथा स्वयंसेवी एजेंसियों का इसमें सहयोग लेने हेतु कोई नीति/कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो नीति/कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति/कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) लघु, अति लघु ग्रामोद्योगों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 6-8-91 की घोषित नीतिगत उपायों के अनुसार, सरकार प्रशिक्षण के माध्यम से प्रथम सीढ़ी के उद्यमियों की सहायता करती रहेगी और उनके प्रयासों में मदद करेगी। इस कार्य में भाग लेने के लिए उद्योग संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ग) घोषित नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित ई० डी० पी० संस्थानों को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है ताकि वे लघु (उद्योग से सम्बन्धित) सेवा/व्यवसाय उद्यमों के वर्ग में उद्योग निदेशालय में पंजीकरण करा सकें। वे लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध लाभ तब पाने के हकदार होंगे जब तक कि भूमि तथा भवन को छोड़कर अचल परिसम्पत्तियों में उनका पूंजी निवेश 5.00 लाख रु० से अधिक न हो जाए। यह निर्णय सभी राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए सूचित कर दिया गया है ।

विदेशी सहयोग से लघु/मध्यम उद्योग स्थापित करना

3120. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आर्थिक नीति की घोषणा करने के पश्चात केन्द्र सरकार ने देश में बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए कुछ अन्य देशों के साथ समर्थित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कुल कितना विदेशी पूंजी निवेश किए जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी/वित्तीय सहयोग समझौतों पर सामान्यत: उद्योग स्तर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। तथापि, अगस्त 91 से जनवरी 93 की अवधि के दौरान कुल 2237 विदेशी सहयोग समझौतों (तकनीकी तथा वित्तीय) का अनुमोदन किया गया है जिनमें 5110 करोड़ रु० की पूंजी-निवेश अन्तर्ग्रस्त है ।

कपास का उत्पादन और बिक्री

3121. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान आंध्र प्रदेश में कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) किसानों द्वारा कितनी मात्रा में कपास बेचा जाता है; और

(ग) क्या भारतीय कपास निगम का विचार किसानों की सहायता के लिए आंध्र प्रदेश में कपास खरीदने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1992-93 के कपास मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन 16 से 17 लाख गांठ तक के बीच होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 11 मार्च, 1993 तक आंध्र प्रदेश के बाजार में कपास की 12.25 लाख गांठों की आवक रही है। भारतीय कपास निगम ने अब तक लगभग 1 लाख गांठों की खरीद की है तथा खरीद का कार्य जारी है।

पश्चिम बंगाल की विकास योजनाएं

3122. **श्री हाराधन राय** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के लिए नई विकास योजनाएं बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) इस पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

(घ) राज्य की विकास स्कीमें राज्यों द्वारा तैयार की जाती हैं।

केरल में हथकरघा क्षेत्र के लिए विपणन सुविधाएं

3123. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हथकरघा क्षेत्र को किसी विपणन समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र की सहायता करने तथा विपणन समस्याओं का समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, हां । केरल सरकार ने सूचित किया है कि निवेश के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हथकरघा मदों के उत्पादन मूल्यों में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप पावरलूम और मिल क्षेत्र द्वारा बनाई गई वस्त्र मदों में प्रतिस्पर्धा लेनी पड़ रही है ।

(ग) सातवीं योजना के दौरान लागू की गई चालू प्लान योजनाओं में आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन किया गया है तथा आठवी योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए कई नई योजनाओ जैसे—निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, समूह बीमा याजना और नई प्रोजैक्ट पैकेज योजनाए अनुमोदित की गई हैं ।

विपणन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार हथकरघा अभिकरणों को विपणन विकास सहायता देती है । हथकरघा मदों के विपणन में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष महानगरों में राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो आयोजित किए जाते हैं । सरकार ने राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह योजना भी लागू की है जिसके तीन मुख्य घटक हैं अर्थात परम्परागत और समकालीन डिजाइन का प्रलेखन और वाणिज्यिकी-करण तथा उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री का आयोजन । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने 4 विपणन काम्पलैक्स स्थापित किए हैं जिसमें केरल में कोचीन और क्यूलोन में स्थापित दो काम्पलैक्स शामिल हैं ।

सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद

3124. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में बालानगर स्थित सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ टूल डिजाइन को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष इस संस्थान को कितनी अनुदान-सहायता दी गई; और

(घ) चालू वर्ष में इसमें भारी कटौती के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक संस्था को दिए गए अनुदान नीचे दिए गए हैं :—

(रु० लाख में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
अनुदान (योजनागत)	41.43	65.00	75.00	शून्य
अनुदान (योजनेत्तर)	60.00	62.00	55.00	30.00*

*30.00 लाख रु० का अतिरिक्त अनुदान, विचाराधीन है ।

(घ) (1) अनुमानित खर्च-राजस्व अंतराल 30.00 लाख रु० है इसलिए योजनेत्तर अनुदानों को उक्त सीमा तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।

(2) योजना अनुदान आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना के अनुसार दिया जाता है और इसलिए प्रत्येक वर्ष अलग-अलग होता है।

औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास

3125. **श्री रवि राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र को अपने वार्षिक कारोबार का एक प्रतिशत प्रौद्योगिकियों के विकास में लगाने को कहा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के प्रति उद्योग की सहमति प्राप्त करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासभा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) प्रौद्योगिकी विकास के लिए वार्षिक टर्न-ओवर के आधार पर उद्योग का योगदान बढ़ाने हेतु प्रारूप प्रौद्योगिकी नीति विवरण (ड्राफ्ट टैक्नोलाजी पालिसी स्टेटमेन्ट) से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और अन्य उपायों का पता चलता है। प्रारूप विवरण सार्वजनिक चर्चा और अभिव्यक्तियों के लिए खुला रखा गया है। उद्योग सहित अन्य सभी लोगों से प्राप्त टीका-टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर ऊपर निर्दिष्ट उपायों के विवरण तैयार किये जायेंगे।

ग्रामीण विकास के अध्ययन हेतु संगठन

3126. **डा० के० डी० जेस्वानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के अध्ययन के लिए कोई संगठन बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कार्य क्या-क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ग्रामीण विकास अध्ययन आयोजित करता है और उन्हें बढ़ा देता है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(क) ग्रामीण विकास अध्ययनों को बढ़ावा देना;

(ख) प्रशिक्षण, अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलन तथा संगोष्ठियां आयोजित करना;

(ग) अनुसंधान कार्य करना;

(घ) कार्रवाई हेतु क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विशेष समस्याओं का विश्लेषण करना;

(ङ) भारत और विदेश में अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना; और

(च) प्रकाशन निकालना।

[अनुवाद]

चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड

3127. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यमों के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) इन नियुक्तियों में सरकारी उद्यम चयन बोर्ड क्या भूमिका निभाता है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार उद्यमों में कुछ नियुक्तियां चयन बोर्ड से सलाह किए बिना ही की गई थी;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसी कितनी नियुक्तियां की गयी थीं; और

(ङ) ऐसी नियुक्ति के प्रत्येक मामले के पीछे क्या कारण थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्तर-I (अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा स्तर-II) कार्यात्मक निदेशकों के पदों पर सर्वो म उम्मीदवारों की निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्तियां करना सरकार की नीति है। अपनायी गई नीति के तहत जब तक कि उद्यमों से बाहर की सर्वोत्तम उम्मीदवार उपलब्ध न हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्त आंतरिक उम्मीदवारों को ही बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए तरजीह दी जाती है। यदि आंतरिक उम्मीदवार उपलब्ध नही होते हैं तो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है। विशेष मामलों में, सरकार के अधीन संगठित सेवाओं से भर्ती की जा सकती है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर चयन ऐसे पदों की कार्य विशिष्टियों तथा अपेक्षताओं के आधार पर किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवारों

के विचारण के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड, पात्रता मानदण्ड, आयु, वेतनमान, अर्हताएं तथा अनुभव भी शामिल हैं।

(ख) सरकारी उद्यम चयन बोर्ड को, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों के पदों पर नियुक्तियों के सिफारिश करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सरकारी उद्यम चयन बोर्ड केवल साक्षात्कार बोर्ड ही नहीं है बल्कि यह ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की खोज तथा पहचान के लिए जिन्हें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्त किया जा सके, खोज समिति के रूप में भी काम करता है।

(ग) से (ङ) आमतौर पर बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्तियां सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जाती है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 में सक्षम प्राधिकारी ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के बिना 14 मामलों में नियुक्तियां कीं।

[अनुवाद]

सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात

3128. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के कपड़ा निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान परियोजनाओं के निर्यात का लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है।

(ग) सरकार ने देश से परिधान के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जोकि आन्ध्र प्रदेश से होने वाले निर्यातों पर भी लागू होते हैं।

[हिन्दी]

सिले सिलाए वस्त्रों के लघु एककों में पूंजी निवेश

3129. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिले सिलाए वस्त्रों का उत्पादन करने वाले लघु एककों में पूंजी निवेश की सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी; और

(घ) मिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये अन्य विभिन्न उदार कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) ऐसा प्रस्ताव है कि निर्यातोन्मुख लघु क्षेत्र के परिधान विनिर्माता एककों के सम्बन्ध से संयंत्रों और मशीनों में स्वीकार्य निवेश की सीमा 75 लाख रु० के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर 300 लाख रु० कर दी जाए बशर्ते कि एकक 50 प्रतिशत का निर्यात दायित्व ग्रहण करें।

(ग) औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग विभाग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग, उद्योग मंत्रालय के परामर्श से अधिसूचना जारी करने का सक्षम अधिकरण है।

(घ) सरकार ने परिधानों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की स्वीकृति प्रदान करना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कच्चा माल उपलब्ध कराना, विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि।

[अनुवाद]

अहमदाबाद में बंद रुग्ण कपड़ा मिलें

3130. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में कितनी कपड़ा मिलें कब से बन्द पड़ी हैं;

(ख) इनमें से कितनी कपड़ा मिलों को रुग्ण मिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) इन मिलों के बन्द होने से कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं; और

(घ) कितनी बन्द पड़ी वस्त्र मिलों को पुनः चालू करने पर विचार किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) अहमदाबाद में बन्द पड़ी 25 मिलों में से 12 मिलें 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत थीं।

(ग) वस्त्र मिलों के बन्द होने के कारण प्रभावित हुए कामगारों की संख्या 53732 है।

(घ) रुग्ण/बन्द वस्त्र मिलों के पुनर्स्थापन पैकेज बनाने तथा प्रबन्धन के लिए सरकार ने नोडिए अभिकरण/बी० आई० एफ० आर० का गठन किया है।

विवरण

31-1-93 की स्थिति अनुसार अहमदाबाद में 25 मिलें बन्द पड़ी हुई थीं। बन्द पड़ी मिलों के नाम और प्रत्येक मिल के बन्द होने की तारीख नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख
1	2	3
1.	फाइन निटिंग कं० लि०	10-07-70
2.	अहमदाबाद जुबली मिल्स लि० (अहमदाबाद मन० कालिको कं० लि० नं० 2)	10-03-87
3.	ओमेक्स इन्वेस्टर्स लि०	01-08-86
4.	अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स कं० लि०	19-03-87
5.	अजीत मिल्स लि०	21-11-87
6.	दि अरुणा मिल्स लि०	28-11-91
7.	अरोदया स्पिनिंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०	24-07-87
8.	अरोदया स्पि० एण्ड वी० कं० लि०	10-11-86
9.	प्रसाद मिल्स लि०	20-11-76
10.	भारत सूर्योदया मिल्स लि०	28-10-86
11.	कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स कं० लि०	26-10-85
12.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि० नं० 1	10-08-86
13.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि० नं० 2	01-09-86
14.	श्री बंशीधर स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०	16-09-85
15.	कान्टीनेन्टल टैक्सटाइल मिल्स लि०	02-02-92
16.	दि नूतन मिल्स लि०	20-01-92
17.	श्री अम्बिका मिल्स लि० नं० 1	20-09-91
18.	श्री विवेकानन्द मिल्स लि०	20-02-88
19.	विजय मिल्स कं० लि०	22-01-88

1	2	3
20.	श्री अमरता मिल्स लि०	03-11-90
21.	भालाकिया मिल्स कं० लि०	12-03-82
22.	तरुण कमर्शियल मिल्स लि०	07-03-84
23.	मानकचोक एण्ड अहमदाबाद मैन्यु० कं० लि०	14-12-76
24.	मार्सडन स्पि० एण्ड मैन्यु० कं० लि०	10-01-82
25.	अभय मिल्स लि० (न्यू असरवा मिल्स)	01-04-84

[हिन्दी]

कताई मिलों की स्थापना करना

3131. **श्रीमती केशरबाई सोनाजी क्षीरसागर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास का उत्पादन करने वाले अविकसित क्षेत्रों में कताई मिलों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार का कपास उपजाने वाले अर्ध-विकसित क्षेत्रों में कोई कताई मिल स्थापित करने का स्वत: कोई प्रस्ताव नहीं करती है। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में 40 सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। इसके प्रायोगिक राज्य-वार ब्योरे निम्न प्रकार हैं :—

आन्ध्र प्रदेश-4, महाराष्ट्र-8, हरियाणा-2, राजस्थान-2, कर्नाटक-4, तमिलनाडु-2, उत्तर प्रदेश-2, केरल-2, असम-2, उड़ीसा-2, बिहार-1, त्रिपुरा-1, मध्य प्रदेश-4, पंजाब-2, प० बंगाल-2।

गरीबी को मूलभूत शहरी सेवाओं (यू०बी०एस०पी०) के अन्तर्गत शहरों का विकास

3132. **श्री खेलन राम जांगड़े** :
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :
श्री श्रीकांत जेना :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी को मूलभूत शहरी सेवाओं के अन्तर्गत रखे गए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के शहरों के नाम क्या हैं तथा वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं (यू. बी. एस. पी) की योजना मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के निम्नलिखित शहरों में कार्यान्वित की जा रही है :—

मध्य प्रदेश

1. भोपाल 2. बेरसिया 3. जबलपुर 4. काठी 5. रायगढ़ 6. खरसिया 7. राजनन्दगांव 8. मन्दसौर 9. खण्डवा 10. बुरहानपुर

तमिलनाडु

1. तिरूप्पुर 2. मुट्टुपल्लयम 3. विलुपुरम 4. चिदाम्बरम 5. केनि अखिलनगरम 6. बोदिनया कनूर 7. दिन्दिगुल 8. पलानी 9. कुम्बाकुनम 10. तन्जावूर 11. मइलाडुतूरा 12. नागापट्टिनम 13. विरधूनगर 14. राजापलायम 15. शिवकाशी 16. कोयम्बटूर

उड़ीसा

1. केन्द्रपाड़ा 2. जाजपुर 3. तलचेर 4. छत्रपुर 5. बारिपाड़ा 6. कोरापुट 7. जगत सिंगपुर 8. बालासोर 9. भोजानगर 10. फूलबनी

वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के लिए यू. बी. एस. पी. स्कीम के लिए उपर्युक्त राज्यों को आबंटित केन्द्रीय निधियां इस प्रकार हैं :—

राज्य	वर्ष		
	1990-91	1991-92	1992-93
		(रुपये लाखों में)	
मध्य प्रदेश	164.20	143.80	82.75
तमिलनाडु	235.90	200.00	118.00
उड़ीसा	45.60	47.80	23.30

परमाणु ऊर्जा संयत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

3133. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने प्रतिवर्ष अलग-अलग कितना विद्युत उत्पादन किया है और प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने में कितनी लागत आई है;

(ख) परमाणु, जल, गैस व कोयले पर आधारित विद्युत संयत्रों के अन्तर्गत प्रति किलोवाट घण्टे (के०डब्ल्यू०एच०) विद्युत पर कितनी तुलनात्मक औसत उत्पादन लागत आती है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों में पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान बिजली का मिलियन यूनिटों में व्यक्त सकल उत्पादन निम्नानुसार है :—

वर्ष	मिलियन यूनिट उत्पादन
1990	:979
1991	5443
1992	6328

वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु विद्युत संयंत्रों की पूंजीगत लागत निम्नानुसार है :

परियोजना	परियोजना लागत (करोड़ रुपए)
तारापुर परमाणु बिजलीघर यूनिट 1 तथा 2	92.99@
राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट 1	73.27
राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट 2	102.54
मद्रास परमाणु बिजलीघर यूनिट 1	118.83
मद्रास परमाणु बिजलीघर यूनिट 2	127.04
नरोरा परमाणु बिजलीघर यूनिट 1 तथा 2	945.00*
	+100.00 आई०डी०सी०

@इसमें प्रारम्भिक ईंधन प्रभार शामिल है

*अनुमोदनाधीन अनुमानित लागत

+आई०डी०सी०—निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज

(ख) वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों में होने वाले विद्युत उत्पादन पर

अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार लगा शुल्क निम्नानुसार है :—

तारापुर परमाणु बिजलीघर	55.32 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा
राजस्थान परमाणु बिजलीघर	59.71 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा
मद्रास परमाणु बिजलीघर	75.04 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा
नरोरा परमाणु बिजलीघर	140 96 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा

उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य विद्युत बोर्डों के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखों के आधार पर, ताप, पन और गैस को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले बिजलीघरों में उत्पादित प्रति यूनिट बिजली की औसत लागत निम्नानुसार थी :

ताप	—	76.31 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा
पन	—	14.10 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा
गैस	—	70.43 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 1 (निकट भविष्य में वाणिज्यिक होने की आशा है)	(1 × 220 मेगावाट)
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 2	(1 × 220 मेगावाट)
कैगा परियोजना यूनिट 1 तथा 2	(2 × 220 मेगावाट)
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4	(2 × 220 मेगावाट)

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, धन उपलब्ध होने की स्थिति में जिन नई परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई गई है, वे निम्नानुसार है :—

तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4	(2 × 500 मेगावाट)
कैगा परियोजना यूनिट 3 से 6	(4 × 228 मेगावाट)
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजनाएं यूनिट 5 तथा 6	(2 × 500 मेगावाट)
कुडानुकुलम परियोजना यूनिट 1 तथा 2	(2 × 1000 मेगावाट)

[अनुवाद]

कागज विकास परिषद

3134. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज विकास परिषद (पेपर डेवलपमेंट काउन्सिल) को सक्रिय बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कागज, लुगदी और सम्बद्ध विकास परिषद का पुनर्गठन दो वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना तारीख 25-10-1991 के अधीन किया गया था। उक्त विकास परिषद की पहली बैठक 13-3-1992 को हुई थी और जिसमें निम्नलिखित उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया गया था :—

1. भारतीय कागज उद्योग का अन्तर्राष्ट्रीयकरण।

2. कागज उद्योग के लिए विपणन नीति।

3. कागज उद्योग में मानव समाधन विकास।

4. कागज उद्योग में आधुनिकीकरण की तुलना में निवेश का भविष्य।

उपर्युक्त उप-समितियों के अलावा यह निर्णय लिया गया था कि पहले की विकास परिषद के अधीन गठित खोई उप-समिति बनी रहेगी और कच्चे माल की उप-समिति के रूप में कार्य करेगी। उप-समितियों द्वारा किए गए कार्य की विकास परिषद के अध्यक्ष द्वारा 23-2-1993 को हुई एक विस्तृत बैठक में समीक्षा की गई थी।

गुजरात में सीमेंट के कारखाने

3135. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सीमेंट कारखानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993-94 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में सीमेंट के नए कारखाने स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो ये संयत्र कहां-कहां पर स्थापित किए जाएंगे और इसमें कितना व्यय अनुमानित है; और

(घ) इन नए संयंत्रों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बड़े एककों की एक सूची संलग्न है (विवरण-I)। केन्द्र द्वारा छोटे सीमेंट संयत्रों के ब्यौरे नहीं रखे जाते है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। नई औद्योगिक नीति के अधीन सीमेंट उद्योग को पहले ही लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और भावी उद्यमी भारत में कहीं भी सीमेंट कारखाना लगाने के लिए स्वतन्त्र हैं,

बशर्ते कि स्थापना-स्थल और पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति मिल जाए। गुजरात के सम्बन्ध में 15 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनकी सूची संलग्न है (विवरण-2)।

विवरण-1

गुजरात राज्य में सीमेंट कारखानों (बड़े एककों) की सूची

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	स्थान	क्षमता (मी० टन)
1.	एच०एम०पी० सीमेंट लि०	पोरबन्दर	2,00,000
2.	सौराष्ट्र सीमेंट्स	रानावास	8,63,180
3.	श्री दिग्विजय	जाम नगर	10,25,000
4.	श्री दिग्विजय (ग्राइंडिंग यूनिट)	अहमदाबाद	1,00,000
5.	नर्मदा सीमेंट	जाफराबाद	क्लिंकराइजेशन यूनिट
6.	नर्मदा सीमेंट (ग्राइंडिंग यूनिट)	मागडल्ला	6,60,000
7.	गुजरात अम्बुजा	अमरेली	7,00,000
8.	सी०सी०आई० आफ गुजरात	जूनागढ़	10,00,000
9.	द्वारका	द्वारका	2,77,252
10.	सिवालिया सीमेंट वर्क्स	सिवालिया	2,15,227

विवरण-2

1-8-91 से 31-1-93 तक प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई०ई०एम०) की सूची

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	स्थान	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता (मी० टन)	प्रस्तावित निवेश (रु० करोड़ में)	प्रस्तावित रोजगार (संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	मं० गुजरात अम्बुजा सीमट्स लि०	अमरेली	7,00,000	159	900

1	2	3	4	5	6
	2. मै० गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स लि०	अमरेली	9,40,000	187	900
	3. मै० गुजरात हाई टैक इन्ड० लि०	अमरेली	1,98,‘00	22	110
	4. मै० लार्सन एण्ड टुब्रो लि०	अमरेली	15,00,0 0	288	482
	5. मै० बलराम सीमेंट	बनासकांठा	,98,000	11	360
	6. मै० टाटा कैमिकल्स लि०	जामनगर	4,40,000	75	142
	7. मै० सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि०	जूनागढ़	5,15,000	73	400
	8. मै० गुजरात हैवी कैमिकल्स लि०	जूनागढ़	66,0‘0	8	162
	9. मै० सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रिज लि०	जूनागढ़	2,66,000	2	190
	10. मै० सांघी सीमेंट्स लि०	कच्छ	25,00,000	602	500
	11. मै० माडर्न सीमेंट इंडस्ट्रिज लि०	पंचमहल	52,800	4	150
	12. मै० सोमानी सीमेंट क० लि०	पंचमहल	60,000	5	150
	13. मै० रवि सीमेंट लि०	पंचमहल	60,000	4	40
	14. मै० धवल के० पटेल	साबरकांठा	66,000	1.6	140
	15. मै० डी०सी०डब्ल्यू० लि०	सुरेन्द्रनगर	30,000	3	110

अमरीका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कोल्ड फ्यूजन

3136. **श्री बी०एल० शर्मा प्रेम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के उटाह विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रक्रिया पर जिसे "कोल्ड फ्यूजन" नामक प्रक्रिया में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान अथवा देश के किसी अन्य अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए अथवा विदेशी वैज्ञानिकों और भारतीय वैज्ञानिकों के विचार प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सरकार को तथाकथित शीत संलयन प्रक्रिया की जानकारी है जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी 1989 में उटाह

विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों ने दी थी। इस घोषणा के बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया की जांच करने और उसे समझने के लिए परीक्षण किए। इन अध्ययनों के प्रारम्भिक परिणाम इस बात का संकेत देते हैं कि पैलेडियम और टाइटेनियम के ड्यूटरित धात्विक नमूनों में कुछ तुच्छ असगत प्रभाव घटित हो सकते हैं। तथापि, अब तक जो प्रमाण इकट्ठा किया गया है वह इस प्रक्रिया के घटित होने की सही प्रकृति बताने में अपर्याप्त है। हमारे वैज्ञानिक विदेशों में रह रहे अपने समसामयिक व्यक्तियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और उनके कार्यों पर बराबर ध्यान रख रहे हैं।

शीर्ष औद्योगिक घराने

3127. **प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख :**

डा० ए०के० पटेल :

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 198 -90, 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान शीर्ष बीस औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां और आय पृथक पृथक कितनी थी;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन घरानों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) गत दस वर्षों के दौरान इनकी परिसम्पत्तियों में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या परिसम्पत्तियों और आय में तेजी से वृद्धि की तुलना में कर पूर्व लाभ अनुपाती रूप से कम रहे; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक, कदम उठाए जाएंगे?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) 1989-90 के दौरान परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध चोटी के बीस औद्योगिक घरानों का 1989-90 (अद्यतन वर्ष) में परिसम्पत्तियों, कुल आय (समस्त बिक्री समेत) और कर पूर्व लाभ तथा 1980 में परिसम्पत्तियों का घरान-वार ब्योरा दर्शाता हुआ विवरण संलग्न है।

चोटी के बीस औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में 1980 में 6,547 करोड़ रुपए से बढ़कर 1989-90 में 41,523 करोड़ रुपए हो गई (दो नए समूहों की परिसम्पत्तियों सहित) अर्थात् पिछले दस वर्षों के दौरान।

(घ) परिसम्पत्तियों तथा आय के प्रतिशत के रूप में 1980 तथा 1989-90 की अवधि के

दौरान कर पूर्व लाभ निम्न प्रकार था :—

	1980	1989-90
परिसम्पत्तियों को मद्दे नजर रखते हुए लाभ प्रतिशत (नए समूह को छोड़कर)	8.07%	5.32%
समग्र बिक्री सहित कुल आय को दृष्टिगत रखते हुए लाभ प्रतिशत (नए समूह को छोड़कर)	5.79%	4.95%

(ङ) 1989-90 में परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित लाभ का निम्नतर प्रतिशत वर्ष के दौरान लगाई गई परिसम्पत्तियों की वजह से हो सकता है जिनका उत्पादन में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाया था।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा वर्ष 1989-90 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध चोटी के बीस औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की 1989-90 में उनकी परिसम्पत्तियों—कुल आय (व्यापारावर्त सहित) तथा करपूर्व लाभ तथा 1990 में उनकी परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	औद्योगिक घराना	1989-90 परिसम्पत्तियां	1989-90 कुल आय (व्यापारावर्त सहित)	1989-90 कर पूर्व लाभ	1980 परिसम्पत्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	टाटा	8530.93	8079.80	594.42	1538.97
2.	बिड़ला	8473.35	8417.41	439.55	1431.99
3.	रिलायन्स	3600.27	1901.11	87.36	166.33

1	2	3	4	5	6
4.	थापर	2177.15	22[illegible]0.59	109.78	348.06
5.	जे०के० सिंघानिया	2139.00	1786.93	35.74	411.72
6.	लार्सन एण्ड टूब्रो	1681.52	1118.26	62.47	216.03
7.	मोदी	1399.37	2009.35	23.09	198.82
8.	बजाज	1391.06	1907.87	133.88	179.26
9.	मफतलाल	1343.55	1765.84	85.58	426.[illegible]4
10.	एम०ए० चिन्दम्बरम	1273.35	1161.47	38.78	43.81
11.	हिन्दुस्तान लीवर	1206.46	2396.60	203.73	219.30
12.	यूनाइटेड ब्रेवरीस	1189.24	1227.40	36.63	96.90
13.	टी०वी०एस० आयगर	1177.10	1388.41	58.80	188.64
14.	आई०टी०सी०	965.13	2749.90	122.88	156.29
15.	श्री राम	933.93	1445.40	20.99	241.00
16.	ए०सी०सी०	902.72	1223.38	2.07	274.51
17.	ओसवाल एग्रो	870.34	417.33	35.75	नया समूह
18.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	773.55	1022.45	20.07	186.03
19.	इस्सर	756.49	244.35	34.82	नया समूह
20.	किर्लोस्कर	735.51	985.46	45.36	220.37

टिप्पणी—1. क्रम संख्या 10 पर एम०ए० चिदम्बरम औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियों मे सदर्न पेट्रो-केमिकल्स इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड के 1985 से आगे के आंकड़े भी शामिल हैं।

2. क्रम संख्या 11 पर हिन्दुस्तान लीवर औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियों में भूतपूर्व ब्रुक बांड औद्योगिक घराने के वर्ष 1986-87 से आगे के आंकड़े भी शामिल है।

3. क्रम संख्या 12 पर यूनाइटेड ब्रेवरीज औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियो में भूतपूर्व "बेस्ट एण्ड क्रॉम्पटन" औद्योगिक घराने के 1988-89 से आगे के आंकड़े भी शामिल हैं।

लाखों कुएं योजना

3138 डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाखों कुए योजना के अन्तर्गत 1990-91 और 1991-92 के लिए कुल क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) इन वर्षों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ग) लक्ष्य प्राप्ति का राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दस लाख कुओं की योजना, जवाहर योजना की एक उप-योजना है । योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन छोटे और सीमान्त किसानो तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों, जिनके नाम गांव के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के रजिस्टर मे सूचीबद्ध है, को निःशुल्क खुले सिंचाई कुएं उपलब्ध कराना है । जहां ऐसे कुए उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, वहां आबंटित राशि का उपयोग सिंचाई तालाबों, जल एकत्रीकरण ढांचो जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों की भूमि जिसमें उन्हें आबंटित अधिकतम सीमा से फालतू और भू-दान भूमि शामिल है, के विकास के लिए भी किया जा सकता है । चूंकि दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियों का उपयोग खुले कुओं के निर्माण को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है, इसलिए दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत कोई केन्द्रीय लक्ष्य निर्धारित नही किए जाते हैं । तथापि, राज्यों से निर्मित कुओं की संख्या और उन पर हुए व्यय के बारे में रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं । सारे भारत में 1990-91 के दौरान 56431 कुएं और 1991-92 में 1,72,056 कुए निर्मित किए गए हैं ।

(ख) दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत 1990-91 तथा 1991-92 के लिए आबंटित निधियां निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1990-91	524.63
199 -92	524.63

(ग) दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्मित कुओं की राज्य-वार संख्या विवरण मे दी गई है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त (क) मे दिए गए कारणों से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1992-93 के दौरान 1,24,701 कुएं निर्मित किए गए है ।

विवरण

दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत निर्मित कुओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91	1991-92
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3388	12755
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	309	629
4.	बिहार	17884	50836
5.	गोवा	0	0
6.	गुजरात	3331	6364
7.	हरियाणा	264	394
8.	हिमाचल प्रदेश	165	48
9.	जम्मू व काश्मीर	185	1440
10.	कर्नाटक	1960	1817
11.	केरल	444	1742
12.	मध्य प्रदेश	1743	30729
13.	महाराष्ट्र	5754	7997
14.	मणीपुर	35	108
15.	मेघालय	12	141
16.	मिजोरम	711	329
17.	नागालैंड	238	0
18.	उड़ीसा	6183	21394
19.	पंजाब	0	0
20.	राजस्थान	5309	11500

1	2	3	4
21.	सिक्किम	35	0
22.	तमिलनाडु	274	2872
23.	त्रिपुरा	637	354
24.	उत्तर प्रदेश	2777	878[illegible]
25.	पश्चिम बंगाल	4789	11792
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	5
27.	दादरा व नगर हवेली	0	20
28.	दमन व द्वीव	0	0
29.	लक्षद्वीप	0	0
30.	पांडिचेरी	4	10
	योग :	56431	172056

परमाणु बिजली की अधिष्ठापित क्षमता

3139. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु बिजली की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परमाणु बिजली की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) नाभिकीय अनुसन्धान, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन और इससे सम्बन्धित विकास कार्यों पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों की वर्तमान स्थापित क्षमता 1500 मेगावाट है। ककरापार-I के नवम्बर, 1992 में ग्रिड से जोड़ दिए जाने और निकट भविष्य में उसके वाणिज्यिक स्तर पर काम शुरू कर देने से यह स्थापित क्षमता 1720 मेगावाट हो जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थापित क्षमता 2600 मेगावाट होने की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनुसन्धान और विकास, उद्योगों तथा खनिजों और विद्युत उत्पादन पर वर्ष 1990-91 और 1991-92 मे वास्तव में व्यय की गई राशि और वर्ष 1992 93 मे प्रत्याशित व्यय निम्नानुसार है :

	1990-91	1991-92 (करोड़ रुपए)	1992-93
अनुसंधान तथा विकास	291.97	302.65	349.75
उद्योग तथा खनिज	523.61	574 55	711 77
विद्युत	1040.79	949.69	13 5.76
कुल :	1856.37	1826.89	2387.28

[हिन्दी]

झांसी के लिए आवासीय परियोजनाए

3140. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश मे झांसी शहर की आवासीय समस्या को हल करने के लिए "हुडको" के विचाराधीन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) "हुडको" के पास उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित जो प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं उनका ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पी० के० थुंगन) : (क) हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार झांसी शहर के लिए 5 .54 लाख रुपए के हुडको ऋण की एक योजना मुख्यालय मे विचाराधीन है।

(ख) हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश की विभिन्न एजेंसियों से 249.17 करोड़ रुपए की ऋण राशि की 105 योजनायें हुडको के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखा-परीक्षकों का चयन

3141. श्री समत कुमार मडल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1993 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में "सी० ए० जी० एपाइन्टेड नॉन-इग्जिसटेंट आडिटर्स फार असम टी कारपोरेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न लिमिटेड कारपोरेशन/कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के चयन और नियुक्त के लिए यदि कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या ये लेखापरीक्षक वार्षिक अथवा निश्चित अवधि के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं; यदि हां, तो उनको क्या पारिश्रमिक दिया जाता है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स ए० के० बर्मन एण्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउन्टेंट की फर्म कलकत्ता को वर्ष 1983, 1984 और 1985 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर मैसर्स असम टी कारपोरेशन लि० के लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था । चूंकि लेखापरीक्षको की उक्त फर्म गुवाहाटी में उनके दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं थी, इस मामले में लेखापरीक्षकों की एक अन्य फर्म को नियुक्त करने के लिए लोक उद्यम विभाग, असम सरकार के अनुरोध पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ सम्पर्क किया गया था । नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने लेखापरीक्षकों की एक अन्य फर्म की नियुक्ति का परामर्श दिया है एवं तदनुसार इस विभाग द्वारा नए लेखापरीक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है ।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अनुसार किसी कम्पनी के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर की जाती है । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाने के बाद चार्टर्ड एकाउन्टेंटों का एक पैनल बनाता है :—

(i) फर्म में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक भागीदारों की संख्या;

(ii) भागीदारों में से कितने इंस्टीटूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स के फेलो सदस्य है और कितने असोसिएट सदस्य हैं;

(iii) उनमे से कितने अन्य फर्मों में भी भागीदार है या अन्यथा सोल प्राप्राइटर या वैतनिक कर्मचारी है;

(iv) फर्म द्वारा रखे गए चार्टर्ड एकाउन्टेटो की संख्या; और

(v) फर्म की ख्याति अर्थात इसकी संरचना या पुनःसंरचना की तारीख का सन्दर्भ देते हुए वर्षों की संख्या जब से यह कार्य कर रही है ।

फर्मों के उपर्युक्त विवरणों और उनके काम करने की जगहो के आधार पर, सरकारी कम्पनियों

के सांविधिक महालेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार को सलाह देने के लिए विचार किया जाता है। कम्पनी में लेखापरीक्षक इकाइयों की संख्या तथा इसके द्वारा पहले भुगतान किए गए लेखा-परीक्षा-शुल्क को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) लेखापरीक्षकों को सामान्यतः वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है और उनके पारिश्रमिक को केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनियों के निदेशक मण्डल की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है जिसे कम्पनी के कार्यों का तुलनात्मक जायजा लेना चाहिए ताकि इस बात का आकलन हो सके कि पूर्व वर्ष के अपेक्षा इसके कार्यकलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। अन्य बातों सहित जिन बातों को यह तय करने के लिए कि कम्पनी के कार्यकलापों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है वह उत्पादन, मात्रा और मुद्रा के आधार पर बिक्री, अन्य प्रचुर आय, मात्रा और मुद्रा के आधार पर क्रय, समग्र राजस्व व्यय, लगाई गई पूंजी और इसके अतिरिक्त वाउचरों की संख्या और लेखापरीक्षकों और उनके कर्मचारियों द्वारा लेखापरीक्षा को पूरा करने में लगाए गए प्रति व्यक्ति समय के घण्टे आदि हैं।

रेशम कीट पालन का विकास

3142. **डा० असीम बाला** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेशम कीट पालन के विकास के लिए कोई नीति/योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में रेशम कीट पालन के विकास के लिए राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र को शामिल किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक/स्विस विकास सहयोग से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना वर्ष 1989-90 से पांच परम्परागत रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू व कश्मीर) और 12 गैर-परम्परा गत राज्यों (बिहार, असम, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश) में क्रियान्वित की जा रही है।

रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) शहतूती कृषि क्षेत्र को बढ़ाना।

(2) शहतूती कलमों तथा रेशम-कीट बीजों की सप्लाई करना।

(3) विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करना तथा रेशम उत्पादन इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना।

इस परियोजना की कुल लागत 555.30 करोड़ रु० है जिसमें 389.70 करोड़ रु० का सरकारी निवेश तथा 165.60 करोड़ रु० वित्तीय संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों से 'आन-फार्म' तथा 'नान-फार्म' के रूप में ऋण शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त टसर का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्विस सहायता प्राप्त एक अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

इसके अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देश में रेशम के उत्पादन को इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी सहायता प्रदान करने तथा अनुसन्धान व विकास का विस्तार करने के लिए एककों का एक देशव्यापी नेट-वर्क भी स्थापित किया है।

(ग) एक विवरण-पत्र सलग्न है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान शहतूत की कृषि के अन्तर्गत राज्य-वार क्षेत्र (अनन्तिम)

राज्य	कुल (हेक्टेयर में)
1	2
आंध्र प्रदेश	76348
असम	1919
अरुणाचल प्रदेश	50
बिहार	6026
गुजरात	157
हिमाचल प्रदेश	627
जम्मू व कश्मीर	1803
कर्नाटक	63086
केरल	620
मध्य प्रदेश	3845
महाराष्ट्र	1925
मणिपुर	16750

1	2
मिजोरम	931
मेघालय	1262
नागालैंड	46
उड़ीसा	1407
पंजाब	60
राजस्थान	470
सिक्किम	40
तमिलनाडु	40298
त्रिपुरा	1325
उत्तर प्रदेश	726
प॰ बंगाल	182 2
कुल :	327925

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक उत्पादन

3143. श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने 1991-92 के अपने उत्पादन की तुलना में 1992-93 में अधिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उनके उत्पादन में और वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इनके उत्पादन में और सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में, उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर वित्तीय प्रबन्धन, क्रयादेशों का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोक्ता संगठनों के साथ निकटता बनाए रखना और सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए, जहां कहीं सम्भव हो सन्तुलन निवेशों का प्रावधान सम्मिलित है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 के दौरान प्राप्त उत्पादन	अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 के दौरान प्राप्त उत्पादन
1	2	3	4
1.	एण्ड्रू यूल एण्ड कं० लि०	139.79	132.62
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	2195.93	2107.21
3.	बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०	205.09	158.57
4.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	8.24	6.16
5.	रेरोल बर्न लि०	3.30	1.83
6.	जेसप एण्ड कम्पनी लि०	83.29	78.25
7.	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	113.39	81.04
8.	भारत बंगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि०	75.98	51.80
9.	वेबर्ड इंडिया लि०	0.80	0.78
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	22.22	19.61
11.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	340.33	203.67
12.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०	251.06	203.37
13.	एच०एम०टी० बियरिंग्स लि०	24.79	24.39
14.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	101.20	83.71
15.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	10.05	4.85
16.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	20.15	14.96
17.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि०	3.26	2.41
18.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	168.51	146.36
19.	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि०	138.80	119.75

1	2	3	4
20.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लि०	191.21	182.58
21.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	4.03	3.49
22.	नेपा लि०	106.05	91.19
23.	भारत लेदर कारपो० लि० (कारोबार)	3.95	2.92
24.	बी०बी०जे० कंस्ट्रक्शन कं० लि० (करोबार)	31.65	26.69
25.	ब्रिज एण्ड रूफ क० लि० (कारोबार)	100.50	70.77
26.	हुगली प्रींटिंग लि० (कारोबार)	1.37	1.13

गुजरात की परती भूमि विकास परियोजनाएं

3144. **डा० ए० के० पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत गुजरात में कार्यक्रम लागू किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ गुजरात को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं गुजरात राज्य के सुरेन्द्र नगर, भावनगर, कच्छ, पंचमहल, जूनागढ़ और जामनगर जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार को 1989-90 से लेकर 1992-93 के बीच 281.88 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है। योजना के लक्ष्य और वित्तीय सहायता चल रही परियोजनाओं की प्रगति और राज्य सरकार से प्राप्त नए प्रस्तावों के आधार पर दी जाएगी।

[हिन्दी]

एन० टी० सी० की रुग्ण मिलों को सहकारी समितियों को सौंपना

3145. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कानपुर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ मिलों को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही कानपुर स्थित कुछ मिलों को अन्य बातों के साथ-साथ आवर्ती घाटे होने, कम उत्पादकता, अधिक मानव मशीन अनुपात आदि होने के कारण गैर-अर्थक्षम मिल के रूप में अभिज्ञात किया गया है। कानपुर स्थित मिल सहित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अलग-अलग मिल को बन्द करने अथवा चलाए रखने का प्रश्न इस समय स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के जरिए किए जा रहे श्रमिक सुव्यवस्थीकरण तथा अन्य सम्बद्ध सगठकों की अर्थक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की नई परियोजनाओं का विस्तार

3146. श्री सुधीर सावन्त : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने विस्तार हेतु नई परियोजनाओं और प्रस्तावों के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की नई परियोजनाएं अथवा प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) क्या आर०सी०एफ० प्रस्तावों में नई परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने की व्यवस्था है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर०सी०एफ०) ने सरकार को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

(1) थाल में 900 टन प्रतिदिन अमोनिया, 1000 टन प्रतिदिन नाइट्रिक एसिड तथा 1200 टन प्रतिदिन नाइट्रोफास्फेट उर्वरक के उत्पादन की अतिरिक्त सुविधाएं।

(2) थाल में विद्यमान 2 × 1350 मी० टन प्रतिदिन (मी० ट० प्र० दि०) अमोनिया संयंत्र की 2 × 1700 मी० टन प्रतिदिन में रिट्रोफिटिंग।

(3) थाल में 15000 टन प्रति वर्ष मेलामाइन संयंत्र की स्थापना।

(ख) थाल में 15000 टन प्रति वर्ष मेलामाइन संयंत्र के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आर०सी०एफ० को सैद्धांतिक रूप से सरकार की मंजूरी प्रेषित कर दी गई है।

गैस आपूर्ति की वचनबद्धता के अभाव में उपरोक्त नाइट्रोफास्फेट तथा प्रतियुक्ति प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ग) उपरोक्त परियोजना प्रस्तावों के लिए निधि आपूर्ति, संस्थागत ऋणों के अतिरिक्त, आर० सी० एफ० के आंतरिक संसाधनों से की जानी थी।

पटसन से बनी वस्तुओं का उपयोग

3148. श्री हरिन पाठक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान पटसन से बनी वस्तुओं की घरेलू खपत कितनी रही है; और

(ख) पटसन से बनी वस्तुओं की घरेलू खपत में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन के सामान की देशीय खपत निम्न प्रकार थी :—

(लाख टन में)

वर्ष	देशीय खपत
1990-91	12.35
1991-92	10.79
1992-93 (अप्रैल-दिसम्बर, 92)	7.82

(ख) सरकार ने पटसन के सामान की देशीय खपत को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट मदों को पटसन की सामग्री में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग करने को निर्धारित करने सम्बन्धी कानून बनाना, मेलों में भाग लेना, प्रदर्शनियों तथा बिक्रियों का आयोजन करना, बिक्री केन्द्रों का सृजन करना तथा विविधीकृत पटसन के सामान के विपणन के लिए आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त प्रचार अभियान चलाना शामिल है।

[हिन्दी]

बुनियादी सुविधाओं पर व्यय

3149. श्री मुमताज अन्सारी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान बुनियादी सुविधाओं पर एक सौ करोड़ रुपए खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना में सम्मिलित की गई प्रमुख बुनियादी सुविधाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में निजी-आवास समितियां

3150. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए निजी आवास समितियों को प्राथमिकता देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डी० डी० ए० (विकसित भूमि का निपटान) नजूल नियमावली, 1981 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकारी समितियों के पंजीयक, दिल्ली प्रशासन द्वारा विधित पंजीकृत पात्र सहकारी सामूहिक आवास समितियों/सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि आबंटित की जाती है।

कालीन का निर्यात

3151. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा प्रति वर्ष कितने कालीनों का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं के निर्माण के लिए अग्रिम धनराशि पर ब्याज दर बढ़ा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कालीन उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कालीन निर्यात के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार आकलित किए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन वर्ग मीटर)
1990-91	6.20
1991-92	8.58
1992-93 (अप्रैल-जनवरी)	9.03

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार कालीन के निर्यात का संवर्धन, शुल्क वापसी की व्यवस्था और कालीन ग्रेड ऊन के आयात के लिए सुविधा जैसी नीति सम्बन्धी उपायों से करती है । क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करने, विदेशी मेलों में भाग लेने तथा निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से प्रचार करने के लिए सहायता भी दी जाती है ।

बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना

3152. श्री रामदेव राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ परमाणु ऊर्जा संयत्रों की स्थापना करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में चुने गए स्थानों व योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है । इसके अतिरिक्त, पूर्वी विद्युत क्षेत्र में कोयले के भंडार उपलब्ध होने के कारण बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई प्राथमिकता अपेक्षाकृत कम है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई० पी० सी० एल० बड़ौदा के शेयर

3153. श्री छीतूभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स लि० बड़ौदा द्वारा कुल कितनी राशि के शेयर जारी किए गए;

(ख) इन इश्यू से कितनी राशि प्राप्त हुई और इश्यू के पूर्ण तौर पर पूरा न होने से क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस इश्यू में अनियमितताओं के सम्बन्ध में लोगों से शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने व्यक्ति दोषी पाए गए; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इण्डियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० (आई०पी०सी०एल०) द्वारा जारी किए गए शेयरों का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

(1) शेयरों की कुल संख्या : 2,10,50,000

(2) शेयरों का कुल मूल्य : 336.80 करोड़ रुपए

(150 रु० प्रति शेयर के प्रीमियम पर 10-10 रुपए के इक्विटी शेयर)

(ख) इन इश्यूज से 1304.52 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। अतः यह देखा जाएगा कि इश्यू से चार गुना से भी अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) दो समादेश याचिकाएं तैयार की गई थीं :—

(1) इश्यू की कानूनी वैधता को चुनौती देते हुए डा० अरविन्द गुप्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर समादेश याचिका सं० 846/92, खारिज कर दी गई थी।

(2) कुछेक तथ्यों को तथाकथित रूप से प्रकट न करने और तथाकथित नगद घाटों/प्रीमियम आदि के मनमाने निर्धारण के लिए विवरणिका की विषयवस्तु को चुनौती देते हुए बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर समादेश याचिका सं० 2527/92, सरसरी तौर पर रद्द कर दी गई।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

रैन बसेरों का रख-रखाव

3154 श्री गुरुदास कामत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रैन बसेरों का रख-रखाव का कार्य निजी अभिकरणों को अन्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) शहरी क्षेत्रों में पटरीवासियों के लिए आश्रय और सफाई सुविधा की केन्द्रीय योजना में यह व्यवस्था है कि निर्माण पूर्ण होने के पश्चात रैन-बसेरों और अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध पालिका निकायों या गैर-सरकारी संगठनों या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों या राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा मनोनीत या निर्धारित अभिकरणों द्वारा किया जाएगा। चूंकि यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है इसलिए मार्ग-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रैन-

बसेरों के रख-रखाव को निजी एजेंसियों को सौंपने के बाबत निर्णय लेना राज्य सरकारों का कार्य है।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

3155. श्री मोहन लाल झिकराम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु विद्युत संयत्र की स्थापना के स्थानों के चयन हेतु बनाई गई समिति ने किन-किन स्थानों पर प्रयोग किए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) देश के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी विद्युत क्षेत्रों में स्थलों की जांच करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग आवधिक रूप से स्थल चयन समितियां गठित करता है। अन्तिम समिति अक्तूबर, 91 में गठित की गई थी जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में कोवाडा और नालगोंडा जिले में नागार्जुन सागर नामक स्थलों तथा केरल के कन्नूर जिले में पेरिंगोम नामक स्थल का अध्ययन कर रही है। इस सम्बन्ध में समिति ने अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) किसी भी स्थल पर काम शुरू करने में लगने वाला समय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने, सरकार के निर्णय, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्वीकृति, भूमि के अधिग्रहण, धनराशि की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

स्वदेशी रसायनों का उत्पादन

3156. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा बचाने तथा रसायनों के आयात कम करने हेतु स्वदेशी रसायनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दायरे के अन्तर्गत किन-किन रसायनों को लाया जाएगा;

(ग) क्या स्वदेशी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने से आनुषंगिक एककों के विकास में सहायता मिलेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) सरकार का प्रयत्न उदारीकृत औद्योगिक नीति के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात में कमी करना और अनुषंगी एककों का विकास करना है। यह रसायन क्षेत्र पर भी लागू होता है।

"इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पालघाट, केरल" में हड़ताल

3157. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पालघाट, केरल के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के कारण कुल कितना नुकसान हुआ;

(ख) कर्मचारियों की क्या मांगें हैं; और

(ग) सरकार ने इन मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट के कर्मचारियों द्वारा हाल ही में किए गए आंदोलन से कम्पनी को 250 लाख रुपए की अनुमानित हानि हुई है।

(ख) और (ग) कर्मचारी संघों की मांगों में विद्यमान उत्पादकता से जुड़ी पारितोषिक योजना का उदारीकरण, परिवहन सुविधा, पालघाट एककों के लिए पृथक भविष्य निधि न्यास, भर्ती/प्रोन्नति नीतियों में अभिकथित विषमताओं को समाप्त करना तथा कैंटीन/मस्टर रोल कर्मचारियों का अन्तर्लयन सम्मिलित हैं। दिनांक 23-2-1993 को इन मांगों पर यूनियनों के साथ एक समझौता किया गया था।

यमुना से स्वच्छ पेय जल

3158. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय अमरीकी वातावरण इन्जीनियर और भू-वैज्ञानिक ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसका दिल्ली के लोगों के लिए यमुना नदी से स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसाकि 17 फरवरी 1993 के इकनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या शहरी विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों ने इस विशेषज्ञ द्वारा वृहत यमुना नदी वाटरशेड को स्वच्छ करने की इस उपचारात्मक तकनीक का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती क्योंकि भारत में कहीं भी इस प्रकार की प्रणाली विकसित नहीं हुई है ।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

नगर के कूड़े-कचरे से बिजली पैदा करना

3160. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर के कूड़े-कचरे से बिजली पैदा करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को क्या दिशा-निर्देश भेजे गए हैं;

(ग) नगर के कूड़े-कचरे से बिजली पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) इसमें कितनी लागत आएगी; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकांश नगरपालिकाओं, शहरों और कस्बों के शहरी कूड़े-कचरे में छोटे तथा बड़े उद्योगों से निकलने वाला कचरा मलजल, विष्ठा, घरेलू कूड़ा और कचरा तथा अपशिष्ट शामिल हैं बिजली उत्पन्न करने की प्रौद्योगिकी ऐसे कूड़े-कचरे की प्रकृति पर निर्भर है जोकि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। सरकार मलजल गैस संयंत्र के लिए सर्वधित पूंजीगत का 50-75 प्रतिशत की सीमा तक (25 लाख रुपये प्रति संयंत्र प्रणाली की अधिकतम सीमा के अधीन बशर्ते कि प्रणाली व्यवहारिक/जीवन-क्षमण्य हो) प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है । यह सभी नगरपालिकाओं पर लागू होती है यह परियोजना नोडल एजेंसियों/सम्बन्धित नगर संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ।

(ग), (घ) और (ङ) अब तक तीन प्रयोगिक परियोजनाएं नामत: भेल, भोपाल नगर निगम बम्बई, ओ० एन० जी० सी०, देहरादून को ली गई हैं । ऐसी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए सभी सम्बन्धितों को मार्ग-दर्शन जारी कर दिए गए हैं । इन परियोजनाओं को लागत साझेदारी के आधार पर शुरू की गई है। भारत सरकार के हिस्सेदारी क्रमश: 3.70 लाख रुपए, 6.039 लाख रुपये और 8.50 लाख रुपये हैं शहरी अपशिष्ट सहित अपशिष्ट से बायो ऊर्जा विकास के लिए पिछले तीन

सालों से बजट नियतन इस प्रकार हैं : —

1991-92	2.295 करोड़ रुपये
1992-93	4.600 करोड़ रुपये
1993-94	5.750 करोड़ रुपये

स्पेन द्वारा निवेश

3161. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री बलराज पासी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन ने भारत में संयुक्त उद्यम लगाने और अपने निवेश को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और वह क्षेत्र कौन से हैं जिनमें संयुक्त उद्यमों का प्रस्ताव रखा गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) स्पेन के प्रधान मन्त्री फेलिप गोनजालेज की हाल ही में भारत की यात्रा के दौरान निवेश प्रतिभूति से सम्बद्ध मुद्दे को उठाया गया था। किन्तु, भारत में इनके निवेश की सुरक्षा के लिए ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। चर्चा के दौरान भारत-स्पेन सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया था वे थे : मत्स्य उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, कपड़ा, ऑटोमोबील उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण।

[हिन्दी]

बिहार में सिलेसिलाए कपड़ों के लिए वर्कशॉप

3162. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में सिलेसिलाए कपड़ों के लिए वर्कशॉप बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3163. डा० लाल बहादुर रावल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना का निर्णय, उद्यम-दर-उद्यम के आधार पर उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता और सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

[हिन्दी]

उड़ीसा का योजना परिव्यय

3164. श्री श्रीकांत जेना : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान उड़ीसा का योजना परिव्यय क्या था और वास्तविक व्यय कितना हुआ;

(ख) उसका विकास वार ब्योरा क्या है;

(ग) परिव्यय और वास्तविक व्यय मे भारी अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों की विकास योजनाओं, विशेषकर ग्रामीण विकास योजनाओं पर उपर्युक्त परिव्यय का क्या प्रभाव पड़ा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1991-92 के लिए परिव्यय तथा व्यय एवं वार्षिक योजना 1992-93 के लिए परिव्यय के विकास-वार ब्यौरे के मुख्य शीर्षों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) वार्षिक योजना 1991-92 के लिए अनुमोदित परिव्यय के सम्बन्ध में व्यय में कटौती प्रमुखत: पर्याप्त संसाधन जुटाने में राज्य सरकार की असमर्थता तथा परियोजित योजना ऋण अनुपलब्धता के कारण है ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा बताए गए अनुसार वार्षिक योजना 1991-92 के लिए ग्रामीण

विकास कार्यक्रमों के तहत कुछ महत्वपूर्ण मदों के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :—

मद	यूनिट	लक्ष्य	उपलब्धियां
आई०आर०डी०पी० (लाभग्राही सहायता)	लाख व्यक्ति	1.08	1.12
जे०आर०वाई० (रोजगार सृजन)	लाख व्यक्ति	69.29	69.77

विवरण

उड़ीसा की वार्षिक योजना 1991-92 के लिए परिव्यय तथा व्यय तथा वार्षिक योजना 1992-93 के लिए परिव्यय

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	विकास के मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	वार्षिक योजना 1991-92 परिव्यय	वार्षिक योजना 1991-92 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1992-93 अनुमोदित परिव्यय
1.	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	10735	10566	16142
2.	ग्रामीण विकास	8372	6766	7703
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	32053	25183	32499
5.	ऊर्जा	48100	25227	39200
6.	उद्योग तथा खनिज	10225	7136	8812
7.	परिवहन	10711	10322	10659
8.	संचार			
9.	विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण	193	230	222
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1282	1285	1453
11.	सामाजिक सेवाएं	17505	16261	22918
12.	सामान्य सेवाएं	824	902	892
	कुल जोड़ :	140000	103978	140500

नोट : वार्षिक योजना 1991-92 के परिव्यय में माडल गावों की स्कीम तथा सहकारिताओं के लिए इक्विटीबेस हेतु 2 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल नहीं है क्योंकि इन स्कीमों को बाद में योजना आयोग द्वारा छोड़ दिया गया।

[अनुवाद]

अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन की स्थापना

3165 मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंटार्कटिका में कोई स्टेशन स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और उन्हें किस तिथि को स्थापित किया गया तथा अब तक उनकी क्या उपलब्धि रही;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कुछ और स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियां आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में पुनर्विचार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । अन्टार्कटिक में मानवचालित प्रथम स्थायी भारतीय वैज्ञानिक केन्द्र, दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983-84 में की गई थी । 24 फरवरी, 1984 से इसमें कार्य प्रारम्भ हुआ । मैत्री नाम का दूसरा केन्द्र एक जनवरी, 1989 से प्रारम्भ हुआ । उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) अन्टार्कटिक सधिकार परामर्शक दलों ने अन्टार्कटिक को शांति और विज्ञान के प्रति समर्पित एक प्राकृतिक भण्डार के रूप मे पदनामित किया है । वर्ष 1988 में अंगीकृत अन्टार्कटिक खनिज के कन्वेंशन को अलग रखते हुए सधिकार दलों ने अक्तूबर, 1991 में अन्टार्कटिक संधि की पर्यावरणीय सुरक्षा पर एक नयाचार को अंगीकृत किया, जो सभी खनिज संसाधनो के कार्यकलापों पर 50 वर्ष का प्रतिबन्ध लगाती है और भूमण्डलीय पर्यावरण पर अन्टार्कटिक के प्रभाव को समझने के लिए जरूरी अनुसधान सहित वैज्ञानिक अनुसधान को प्राथमिकता देती है ।

(ङ) भारत ने अन्टार्कटिक संधि की पर्यावरणीय सुरक्षा पर नयाचार पर हस्ताक्षर किए हैं । इसने भूमण्डलीय पर्यावरणीय परिवर्तनों पर बल देते हुए वैज्ञानिक कार्यक्रमों का पुन: अनुस्थापन किया है ।

विवरण

भूमि विज्ञान

1. भूविज्ञान

*पुरा पर्यावरणीय परिवर्तनों एवं खनिजीय प्रक्रमों तथा रचनाओं और अन्टार्कटिक भूविज्ञान की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं।

**सम्पूर्ण श्रिमाचार एवं वोल्थाट क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 8000 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया।

***विस्तृत तीव्र प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए बहुत से चट्टान नमूने इकट्ठे किए गए हैं।

****भारात्मक एवं चुम्बकीय मापों की सघनता/विस्तार को भी वर्तमान अभियान के दौरान प्रारम्भ किया गया है।

2. भूभौतिक

*श्रिमाचार क्षेत्रों एवं वोल्थाट प्रदेशों के पीटरमन क्षेत्रों का भूभौतिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

**भूरासायनिक एवं भारात्मक विश्लेषण के लिए चट्टानो के नमूने एकत्र किए गए हैं।

3. भूचुम्बकत्व

भूमि के चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन एवं चुम्बकीय प्राचलों का निरन्तर अभिलेखन भी प्रारम्भ किया गया।

4. स्थलाकृति सर्वेक्षण

श्रिमाचार क्षेत्रों में बहुत से बिन्दुओं पर भूगणितीय नियन्त्रण बिन्दु स्थापित किए गए हैं एवं श्रिमाचार क्षेत्रों का स्थलाकृति मानचित्रण प्रारम्भ किया गया है।

वायुमण्डलीय विज्ञान

*मानसून एवं ओजोन छिद्र परिघटना के अध्ययन के लिए मौसम वैज्ञानिक प्राचलों को एकत्र करना।

**कैम्प सुविधाओं को स्थापित करने हेतु सम्भार कार्मिकों को सहायता प्रदान करने के लिए मौसम विज्ञानी आंकड़ा।

***ग्रहीय सीमा पर्त का अध्ययन एवं ट्रेस गैसों के विश्लेषण के लिए वायु नमूना एकत्र करना।

जैव विज्ञान

*अन्टार्कटिक मार्ग मे समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ो को एकत्र करना।

**जल पारितन्त्र को समझने के लिए मैत्री केन्द्र के नजदीक की झीलों से एकत्र किए गए नमूनों का अध्ययन।

***शैवाल संग्रह एवं आदि रूपों के अस्तित्व को समझने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग नीला हरा शैवाल का अध्ययन।

पर्यावरणीय शरीरक्रिया विज्ञान

कार्मिकों के शारीरिक क्रिया को बढ़ाने के लिए, शीत एवं एकाकी स्थितियों में मानव चयापचय एवं मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन। भारत में अतिशय स्थितियों के लिए भी आंकड़ों का अनुप्रयोग उपयोगी होगा।

ध्रुवीय उद्यान विज्ञान

मैत्री स्टेशन में एक पादपगृह स्थापित किया गया है एवं टमाटर, गाजर, ककड़ी इत्यादि जैसे पौधे उगाए गए हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियां

3166. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधों के मूल्य में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में सरकार के पास लम्बित मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय औषध निर्माता कम्पनियों की तुलना में अत्यधिक विपणन लाभ उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) कीमत नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाली प्रपुंज औषधों की कीमतों की पुनरीक्षा/निर्धारण एक सतत् प्रक्रिया है। किसी कीमत नियन्त्रित औषध के मामले में ऐसा आवेदक के स्तर यथा बहुराष्ट्रीय, भारतीय संगठित अथवा लघु क्षेत्र का एकक का ध्यान किए बगैर उस खास औषध के विभिन्न निर्माताओं से प्राप्त कीमत पुनरीक्षा आवेदनों के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रत्येक औषध कम्पनी, बहुराष्ट्रीय कम्पनी सहित, अपनी ही कारपोरेट विपणन नीति अपनाने के लिए स्वतन्त्र है।

डी०डी०ए० के पास भूमि

3167. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मन्त्री डी०डी०ए० के पास भूमि के बारे में 22 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 7479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध मे जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में सामुहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध मे अपना निर्णय दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 17-09-92 के फैसले द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांक 10-05-91 के निर्णय का समर्थन किया है। इस निर्णय के अनुसार सामूहिक आवास समितियों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर अर्थात पंजीकरण की वरीयता अनुसार भूमि आवंटित की जाती है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश

3168 **श्री उद्धव बर्मन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान भारत में निवेश के लिए किन-किन विदेशी कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान की गई और इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने कितना निवेश किया; और

(ख) इन कम्पनियों ने किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान विदेशी कम्पनियों (अनिवासी भारतीयों सहित) द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश हेतु 692 प्रस्तावों का अनुमोदन दिया गया है जिसमें 3887.54 करोड़ रु० का कुल पूंजीनिवेश अन्तग्रस्त है।

इन प्रस्तावों का जिन क्षेत्रों से सम्बन्ध है, वे इस प्रकार हैं : इन्जीनियरी उद्योग, मशीनरी मदें, इलेक्ट्रानिक्स, रसायन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि पर आधारित उद्योग, किण्वन, ग्रेनाइट्स, चमड़ा व रबड़ की वस्तुएं, बिजली उत्पादन उपकरण, बिजली, रेल उपकरण, अस्पताल इत्यादि। भारतीय पूंजीनिवेश केन्द्र अपने मासिक समाचार पत्र के पूरक के रूप मे विदेशी कम्पनियों के नाम तथा अन्य विवरण प्रकाशित करता है और इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

तमिलनाडु में नए उद्योग

3169. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी

औद्योगिक नीति के अन्तर्गत तमिलनाडु में पंजीकृत किए गए उद्योगों की स्थल-वार, संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : 24 जुलाई, 1991 को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से 18 फरवरी, 1993 तक तमिलनाडु राज्य में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 532 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए जा चुके हैं। दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों का जिले-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	मामलों की संख्या
1.	नार्थ आरकोट	21
2.	साउथ आरकोट	26
3.	चेंगेलपट्टू	178
4.	कोयम्बटूर	64
5.	धर्मापुरी	49
6.	कन्याकुमारी	3
7.	मद्रास	26
8.	मदुरै	18
9.	नीलगिरि	1
10.	सेलम	27
11.	तन्जावूर	5
12.	तिरुचिरापल्ली	14
13.	तिरुनेल्वेली	7
14.	पुदुकोटटै	6
15.	पेरियार	15
16.	कामराजर	13
17.	पसुम्पन मदुरामाली	8
18.	अन्ना	37
19.	वी० ओ० चिदम्बरानार	7
20.	किलेमिल्ला	4
21.	नेल्लै काटाबोमन	3
	कुल :	532

अर्ध वेतन अवकाश का भुगतान

3170. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या प्रधान मन्त्री 18 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्ति के समय अर्ध-वेतन अवकाश और सेवारत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश (अर्ध-वेतन अवकाश नहीं) के भुगतान के बारे में पचाट बोर्ड द्वारा दिए गए अवार्ड को स्वीकृत करने और कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामले पर विचार-विमर्श किया है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले पर अन्तिम निर्णय के लिए कब तक विचार किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ग) सेवानिवृत्ति के समय अर्ध वेतन अवकाश तथा सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के बदले भुगतान के बारे में विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गए अवार्ड पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कारवाई की जा रही है। अर्ध वेतन अवकाश के भुगतान से सम्बन्धित अवार्ड स्वीकार कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए जा रहे हैं। अर्जित अवकाश के बदले भुगतान से सम्बन्धित अवार्ड अभी विचाराधीन है।

विश्व बैंक की सहायता से शहरी विकास परियोजनाएं

3171. श्री प्रबीन डेका : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से गुवाहाटी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिलचर, बोंगाईगांव और नगांव परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से विकास करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा 1987 में गोहाटी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिलचर बोंगाईगांव और नौगांव शहरों के लिए 146 करोड़ रुपये की शहरी विकास परियोजना बनाई गयी थी जो राज्य सरकार के हिस्से के बजट वायदे के अभाव में बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकी। असम से संशोधित परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1991 में कुल 350.00 करोड़ रुपए लागत की वृहद गुहाटी जल आपूर्ति मलजल निकासी स्कीमों तथा वृहद जोरहाट जल आपूर्ति स्कीम के लिए विश्व

बैंक से सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाने हेतु एक प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव भेजा था। इन योजनाओं को बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत करने की सम्भावना, उस पर दी गई राय/टिप्पणी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव पेश किए जाने पर निर्भर करेगी।

डी० एम० टी० पर आयात शुल्क

3172 **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाई मिथाइल थाइलेट (डी०एम०टी०) पर आयात शुल्क कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर डी०एम०टी० निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) उत्पादकों/प्रयोक्ताओं से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर 1993-94 के केन्द्रीय बजट में डी०एम०टी० सहित फाइबर मध्यवर्तियों पर आयात प्रशुल्क का उपयुक्त युक्तिकरण किया गया है।

लघु उद्योग क्षेत्र का कार्य निष्पादन

3173. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लघु उद्योग क्षेत्र के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अखिल भारतीय निर्माता संघ से तथ्यों का पता किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को रोजगार

3174. **श्री नीतीश कुमार** :
डा० गिरिजा मोहन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को रोजगार देने के लिए स्वरोजगार हेतु ग्रामीणों युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना और इसके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई लक्ष्य रखा गया है;

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1979 को शुरू किया गया था।

(ख) योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को मूल तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता उपलब्ध करना है ताकि वे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, उद्योगों के व्यापक क्षेत्रों में स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। बाद में 1983 में इस उद्देश्य के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं को मजदूरी रोजगार दिलाना भी शामिल किया गया था। ट्राइसेम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों में से 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। चयन किए गए युवाओं में कम से कम 50 प्रतिशत युवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय के तथा कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। 3 प्रतिशत लाभ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए।

(ग) से (ङ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले युवाओं की प्रस्तावित संख्या क्रमशः 3 लाख और 3.50 लाख है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों के लिए लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसी प्रकार 1992-93 और 1993-94 के लिए ट्राइसेम प्रशिक्षण पर और प्रशिक्षण संस्थाओं को ट्राइसेम आधारभूत ढांचा सहायता हेतु आवर्ती खर्चों के बारे में केन्द्रीय अंश के रूप में आवंटित राशि नीचे दिए अनुसार है :—

(लाख रुपये में)

	1992-93	1993-94
1. ट्राइसेम प्रशिक्षण पर आवर्ती खर्च	2000.00	5573.00
2. प्रशिक्षण संस्थाओं को ट्राइसेम आधारभूत ढांचा सहायता	800.00	1300.00

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के शेष वर्षों के आवंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय उत्पादनों के लिए "मास्टर प्लान"

3175. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूरोपीय आर्थिक समुदाय" भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक "मास्टर प्लान" बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय सरकार और भारतीय उद्योग के सहयोग से किया जाएगा;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को कितना बढ़ावा मिलेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद के गठन के बारे में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी पूंजी-निवेश के प्रस्ताव

3176. श्रीमती बीबिका एच० टोपीवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पूंजी-निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा फरवरी, 1993 में मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव में अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल कितना पूंजी-निवेश किया जाएगा तथा किन-किन क्षेत्रों में इसकी मंजूरी दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) और (ख) अधिकार-प्राप्त समिति ने फरवरी, 1993 को हुई नौवीं बैठक में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए विदेशी पूंजी-निवेश के 25 प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। इनमें से 13 प्रस्ताव 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिए थे। अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में भारतीय कम्पनियों में 160 करोड़ रु० से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (अनिवासी भारतीयों के निवेश सहित) की परिकल्पना की गई है।

इन प्रस्तावों में अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल 22.83 करोड़ रु० की पूंजी निवेश किया जाना है। इन प्रस्तावों में जिन क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के पूंजी निवेश की परिकल्पना की गयी है, वे ये हैं :— कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का विकास, पीतल की कलाकृतियां, बाल प्वाइंट टिप्स, वनस्पति तथा फलों का अनुरक्षण और पैकिंग, विशिष्ट पालीमर्स तथा प्लास्टिक कम्पोनेन्ट, रसायन, रबड़ उत्पाद, परामर्शदायी सेवाएं, व्यापार, सम्पत्ति विकास के लिए परियोजना प्रबन्ध तथा वाणिज्यिक कार्यालयों का आन्तरिक डिजाइन, प्रबन्ध तथा वित्तीय परामर्शदायी सेवाएं आदि।

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों का निजीकरण

3177. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे केन्द्रीय उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनका 1991-92 के दौरान आंशिक रूप से निजीकरण किया गया था और जो 1992-93 के दौरान निजीकरण किया जाना है;

(ख) वर्ष 1991-92 तथा चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान उपक्रम-वार कितना-कितना निवेश किया गया; और

(ग) इक्विटी शेयरों का विक्रय मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया गया था और क्या प्रत्येक उपक्रम का वास्तविक औसत मूल्य इसके प्रत्यक्ष मूल्य से कम था अथवा अधिक ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 अथवा वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र का आंशिक रूप से निजीकरण नहीं किया गया है। वर्ष 1991-92 के दौरान तथा 1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक) के दौरान इन उद्यमों में कितना कितना अनिवेश किया गया है, इसका ब्योरा विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा तीन व्यापारिक बैंकरों नामश: भारतीय औद्योगिक ऋण तथा पूंजी-निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा एस० बी० आई० पूंजी बाजार लिमिटेड की सिफारिशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के शेयरों का सन्दर्भ मूल्य निर्धारित किया गया है और शेयर बेचे गये हैं। उन उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम के निर्धारित सन्दर्भ मूल्य शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक थे। वसूल किया गया वास्तविक औसत मूल्य, सन्दर्भ मूल्य से अधिक था।

विवरण-1

सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जिनके शेयर वर्ष 1991-92 के दौरान बेचे गए थे

क्रम सं०	सरकारी उद्यम का नाम	बेचे गए शेयरों की संख्या (लाखों में)
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	127.68
2.	इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	0.13
3.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	3.34
4.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	100.00

1	2	3
5.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	60.00
6.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	120.00
7.	राज्य व्यापार निगम	23 93
8.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	489.52
9.	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	522 46
10.	इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	372.00
11.	एच० एम० टी० लिमिटेड	42.68
12.	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	4.02
13.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	160.00
14.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	42.19
15.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	175.38
16.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	10.15
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	98.70
18.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	16.69
19.	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	193.16
20.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1200.00
21.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	311 36
22.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	1990.75
23.	नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड	717.91
24.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	351.00
25.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	807.46
26.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	399.61
27.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	111.63
28.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड	52.32
29.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड	191.90
30.	सी० एस० सी० लिमिटेड	25.28
	जोड़ :	8721.25

विवरण-2

उन सरकारी उद्यमों की सूची जिनके शेयर वर्ष 1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक) के दौरान बेचे गये

क्रम सं०	उद्यम का नाम	बेचे गए शेयरों की संख्या (करोड़ों में)
1	2	3
1.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	0.50
2.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि०	1.00
3.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	0.05
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	0.64
5.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	2.07
6.	एच० एम० टी० लि०	0.39
7.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	0.10
8.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि०	12.83
9.	नेशनल फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०	0.03
10.	नेवेली लिग्नाईट कारपो० लि०	3.23
11.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	1.02
12.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	0.03
13.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	21.99
	कुल :	43.93

[हिन्दी]

राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र

3 78. श्री मनकूल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से जोधपुर जिले में 30 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए सरकार वाणिज्यिक रूप से सिद्ध प्रौद्योगिकी की तलाश मे है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सौर प्रकाश व्यवस्था

3179. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी आवासीय कालोनियों की गलियों में और कालोनियों में सौर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी प्रकाश व्यवस्था देश में कहीं और उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। दिल्ली में सरकारी आवासीय कालोनियों में सौर रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सौर प्रकाश वोल्टीय प्रदर्शन और उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क रोशनी, घरेलू रोशनी, और सामुदायिक रोशनी के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। ये प्रणालियां उन स्थानों पर लागत प्रभावी हैं जो सामान्यतया बिजली ग्रिड से 5 कि०मी० से अधिक की दूरी पर स्थित हैं: इसलिए इन प्रणालियों को दूर-दराज और बिना बिजली वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश मे 28,500 से अधिक सड़क रोशनी प्रणालियां और 14,000 घरेलू रोशनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

परती भूमि विकास बोर्ड

3180. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** :
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि विकास बोर्ड का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में नयी योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य पूरे न होने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) पुनर्गठित राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने केरल राज्य सहित देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया है। 1993-94 के लिए वित्तीय परिव्यय सहित योजनाओं की सूची नीचे दी गई है :—

क्रमांक	योजना का नाम	1993-94 के लिए परिव्यय (लाख रुपये में)
1.	समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना योजना	3032.00
2.	निवेश संवर्धनात्मक योजना	400.00
3.	बंजर भूमि विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	500.00
4.	प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार योजना	150.00
5.	संवर्धनात्मक और महत्वपूर्ण सहायक सेवाओं की योजना	45 .00
6.	बंजर भूमि विकास कार्य दल	200.00

(ग) और (घ) पलाक्कड और त्रिशूर जिलों के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। सम्बन्धित समाहर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार परियोजनाओं की प्रगति इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	मार्च 1992 में रिलीज की गई निधियां	31 दिसम्बर 1992 तक खर्च
1. पलाक्कड	40.30	40.30
2. त्रिशूर	38.06	48.80

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त कामगार

3181. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन अतिरिक्त कर्मचारियों को किसी अन्य रोजगार में पुनः खपाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सेवा-निवृत्ति के लाभ देकर अब तक सेवानिवृत्त किया गया है; और

(घ) ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें पुनः खपाया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) लगभग 22,000 है।

(ख) राष्ट्रीय नवीकरण निधि सरकार द्वारा गठित की गई है जिसमें औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित कामगारों के प्रशिक्षण तथा उन्हें पुनः खपाने के लिए लिए सुविधाओं के सृजन की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) आरंभ में, राष्ट्रीय नवीकरण निधि की निधियां केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी०आर०एस०) योजना के लिए दी गई है और अतिरिक्त कर्मचारियों को पुनः खपाने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिन कर्मचारियों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सेवानिवृत्ति के लाभ देकर सेवानिवृत्त किया गया है, उसकी संख्या की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सहकारी समूह आवास समितियाँ

3182. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद जिले में पंजीकृत सहकारी समूह आवास समितियों का ब्योरा क्या है;

(ख) उन समितियों के नाम क्या है जिनके पास अपनी आवासीय भूमि उपलब्ध है;

(ग) ऐसी समितियों के नाम क्या है जिन्होंने भूमि विकास हेतु आवश्यक अनुमति ले ली है;

(घ) क्या कुछ समितियों द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के भूमि का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन समितियों के नाम क्या हैं; और

(च) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"किमको" का अधिग्रहण

3183 श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि कर्नाटक सरकार ने "भेल" से "किमको" का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "भेल" इसके अधिग्रहण के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भेल द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु निर्धारित धनराशि का उपयोग

3184. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) बिहार सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा उपयोग में न लाई गई शेष धनराशि कितनी है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा दे दिया है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धनराशि का किन-किन राज्यों ने उपयोग नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) से (ग) 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल अनुमोदित परिव्यय तथा बिहार की राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक खर्च का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपए में)	खर्च (लाख रुपए में)
1990-91	26,787.00	20,406.87
1991-92	31,877.00	22,661.69
1992-93	42,526.00	*

*1992-93 के दौरान किए गए खर्च के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय तथा विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किए गये वास्तविक खर्च के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। विवरण से यह देखा जा सकता है कि कुछ राज्यों ने परिव्यय से अधिक खर्च किया है जबकि कुछ राज्य वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान उपलब्ध कराए गए परिव्यय को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। चूंकि वर्ष 1992-93 अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के ब्यौरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तक कुछ राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में निधियों का पूरी तरह से इस्तेमाल न करने के कारणों का सम्बन्ध है, ऐसा कार्य की धीमी प्रगति, आधारभूत सुविधाओं के अभाव आदि के कारण हुआ।

विवरण

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल अनुमोदित परिव्यय तथा किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शा० क्षेत्र	1990-91		1991-92		1992-93
		परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च (अनंतिम)	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12796.00	9985.85	10744.00	12386.01	10446.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3012.00	2597.44	5053.00	4143.47	5648.00
3.	असम	10341.00	11354.10	14738.00	11977.54	15160.00
4.	बिहार	26787.00	20406.87	31877.00	22661.69	42526.00
5.	गोवा	828.00	1705.05	1302.00	1158.72	1428.00
6.	गुजरात	15290.91	16691.61	15714.00	10059.9[illegible]	16681.50
7.	हरियाणा	5092.00	4720.22	6470.00	5413.96	8723.50

1	2	3	4	5	6	7
8.	हिमाचल प्रदेश	6299.00	7400.95	8594.00	8083.26	10129.00
9.	जम्मू व कश्मीर	7376.50	6851.92	7115.00	6790 00	9643.00
10.	कर्नाटक	10497 00	10844.06	15203 00	15061.93	19[illegible]68.00
11.	केरल	5829.00	6491.97	4582.30	43[illegible]8.63	5414.00
12.	मध्य प्रदेश	20896.00	11553.69	21022.00	19414.48	28663.00
13.	महाराष्ट्र	17465.00	18502.03	21900 00	20523.40	24094.60
14.	मणिपुर	2764.50	2374.85	3802.00	3176.59	3558.12
15.	मेघालय	2629.50	2508.00	4[illegible]70 50	3856.87	4514.00
16.	मिजोरम	2412.00	247[illegible].40	3294.00	3062 34	3599.00
17.	नागालैंड	1337 00	1062.51	259[illegible].00	1962.90	2237.60
18.	उड़ीसा	10600.50	9901.73	11437.00	10052.81	11839.00
19.	पंजाब	3515.05	3125 05	6447 00	5012.54	7285.00
20.	राजस्थान	11388.00	11511.31	15584 00	14660.01	2316[illegible].00
21.	सिक्किम	1544.00	1631.01	20[illegible]0 00	1909 87	2371.00
22	तमिलनाडु	17817.00	21467 62	21535.00	[illegible]2530.81	18631.00
23.	त्रिपुरा	3618.00	4371.61	40[illegible]9.00	3376.72	4880.00
24.	उत्तर प्रदेश	44464 00	50993.77	4[illegible]495.00	32364 04	45175.00
25.	[illegible]म बंगाल	11832.00	8749.76	12518.50	9522.74	[illegible]10.40

1	2	3	4	5	6	7
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1057.35	944.17	1072.00	1000.86	1203.34
27.	चंडीगढ़	163.89	152.15	282.00	261.00	240.14
28.	दादर व नगर हवेली	110.94	199.35	2 2.00	175.62	223.97
29.	दमन व द्वीव	133.11	123.18	1236.02	192.30	236.27
30.	दिल्ली	3913.00	3940.12	5400.00	5775.54	7495.10
31.	लक्षद्वीप	158.91	162.46	135.00	112.78	206.42
32.	पांडिचरी	640.75	480.83	911.00	566.42	798.00
	राज्य क्षेत्र	263507.91	255278.64	301491.32	251645.76	351560.78
	केन्द्रीय क्षेत्र	81865.00	76615.95	126715.20	105791.08	93347.00
	कुल योग	345372.91	331894.59	428206.52	357436.84	444907.78

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजूरी सम्बन्धी बातचीत

3185. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूर संघ के साथ मजूरी सम्बन्धी बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सितम्बर, 1988 में गठित त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति ने 23-7-1992 को आयोजित अपनी अन्तिम बैठक में अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया। मजूरी समझौतों के अगले दौर के लिये मजूरी नीति से सम्बन्धित इन सिफारिशों पर सरकार को अभी निर्णय करना है।

[हिन्दी]

वस्त्र मिलों के बेरोजगार श्रमिक

3186. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूत और कृत्रिम धागे के कपड़ों का उत्पादन करने वाली कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ख) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इन मिलों के वर्तमान बेरोजगार श्रमिकों को पुनः रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के बन्द होने फलस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या 181335 है।

(ख) सरकार ने रुग्ण/बन्द वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापना पैकेज बनाने और प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है।

(ग) जबकि बेरोजगार कामगारों को पुनः नियोजित करने की कोई योजना नहीं है। फिर भी, वस्त्र मिलों का स्थायी/आंशिक रूप से बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को 3 वर्ष के लिए आन्तरिक सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि की स्थापना की गई है।

कम्प्यूटर संस्थान

3187. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जी॰ो, ए, बी और सी स्तर के पाठ्यक्रम चलाने हेतु प्राधिकृत कम्प्यूटर संस्थानों का ब्योरा क्या है तथा वे इनकी परीक्षाओं का संचालन किस प्रकार करते हैं;

(ख) इन संस्थानों को मान्यता देने सम्बन्धी मापदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली में कुछ ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जो मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इलैक्ट्रानिकी विभाग—कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों को मान्यता (डी०आई०ए०सी०सी०) प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत जिन संस्थानों को दिल्ली में 'ओ, ए तथा बी' स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनन्तिम रूप से मान्यता प्रदान की गई है, उनके ब्योरे विवरण में दिए गए हैं। 'सी' स्तर का पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए दिल्ली में अभी तक किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं भारतीय कम्प्यूटर संस्था और इलैक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इन्जीनियरी संस्थान द्वारा आयोजित की जाती हैं।

(ख) ओ, ए, बी तथा सी स्तर के कंप्यूटर पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए इन संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के मानदण्ड मुख्यतः शिक्षकों की आवश्यकता, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सुविधाएं, पुस्तकालय, शिक्षण सहायक उपकरण, निर्धारित पाठ्यविषय आदि होते हैं।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत, केवल उन्हीं संस्थानों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम जैसे कि ओ (आधारभूत), ए (उन्नत डिप्लोमा), बी (स्नातक) तथा सी (स्नातकोत्तर) स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाती है, जो निर्धारित गुणवत्ता तथा मानकों को पूरा करते हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली में अनन्तिम रूप से मान्यता प्रदान किए गए संस्थानों की सूची

डी ओ ई ए सी सी- 'ओ' स्तर

क्रम सं०	संगठन
1	2
1.	इन्टर नेशनल डाटा प्रोसेसिंग कम्पनी लिमिटेड 77, सांची, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 10019।
2.	इण्डिया एजूकेशन सेंटर, विकास मार्ग शाखा, आई०ई०सी० हाउस, एम-92, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
3.	अपट्रान एम०बी०आई०टी० कम्प्यूटर्टेनिंग प्रा० लिमिटेड, 307, आर्शीवाद बिल्डिंग डी-1, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016।
4.	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी 10, समुदायिक केन्द्र, मायापुरी, फेस-7 नई दिल्ली-110064।
5.	आई०ई०सी०, टॉलस्टाय मार्ग केन्द्र इण्डिया एजूकेशन सेंटर, फ्लैट सं० 801, रोहित हाऊस, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001।
6.	प्रियदर्शनी, हाल सं० 12, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001।
7.	इन्स्टीट्यूट ऑफ साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, 17, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001।
8.	कुरूक्षेत्र कालेज, एम-78, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001।
9.	एप्पल साउथ एक्सटेंशन केन्द्र, एप्पल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एन-13, साउथ एक्सटेंशन भाग-1, मुख्य रिंग रोड, नई दिल्ली-110049।
10.	महान कम्प्यूटर सर्विसेज (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड, एफ ए-33, शिवाजी एन्कलेव, नई दिल्ली-110027।
11.	एन०आई०आई०टी० दक्षिणी दिल्ली केन्द्र, एन०आई०आई०टी० लिमिटेड का एक प्रभाग साउथ एक्सटेंशन, भवानी हाउस, एम-5, साउथ एक्सटेंशन भाग-II, नई दिल्ली।
12.	आई०ई०सी० राजौरी गार्डन केन्द्र, इण्डिया एजूकेशन सेंटर, ए-12, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।

1	2
13.	आई०ई०सी० ग्रेटर कैलाश भाग-II, केन्द्र आई०ई०सी०, ई-578, ग्रेटर कैलाश II नई दिल्ली।
14.	सिटी सेन्टर ऑफ स्टडीज टी-1, पैराडाइस प्लाजा, अलकनन्दा विपणन केन्द्र, अलकनन्दा, नई दिल्ली-110019।
15.	एन०आई०आई०टी० करोल बाग केन्द्र, एन०आई०आई०टी० लिमिटेड का एक प्रभाग 17/41, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।
16.	एप्पल पूसा रोड फ्रेन्चाइस केन्द्र, छोईस इण्डिया प्रा० लिमिटेड 11/6-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005।
17.	वाई०डब्ल्यू०सी०ए० ऑफ दिल्ली, महिला प्रशिक्षण संस्थान विभाग, अशोक मार्ग, नई दिल्ली-110001।
18.	कांम्पटट सफदरजंग एन्कलेव केन्द्र, कम्प्यूटर प्वाइंट ए- /288, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029।
19.	आई०एस०सी०टी० प्रीत विहार इण्टरनेशनल स्कूल ऑफ कप्यूटर टेक्नोलॉजी सी-40, प्रीत विहार दिल्ली-110092।
20.	बी०आर०एल०एन०टी० साउथ एक्सटेंशन केन्द्र, ब्रिलिएंट कम्प्यूटर केन्द्र डी-5, साउथ एक्सटेंशन भाग-II, नई दिल्ली-110049।
21.	सेंट्रल दिल्ली केन्द्र, मिलाप बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।
22.	वर्षान्त इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड ई-174, कालकाजी नई दिल्ली-110019।
23.	आई०एस०सी०टी० साउथ एक्सटेंशन केन्द्र, इण्टर नेशनल स्कूल ऑफ कप्यूटर टेक्नोलॉजी, सी-7, (द्वितीय तल) साउथ एक्सटेंशन भाग-II, नई दिल्ली-110049।
24.	प्रोटोटाइप डेवलेपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020।
25.	टी०सी०आई०एल०, टेलीकम्युनिकेशन कन्सलटेन्ट इण्डिया लिमिटेड सूचना प्रौद्योगिकी (टी०सी०आई०एल०-आई०टी०सी०) 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110043।
26.	एअरफोर्स वोकेशनल कालेज, ओ०डब्ल्यू०सी०, रेस कोर्स, नई दिल्ली-110003।

डी ओ ई ए सी सी-'बी' स्तर

1.	टी०यू०एल० ग्रेटर कैलाश, टाटा यूनिसाइस लिमिटेड, क्रिएटिव-10 मस्जिद मोठ व्यवसायिक परिसर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048।

1	2
2.	बी०आर०आई०एल०एन०टी०, ब्रिलिएट कम्प्यूटर केन्द्र, डी-5, साउथ एक्सटेंशन, भाग-II, नई दिल्ली-110049।
3.	टी०सी०आई०एल०, टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इण्डिया लिमिटेड सूचना प्रौद्योगिकी (टी०सी०आई०एल०-आई०टी०सी०) 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110043।
	डी ओ ई ए सी सी-'बी' स्तर
1.	टी०सी०आई०एल०, टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इण्डिया लिमिटेड सूचना प्रौद्योगिकी (टी०सी०आई०एल०-आई०टी०सी०) 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110043।

[अनुवाद]

केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता

3188. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों हेतु केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना 30 सितम्बर, 1988 में समाप्त कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तिथि तक स्थापित किए गए कुछ एककों को देय राजसहायता की राशि अभी वितरित की जानी है;

(ग) यदि हां, तो इन एककों का ब्यौरा क्या है और इन एककों को देय राशि का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य-वार इन एककों को यह राशि कब तक वितरित की जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना को वापस लेने के कारण केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को गैर-विनिर्माणकारी कार्यकलापों हेतु एककों को 30 सितम्बर, 1989 तक राजसहायता वितरित करने और विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 31 दिसम्बर, 1989 तक राजसहायता वितरित करने की सलाह दी है बशर्ते इन परियोजनाओं का 30-9-88 को या इससे पहले अर्थात इस योजना की वैधता अवधि के भीतर राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया हो। राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार किए गए वितरण की अदायगी केन्द्र सरकार द्वारा निधियों

की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए की जाएगी। केवल इन दिशानिर्देशों के भीतर आने वाले एकक ही अदायगी के पात्र है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग का विकास

31×9. **श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मन्त्री** 12 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 46 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग के विकास सम्बन्धी सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम उनके अपने-अपने राज्य खादी तथा ग्रामोद्यो। बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के क्षेत्र का चयन कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा कौशल, सभावना, कच्चे माल की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं के अनुसार किया जाता है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 1991-92 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यो को अनुदान तथा ऋण के रूप में निम्नलिखित निधियां वितरित की हैं :—

(रु० करोड़ में)

राज्य	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
मध्य प्रदेश	1.49	0.25	0.43	3.70
उड़ीसा	0.05	0 01	0.15	3.15

सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं और राज्य बोर्डों के माध्यम से कार्यक्रमों के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने केन्द्रीय स्लिवर संयत्रो जिन्हें विभाग निष्पादित किया जा रहा है, के लिए सेहोर (मध्य प्रदेश) और चौद्वार (उड़ीसा) हेतु क्रमश: 68.40 लाख और 12.56 लाख रुपए स्वीकृत किए है।

[अनुवाद]

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के एककों की व्यवहार्यता रिपोर्ट

3190. **श्री हाराधन राय : क्या प्रधान मंत्री** 18 मार्च, 1 92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3691 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के ऊष्मसह और मृत्तिका एककों के ऊष्मसह और मृत्तिका कामगार संघ से प्राप्त दो रिपोर्ट की समीक्षा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) एक रिपोर्ट की समीक्षा पहले ही कर ली गई है और उसमें की गई सिफारिशों को कम्पनी के हित मे नहीं पाया गया है । दूसरी रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

केरल में सामान्य पूल के आवास का निर्माण

3191 **श्री वी०एस० विजयराघवन :**
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के किसी भी शहर में वहां कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के आवास का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली के अतिरिक्त किन-किन शहरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के आवास का निर्माण किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां । कोचीन में साधारण पूल आवास उपलब्ध है ।

(ख) और (ग) कोचीन में टाइपवार उपलब्ध मकानों की संख्या इस प्रकार है :—

टाइप-I	—	32
टाइप-II	—	116
टाइप-III	—	68
टाइप-IV	—	24
टाइप-V	—	4
योग :		244

(घ) दिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित स्टेशनों में भी साधारण पूल वास उपलब्ध है :—

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, शिमला, नागपुर, चण्डीगढ़, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इंदौर, हैदराबाद, बंगलोर, लखनऊ, अगरतल्ला, इम्फाल, कोचीन, कोहिमा, शिलांग, भोपाल, कानपुर और इलाहाबाद।

[हिन्दी]

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

3192. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बबराला और शाहजहांपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने मे कठिनाई पेश आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को पूरा करके गैर-सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) बबराला और शाहजहांपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाएं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रवर्तकों द्वारा दी गई अद्यतन प्रगति रिपोर्टों के अनुसार बबराला और शाहजहांपुर की परियोजनाओं ने कुल 31.8% और 50.44% प्रगति प्राप्त कर ली है और 1994-95 के दौरान उन्हें चालू किए जाने की आशा है।

गुजरात और असम में छोटे और मझोले शहरों का विकास

3193. श्री एन०जे० राठवा :

श्री भाभाजी मंगाजी ठाकुर :

श्री प्रबीन डेका :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात और असम राज्य सरकारों से छोटे और मझोले शहरों का विकास योजना के अन्तर्गत छोटे और मझोले शहरों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितना धन व्यय हुआ ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) छोटे व मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत गुजरात व असम सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के आधार पर, गुजरात के 33 कस्बों और असम के 14 कस्बों की योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और 1979--31-03-92 तक क्रमश: 1028.83 लाख रुपए और 476.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है ।

चालू वित्त वर्ष में गुजरात सरकार से आठवीं योजना के दौरान छोटे व मझोले कस्बों की विकास योजना के समावेश हेतु प्रस्तावित 25 कस्बों की प्राथमिकता सूची सहित शहरीकरण नीति दस्तावेज प्राप्त हुआ है । नाडियाड, भड़ौच और बधवान कस्बों के लिए भी परियोजना रिपोर्टें मिली हैं । असम सरकार ने चालू वित्त वर्ष में शिवसागर कस्बा, जिसे 1990-91 में छोटे मझोले कस्बों की विकास योजना में शामिल किया गया था, के लिए संशोधित/अतिरिक्त कार्यक्रम पेश किया है । तथापि, असम सरकार ने छोटे व मझोले कस्बों की विकास योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अभी तक नये कस्बों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

छोटे व मझोले कस्बों की विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को प्रचलित दिशा-निर्देशों तथा वित्त वर्ष में सुलभ धन के अनुसार समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है ।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और असम सरकारों को रिलीज की गई कस्बा-वार केन्द्रीय सहायता के ब्योरे संलग्न विवरण में हैं ।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान छोटे व मझोले कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत गुजरात और असम सरकारों को जारी कस्बा-वार केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

गुजरात

क्रम सं०	वर्ष तथा कस्बे का नाम	राशि
1	2	3
	1989-90	
1.	हिम्मत नगर	29 75
2.	जूनागढ़	29.75
	योग :	59.50
	1990-91	
3.	सुरेन्द्र नगर	27.50
4.	बोटाड	15.00
5.	मोरबी	25.00
6.	पाटन उत्तर*	4.52
7.	पालनपुर*	8.06
	योग :	80.08
	1991-92	
8.	सीधपुर	20.00
9.	विराम गांव	20.00

1	2	3
10.	केशोद	20 00
11.	महुआ**	15.00
	योग :	75.00
	कुल योग :	214.58

असम

1989-90

1.	हाफलौंग	29.75
2.	बोंगाई गांव	29.75
	योग :	59.50

1990-91

3.	शिवसागर	2 .00
4.	धुबरी	25.00
5.	गोलाघाट	15.00
	योग :	65.00

1991-92

6.	उत्तर लखिमपुर	15.00
7.	दिबु***	20.00
8.	करीमगंज***	3.00

1	2	3
9.	नौगांव***	12.00
10.	बोंगाइगांव***	15 00
	योग :	65.00
	कुल योग :	189.50

*पाटन नाथं और पालनपुर को छठी योजना के दौरान छोटे व मझौले कस्बों की विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था और 1990-91 में इन कस्बों को क्रमशः 4.52 लाख रुपये और 8.06 लाख रुपए की अन्तिम किश्त जारी की गई थी।

**महुआ को सातवीं योजना के दौरान छोटे व मझोले कस्बों की विकास योजना मे शामिल किया गया था और 1991-92 में 15.00 लाख रुपये की अनुवर्ती किस्त जारी की गई थी।

***दीपू, करीमगंग, नौगांव और बोंगाईगांव को सातवीं योजना के दौरान छोटे व मझोले कस्बों की विकास योजना में शामिल किया गया था तथा 1991-92 के दौरान इन कस्बों के सामने दर्शाई गई राशि करीमगंज के लिए अन्तिम किस्त और अन्य कस्बों के लिए द्वितीय किस्त है।

"पानीपत वूलन मिल, खराड़" को बन्द किया जाना

3194 **डा० चिन्ता मोहन :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत कार्य करने वाली "पानीपत वूलन मिल, खराड़" को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बन्द होने से कितने श्रमिकों के बेरोजगार होने की सम्भावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत पानीपत वूलन मिल, खराड़ को अन्य बातों के साथ-साथ आवर्ती घाटों, कम उत्पादकता, उच्च मानव-मशीन अनुपात आदि के कारण गैर-अर्थक्षम होने के लिए अभिज्ञात किया गया है। पानीपत वूलन मिल सहित एन०टी०सी० की अलग-अलग मिलों को बन्द अथवा बनाए रखने के प्रश्न पर विचार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और अन्य सम्बन्धित घटकों के माध्यम से किए जा रहे श्रमिक सुव्यवस्थितिकरण के अर्थक्षमता के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात किया जाएगा।

[अनुवाद]

कच्चे पत्थर को मीथेन में परिवर्तित करना

3195. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइक्रोव्स का इस्तेमाल करके कच्चे पत्थर को मीथेन में परिवर्तित करने की कोई प्रौद्योगिकी हाल ही में विकसित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी का विशेषकर मौजूदा कोयला क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं, और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में मीथेन तथा अन्य सह-उत्पादों का कितना अनुमानित उत्पादन होगा ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है जोकि सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

3196 **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी निवेश में कटौती की गई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन उपक्रमों की कार्यकुशलता और लाभ में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपक्रमों की कार्यकुशलता और लाभ में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31-3-1993 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे पन्द्रह उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में से किसी में भी पूंजी निवेश में कमी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और उद्यमों द्वारा उद्यम विशेष की आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है। उठाए गए कुछ कदम है—आधुनिकीकरण तथा

पुनर्स्थापना सम्बन्धी योजनाएं बनाना, वित्तीय प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन करना, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि।

[अनुवाद]

नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

3197. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यातित नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों की मात्रा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान इन उत्पादों का निर्यात लक्ष्य से कम था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात किए गए कयर तथा कयर उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (रु० लाखों में)
1989-90	27,458	4017.77
1990-91	27,926	4832.85
1991-92	30,999	7411.63

(ख) और (ग) 1991-92 के लिए लक्ष्य 66 करोड़ रु० था। 1991-92 के दौरान निर्यात लक्ष्य से अधिक हुआ और 112 प्रतिशत की उपलब्धि रिकार्ड की गई।

(घ) कयर बोर्ड जो एक सांविधिक निकाय है, ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कयर तथा कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। बोर्ड ने ब्रिटेन और जर्मनी में भारतीय कयर के उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी कयर संघों के साथ संयुक्त प्रचार कार्यक्रम शुरू किया है। बोर्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है और इन देशों में बाजार विकास शिष्टमण्डल भेजता है।

रेशम का उत्पादन

3198. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कुछ परियोजनायें शुरू की हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं भी शुरू की हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश मे ऐसी कुछ परियोजनायें शुरू की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) शहतूती रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व बैंक/स्विस विकास सरकारी सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (एन० एस० पी०) 5 परम्परागत राज्यों (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर) और 12 गैर परम्परागत राज्यो बिहार, असम, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 1989-90 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रायोगिक रेशम उत्पादन परियोजनाओं को इन गैर-परम्परागत राज्यों के चुनिंदा जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इसके अलावा तसर रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उड़ीसा और महाराष्ट्र मे स्विस सहायता से अन्तर राज्य टसर परियोजना का कार्यान्वियन किया जा रहा है।

इसके अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मलबरी, टसर, मूंगा और येरी रेशम की किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास तथा आधारभूत सहायता प्रदान करने के लिए देश-व्यापी एककों का नेटवर्क स्थापित किया है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों को राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा रहा है :—

(1) गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (उड़ीसा)।

(2) इण्डो-स्विस अन्तर राज्य टसर परियोजना (उड़ीसा) का अनुवर्ती चरण।

(3) इण्डो-स्विस मलबरी परियोजना (आंध्र प्रदेश)।

डी० डी० ए० का निजीकरण

3199. प्रो० रीता वर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि फ्लैटों के आबंटन हेतु प्रतीक्षारत सभी श्रेणियो के अन्तर्गत पंजीकृत 79912 व्यक्तियों को, भूमि तथा बुनियादी सुविधाएं सुलभ होने पर आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान आबंटन/नियतन मिलने की संभावना है । पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित परियोजनायें/स्कीमें चल रही हैं—

1. रोहिणी
2. द्वारका
3. नरेला
4. जसोला
5. धीरपुर

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मार्च, 1993 में 22,878 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं ।

पटसन कारखानों में विविध उत्पादों का उत्पादन

3200. **श्री इन्नाम मोल्लाह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने एकक पटसन के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन एककों का उत्पादन कितना था;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक राज्य-वार कितनी केन्द्रीय धनराशि नियत की गई है, वितरित की गई है और व्यय की गई है; और

(घ) इसके लिए क्या भावी योजना बनाई गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) पश्चिम बंगाल में 12 पटसन मिलें विविधकृत पटसन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है । इसके अलावा कागज उद्योग तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में अनेकों उद्यमी भी विविधीकृत पटसन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे है ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान विविधीकृत उत्पादों सहित विभिन्न गैर-परम्परागत पटसन वस्तुओं का उत्पादन अनुमानतः 264.5 हजार मीट्रिक टन और अप्रैल-नम्बर 1992-93 में 198.1 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) सरकार देश के विभिन्न भागों में विविधीकृत पटसन आधारित उत्पादों के विनिर्माण को शुरू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय, राजकोषीय और विपणन सहायता का प्रावधान और उपभोक्ता की रुझानों के अनुकूल विविधीकृत पटसन उत्पादों की एक नई किस्म विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए निधि पोषण शामिल है इस प्रयोजन के लिए राज्यवार आधार पर निधियां उद्दिष्ट नहीं की जाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकेन्द्रीयकरण

3201. **श्री रवि राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिक विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वैज्ञानिक विभागों और एजेंसियों को वित्तीय प्रक्रियाओं, कार्मिक नीतियों, अधिप्राप्ति प्रबन्ध प्रणाली, तकनीकी समर्थन सेवाओं और अन्य प्रशासनिक मामलों से सम्बन्धित विषयों में शक्तियों का यथेष्ट प्रत्यायोजन किया हुआ है। इसके अलावा, राज्य सरकारों की भी उपयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणालियां हैं।

गुजरात की परियोजनाएं

3202. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्रीय सरकार की निगरानी में चल रही परियोजनाओं के नाम क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में इनके विस्तृत मूल्यांकन का ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) दिनांक 1-1-1993 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में 13 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। इसके अतिरिक्त, 5 परियोजनाए हैं जो गुजरात से होकर जाती हैं जैसे रेलवे लाइन तथा पैट्रोलियम पाइप लाइन। इन 18 परियोजनाओं के नाम वर्तमान स्थिति के आकलन के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात की परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं०	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	अनुमोदन की तारीख मूल (संशोधित)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु०)	संचयी व्यय (करोड़ रु०)	चालू होने की प्रत्याशित तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
क्षेत्र : परमाणु ऊर्जा							
1.	काकरापार परमाणु विद्युत, सूरत, गुजरात	मे० वा० 2×235	81/07 (90/11)	1084.00	946.81	12/93	इकाई-I चालू कर दी गई है तथा इकाई-II समाप्ति के अग्रिम स्तर पर है।
क्षेत्र : पेट्रो रसायन							
2.	स्पेन्डेक्स यार्न परियोजना भरूच, गुजरात	टी० एच० एम० टी० 0.30	87/05	75.00	69.06	10/93	अनुमानित प्रगति 60 प्रतिशत की रेंज में है।
3.	पोलिएस्टर विस्तार परियोजना भरूच, गुजरात	टी० एम० ए० 8000	89/08	134.00	95.50	3/93	परियोजना बहुत अग्रिम स्तर पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
क्षेत्र : पेंट्रोलियम							
4.	अतिरिक्त गौण परिष्करण सुविधाएं, बड़ौदा, गुजरात	एम० एम० टी० पी० ए० 2.5	87/02	757.24	654.83	5/93	परियोजना अग्रिम स्तर पर है।
क्षेत्र : विद्युत							
5.	कवास गैस विद्युत परियोजना सूरत, गुजरात	मे० वा० 6448	86/10	1494.61	1116.89	9/93	एक भाप टर्बाइन के अतिरिक्त सभी इकाइयां समय पर पूरी की गई हैं।
6.	गांधार गैस विद्युत परियोजना स्तर-I, भरूच, गुजरात	मे० वा० 648	92/02	2165.00	42.90	9/95	स्थल पर कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।
7.	काकरापार संचरण लाइन, गुजरात	सी० के० एम० 768	91/01	57.00	34.73	3/93	परियोजना अग्रिम स्तर पर है।
क्षेत्र : रेलवे							
8.	नाडियाद-I मोदसा एवं कापाड़वरी, प० रे०, नई लाईन गुजरात	के० एम० 60.50	78/10	34.66	8.58	12/94	नाडियाद-कापाड़वरी खंड का गेज बदलने का कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	विद्युत लोको पुनर्वास सुविधाएं दाहोद, प० रे०, गुजरात		90/03	20.00	0.85	3/96	प्रारम्भिक स्तर
क्षेत्र : भूतल परिवहन							
10.	कांडला-7 वर्थ सामान्य कारगो, कांडला गुजरात-1		88/06	32.43	28.89	12/92	समाप्ति के करीब है।
11.	अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे गुजरात	के०एम०एस० 92.85 जी० पी० डब्ल्यू० डी०	86/01 (86/12)	220.26	92.60	12/94	रोड पैकेज-35% पुल पैकेज-50%
क्षेत्र : दूरसंचार							
12.	वासना-2 का विस्तार ई 10 बी० एक्स० एव इमारत अहमदाबाद, गुजरात	10000 लाइनें	88/07	20.01	13.00	3/93	वास्तविक प्रगति-50%

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महिधरपुरा में 10 के एक्सचेंज की स्थापना, सूरत, गुजरात	के० 10	90/03	21.98	13.23	3/93	वास्तविक प्रगति-30%
गुजरात से होकर जाने वाली परियोजनाएं							
क्षेत्र : पैट्रोलियम							
14.	कांडला-भटिंडा पाइपलाइन, गुज०/राज०/हरि०	एम० टी० वाई० 1.5	90/08	1224.51	87.64	12/94	प्रारम्भिक स्तर। इसका पुन: निविदा दिया जाना संभावित है।
क्षेत्र : विद्युत							
15.	गांधार संचरण लाइन प्रणाली, स्तर-I गुजरात/महाराष्ट्र	सी० के० एम० 715	92/02	203.81	1.74	8/95	प्रारम्भिक स्तर।
क्षेत्र : रेलवे							
16.	गोधरा-इन्दौर देवास-मकसी, प० रे०, नई लाइन गुजरात/म० प्र०	के० एम० एम० 316	89/04	297.15	14.71	3/96	समग्र प्रगति 24% की रेंज में है।

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	वीरमगाम-भिल्दी प० रे०, नई लाईन गुजरात/राजस्थान	के० एम० एस० 157	90.04	155.66	0 00	6/96	प्रारम्भिक स्तर ।
18.	भिल्दी-सामदारी एवं सामदारी जोधपुर उ० रे०, गुजरात/राज०	के० एम० एस० 306	90.04	188.00	0.10	6/95	प्रारम्भिक स्तर ।

[हिन्दी]

आइसोप्रोटान का निर्यात

3703. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइसोप्रोटान, जिसमें विषैले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, का भारत से बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रसायन के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सम्भवतः 'आइसोप्रोटोन' शब्द से आशय 'आइसोप्रोटुरोन' से है। डाइमिथाइल अमीन का प्रयोग आइसोप्रोटुरोन के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो एक विषैला पदार्थ है।

(ग) 'आइसोप्रोटुरोन' का निर्यात करके देश ने 1991-92 के दौरान रुपए 908.12 लाख रुपए अर्जित किए।

[हिन्दी]

भवन निर्माताओं द्वारा कथित धोखाधड़ी

3204. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ भवन निर्माताओं द्वारा कथित धोखाधड़ी के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन भवन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार भवन निर्माताओं का पंजीकरण करने के सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) दिल्ली अपार्टमेंट सम्पत्ति विनियमन विधेयक नामक एक विस्तृत विधेयक सरकार के विचाराधीन है, निजी भवन निर्माताओं के पंजीकरण, प्रमोटरों और भावी खरीदारों के बीच शर्तों और निबन्धनों का अनुपालन न करने पर दण्डात्मक उपाय का प्रावधान होगा।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग क्षेत्र में रुग्ण एकक

3205. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इन्जीनियरिंग उद्योग क्षेत्र में रुग्ण एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1991 के अन्त में भारी इन्जीनियरी उद्योग क्षेत्र में 51 गैर-लघु औद्योगिक एककों के रुग्ण होने की रिपोर्ट थी।

(ख) से (घ) पता लगाए गए सभी रुग्ण औद्योगिक एककों के लिए जीव्यता अध्ययन वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा किए जाते हैं। जिन एककों को व्यावसायिक तथ्यों के आधार पर सम्भावित रूप से जीव्यक्षम पाया जाता है, उन्हें पुनरूज्जीवन के लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा अपने हाथ में लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 1991 के अन्त तक भारी इन्जीनियरी उद्योग क्षेत्र में 37 रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में जीव्यता अध्ययन किए गए हैं। ऐसे औद्योगिक एककों में से 21 एककों को सम्भावित जीव्यक्षम और 14 को अजीव्य-क्षम पाया गया था। 2 एककों की जीव्यता के बारे में निर्णय नहीं लिया गया था।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित जल योजनाओं की परिवीक्षा

3206. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित जल योजनाओं के सम्बन्ध में कोई परिवीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति

की निगरानी उड़ीसा सरकार से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों तथा साथ ही राज्य सरकार के साथ आयोजित बैठकों के दौरान और अधिकारियों द्वारा राज्य के दौरों के समय होन वाली चर्चा की मार्फत की जाती है।

(ख) 1992-93 के दौरान (फरवरी 1993 तक) 1119 गांवों, जिनमे 360 "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांव और 790 आंशिक रूप से कवर किए गए गांव (जनवरी, 1993 तक) शामिल हैं, में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई गई है जिससे 2.64 लाख ग्रामीण जन संख्या को लाभ हुआ है जिसमें 0.40 लाख अनुसूचित जाति के लोग और 0.42 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। 1992-93 के दौरान (जनवरी 1993 तक) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 13.02 करोड़ रुपए, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 16.96 करोड़ रुपए और कोरापुट, मयूरभंज, फूलबनी तथा गंजम के पांच खण्डों में मिनी-मिशन परियोजनाओं में 2 418 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। मयूरभज की मिनी मिशन परियोजना की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

महाराष्ट्र में कपास का निर्यात कोटा

3207. **श्री अन्ना जोशी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की घरेलू मांग तथा खपत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात हेतु दस लाख गट्ठे कपास का अतिरिक्त कोटा जारी करने का है;

(घ) क्या सरकार का इस अतिरिक्त निर्यात कोटे में से महाराष्ट्र सरकार को कोई हिस्सा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी कितनी संख्या निश्चित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जो० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 में कपास (मिल तथा गैर-मिल) की घरेलू खपत में थोड़ी सी गिरावट आई (1990-91 में 115.50 लाख गांठों की तुलना में 1991-92 में 111.09 लाख गाठें)। यह 1991-92 में कपास के मूल्य में आंशिक रूप से वृद्धि तथा सरकारी क्षेत्र मिलों द्वारा कम खपत के कारण थी।

(ग) से (ङ) चालू कपास मौसम के दौरान सरकार ने पहले ही 14.955 लाख गाठों का निर्यात कोटा रिलीज कर दिया है। इस कोटे में से 3.70 लाख गाठें महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन परिसंघ को आबंटित थी। निर्यात के लिए अतिरिक्त आबंटन से सम्बन्धित निर्णय लेना कपास की उपलब्धता व अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों ही बाजारों में प्रचलित कीमतों पर निर्भर करेगा।

उद्योग स्थापना सम्बन्धी नीति

3208. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को मुम्बई महानगर क्षेत्र के लिए उद्योग स्थापना सम्बन्धी संशोधित नीति प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके वातावरणीय पहलुओं सहित नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुग्ण एककों को बी० आई० एफ० आर० को सौंपना

3209. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के 49 में से 19 एकक जीर्ण रूप से रुग्ण हैं और उन्हें बी० आई० एफ० आर० को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बी० आई० एफ० आर० को सौंपे गये प्रत्येक औद्योगिक एकक की रुग्णता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक एकक को पुनः चलाने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इस धनराशि को किन स्रोतों से जुटाया जाएगा; और

(ङ) इन एककों को सरकार से पर्याप्त क्रयादेश सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बी० आई० एफ० आर० ने 9 एककों के सम्बन्ध में पुनरुत्थान योजनाएं तैयार करने का निदेश दिया है। तथापि, बी० आई० एफ० आर० द्वारा अभी तक किसी भी पुनरुत्थान योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए अपेक्षित निधियों की मात्रा तथा उनके स्रोतों के बारे में इस समय सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम से जब भी ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है तो सम्भव सीमा तक सहायता दी जाती है।

विवरण

बी० आई० एफ० आर० को संदर्भित एककों की रुग्णता के ब्यौरे

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	एकक का नाम	इक्विटी पूंजी यथा	रिजर्व यथा	संचित हानियां यथा	वहन की गई नकद हानियां		वहन की गई निवल हानियां	
		31-12-92	31-3-92	31-3-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि०	6.08	0.02	54.77	3.35	2.67	8.18	8.04
2.	रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	4.76	—	156.88	12.24	14.47	27.12	32.19
3.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लि०	6.67	—	77.64	17.60	14.10	10.29	11.19
4.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	22.95	0.54	72.82	0.51	6.18	2.59	7.87
5.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	16.87	—	70 63	7.94	14.86	8.64	15.66
6.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	9.74	0.09	33.45	3.01	12.60	3.61	13.12
7.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	7.81	0.09	313 86	47.39	52 40	48.25	53.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	50.68	—	86.91	13.43	15.01	14.18	16.69
9.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियरिंग लि०	4.86	—	50.49	8.21	8.46	8.37	8.60
10.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०	17.29	—	46.78	4.76	1.56	5.39	2 26
11.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	4 08	—	17.99	1.72	1.47	1 95	1.17
12.	वेबर्ड (इण्डिया) लि०	0.26	—	9 69	8.23	9.67	8 25	9.69
13.	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०	212 24	2.50	482.16	92.87	163.89	99.51	192.65
14.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	38.43	0.31	135.18	35.84	36.20	37.69	38.60
15.	साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	11.87	—	155.62	25.39	28.26	27.39	30.16
16.	नेशनल बाइसिकल कारपो० आफ इण्डिया लि०	5.65	—	79.50	18.11	11.42	18.20	11.51
17.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	17.75	—	68.73	5.33	11.12	7.04	12.82
18.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०	48 47	—	204.34	20.04	21.77	26 24	24.47
19.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया लि०	15.01	0.48	140.24	7 31	7.17	18.70	19.56

नियन्त्रित अनियन्त्रित औषधियों के मूल्य

32 0. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान नियन्त्रित औषधियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या हाल ही में बल्क औषधियों का अधिक आयात होने से इन औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि होने के कारण, अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ औषधों के मूल्य में भी वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। किन्तु, मुख्य बीमारियों में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश औषधें मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत है और मूल्य में वृद्धि सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की गई है। मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाली औषध के मामले में बी० आई० सी० पी० के विचार-विमर्श से मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जबकि मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं आने वाली औषधों के मामले में नजर रखी जाती है और जब कभी ज्यादा वृद्धि जानकारी में आती है तो सम्भावित उपचारात्मक कदमों के लिए मामला स्वदेशी उत्पादक की जानकारी में लाया जाता है। पूर्णत: अथवा आंशिक आयातित औषध के मामले में मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की रूपरेखा और प्रचलित विनिमय दर पर निर्भर करते हैं।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधों का आयात

3211. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक जीवन रक्षक औषधों का उत्पादन नहीं होता और उनका भारी मात्रा मे विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश मे ही इन औषधों के उत्पादन के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ कोई समझौता करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) देश में जिन औषधों और सूत्रयोगों का उत्पादन नहीं होता है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रूप से उनका आयात करना पड़ता है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस उद्योग में अधिक अप्रचलनता है और कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार का कार्य भेषजों के उत्पादन के लिए वित्तीय/तकनीकी सहयोग के लिए उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों को गुणावगुण के आधार पर ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के बाद उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियां देना है।

[अनुवाद]

शुल्क वापसी योजना

3212. श्री हरिन पाठक :
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वापसी योजना के अन्तर्गत अनुदान देना तथा कोटा नीति अपनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत बिहार में क्या काम किया गया;

(ग) हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ङ) हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) बिहार में निर्मित होने वाली तथा निर्यातित की जाने वाली वस्तुओं सहित देश से अनेक वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए शुल्क वापसी की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार सरकार ने वार्षिक कोटों का अनुकूल उपयोग करने तथा निर्यात व्यापार का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वस्त्रों और परिधानों के लिए निर्यात पात्रता वितरण नीति बनाई है। यह नीति बिहार से होने वाले निर्यातों सहित देश के सभी भागों से होने वाले निर्यातों पर समान रूप से लागू होती है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान सूती हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्पों (जिसमें हाथ से गुंथे कालीन शामिल नहीं हैं) के निर्यात क्रमशः 692.20 करोड़ रु० तथा 1065 करोड़ रु० मूल्य के हुए।

(घ) वर्ष 1993-94 के लिए हथकरघा तथा हस्तशिल्पों के निर्यात के लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं।

(ङ) सरकार ने सूती हथकरघा तथा हस्तशिल्प की मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम

उठाए हैं जिनमें विदेशों में विक्रेता-सह-अध्ययन दलों को भेजना, मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना आदि शामिल है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० एककों को आबंटन

3213. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० की विभिन्न एककों को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आबटित की गई थी;

(ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स के मुजफ्फरपुर एकक को कम राशि आबटित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान मुजफ्फरपुर एककों का कोई आबंटन नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलोरो) : (क) से (ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) अपने कार्य-सचालन के लिए सरकार सहित विभिन्न स्रोतों से धनराशियां प्राप्त करता है। वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (फरवरी, 93 तक) वर्षों के दौरान सभी स्रोतों से आई०डी०पी०एल० के विभिन्न निर्माण एककों को उपलब्ध धनराशियां विवरण में दी गई हैं। आई०डी०पी०एल० की धनराशियों की कठिनाइयां होते हुए भी मुजफ्फरपुर एकक को पर्याप्त धनराशियां उपलब्ध थी।

(घ) ऊपर बताई गई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के एककों को उपलब्ध धनराशियां बताने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

	आई०डी०पी०एल० के एकक				
वर्ष	ऋषिकेश	हैदराबाद	मद्रास	गुड़गांव	मुजफ्फरपुर
1990-91	66.67	61.76	8.45	8.13	3 38
1991-92	71.35	77.34	10.59	7.86	6.88
1992-93 (फरवरी, 93 तक)	66.00	47.45	6.75	7.91	7.50

सहायता प्राप्त संगठनों/संस्थाओं में आरक्षण नीति

3214. **श्री मजय लाल :** क्या शहरी विकास मंत्री 8 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 6554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने 12 दिसम्बर, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार क, ख, ग और घ समूह के कर्मचारियों की भर्ती आरक्षण नीति का अनुसरण किए बिना की थी;

(ख) यदि हां, तो समूह वार कितने लोगों की भर्ती की गई थी और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समूह वार संख्या क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन आरक्षण नीति का अनुसरण किए बिना ही कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है जैसाकि 23 अक्तूबर, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षण नीति के कठोर कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने तीन अधिकारियों से 1990 में कार्य शुरू किया जिनमे एक अधिकारी अनुसूचित जाति का था। संगठन ने बताया है कि दिसम्बर, 90 में अपने नियमित भर्ती अभियान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए अपेक्षित सामान्य रोस्टर नहीं रखा जा सका। संगठन द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में समूहवार और श्रेणीवार निम्नलिखित व्यक्ति भर्ती किए गए :—

समूह	सामान्य	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
क	4	—
ख	2	1
ग	5	—
घ	2	1

(ग) संगठन ने बताया है कि अक्तूबर, 92 में अगले भर्ती अभियान में उसने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित रोस्टर तैयार किया और निम्नलिखित भर्ती

योजना बनाई :—

पद	अनारक्षित	आरक्षित
(क) सहायक निदेशक (टी)	2	1
(ख) सहायक निदेशक (प्रशासन)	1	—
(ग) कम्प्यूटर आपरेटर	1	—
(घ) वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार	2	1
(ङ) वरिष्ठ कार्यालय सहायक/कार्यालय सहायक	1	2
(च) सन्देशवाहक (हरकारा)	—	2

(घ) सरकार ने आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू करने के संगठन को निर्देश दिए हैं।

तमिलनाडु में "मिलियन वेल" योजना

3215. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में "मिलियन वेल" योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान कुएं खोदने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और अब तक कितने कुएं खोदे जा चुके हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात राज्य को जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य मैंचिंग अंश सहित 85.24 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमे से गुजरात में दस लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन के लिए 15.78 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान तमिलनाडु और गुजरात में खोदे गए कुओं की संख्या नीचे दी

गई है :—

राज्य	खोदे गए कुओं की संख्या
तमिलनाडु	4118 (31-10-92 तक)
गुजरात	3467 (31-1-93 तक)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को विमान यात्रा सुविधा

3216 **श्री के० प्रोधका राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किन-किन श्रेणियो के अधिकारी विमान यात्रा सुविधा पाने के हकदार हैं; और

(ख) क्या इन अधिकारियों को छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते समय भी यह सुविधा उपलब्ध है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सामान्यत: अपने प्रबन्धक स्तर या इससे ऊपर के वरिष्ठ कार्यपालकों को सरकारी प्रयोजनों के लिए विमान द्वारा यात्रा की अनुमति देते है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने उपमहाप्रबन्धक स्तर या उससे ऊपर के अधिकारियों को विमान द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने की अनुमति भी दी है।

डी० डी० ए० फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण

3217. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या शहरी विकास मन्त्री 3 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 1646 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुलाबी बाग, दिल्ली जैसी स्व-वित्तपोषित कालोनियों में डी० डी० ए० फ्लैटों के कुछ आबंटितियों द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण, जिससे भूतल के फ्लैटों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, की जानकारी है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस अनधिकृत निर्माण को रोकने हेतु कोई कारवाई नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गुलाबी बाग मे स्व-वित्त पोषित फ्लैटों मे कुछ परिवर्धन/अवैध निर्माणों का पता चला है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जूनियर और सहायक इंजीनियर अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए फील्ड निरीक्षण करते हैं। गुलाबी बाग जैसी आवासीय कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है।

सेवा संघों (सर्विस एसोसिएशनों) को मान्यता

3218. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सेवा संघों/केन्द्र सरकार कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता देने सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नियमों को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा; और

(घ) सरकार के पास मान्यता के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं और कब से ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा एसोसिएशनों के लिए मान्यता नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। चूंकि इनकी कानूनी तथा अन्य अड़चनें होंगी, इसलिए एक ऐसी निश्चित समय सीमा निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है जिसमें इन नियमों को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

(घ) एसोसिएशनों की मान्यता के अनुरोधों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा विचार किया जाता है और इन्हें केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

इत्र उद्योग

3219. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू बोंगाईगांव में इत्र उद्योग लगाने के लिए कोई परियोजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब हरियाणा एवं दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल द्वारा धन जुटाना

3221. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन हेतु धन जुटाने के लिए पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल (पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री) द्वारा कोई वित्तीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि जुटाने हेतु वित्तीय रणनीति तैयार करने के प्रस्ताव पर पी०एच०डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा मई, 1992 में आयोजित सेमिनार में विचार-विमर्श किया गया था। इस सेमिनार में दिए गए सुझाव विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि जुटाने की रणनीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गई है। इस रणनीति में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेशों और संस्थागत वित्त के सम्यक भागीदारी के माध्यम से 8वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये (सदस्य राज्य सरकार द्वारा समान अंशदान) की केन्द्रीय बजट सहायता का उपयोग करके आवश्यक अतिरिक्त समाधन पैदा करने के उपायों पर विचार किया गया है।

विवरण

(क) पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना और सही प्रकार के मानव संसाधन किसी परियोजना की सफलता की पूर्व उपेक्षा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना इसका अपवाद नहीं है।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कोष को, जिसमें केन्द्र सरकार और घटक राज्यों से अनुदान और ऋण शामिल है, अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त कोष जुटाने चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के खुले बाजार से वित्त प्रबन्ध पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(घ) विदेशी पूंजी जुटाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(ङ) हाल ही में संवर्धित इण्डस्ट्रीयल फाइनेंस एण्ड लीजिंग कम्पनी जैसी एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

(च) योजना की विशेषताओं, विशेष रूप से आवास, दूर-संचार, यातायात, विद्युत तथा बुनियादी सुविधाओं से सम्बन्धित पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष समयसीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मान्यता प्राप्त निजी कालोनीकारों को

आंतरिक विकास का काम आबंटित किया जा सकता है तथा ऐसी अनेक निजी पार्टियां टर्न की आधार पर भी बाह्य विकास कार्य को कर सकती है।

(छ) निजी क्षेत्र में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके विकास क्षेत्रों के विकास में टर्न की आधार पर स्वय को शामिल करने की क्षमता है। निजी क्षेत्र द्वारा एन्कलेव अथवा सघन भूमि के बड़े भूखण्ड को विकसित किया जा सकता है जिसमे पूर्व निर्धारित शर्तों पर बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी तथा सामाजिक विकास और बाह्य विकास सम्बन्धी कार्य शामिल है। बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी बड़ी परियोजनाओं के लिए बनाओ "बर्तो, और बेच लो" अर्थात "बोट" आधार को अपनाया जा सकता है। निजी क्षेत्र संयुक्त उद्यमों में भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए भी तैयार हैं जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

(ज) भूमि को यथा अपेक्षित फ्रीजमुक्त कर दिया जाना चाहिए तथा कृषि भूमि सीमा हटा देनी चाहिए ताकि निजी तथा अन्य विकासकर्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अनुसार स्कीमें चला सके।

[हिन्दी]

कपड़ा मशीनों के एककों में संकट की स्थिति

3222. **श्री नीतिश कुमार :**

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपड़ा मशीनों के एकक संकट की स्थिति का सामना कर रहे है जैसा कि 20 नवम्बर, 1992 के "द ऑब्जर्वर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कपड़ा बुनाई तथा प्रसंस्करण मशीनों के निर्माताओं को आयात नीति के कारण भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें कतिपय सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपड़ा मशीनों का उत्पादन

अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान 612.75 करोड़ रु० से अप्रैल-नवम्बर, 1992 के दौरान घटकर 556.75 करोड़ रु० हो गया है। उत्पादन में गिरावट मुख्यतया उद्योग में आई सामान्य मन्दी के कारण हुई है।

(ग) से (च) इस बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि बुनाई और प्रोसेसिंग मशीनों के निर्माताओं को आयात नीति के कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किन्तु उद्योग द्वारा भेजे गए विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 1993-94 के बजट में सीमा तथा उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित राहतों की घोषणा की गई है :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क पर विशेष शुल्क को समाप्त कर दिया गया है;

(2) कपड़ा मशीनों, हिस्से-पुर्जों और सहायक सामान पर उत्पादन शुल्क की सामान्य दर में कमी की गई है;

(3) कपड़ा मशीनों के हिस्सों पर सीमा शुल्क का कम स्तर पर युक्ति-युक्त बनाया गया है;

(4) कपड़ा मशीनों सहित पूंजीगत सामान निर्माण उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अधीन निर्दिष्ट पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क को घटाया गया है; और

(5) कपड़ा उपकरणों की निर्दिष्ट मदों के निर्माण के आयातित भागों पर सीमा शुल्क को घटाया गया है।

पुन: प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3223. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० अम्बेडकर शताब्दी वर्ष के दौरान अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पुन: प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितने गांवों का चयन किया गया है; और

(ख) सरकार ने गांवों में इन पुन: प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान 6 राज्यों में 20 ऊर्जाग्राम परियोजनाएं। इन परियोजनाओं की राज्यवार सूची और उनकी स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) इन अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों में प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना, प्रदर्शनियों का आयोजन, प्रचार माध्यमों से जनजागृति अभियान चलाना, तथा साथ ही आर्थिक सहायता और अन्य प्रोत्साहन जैसे उत्पादन कर तथा बिक्री कर में छूट आदि शामिल

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई डा० बी० आर० अम्बेडकर ऊर्जाग्राम परियोजनाओं की सूची

पूरी की गई

क्रम स०	गांव	जिला	राज्य
1.	रालीआती गुर्जर	पंचमहल	गुजरात
2.	रतन महल	पंचमहल	गुजरात
3.	बुतारायानहाती	बेलगाम	कर्नाटक
4.	हेगावादी	मैसूर	कर्नाटक
5.	अचनकेमार	बिलासपुर	मध्य प्रदेश
6.	रामपुर	रायपुर	मध्य प्रदेश
7.	कोठारी	रायपुर	मध्य प्रदेश
8.	चूर्ना	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश
9.	अम्बावडे	रतनगिरि	महाराष्ट्र
10.	नवगांव	धूले	महाराष्ट्र
11.	नेहारे बीके	थाने	महाराष्ट्र
12.	कटगुन	सतारा	महाराष्ट्र
13.	फनार	देहरादून	उत्तर प्रदेश
14.	पथियाई	हरदोई	उत्तर प्रदेश
15.	नागला पारमोदारिया	मथुरा	उत्तर प्रदेश
16.	लॉरी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
कार्यान्वियन के अधीन			
17.	अमूर कालोनी	चेनगाई अन्ना	तमिलनाडु
18.	वीरनापुरम कालोनी	टी० कट्टाबोमान	तमिलनाडु
19.	कीलानेटोर कालोनी	पी० टी० तिरमगांव	तमिलनाडु
20.	कीलूर कालोनी	नार्थ अरकोट अम्बेडकर	तमिलनाडु

बिहार में रेशमी धागा बैंक योजना

3224. श्री राम टहल चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में रेशमी धागा बैंक योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत धनराशि प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से उपग्रह छोड़ना

3225. प्रो० रीता वर्मा :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री अन्ना जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों ने भूचुम्बकीय अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी के ढांचे का पता करने के लिए संयुक्त रूप से एक उपग्रह छोड़ने का प्रस्ताव किया है;

(ख) इस भूचुम्बकीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप किन क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुणवत्ता नियंत्रण समिति

3226. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश से निर्यात किए जाने वाले कपड़ों की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई गुणवत्ता नियन्त्रण समिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़ों की गुणवत्ता के बारे में विदेशों से कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सरकार ने वस्त्र और वस्त्रादिग मदों के गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए कोई विशेष समिति की स्थापना नहीं की है।

वस्त्र समिति कुछ वस्त्र मदों का उनके निर्यात किए जाने से पहले अपने निरीक्षण सम्बन्धी विनियमों के अनुसार लदान-पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण करती है। तथापि, कपड़े, अनिवार्य लदान-पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण के अध्याधीन नहीं है।

(ख) और (ग) वस्त्र समिति को कपड़ों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विदेशों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीठ

3227. **डा० लाल बहादुर रावल :**
श्री राम सागर :

क्या प्रधान मंत्री 25 नवम्बर, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजनल पीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में अपने विचार और टिप्पणियां केन्द्र सरकार को भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

3229. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के पटसन मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम व इसकी सहायक कंपनियों ने राज्य-वार कितनी-कितनी मात्रा में कच्चे पटसन की खरीद की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पटसन का राज्य-वार कितना अनुमानित उत्पादन किया गया;

(ग) भारतीय पटसन निगम के क्रय-केन्द्रों की राज्य-वार व स्थान-वार संख्या कितनी है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार अथवा सरकार की किसी एजेंसी ने भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन की खरीद के लिए कितनी राशि मुहैया कराई;

(ङ) खरीद पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(च) पटसन मौसम आरम्भ होने तथा खरीद का काम समाप्त किए जाने के समय भारतीय पटसन निगम के पास कच्चे पटसन का कितना भण्डार मौजूद था ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (च) वर्ष 1992-93 के दौरान कच्चे पटसन के उत्पादन, भारतीय पटसन निगम और उसके एजेन्टों द्वारा खरीद, खरीद केन्द्रों की संख्या, खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण-पत्र निम्नोक्त अनुसार है :—

क्रम सं०	राज्य	उत्पादन (अनुमानित)	खरीद (क्विंटल में)	खर्च राशि (करोड़ रु० में)	खरीद केन्द्रों की संख्या
1.	असम और मेघालय	9.60	3,30,832	12.91	30
2.	बिहार	7.70	1,42,020	6 03	28
3.	उड़ीसा	3.50	10.359	0.43	10
4.	त्रिपुरा	0.50	18,870	0.74	8
5.	पश्चिम बंगाल	42.20	11,67,059	48 01	116
6.	आन्ध्र प्रदेश	4.50	14,200	0.49	14
7.	उत्तर प्रदेश और अन्य	2.00	—	—	2
	कुल :	70.00	16,83,340	68.61	2 8

सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय पटसन निगम को मूल्य समर्थन अभियान पर इसके द्वारा उठाए गए घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए 28.75 करोड़ रु० रिलीज किए है। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के पास अपने नकदी जमा खाते में से भारतीय पटसन निगम की मार्जिन धनराशि सम्बन्धी जरूरतों के लिए भी गारन्टी दी है ताकि उसे कीमत समर्थन अभियान चलाने के लिए द्रव्यता प्रदान की जा सके।

भारतीय पटसन निगम के पास 1-7-92 की स्थिति अनुसार 5.81 लाख कच्चे पटसन की गांठें उपलब्ध थीं और 31-1-93 की स्थिति अनुसार 13.16 लाख गांठें थीं।

महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता

3230. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए सृजित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों की कुल लागत के आधार पर केन्द्रीय सहायता मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह दिए जाने वाले वर्तमान वार्षिक आबटन से किस प्रकार भिन्न है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) यह सहायता राशि कब तक जारी की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कहा है कि रखरखाव तथा मरम्मत की जाने वाली समस्त परिसम्पत्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सरकारी सहायता मात्र वार्षिक आबंटन के प्रतिशत के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक जरूरत के आधार पर प्राप्त हों और विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका के साथ-साथ भारत सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा वित्त-पोषण के अंशदान की पद्धति को परिभाषित किया जाए।

(ग) राज्य सरकार ने सृजित सभी परिसम्पत्तियों के संचलन और रख-रखाव लागत को कुल वास्तविक जरूरत के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है न कि वार्षिक आबटन के प्रतिशत के रूप में। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अड़चनों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(घ) विभिन्न प्रकार की जल सप्लाई योजनाओं/सृजित की गई उन परसम्पत्तियों, जिनका रख-रखाव किया जाना है, के संचलन और रख-रखाव की आवश्यकता तय करने के लिए मार्गदर्शिकाएं पहले ही मौजूद है। पहले की योजनावधियों तक सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की लागत को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा गैर-योजना बजट से वहन किया जाना है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के वार्षिक आबंटन के 10 प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता एक पूरक प्रावधान है तथा इसका आशय अब तक सृजित सभी योजनाओं/परिसम्पत्तियों की समूची लागत को कवर करने से नहीं है। राज्य सरकारों को अब तक सृजित योजनाओं के संचलन और रखरखाव के लिए राज्य क्षेत्र के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की 10 प्रतिशत निधियां खर्च करने की अनुमति भी दी गई है। राज्य सरकार को संचलन और रखरखाव की शेष राशि को अपने गैर-योजना प्रावधानों तथा लाभार्थियों/पंचायतों के अंशदान से पूरा करना चाहिए।

'इलेक्ट्रामा-1993'

3231. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिकी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हाल ही में दिल्ली में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिकी मदों की 'इलेक्ट्रामा-93' नाम की प्रदर्शनी लगाई;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रदर्शनी में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(ङ) इस प्रदर्शनी के बाद इलेक्ट्रानिकी मदों के निर्यात में वृद्धि करने में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। 'इलेक्ट्रामा'-93 विद्युत, इलेक्ट्रानिकी (मनोरंजन इलेक्ट्रानिकी को छोड़कर) तथा सम्बद्ध उद्योगों पर आयोजित दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी। यह प्रदर्शनी जनवरी, 1993 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) निम्नलिखित देशों की विदेशी कम्पनियों ने प्रत्यक्ष रूप से सहयोगकर्त्ताओं के माध्यम से इस प्रदर्शनी में भाग लिया।

— ग्रेट ब्रिटेन (यू० के०)

— फ्रांस

— जर्मनी

— स्वीडन

— सिंगापुर

— आस्ट्रिया (आस्ट्रिया व्यापार आयोग)

— इटली

(ङ) इण्डियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई०ई०ई०एम०ए०) ने जानकारी दी कि कई विदेशी आगन्तुकों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पादों तथा प्रणालियों, दोनों में ही, अपनी दिलचस्पी दिखाई है। प्रदर्शनी के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श किए गए। किन्तु, इस समय यह बताना कठिन है कि इस चरण पर कितना व्यापार अर्जित किया गया।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

3232. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के लघु औद्योगिक एककों को समय पर कच्चा माल सप्लाई न किए जाने के बारे में उनसे कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

औषध कम्पनियों की देनदारियां

3233 **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 औषध कम्पनियों के नाम पर लगभग 102 करोड़ रुपया बकाया है;

(ख) इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) प्रत्येक कम्पनी को उसकी देनदारियों के निर्धारण के बारे में कब बताया गया था; और

(घ) उन औषध कम्पनियों तथा परिष्कृत दवाइयां बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर देनदारियां निर्धारित की गई हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय में गई 11 औषध कम्पनियों की शेष देयताओं का अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया था और इसके बारे में समय-समय पर कम्पनियों को बता दिया गया था। किन्तु, कम्पनियों ने देयताओं की गणना को चुनौती दी है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कहा है, और अन्तिम देयताओं का निर्धारण करने और वसूल करने के प्रयास के एक भाग के रूप में यह सुनवाई की जा रही है। इन कम्पनियों में से एक ने बम्बई उच्च न्यायालय में गणना को चुनौती दी थी, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस कम्पनी की भी व्यक्तिगत सुनवाई की जा रही है।

तमिलनाडु में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

3234. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से इस समय कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए सरकार ने तमिलनाडु

सहित सम्पूर्ण देश में नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों के अनुसन्धान, विकास, प्रदर्शन और प्रसार के व्यापक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वियन राज्य सरकार और राज्य नोडल एजेंसियों तथा इसके अलावा स्वायत्त संस्थाओं और अनुसन्धान संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन और उपयोग के लिए एक योजना बनाई है। वर्ष 1992-93 के दौरान चल रही अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं/कार्यक्रमों की स्थिति विवरण "क" में दी गई है। तमिलनाडु राज्य में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना की संचयी स्थिति भी विवरण-1 में दी गई है।

(ग) तमिलनाडु राज्य में विभिन्न अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों से संभावित ऊर्जा उत्पादन/बचत का ब्योरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

तमिलनाडु में अपारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं/कार्यक्रमों की स्थापना की स्थिति तथा चल रही परियोजनाएं/कार्यक्रम

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिट	संचयी उपलब्धि 31-3-92 तक	चल रही परियोजनाएं/कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	संख्या लाख में	1.46	0.75
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	संख्या	47	10
3.	उन्नत चूल्हे	संख्या लाख में	8.77	1.00
4.	सौर तापीय प्रणालियां	वर्ग मी० संग्राहक क्षेत्र	15,885	2,925
5.	सौर कुकर	संख्या	1,304	1,000
6.	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	1898	115
7.	प्रकाशवोल्टीय जल पम्प	संख्या	32	—
8.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टेलीविजन और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	18	17

1	2	3	4	5
9.	प्रकाश वोल्टीय घरेलू रोशनी एकक	संख्या	50	—
10.	प्रकाश वोल्टीय लालटेन	संख्या	108	—
11.	पवन पम्प	संख्या	677	140
12.	पवन फार्म	मे०वा०	22.5	2.00
13.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत	मे०वा०	—	2.00
14.	ऊर्जा ग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	118	5
15.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	4	5
16.	बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग इंजिन	कि०वा०	210	250 कि०वा०
17.	बायोमास सह उत्पादन	मे०वा०	—	7.5
18.	बैटरी चालित वाहन	संख्या	—	11

विवरण-2

तमिलनाडु में अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से संभावित समकक्ष ऊर्जा उत्पादन/बचत

क्रम सं०	प्रणालियां/युक्तियां	संभावित समकक्ष ऊर्जा उत्पादन/बचत (मिलियन कि०वा० घण्टा प्रतिवर्ष)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम	4.83*
2.	उन्नत चूल्हा	0.639
3.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम	10.70
4.	प्रकाश वोल्टीय	0.20
5.	पवन फार्म	114†

1	2	3
6.	बायोमास गैसीफिकेशन	0.116
7.	लघु जल विद्युत	1.44

*लाख टन लकड़ी/लकड़ी के बराबर/वर्ष।

†निजी क्षेत्र की परियोजनाओं सहित फरवरी, 1993 तक संचयी विद्युत उत्पादन।

रोहिणी-560 को छोड़ना

3235. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा रेंज से 19 फरवरी, 1993 को दो उच्च तुंगता रोहिणी-560 परिज्ञापी राकेट (हाई एल्टिट्यूड रोहिणी-560 साउन्डिंग राकेट) छोड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोग के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) फरवरी 19, 1993 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरि कोटा रेंज से दो रोहिणी-560 परिज्ञापी राकेट छोड़े हैं।

(ख) इनका मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य, आयनन की ऊर्ध्वाधर गति की यांत्रिकी तथा आयनमण्डलीय प्रसर-एफ परिघटना से सम्बद्ध प्लाज्मा अनियमितताओं के जनन में इनकी भूमिका का अध्ययन करना था।

(ग) राकेटों का प्रमोचन सफल रहा तथा इनमें प्रदत्त सभी परीक्षणों ने भली प्रकार कार्य किया। ये राकेट बेरियम मोचन, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर और लेंगम्योर प्रोब नीतभारों को ले गए थे। फरवरी 19, 1993 को प्रथम राकेट 1845 बजे और दूसरा इसके 20 मिनट बाद छोड़ा गया था।

प्रथम राकेट ने 190, 220, 280 और 310 कि०मी० की पूर्व निर्धारित ऊंचाइयों पर बेरियम गुच्छों का मोचन किया। ये गुच्छे सौर विकिरण द्वारा आयनित हो गए तथा इन ऊंचाइयों पर विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के परिवेश के प्रभाव से गतिशील हुए। आंध्रप्रदेश में गुड़िवड़ा और कावली तथा तमिलनाडु में कल्पाक्कम के निकट अवस्थित परिशुद्ध कैमरों का प्रयोग करते हुए संवहनीय बेरियम मेघों के चित्र लिए गए।

आयनमण्डलीय ऊंचाइयों पर उदासीन पवनों और विद्युत क्षेत्रों के मानों को प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफीय आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटरों और लेंगम्योर प्रोब-

नीतभारों ने लगभग 300 कि०मी० की ऊंचाई तक उदासीन वायुमण्डलीय संघटन, आयन संघटन, इलेक्ट्रोन घनत्व और प्लाज्मा अनियमितताओं का मापन किया।

असम में विस्कोस उत्पादन इकाई की स्थापना

3236. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में विस्कोस उत्पादन एकक की स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा वह कहां पर स्थापित की जाएगी; और

(ग) इस इकाई के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बंगलोर में त्वरित जन परिवहन व्यवस्था

3237. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलोर में त्वरित जन परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है। परियोजना रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(i) बंगलोर शहर से एच०एम०टी० नगर/यलहंका, सिटी रेलवे स्टेशन से व्हाइट फील्ड और सिटी रेलवे स्टेशन से केनगेरी के विद्यमान रेल कॉरीडोरों की वृद्धि।

(ii) जयनगर से राजाजीनगर और हडसन सर्किल से कृष्णराजपुरम के मध्य नए रेल कॉरीडोरों का प्रावधान।

(iii) बंगलोर सिटी के लिए सबर्बन रेलवे का प्रस्ताव।

परियोजना की प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि यह पहले किए गए अध्ययनों पर आधारित है और इसे लागत अनुमानों के संशोधन और वित्तीय विश्लेषण सहित अद्यतन बनाने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, राज्य सरकार को, परियोजना में संशोधन करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

दवाइयां बनाने वाले औद्योगिक एकक

3238. श्री नीतिश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान दवाइयां बनाने वाले अनेक औद्योगिक एकक सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों से इनमें से अधिकांश एकक घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनमे से प्रत्येक एकक को कितना घाटा हुआ है;

(ङ) सरकार ने 31 मार्च, 1992 तक इनमें से प्रत्येक एकक में कितना-कितना निवेश किया है;

(च) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे उद्योगों को लाभप्रद बनाने के लिए इन एककों की भावी सम्भावनाओं के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ) रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के पांच औषध निर्माता एकक है। ये हैं : इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई०डी०पी०एल०), हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० (एच०ए०एल०), बंगाल इम्युनिटी लि० (बी०आई०एल०), बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (बी०सी०पी० एल०) और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० (एस०एस०पी०एल०), आई०डी०पी०एल०, बी० आई०एल०, बी०सी०पी०एल० और एस०एस०पी०एल० को पिछले कुछ वर्षों से घाटा हो रहा है। इन कम्पनियों में सरकार द्वारा किया गया निवेश और उनमें से प्रत्येक को पिछले तीन वर्षों में हुई हानि की राशि विवरण मे दी जाती है।

(च) महोदय, अभी नही।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी (31-3-92 को स्थिति के अनुसार)	शुद्ध हानि		
		1989-90	1990-91	1991-92
इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	112.51	42.74	88.26	110.39
बंगाल इम्युनिटी लि०	15.74	5.77	6.03	8.91
बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	13.05	8.41	9.46	15. 3
स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि०	6.16	3.66	4.87	4.97

धुआं रहित चूल्हे

3239. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय धुआं रहित (उन्नत) चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को लाभ मिला है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना के अन्तर्गत अन्य श्रेणियों के लाभान्वितों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभान्वितों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित 6.45 लाख लाभार्थियों को उन्नत चूल्हे उपलब्ध कराए गए।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, जिसमें पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का कार्य है, विभिन्न लाभार्थियों की श्रेणी, संयंत्र की क्षमता तथा क्षेत्र के आधार पर केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत, अन्य श्रेणियों की तुलना में अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी अनुदान की विशिष्ट दरों के हकदार है। वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय

बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान की दरों को दर्शाता ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(राशि रु० में)

संयंत्र की क्षमता (क्यू० एम० गैस प्रतिदिन)	असम, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा उत्तरप्रदेश के 8 पहाड़ी जिलों को छोड़ कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्यों के लिए (2 पहाड़ी जिलों के तराई क्षेत्रों को छोड़कर)	असम के पठार उत्तर प्रदेश के 2 पहाड़ी जिलों का तराई क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा अन्य निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्र तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	अन्य क्षेत्रों के लिए: अनुसूचित जाति/जनजाति तथा रेतीले जिले	अन्य क्षेत्रों के लिए: लघु एवं आंशिक किसान तथा भूमिहीन श्रमिक	अन्य सभी
1.	4000	2400	2000	2000	1700
2.	5100	3600	3100	3100	2200
3. एवं 4.	6200	4300	3600		2600

[अनुवाद]

पेट्रो-रसायन उत्पादों का लाइसेंस समाप्त करना

3240. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 10 प्रमुख पेट्रो-रसायन उत्पादों का लाइसेंस समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) किन-किन उत्पादों पर से लाइसेंस हटाया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की विकास दर

3241. डा० लाल बहादुर रावल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राज्यवार कुल विकास दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 से 1990-91 तक के वर्षों के लिए स्थिर मूल्यों पर निबल राज्य घरेलू उत्पाद की राज्यवार वार्षिक वृद्धि दरों को दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है। राज्यों के बीच वृद्धि दरों में अन्तर विभिन्न कारणों से है जैसे— विभिन्न क्षेत्रों में आधारसंरचना, उद्योग तथा उद्यमशीलता का ऐतिहासिक असमान तथा वर्षापात में साल-दर-साल अन्तर तथा अनुवर्ती सूखा तथा बाढ़।

(घ) वृद्धि दर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। योजनाओं में कृषि, उद्योग, आधारसंरचना, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए निवेश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गरीबों के लिए भी कुछ कार्यक्रम कार्यान्वयन के अधीन हैं। ऐसे विकासात्मक कार्यक्रमों को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान पुनः शक्तिमान किया जाएगा।

विवरण

स्थिर मूल्यों पर गत वर्ष से निबल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में परिवर्तन

क्रम सं०	राज्य/संघ रा० क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4.12	1.72	2.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	—2.35	9.66	—
3.	असम	6.32	4.02	8.99

1	2	3	4	5
4.	बिहार	1.01	15.14	—1.93
5.	गोआ	2.62	—.6	2.55
6.	गुजरात	1.7	.67	—1.89
7.	हरियाणा	1.57	8.69	2.01
8.	हिमाचल प्रदेश	10.81	3 36	—
9.	जम्मू व कश्मीर	—1.84	3.01	—
10.	कर्नाटक	5.85	—4.18	7.43
11.	केरल	2.51	19.88	—
12.	मध्य प्रदेश	0.99*	12.71*	—5.96
13.	महाराष्ट्र	13.75	4.67	—
14.	मणिपुर	4.41	7.32	10.39
15.	मेघालय	8	10.48	6.4
16.	नागालैंड	9.76	9.63	—
17.	उड़ीसा	7.53	4.05	3.99
18.	पंजाब	7.7	2.02	5.09
19.	राजस्थान	—3.48	16.07	—8.37
20.	सिक्किम	7.05	—	—
21.	तमिलनाडु	7.18	—.21	—
22.	त्रिपुरा	3.04	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	3.29	6.07	.72
24.	प० बंगाल	4.72	3.69	—
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	.13	—11.73	—
26.	दिल्ली	8.6	—	—

1	2	3	4	5
27.	पांडिचेरी	2.04	5.49	1.44

— उपलब्ध नहीं ।

*पुरानी (1970-71) शृंखला (1990-91) के लिए एन० एस० डी० पी०=मध्य प्रदेश के लिए 1970-71 के मूल्यों पर 48761) ।

स्रोत : प्रति व्यक्ति एन० एन० पी० राज्य अनुमानों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के अर्थ-शास्त्र सांख्यिकीय निदेशालय तथा अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ।

टिप्पणी 1 : प्रयोग की गई स्रोत सामग्री में अन्तर होने के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आंकड़े पूर्णत: तुलनीय नहीं हैं ।

टिप्पणी 2 : मिजोरम राज्य ने इन अनुमानों को चालू मूल्यों पर ही तैयार किया है ।

टिप्पणी 3 : चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, दमन तथा दीव और लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र ये अनुमान तैयार नहीं करते हैं ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में गांवों को पेय जल सप्लाई

3242. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र में गांवों को पाइप द्वारा प्रति व्यक्ति जल सप्लाई बढ़ाने के मामले को ग्रामीण बस्तियों को पेयजल सप्लाई के लिए किए गए सर्वेक्षण से जोड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं । प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर पेयजल के वर्तमान मानदण्ड को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त माना गया है । वर्तमान मानदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी/बस्तियों को पेयजल सुविधाओं के तहत कवर करने के बाद ही प्रति व्यक्ति जल सप्लाई में वृद्धि करने के मामले पर विचार किया जा सकता है ।

गन्दी बस्तियों में सुधार

3243. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों में सुधार करने तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों को मूल नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या मद्रास में गन्दी बस्तियों में सुधार करने के लिए विश्व बैंक ने तमिलनाडु सरकार को सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) शहरों में स्लम बस्ती सुधार व्यापक तौर पर राज्य सेक्टर की शहरी स्लम बस्ती के पर्यावरणीय सुधार योजना के तहत किया जाता है। इस योजना हेतु चुनींदा शहरों और क्षेत्रों का निर्धारण प्रत्येक राज्य सरकार/संघ क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवाओं की केन्द्र सरकार की भी योजना है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कार्यक्रम सहित निम्न आय वर्ग को तथा परिवेश समितियों के माध्यम से शहरी पड़ोस वर्ग, सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु राज्य सरकार/संघ क्षेत्र को धनराशि दी जाती है।

तमिलनाडु सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई :—

(i) विश्व बैंक सहायता से तमिलनाडु शहरी विकास योजना तमिलनाडु राज्य में चालू है, जिसमें स्लम सुधार भी शामिल है। परियोजना लागत 632.6 करोड़ रुपए है, जिसमें से 46.4 करोड़ रुपए स्लम सुधार हेतु हैं।

(ii) योजना आयोग ने मद्रास शहर की विशिष्ट समस्याओं के हल के लिए तमिलनाडु सरकार को 15.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के आबंटन का अनुमोदन किया है।

(iii) गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवाओं की योजना के तहत तमिलनाडु को गत तीन वर्षों अर्थात 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमशः 234.90 लाख रुपए, 200 लाख रुपए, और 118 लाख रुपए के हिसाब से केन्द्रीय धनराशि आबंटित की गई है। गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवाओं योजना के तहत आबंटित धनराशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग का उपयोग स्लम वासियों की परिवेश समितियों के परामर्श से स्लम क्षेत्रों में भौतिक सुविधाएं जुटाने में किया जा सकता है।

रुग्ण एककों को पुन: चालू करना

3244. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 तक देश में श्रेणीवार और राज्यवार कितने रुग्ण एकक थे;

(ख) इन एककों की रुग्णता के कारण श्रेणीवार और राज्यवार कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) इन रुग्ण एककों में श्रेणीवार/राज्यवार कितनी पूंजी का निवेश किया गया है;

(घ) श्रेणीवार और राज्वार ऐसे कितने एककों को बन्द किया गया है; और

(ङ) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित करता है । भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लघु क्षेत्र में 22 472 औद्योगिक एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 461 औद्योगिक एकक मार्च, 1991 के अन्त में रुग्ण थे । रुग्ण एककों के राज्यवार आंकड़े विवरण-I में दिए गए हैं ।

(ख) ऐसी सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 1991 के अन्त में रुग्ण एककों पर कुल बकाया बैंक ऋण की राशि 7897.61 करोड़ रुपए थी । राज्यवार आंकड़े विवरण-I मे दिए गए हैं ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गैस-लघु क्षेत्र मार्च, 1991 के अन्त में 710 रुग्ण औद्योगिक एककों को बन्द दिखाया गया है। इन औद्योगिक एककों के राज्यवार आंकड़े ब्यौरे विवरण-2 मे दिए गए हैं। लघु-क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में ऐसे ही आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण पहलू विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

मार्च, 1991 के अन्त में देश में लघु क्षेत्र तथा गैर-लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-लघु क्षेत्र एककों की संख्या	बकाया राशि	लघु क्षेत्र एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6
1.	असम	8	9.83	4892	26 8
2.	मेघालय	1	1.14	66	0.50
3.	बिहार	38	105.18	3171	70.46
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	22	0 03

1 2	3	4	5	6
5. अरुणाचल प्रदेश	—	—	10	0.24
6. पश्चिम बंगाल	185	725.62	30747	257.11
7. नागालैंड	1	2.35	47	1.22
8. मणिपुर	—	—	2278	1.36
9. उड़ीसा	35	115.43	7443	42.17
10. सिक्किम	1	2.92	75	0.48
11. त्रिपुरा	—	—	605	1.[illegible]4
12. उत्तर प्रदेश	94	255.48	27477	2[illegible]0.94
13 दिल्ली	20	67.25	4[illegible]64	176.61
14. पंजाब	32	68.86	5288	91.79
15. हरियाणा	49	151.46	2720	64.53
16. चंडीगढ़	16	30.39	305	9.52
17. जम्मू व कश्मीर	2	9.19	720	7.08
18. हिमाचल प्रदेश	15	29.16	848	11.36
19. राजस्थान	32	114.26	2 96	61.42
20. गुजरात	154	584.22	6240	211.14
21. महाराष्ट्र	301	1342.05	20332	561.00
22. गोआ	14	38.23	1148	15.58
23. दमन और दीव	1	4.04	70	1.32
24. दादर और नगर हवेली	2	2.09	7	0.95
25. मध्य प्रदेश	48	126.39	17[illegible]46	111.30
26. आंध्र प्रदेश	135	409.27	29487	236.61
27. कर्नाटक	93	308.49	12857	173.2[illegible]
28. तमिलनाडु	127	382.59	18757	260.[illegible]3
29. केरल	34	205.13	17973	159.42
30. पांडिचेरी	4	3.55	179	4.58
योग :	1461	5105.57	221472	2792.04

विवरण-2

मार्च 1991 के अन्त में बन्द गैर-लघु औद्योगिक एककों के राज्यवार ब्योरे

क्रम सं०	राज्य का नाम	एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4
1.	आसाम	4	7.67
2.	मेघालय	1	1.14
3.	बिहार	17	34.90
4.	पश्चिम बंगाल	92	323.40
5.	उड़ीसा	11	30.00
6.	सिक्किम	1	2.92
7.	उत्तर प्रदेश	37	105.14
8.	देहली	7	21.16
9.	पंजाब	14	24.24
10.	हरियाणा	28	67.68
11.	चंडीगढ़	6	8.77
12.	जम्मू और कश्मीर	2	9.15
13.	हिमाचल प्रदेश	5	1.90
14.	राजस्थान	24	58.40
15.	गुजरात	88	224.31
16.	महाराष्ट्र	159	617.47
17.	दमन और दीव	1	4.04
18.	गोवा	10	36.58
19.	दादर और नगर हवेली	1	0.57
20.	मध्य प्रदेश	22	25.68

1	2	3	4
21.	आंध्र प्रदेश	51	140.19
22.	कर्नाटक	41	122.80
23.	तमिलनाडु	53	98.03
24.	केरल	12	10.77
25.	पांडिचेरी	2	0.82
	योग :	710	1970.72

विवरण-3

सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए किए गए उपाय

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीवनक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मानदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीवनक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों का विलय/एकीकरण करके भी रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित किया जाता है। सम्मिलित किए जा रहे रुग्ण एकक के पुनरुज्जीवन के लिए स्वस्थ कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के अधीन करके लाभ दिए जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित कामगारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करेगा।

(7) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए एक पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया है।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 18 लाख रुपए से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रु० तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(9) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमांत धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000 रु० तक की जाती है।

(10) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी की समस्या

3245 **श्री मोहन रावले :**

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी की समस्या की जानकारी है;

(ख) देश में बेरोजगार ग्रामीण युवकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए है/करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1987-88 में रोजगार तथा बेरोजगारी के बारे में किए गए पिछले व्यापक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार वर्ष 1987-88 में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं की संख्या लगभग 5 27 मिलियन आंकी गई है।

(ग) अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना उत्तरोत्तर विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण

उद्देश्य रहा है । रोजगार क्षेत्रफल विकास कार्यक्रमों की मार्फत सृजित किया जाता है जिसके सृजन में विशेष रोजगार कार्यक्रमों की मार्फत मदद मिलती है । रोजगार आठवीं योजना में भी बल दिए जाने वाला क्षेत्र है । भौगोलिक और फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बजर भूमि और बानिकी विकास, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र और ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, तथा आवासीय योजनाओं का विस्तार करना योजना में परिकल्पित विकास कार्यनीति के मूल तत्व हैं जिनसे ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार सृजित होने की प्रत्याशा है । इसके अलावा, विशेष रोजगार कार्यक्रम जैसे जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम तथा ड्वाकरा आठवी योजना अवधि में जारी रहेंगे ।

अतिक्रमण रोकना

3246. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली की न्यायालय ने अतिक्रमण के बारे में यह निर्णय दिया है कि अनेक लोगों के कब्जे में सरकारी परिसरों पर अधिकार करने और अतिक्रमण को रोकने हेतु एक पूर्ण कालिक केन्द्रीय प्राधिकरण अथवा विभाग बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मैसर्स मोहन मीकिन द्वारा कम्पनी कानून का उल्लंघन

3247. श्री जीवन शर्मा : क्या प्रधान मंत्री मैसर्स मोहन मीकिन लिमिटेड द्वारा कम्पनी कानूनों का उल्लंघन के बारे में 29 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कानून बोर्ड ने मैसर्स मोहन मीकिन लिमिटेड द्वारा कम्पनी कानून का उल्लंघन किए जाने पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत मैसर्स मोहन मीकिन लिमिटेड के मामले में हुई कार्यवाही के दौरान 17-11-92 को एक आदेश पारित किया है जिसमें यह उल्लेख है कि बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्य इतने पर्याप्त नहीं हैं कि इस निष्कर्ष पर

पहुंचा जा सके कि कम्पनी के कार्य इस प्रकार से सम्पादित हो रहे हैं कि उससे कम्पनी, सदस्यों या जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तथा कम्पनी के बोर्ड में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति उसके कारण होनी अपेक्षित हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

3248. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री मुमताज अन्सारी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रेणी "ग" और "घ" के कर्मचारी काफी दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रतिनिधि एशोसिएशन अपनी मांगों पर निर्णय शीघ्र कराने के लिए प्राय: अभ्यावेदन करते रहे हैं।

(ख) उनकी मांगों तथा उनपर की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	मांग	की गई/की जाने वाली प्रस्ताविक कार्रवाई
1	2	3
1.	ग्रुप सी और डी स्टाफ के संवर्ग पुनरीक्षा के बारे में तत्काल निर्णय तथा इसका 1-1-86 से कार्यान्वयन ।	सरकार द्वारा ग्रुप सी के संवर्ग पुनरीक्षा प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया है कि ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस. आई. यू.) द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का अध्ययन पूरा करने के पश्चात् ही आगे

1	2	3
		बढ़ाए जाएं। जहां तक, ग्रुप "डी" स्टाफ के संवर्ग की पुनरीक्षा का सम्बन्ध है, सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की स्वस्थाने (इन सीटू) पदोन्नति बाबत अनुदेश जारी किए थे। निर्माण महानिदेशक को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पात्र ग्रुप सी और डी स्टाफ बाबत इन आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई प्रारम्भ करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ ग्रुप "डी" स्टाफ जैसे चपरासी, चौकीदार फराश, सफाई वाला के वेतनमान सशोधित करने सम्बन्धी एक मद राष्ट्रीय परिषद (जे. सी. एम.) में विचाराधीन है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि स्वस्थाने पदोन्नति की कारंवाई पूरी होने तथा राष्ट्रीय परिषद (जे. सी. एम.) के विचार-विमर्श के पश्चात वेतनमान सशोधित करने सम्बन्धी निर्णय लेने तक ग्रुप डी स्टाफ की सवर्ग पुनरीक्षा पर कारंवाई न की जाए।
	2. चतुर्थ श्रेणी के समयोपरि भत्तों की दरों में भेदभाव।	सरकार ने इस मांग के बारे में निर्णय लिया है चूंकि यह विभागीय परिषद (जे. सी. एम) मे विचाराधीन है। प्रथा अनुसार निर्णय विभागीय परिषद (जे. सी. एम.) की आगामी बैठक उसी में निर्णय घोषित किया जाएगा।
	3. अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ को पांच दिवसीय सप्ताह की अनुमति नहीं दी जा रही है।	इस पर विचार किया जा रहा है। सी.पी. डब्ल्यू.डी. नॉन गजटेड आफिस स्टाफ एसोशिएशन ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में प्रार्थना पत्र दायर किया है।
	4 इन्जीनियर अधिकारियों को प्रशासनिक पदों जैसे कार्यपालक इन्जीनियर (मुख्यालय) मुख्य इंजीनियर (मुख्यालय)	इस पर विचार किया जा रहा है।

1	2	3
	तथा आयोजना संगठन में महायक निर्माण सर्वेक्षण (कार्यालय) से हटाया जाए।	
	5. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवर श्रेणी लिपिकों के पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा में ग्रुप "डी" कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति के बारे में निर्णय शीघ्र लिया जाए।	यह विचाराधीन है।
	6. जोनल कार्यालयों (कार्य प्रभारित स्थापना) में रखा जाने वाला सर्विस रिकार्ड मंडल कार्यालयों को हस्तांतरित कर दिया गया है। कुछ रिकार्ड पिछले 10-15 वर्षों से अपूर्ण है। इनको रखने के लिए अतिरिक्त स्टाफ दिया जाए।	इस मांग पर विचार किया गया है तथा इसे अस्वीकृत कर दिया है।
	7. सामान्य भविष्य निधि खाता लेखों का रख-रखाव जोनल कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा इसे मंडल कार्यालय को बिना स्टाफ के हस्तांतरित करने का निर्णय इस संघ (सी. पी. डब्ल्यू. डी., नान गजटेड आफिस स्टाफ एसोसिएशन) से परामर्श किए बिना लिया गया है। यह निर्णय अपूर्ण है तथा अतिरिक्त स्टाफ के अभाव में, इसे हस्तांतरित न किया जाए तथा विभाग द्वारा इसे रद्द करने बाबत आदेश तत्काल जारी किए जाएं।	चूंकि, इससे संबंधित एक-मद विभागीय परिषद (जे. सी. एम.) में विचाराधीन है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस बाबत लिया गया निर्णय प्रथा अनुसार विभागीय परिषद (जे.सी.एम.) की आगामी बैठक में घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सेमिनार का आयोजन

3249. **श्री प्रफुल पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेते हुए सरकार

के शीर्ष अधिकारियों ने सरकार की उदारीकरण की नीतियों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय समुदाय के उद्योगपतियों से भारत में अपना पूंजी-निवेश बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) उनके द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अब तक यूरोपीय समुदाय के उद्योगपतियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ (सी० आई० आई०) द्वारा 6 जनवरी, 1993 को "मेकिंग इट हैपन इन यूरोप" विषय पर आयोजित एक सेमिनार भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने यूरोपीय उद्योग से भारत में पूंजी निवेश करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार तथा यूरोपीय समुदाय ने सरकारी स्तर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें इस बात के ब्यौरे दिए गए हैं कि प्रौद्योगिकी और पूंजी निवेश में भागीदारी कैसे बढ़ायी जाये। समझौते का अभी औपचारिक अनुमोदन किया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिगरेट के विज्ञापन पट

3250. **श्री मुमताज अन्सारी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सिगरेट के विज्ञापन पट लगाने पर प्रतिबन्ध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इस प्रकार के अवैध विज्ञापन पट लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार के अवैध विज्ञापन पट न लगने देने हेतु क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सिगरेटों के विज्ञापन पट लगाने की अनुमति नहीं देते हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम में निजी भवनों पर विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त स्थगन आदेशों की आड़ में अनेक सिगरेट विज्ञापन पट लगाए गए हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अवैध विज्ञापन पट जैसे ही ध्यान में आते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। नई दिल्ली नगर पालिका ने विज्ञापनों और इश्तिहारों के लगाने को रोकने के लिए उपनियम बनाए हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

3251. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक उपक्रम में हुए लाभ तथा घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने उपक्रमों को घाटे में चलने के कारण बन्द कर दिया गया है अथवा बन्द कर दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) उनकी रूग्णता के क्या कारण हैं और उन्हें पुनः शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या श्रमिकों/मजदूरों के हितों की रक्षा करने का भी प्रस्ताव है; और

(च) गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र में नए उपक्रम लगाने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 31-3-1992 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थित हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उनकी लाभकारिता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निवल लाभ/हानि		
		1991-92	1990-91	1989-90
1.	इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लि०	55.02	57.25	81.24
2.	ने० टे० का० (गुजरात) लि०	—37.13	—21.95	—27.88

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को बन्द नहीं किया गया है तथा केवल घाटे में चलने के कारण उनको बन्द किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) ने० टे० का० (गुजरात) लि० के घाटे के मुख्य कारणों में अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनरी, अधिक श्रमिक रोजगार, असंगठित विद्युत करघा क्षेत्र से अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा तथा काम में आने वाली प्रमुख सामग्रियों की लागत में अत्यधिक वृद्धि होना आदि शामिल है। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा गया है ताकि उनके पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने के मामलों की जांच की जा सके। सरकारी क्षेत्र के

रूग्ण उद्यमों का पुनर्गठन करने के कारण संभावित रूप से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा-तन्त्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की गई है।

(च) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की नई परियोजनाओं की स्थापना अथवा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार का निर्णय परियोजनाओ की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के साथ-साथ देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रख कर किया जाता है।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना

3252. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान रोजगार योजना के अवसर पैदा करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के अवसर पैदा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गयी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार के अन्तर्गत 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान रोजगार के अवसर पर सृजित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	(मिलियन श्रमदिन)	प्रतिशत उपलब्धि
1990-91	929.10	874.65	94
1991-92	735.44	808.11	110
1992-93 (जनवरी, 1993 के अन्त तक)	776.25	459.94*	59

*(इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड की दिसम्बर, 1992 के अन्त तक की उपलब्धि ही शामिल है)।

इस तरह, 1990-91 के दौरान लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया था तथा 1991-92 के दौरान उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी। यह प्रत्याशा है कि 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जाएगा।

(घ) व (ङ) जवाहर रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार वाले लोगों, पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिये अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्य सम्बन्धित राज्यों को किए गए आबटन तथा नवीनतम इकाई लागतों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 18,400 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।

[अनुवाद]

अनिवेश अभियान

3253. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवेश अभियान 1992 में दो बार चलाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवेश हेतु कोई नया अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1992-93 के बजट भाषण में तथा उल्लिखित 3500 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में अब तक 1865.78 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवेश के अगले चरण के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

महाराष्ट्र की पाइप द्वारा जलापूर्ति योजना

3254. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ गांवों के लिए कोई पाइप द्वारा जलापूर्ति योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना लम्बित नहीं है। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त योजनाओं को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मंजूरी के लिए अथवा कुछेक तकनीकी स्पष्टीकरण भेजने के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास योजनाएं

3255. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के दौरान राज्यवार कौन-कौन सी ग्रामीण विकास योजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी थीं;

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्यवार कौन-कौन सी योजनाओं को स्वीकृति दी है और किस-किस को नहीं दी है;

(ग) केन्द्र सरकार ने किन-किन राज्यों की योजनाओं को अस्वीकृत कर दिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बित योजनाओं के बारे में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) मुख्यत: दो कार्यक्रम अर्थात (1) जवाहर रोजगार योजना तथा (2) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम/प्रौद्योगिकी मिशन है जिनके तहत कुछ योजनायें स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं। इनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(1) श्रमिकों के पलायन की समस्या से बुरी तरह से प्रभावित जिलों से श्रमिकों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इन पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु विचार किया जा रहा है।

(2) जहां तक त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम/प्रौद्योगिकी मिशन का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में 2 योजनाएं और गुजरात की 3 योजनायें लम्बित पड़ी है। उत्तर प्रदेश के मामले में, लम्बित 73 योजनायें या तो स्वीकृत कर दी गई हैं अथवा स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार को लौटा दी गई हैं। लम्बित योजनाओं के बारे में निर्णय को तीन महीने की अवधि के भीतर राज्यों को सूचित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारत में जर्मन पूंजीनिवेश

3256. डा० वेंकटश्वर राव बाडु :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन सरकार ने देश में वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) यह निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया गया है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितना निवेश होने की संभावना है तथा यह निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 1990 से 1993 के दौरान जारी किए गए विदेशी पूंजी निवेश के अनुमोदनों में जर्मन कम्पनियों द्वारा भारत में प्रस्तावित कुल प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	कुल विदेशी पूंजी निवेश (रु० मिलियन में)
1990	195.1
1991	418.0
1992	862.7
1993 (फरवरी तक)	596.1

ये अनुमोदन मुख्यत: धातुकर्मी उद्योग, बायलर तथा स्टीम जनरेटिंग संयन्त्र, औषधि तथा भेषजों, औद्योगिक मशीनरी, सिरेमिक्स, वैद्युत उपकरण, मशीनी औजार, रसायन, होटल तथा पर्यटन ईंधन आदि जैसे क्षेत्रों के लिए किए गए हैं।

संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश के अनुमोदन उद्यमियों के प्रस्तावों के उत्तर में दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार

3257. डा० लाल बहादुर रावल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विद्यमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ष 1993-94 के दौरान विस्तार के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 31-3-1992 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं, जिसमें विस्तार कार्य की लागत भी शामिल है का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-92 के खण्ड 1 के पृष्ठ 51·56 पर दिया गया है जिसे दिनांक 26-2-1993 को सभा पटल पर रखा गया था। इसमें उत्तर प्रदेश मे स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। सबद्ध कम्पनियां और प्रशासनिक मन्त्रालय, परियोजनाओं के प्रस्ताव/विस्तार सम्बन्धी आवश्यक कार्रवाई करते है।

[अनुवाद]

सफाई सम्बन्धी प्रकोष्ठ

3258. **श्री हरिन पाठक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उनके मंत्रालय में सफाई सम्बन्धी प्रकोष्ठ बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) मन्त्रालय में सफाई सबंधी कोई प्रकोष्ठ नहीं है क्योंकि सफाई राज्य सूची का विषय है और धनराशि राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। तथापि शहरी विकास मंत्रालय के पास कम लागत की सफाई और सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति की केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें निम्नलिखित वित्त व्यवस्था के अनुसार शुष्क शौचलयों को बदलने तथा सफाई सुविधाओं रहित घरों में नए शौचालयों का निर्माण करवाने की व्यवस्था है :—

ई० डब्ल्यू० एस० :	45 प्रतिशत सब-सिडी, 50 प्रतिशत ऋण तथा 5 प्रतिशत लाभ-अंशदान।
एल० आई० जी० :	25 प्रतिशत सब-सिडी, 60 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत लाभ-भोगी अंशदान।
एम०आई० जी०/ एच० आई० जी० :	सब-सिडी शून्य, 75 प्रतिशत ऋण तथा 25 प्रतिशत लाभभोगी अंशदान।

अवकाश यात्रा सुविधा

3259. श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीयकृत बैंक अपने कर्मचारियों की अवकाश यात्रा सुविधा पर बड़ी धनराशि खर्च कर रही है;

(ख) क्या इस सुविधा के अन्तर्गत खर्च को कम करने कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सुविधा को छोटे परिवारों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (रेलवे, विदेशों में भारतीय मिशन और संघशासित प्रशासन के कर्मचारियों को छोड़कर) के छुट्टी यात्रा रियायत पर 61.75 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा किया गया व्यय केन्द्रीकृत रूप से समेकित नहीं है।

(ख) और (ग) छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा को वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

12.00 मध्याह्न

कलकत्ता में हाल ही में हुए बम विस्फोट के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं एक-एक करके सबको अनुमति दूंगा। सर्वप्रथम, मैं श्री आडवाणी से बोलने के लिए अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कलकत्ता के बम विस्फोट के संदर्भ में, जिसको मैं केवल कलकत्ता तक सीमित नहीं रखना चाहूंगा, उसके कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा।

मैं गत रविवार को मुम्बई गया था और मुम्बई में जिन 13 स्थानों पर एक साथ गत शुक्रवार को बम विस्फोट हुए थे, उनमें से 9 स्थानों पर प्रत्यक्ष देख पाया और अस्पताल में जाकर घायल लोगों से भी मिल पाया। उनकी वेदना, उनकी व्यथा और मुम्बई के नागरिकों द्वारा उस संकट का सामना

करने के लिए जिस दिलेरी और दृढ़ता का प्रदर्शन हुआ, वह अपनी आंखों से देखा। लेकिन उसके साथ-साथ मन में एक गम्भीर आशंका पैदा हुई कि जो शक्तियां और जो तत्व इस प्रकार का कांड मुम्बई में करवा सकते हैं और अधिकारियों को किसी प्रकार की भनक दिए बिना यह करवाकर निकल भाग सकते हैं, अगर यह मुम्बई में हो सकता है तो हिन्दुस्तान का कोई भी भाग सुरक्षित नहीं माना जाएगा। यह गहरी आशंका उस दिन मन में थी और मैंने इस आशंका को सदन में भी व्यक्त किया था कि अब यह सवाल एक घटना का नहीं है, सवाल यह है कि देश इस प्रकार के तत्वों से कितना सुरक्षित है।

राष्ट्रपति जी, प्रधानमन्त्री जी और गृह मन्त्री जी ने भी यह आशंका प्रकट की कि यह जरूरी नहीं है कि यह सब करवाने वाले देश के भीतर ही हों। और शक्तियां हो सकती हैं जो देश के बाहर हैं।

मैंने स्वयं और मेरी पार्टी ने विगत कश्मीर और मुम्बई में जिस प्रकार से उग्रवाद को प्रोत्साहन दिया गया, एक पड़ोसी देश के द्वारा, पड़ोसी राज्य के द्वारा, इसमें संकोच नहीं किया कि हमको लगता है कि सन्देह की सुई सीमा पार के हमारे पड़ोसी देश की ओर संकेत करती है। मैं मान सकता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोग इतना स्पष्ट रूप से न बोलें। यह बात समझ में आती है।

आज प्रातःकाल अखबार में खबर पढ़ी कि कलकत्ता में रात्रि को एक और बम विस्फोट हुआ है। शुरू में अखबारों में आया कि 15 लोग मारे गए हैं। अब की खबर है कि 40 से अधिक लोग मारे गए हैं, 50 हैं। 15, 40 या 50, 100, अब ये आंकड़े महत्व के नहीं हैं। उसके साथ-साथ आज प्रातःकाल के ही अखबारों में यह खबर छपती है कि अमरीका ने अपने नागरिकों को कहा है कि आप दिल्ली जाते हुए सावधानी बरतिए क्योंकि उन उग्रवादियों का अगला निशाना दिल्ली हो सकता है। यह खबर अखबारों में छपी है। इस रूप में भी छपी है। एक प्रकार से हमारी सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। उस हाउस में गृह मन्त्री जी ने भी उसकी पुष्टि की है। आज ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिनको टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता है। शायद हमारे कलकत्ता के मित्र ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे। मुझे वहां की टोपोग्राफी का पता नहीं है। यह घटना कहां पर हुई, कैसे हुई ... (व्यवधान) ... नाम तो पता है। किसी ने कहा कि यह भी हो सकता है कि वहां के जो स्थानीय तत्व हैं, उनकी आपस की लड़ाई का इसमें हिस्सा हो सकता है। यह मैं नहीं जानता।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : ऐसा कुछ नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ऐसा कुछ नहीं है—मैं नहीं जानता।

[हिन्दी]

मैं तो केवल यह मानता हूं कि इन तीन दिनों में भी बम्बई से जो खबरें छपी हैं, वे मन को आश्वस्त नहीं करतीं। पहले-पहले आया कि मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है और जो दो प्रमुख अपराधी थे, उनको ढूंढ निकालने में, उनको पकड़ने में वहां की पुलिस सफल हो गई है। अगले दिन उसका कान्ट्राडिक्शन आ गया कि यह बात सही नहीं है। दो प्रमुख उसमें जो इनवाल्व्ड थे पीलू खां और मगेश पवार,

वे दोनों अभी भी फरार हैं। उसके साथ बाकी जितनी खबरें बम्बई से हैं, जिनकी तफसील में मैं नहीं जाता हूं, उनमें से यह जरूर निकलता कि आज जब पुलिस ने वहां जाकर कई चीजों की जांच की, कई स्थानों पर लोग मिले, पकड़े गए और कुछ का सम्बन्ध आई०एस०आई० से बताया जाता है लेकिन मैं यह जानता हूं कि दिसम्बर-जनवरी के महीने में जब दंगे हुए थे और फिर जब वहां के राज्यपाल जी ने अपना पद छोड़ने के बाद पहला जो सार्वजनिक बयान दिया, उसमें श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बारे के बम्बई के दंगों में विदेशी हाथ है। उसी समय मांग हुई थी कि इसकी अच्छी प्रकार से छानबीन की जाए क्योंकि राज्यपाल के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वह चाहे कार्यपालिका का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके पास जानकारी सही रहती है। वह व्यक्ति जब ऐसी बात कहता है तो साधारणत: बहुत ही जवाबदारी के साथ बात कहता है तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारी पार्टी की ओर से यह मांग की गई कि अगर कोई भी बिना लाइसेंस के हथियार बम्बई में हैं तो उन हथियारों को जब्त करने के लिए चाहे रेड्स करनी पड़ें तो वह करिए। ये सारी बातें तब नहीं हुई। अब कुछ मात्रा में हुई। उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो धीरे-धीरे करके ऐसी स्थिति आ रही है, उसको आप समझिए।

आज अध्यक्ष जी ने भी एक मीटिंग सभी पार्टियों के नेताओं की बुलाई है, सम्भवत: इस बात पर विचार करने के लिए कि हमारी संसद कितनी सुरक्षित है, संसद में कोई ऐसी घटना तो नहीं हो सकती है। कल और परसों भी समय-समय पर इस प्रकार की यहां पर चहल-पहल लगी रही जिसके कारण आशंका और गहरी होती गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, मैं समझता हूं कि बम्बई का ही उदाहरण हमारी [इस बात को प्रमाणित करता है। जहां तक देश की जनता है, हिन्दुस्तान की जनता है, संकट के समय में सब प्रकार के मतभेद भुला करके, सब प्रकार के भेदभाव भुला करके वह संकट का सामना करने के लिए, सरकार का सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इसमें कभी कोई सन्देह नहीं हो सकता है।

जब हम बम्बई में गए, अस्पतालों में गए तो वहां के सुपरिटेंडेंट कहने लगे कि आप लोग इतनी खून की बोतलें भेज रहे हो कि हमारे पास खून रखने के लिए जगह नहीं है। आसपास के लोग इतना सामान भेज रहे हैं, कोई फल भेज रहा है, कोई खिचड़ी भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, जिसका अर्थ यह है कि जनता के सामने अगर संकट का सही रूप आ जाए और यह भी मन में विश्वास साथ-साथ उत्पन्न कर सके कि उसकी दिशा साफ है तो उसमें काफी सहयोग मिल जाता है। मेरी भी शिकायत है और मैं उसको विस्तार से नहीं कहूंगा क्योंकि परसों की चर्चा में उसका उल्लेख मेरे सहयोगी श्री जसवन्त सिंह जी ने किया था, लेकिन मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में उग्रवाद पिछले 10 सालों में बढ़ा है। आतंकवाद इस दशाब्दि की देन है। पंजाब में आतंकवाद आरम्भ हुआ और हमारी ही अपनी राजनैतिक गलती से आरम्भ हुआ, नहीं तो उग्रवाद पंजाब में भी पनप नहीं पाता। पंजाब हिन्दुस्तान के

उन प्रदेशों में से है, जहां अपेक्षाकृत, तुलनात्मक दृष्टि से आर्थिक स्थिति बाकी प्रदेशों से अच्छी रही है, वहां पर वह समस्याएं नहीं हैं जिस प्रकार की अत्यन्त गरीबी की समस्याएं हम बिहार में या उड़ीसा में, आंध्र में और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में देखते हैं। पंजाब में वैसा नहीं था। हां, थोड़ी शिकायतें रहती हैं, वह शिकायतें कहां नहीं रहतीं लेकिन वहां पर उग्रवाद को जन्म मिला, उसमें हम दोषी हैं, देश के नेता दोषी हैं, सरकार दोषी है। गलत राजनैतिक निर्णयों के कारण बातें हैं लेकिन वह पनपता गया, पनपता गया और पड़ोसी देश को लगा कि बहुत अच्छा अवसर है और पड़ोसी देश ने पंजाब में उग्रवाद को प्रोत्साहन देना आरम्भ किया, उग्रवाद को सहायता देना आरम्भ किया। यहां तक कि उग्रवाद को उन्हें शिक्षा देने के लिए अपने यहां पर प्रशिक्षण शिविर लगाना आरम्भ किया। यह चलता रहा, बिगड़ते-बिगड़ते मामला कश्मीर तक गया। उसकी चर्चा अलग-अलग मौके पर होती रहती है।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कश्मीर में और पंजाब में, जो कुछ हुआ था उससे पहले कुछ मात्रा में असम में भी हुआ, बाद में चलकर तमिलनाडु में भी हुआ और जिसके शिकार देश के दो पूर्व प्रधान मन्त्री बने। हमारे दो प्रधान मन्त्री उसके शिकार बने। उसके बाद भी हम इस बात को समझ नहीं पाए कि यह सोफ्ट स्टेट, नरम लोकतन्त्र और कठोरता देश के दुश्मनों के साथ, यह कोई परस्पर विरोधी चीजें नहीं हैं। देश लोकतन्त्र हो सकता है लेकिन लोकतन्त्र का अर्थ विचारों से है और विचार से चाहे जितने मतभेद हों, चाहे परस्पर विरोधी हों तो भी लोकतन्त्र का तकाजा यह है कि बिल्कुल विरोधी विचारधारा को भी आप सहन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस पर पाबन्दी नहीं लगाएंगे लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि जो हिंसा करता है और जो हिंसा के माध्यम से सारी व्यवस्था को बदलना चाहता है, उसके प्रति आप सोफ्ट रहें, उसके प्रति आप नरमी बरतें। नरमी अगर बरती जाती है, किसी अल्टीरियर कंसीड्रेशन से तो और भी खराब है। मैं यह मानता हूं कि धीरे-धीरे करके हमारा देश एक नरम देश बनता गया है। पराक्रम दिखाएंगे तो खुराना जी को और हमारे सांसदों को पीटकर दिखाएंगे, पराक्रम सीमा पर नहीं दिखाएंगे। कठोरता बरतनी चाहिए, पराक्रम दिखाना है तो सीमा पर दिखाना चाहिए। पराक्रम दिखाना चाहिए तो उग्रवाद के खिलाफ बम्बई में दिखाना चाहिए, यह नहीं, प्रकाश सिंह बादल को मारने से पराक्रम नहीं है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, सम्पूर्ण सभा को इस पर इसकी गम्भीरता से विचार करना चाहिए, राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। मैं यही महसूस करता हूं। मैं विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि इनका राजनैतिक लाभ न उठाएं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा था, वह यह है, मेरी मान्यता है कि पंजाब में अगर स्थिति नियंत्रण में आई, उग्रवाद को हम कुछ मात्रा में रोक पाए, तो उसका एक प्रमुख कारण है कि हमने सीमा को सीलबन्द किया है। जोकि बहुत पहले करना चाहिए था। यहां तक मुझे स्मरण है कि सरकार ने एक बार आकर के सारे विरोधी दल, बाकी छोड़कर, उनके विरोध के बावजूद कहा कि हमने जितने कदम उठाए है, टाडा आदि, ये सारे कानून बनाए हैं, लेकिन सीमा जब तक बन्द नहीं है, तब तक ये सारे कानून हमको सहायक नहीं हो रहे है, पंजाब के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पर एक सिक्योरिटी बैल्ट बनाया जाए। उस समय वहां पर पंजाब में एक राज्य सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, वह इस बात के लिए सहमत नहीं थी। एक बार शायद संसद के जीवन में, पहली बार उस धारा का प्रयोग किया गया, जिसमे कि स्टेट सब्जैक्ट के बारे मे संसद ने कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय विपक्ष में थी, बाकी विपक्ष पार्टियों के साथ सहमत न होकर के हमने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और दो-तिहाई बहुमत जो राज्य सभा मे चाहिए था, वह राज्य सभा का बहुमत दिया, उसको पारित करने के लिए। सीमा को बन्द करेंगे, यह हमारा आग्रह रहा और सीमा जब सील हो गई और साथ ही साथ कुछ समय के लिए हमने वहां के सुरक्षा बैल्ट को ये अधिकार दिए, छूट दी कि आप निर्णय करें कि मिलीटैंट्स से कैसे मुकाबला किया जाए, तब हम पंजाब की स्थिति को कुछ नियन्त्रण मे ला सके। अब यह ठीक है कि कभी-कभी इस प्रकार की कार्यवाही में कुछ ज्यादतियां होती हैं। उन ज्यादतियों को रोकना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के प्रति भारत कटिबद्ध है। ह्यूमन राइट्स को भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। वहां विदेश के लोग इस बारे में अगर बल देते हैं, तो मैं उस बल को उचित मानता हूं। अलबत्ता, उनको ह्यूमन राइट्स पर बल देते हुए यह भूलना नहीं चाहिए कि ह्यूमन राइट्स केवल टैररिस्ट के नही होते है, सस्पैक्ट टैररिस्ट के नही होते हैं, साधारण नागरिकों के जो निर्दोष नागरिक हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। उनकी सुरक्षा करना यह सरकार का जो प्रथम कर्तव्य है, प्रथम दायित्व है, उसको कोई सरकार भुला नही सकती है। मैं मानता हूं कि बम्बई की घटना, कलकत्ता की घटना और अभी-अभी मेरे मित्र, डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय, बता रहे है कि आज भोपाल में भी कोई शस्त्रास्त्रों से लदा हुआ, बारूद से लदा हुआ ट्रक पकड़ा गया है। वह कहां जा रहा था, मैं नहीं जानता हूं। कुल मिलाकर ये जो तीन-चार घटनाएं है, ऐसी घटनाएं आज सम्पूर्ण देश के लिए चेतावनी है। यह चेतावनी केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नही है। हम अपने को धोखे में डालेंगे, अगर हम समझेंगे कि बम्बई का जो हमला हुआ है, वह हमला इसलिए हुआ है, क्योंकि बम्बई देश का कामर्शियल कैपिटल है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। तरह जो स्थान है, वे स्थान अलग-अलग जाकर देखे, तो इस अन्दाज को नजरअन्दाज करना पड़ेगा। यह थ्योरी एकांगी थ्योरी है। यह ठीक है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति करे। हमारा कोई दुश्मन नही चाहेगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो हमला इस समय हो रहा है, वह देश की अर्थव्यवस्था पर केवल मात्र नहीं हो रहा है, वह हमारी सार्वभौमिकता, हमारी स्थिरता, हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय अस्तित्व पर हो रहा है।

[अनुवाद]

यह केवल देश की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं है यह हमारी सार्वभौमिकता, हमारी स्थिरता, हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय अस्तित्व पर हमला है।

[हिन्दी]

उसको उसी रूप में देखना चाहिए।

अध्यक्ष जी, आज प्रातःकाल मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वाजपेयी जी और जसवन्त सिंह जी के साथ मैं आपसे मिला था। तब मैंने इस बात पर दुःख प्रकट किया था कि 12 तारीख की घटना है और आज 17 तारीख हो गई, इस प्रकार की घटना किसी और देश में होती, तो अब तक सरकार की ओर से एक-एक विरोधी पार्टी से बात की गई होती। अलग-अलग बात की गई होती। सामूहिक रूप से बात की गई होती, चर्चा की गई होती, जिससे कुछ समझ में आए कि आपका क्या अन्दाजा है, आपकी क्या जानकारी है। आखिर तो आपरेशन टोपैक, जिसका जिक्र उस दिन जसवन्त सिंह जी ने किया था, हमारे लिए आज से कई साल पहले वार्निंग की थी कि काश्मीर को प्राप्त करने के लिए हमारा पड़ोसी देश किस सीमा तक जा सकता है।

और मैं यह मानता हूं कि इन दिनों जो कुछ हो रहा है वह उस आपरेशन "टोपैक" का हिस्सा है, जिसको सिस्टेमेटिकली पड़ोसी देश आगे बढ़ा रहा है। अगर मेरा दल गलत है, हमारा अन्दाजा सही नहीं है तो मैं चाहता हूं कि सरकार हमको इसके बारे में जानकारी दे, सूचना दे। हम पाकिस्तान हाई-कमीशन से इसके बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। पकिस्तान हाई-कमीशन ने परसों जिस प्रकार का बयान भारतीय जनता पार्टी के बारे में दिया, उसको सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। आज तक किसी अम्बैसी ने किसी पोलीटिकल पार्टी के बारे में इस प्रकार का बयान नहीं दिया होगा। मेरे कम्युनिस्ट मित्र भी यहां बैठे हैं, ये लोग कई बार इम्पीरियलिज्म के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कभी किसी अम्बैसी ने इस प्रकार का दुःसाहस नहीं किया और यह दुःसाहस इसी कारण से है कि उनको लगता है कि इस प्रकार का बयान वे भारतीय जनता पार्टी के बारे में दे रहे हैं, इसलिए चल जाएगा, इट कैन पास मस्टर, लेकिन मैं इसको आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता हूं। यहां किसी अम्बैसी को या हाई-कमीशन को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। हां, इस बारे में हमारा असेसमेंट गर गलत है, तो यह कहा जा सकता है। हमारा असेसमेंट कश्मीर, पंजाब की घटनाओं को देखकर, मुम्बई में जो कुछ हुआ, कलकत्ता में जो कुछ हो रहा है या देश के दूसरे भागों में हो रहा है, तो सन्देह की सुई निश्चित रूप से आई० एस० आई० की ओर जाती है। आई० एस० आई० एक प्रकार से वहां पर आटोनामस बाडी बन गया है और वहां की सरकार के लोग भी कभी-कभी कहते हैं कि हमारा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी पोलीटिकल पार्टी पर इस प्रकार से प्रहार करना और सरकार उसके बारे में कुछ न बोले, मैं इसको गलत मानता हूं। सरकार को अगर कुछ कहना है तो हमको कह सकती है, हमारे साथ जितनी लड़ाई हो, लड़ सकती है, लेकिन इसको मैं आपत्तिजनक मानता हूं, इसका उल्लेख भी मैं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, मेरा जो अन्तिम सुझाव है वह यह कि संसद की व्यवस्था आपकी अध्यक्षता में होगी, लेकिन इस समय संसद से ज्यादा गम्भीर संकट सम्पूर्ण देश पर है।

इस संकट की जवाबदारी सरकार पर है। आज तक जो कदम सरकार ने उठाए हैं, उनसे मन में आश्वस्ति नहीं होती है। जो गम्भीर सन्देह मुम्बई की घटना को प्रत्यक्ष देखकर जागृत हुए थे और देश के कई लोगों के मन में जागृत हुए थे, वे शांत नहीं होते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो पिछले दिनों कमी रही है, वह शीघ्र पूरी हो जाएगी और हम मुम्बई की घटना को नहीं रोक सके, कलकत्ते की घटना को नहीं रोक सके, लेकिन इन घटनाओं के लिए जो उत्तरदायी हैं, जो अपराधी हैं, उनको पकड़ने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और एक-दो दिनों में सरकार आकर संसद को उसका फल दे सकेगी। अगर कोई दुबई भाग गया है तो दुबई से उसके निष्कासन की क्या व्यवस्था हो सकती है, इस बारे में भी सरकार कदम उठाएगी। आज की परिस्थिति में जो स्पष्टता, दिशा की निश्चितता, देश के दुश्मनों के प्रति कठोर कदम उठाने का विश्वास, यह जब तक देश के सामने उपस्थित नहीं होगा और स्वयं प्रधान मन्त्री द्वारा, किसी और द्वारा नहीं, तब तक देश को सन्तोष नहीं होगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आज कई प्रदेशों में आतंकवादी देश के टुकड़े करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वह बहुत दुःख का विषय है। 6 दिसम्बर को बाबरी-मस्जिद डिमालिशन के बाद सारे देश में दंगे हुए और कई निर्दोष लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ीं। इसके बाद मुम्बई में जो कुछ हुआ है. हजारों लोग विस्फोटों में मारे गए हैं। इसके बाद कलकत्ता में इसी प्रकार की घटना हुई। **(व्यवधान)**

फिगर में कोई भूल हो सकती है, गवर्नमेंट से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। कई बार गवर्नमेंट के पास भी फिगर्स ठीक नहीं रहते हैं, कई बार अन-आफिशियल फिगर्स भी ठीक नहीं होती हैं। अभी मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट से आफिशियल फिगर कलकत्ते के बारे में 32 का आया है, लेकिन अन-आफिशियल सूचना के अनुसार मरने वालों की संख्या 40 से अधिक हो गई है। इसलिए फिगर कभी ठीक हो सकती है, कभी गलत हो सकती है। सवाल यह नहीं है कि 10 मरे या 15 मरे, लेकिन अगर एक भी आदमी की कुर्बानी होती है तो उसके लिए हम लोगों को दुःख होता है, शोक होता है, हम ऐसे एटीट्यूड को कन्डेम करते हैं। यह बात सच है कि जब हम स्टेट के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो होम-मिनिस्ट्री से कहा जाता है कि यह ला-एण्ड-आर्डर से सम्बन्धित है, इसलिए स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट का कोई सवाल आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन बात सच है। अभी बहुत सारे स्टेट्स में बहुत से माफिया, गैंग गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। माफिया लीडर्स हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स में हैं, जो हमारे स्टेट्स को चलाते हैं। उनके द्वारा ऐसी-ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है।

कलकत्ता की पूरी घटना मुझे मालूम नहीं है। मैं राजधानी में आ रही थी, इधर आने के बाद मुझे खबर मिली। इस घटना का मुझे पहले पता चलता तो मैं आज हाउस में नहीं रहती, उधर जरूर जाती। जो खबर मुझे मिली है, जिस कोठी में बम ब्लास्ट हुआ है, बहुत मजबूत बम था, बम एक्सप्लोशन हो गया। इसलिए इतने आदमी मर गए और 45 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहती हूं कि बहुत सारे आर्म्स बहुत सारे माफिया के पास हैं। यह पॉलिटिकल बात नहीं है। हम लोग मन्दिर-मस्जिद की चर्चा करते है, लेकिन हमारे देश में माफिया, गैंग लीडर्स है वे कान्सपीरेसी करते हैं कि कैसे हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े करें। इसलिए बहुत बड़ी कान्सपीरेसी है। यह पॉलीटिक्स करने के लिए टाईम नहीं है। मैं अपील करती हूं, प्राईम मिनिस्टर साहब यहां है, स्टेट मिनिस्टर फार होम राजेश पायलट जी आज कलकत्ता में गए हैं, पूरी रिपोर्ट आने के बाद मैं प्राईम मिनिस्टर साहब

से रिक्वैस्ट करूंगी कि वे वहां जाएं। इस घटना की जाच सी०बी०आई० से होनी चाहिए। किसी स्टेट में कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव कॉज नहीं बताना चाहता, ऐडमिनिस्ट्रेटिव लकूना बताना नहीं चाहता है। लेकिन जब बहुत सारे आदमियों की जिन्दगी खतरे में है तो सी०बी०आई० के द्वारा इस मामले की जांच कराना जरूरी है। बहुत सी इम्पारटेंट स्टेट कैपिटल्स हैं वहां भी आर्मी के द्वारा नजर रखनी जरूरी है। क्योंकि हमारे स्टेट्स के ऐडमिनिस्ट्रेशन के पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो वे सम्भाल नहीं सकते हैं। हमारा बजट अच्छा है, इसलिए बहुत कांस्पीरेसी हमारी गवर्नमेंट को वीक करने के लिए, हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए हो रही है। यह मामूली कांस्पीरेसी नहीं है, चाहे कलकत्ता में हो या बम्बई में हो।

मैं प्राईम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि जिन लोगों की जानें गई हैं, जो लोग घायल हैं, उनको देखने के लिए, उनके परिवार की मदद करने के लिए, जो हमारे आल पालीटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वे एक साथ बैठकर मन्दिर-मस्जिद की चर्चा न करें, देश को कैसे बचाया जाए, इसके लिए चर्चा करें। इस मौके पर अगर हम देश को नहीं बचा सकते हैं तो कोई झण्डा नहीं बचेगा। पहले हिन्दुस्तान का झण्डा बचाना चाहिए। हिन्दुस्तान का झण्डा बचाने के लिए मैं हर एक आदमी से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं।

साथ ही साथ बिहार में टाइम्स आफ इण्डिया के एडीटर उत्तम सिंह के ऊपर भी अटैक हुआ है। मैं उसकी भी जांच सी०बी०आई० से करवाने के लिए कहती हूं। चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे बम्बई हो, किसी आदमी की सरकार नहीं रह सकती है जब आम आदमी की जिन्दगी खतरे में है। कौन सी पार्टी है, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा ऐडमिनिस्ट्रेशन है, यह देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी गलती करे, बम बनाए, आर्म्स लेकर घूमे और देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए कांस्पीरेसी करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए मैं रिक्वैस्ट करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कलकत्ता में बम विस्फोट के इस मामले को उठाने के लिए सूचना दी है जिसमें अनेक बेकसूर लोगों की जानें गई हैं और मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कलकत्ता में हुए इस विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल की है। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उसे इस बारे में कोई जानकारी है कि यह घटना मुम्बई में हुए विस्फोट से कहां तक मिलती-जुलती है। मुम्बई में हुए बम विस्फोट की तुलना घटना-स्थल के क्षेत्र, इससे हुई मौतों, सम्पत्ति की क्षति के मामले में कलकत्ता से नहीं की जा सकती। तब कलकत्ता में हुई घटना के वास्तविक कारण क्या है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें सरकार से पूछने है। लेकिन आडवाणी जी के सुनने के बाद मैं समझता हूं कि आप जांच की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे बात कर सकते है और सरकार की ओर से वक्तव्य दे सकते हैं और कह सकते हैं कि यह देश और संगठन जिम्मेदार है। यदि यह सच है तो मै जानना चाहता हू कि क्या मुम्बई में हुई घटना के सम्बन्ध में गम्भीरता से कोई जांच की गई है। मुद्दा यह है। कलकत्ता में कुमारी ममता बनर्जी ने कहा कि यह कोई षडयन्त्र नहीं, बल्कि कोई बम बनाया जा रहा था जोकि दुर्घटनावश फट गया। मुझे ज्ञात नहीं है इस बार ऐसा ही हो सकता है। यदि ऐसा दुर्घटनावश नहीं हुआ था और यदि यह

उसी प्रकार की दुर्घटना थी जैसी मुम्बई मे हुई थी, अब कलकत्ता में हो रही है और यह दिल्ली मे घट सकती है जिसके बारे में विदेशों में भी लोगों को जानकारी है।

इस सम्बन्ध में अमरीका के प्रशासन ने अपने लोगों को, जो इस बीच भारत में आ रहे थे, फिलहाल दिल्ली न जाने के लिए चेतावनी दी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र हो सकता है।

आडवाणी जी ने पाकिस्तान की बात की है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब मे समस्या खडी कर रहा है। हमे वहां विदेशी तत्वों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करनी होगी जो कि देश की एकता को समाप्त करना चाहते हैं। आडवाणी जी ने सीमा को सील बन्द करने की बात की है।

इस समय 1993 चल रहा है। हम इतिहास में 450 वर्ष पीछे नहीं जा सकते। यदि उस समय आपकी सरकार होती तो मैं आपको कहता कि आप इस देश में बाबर को सीमा पार करके आने से रोकिए। आप उसे रोक सकते थे। हमे यह बताया गया कि बाबर सीमा पार करके आया और एक मन्दिर को तोड़ दिया। अब हमारे सामने यह समस्या है। अतः आप उस समय सीमा सील कर सकते थे। अब मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष भी अयोध्या में उसी स्थान पर विनाशकारी क्रियाकलाप हुए इस सबको करने के लिए कौन सीमा लांघ कर आया। वे इस देश के हमारे अपने लोग हैं। यह ज्वालामुखी किसने पैदा किया? वह ज्वालामुखी अब फूट पड़ा। 6 दिसम्बर को जो भी अयोध्या मे हुआ उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई है। क्या आप यह समझते है? यदि आप हिंसा का वातावरण पैदा करते हैं तो इस देश के गुमराह व्यक्ति घटनाओं द्वारा गुमराह होकर आतंकवाद फैला सकते हैं। तब इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? किसी को आतंकवाद नहीं फैलाना चाहिए। कश्मीर में, पंजाब मे हमने यह कहा है। उनसे कड़ाई से निबटिए। हमारे देश से वह कैसे बच जाते है? मैं याकूब मैमन या किसी और को नहीं जानता। यदि कोई बुरे व्यक्ति इस देश में कुछ करते हैं तो इसके लिए जवाब देना पाकिस्तान का कार्य नहीं है। उनका यह कार्य नहीं है। पाकिस्तान के राजदूत को भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता क्यों? उसे क्यों कहना चाहिए? वह अधिक संकट पैदा कर रहा है। लेकिन आपको उनके विरुद्ध, जो देश में विघटनकारी तत्व हैं कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें तो 300 वर्षों में क्यों मुम्बई में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। आतंकवाद केन्द्रित रहा चाहे वह पंजाब में हो, कश्मीर या पूर्वोत्तर के कुछ भाग में हो और कुछ दिल्ली में रहा लेकिन ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि यह सारे देश मे फैल रहा है। इसका क्या हल है। क्या आप इस पर गम्भीरता से चर्चा कर रहे हैं कि हम इस देश मे सहायक वातावरण तैयार करने के लिए किस तरह सहयोग कर सकते हैं ताकि हमारे लोग निराशा में आतंकवाद का रास्ता न अपनाएं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम इस देश में हिंसा फैलाने वालों के विरुद्ध अपेक्षित कदम उठा रहे है? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्यो? आडवाणी जी ने ठीक कहा है कि आपको दृढ़ रहना चाहिए और मैं भी यही कहूंगा कि आपको विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाना है। आपको विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जबकि देश खतरे मे है। आप सभी राजनैतिक दलों से बातचीत करें। हमें बताएं कि क्या कार्यवाही की जाएगी।

यह भी सच है कि 12 मार्च को मुम्बई में गम्भीर घटना घटी थी और पांच दिन हो चुके हैं

और अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है कि इस सम्बन्ध में राजनैतिक दृष्टि से क्या कार्यवाही की जाए। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार अपनी अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्था से इस स्थिति से नहीं निपट सकती। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तथ्य जानना चाहता हूं। हमें बताएं कि कलकत्ता में विस्फोट कैसे हुआ ? क्या इसका अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से कोई सम्बन्ध है। क्या यह मुम्बई में हुए बम विस्फोट से सम्बन्धित है। यद्यपि इसका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं परन्तु क्या यह उससे सम्बन्धित है और क्या आपको देश में ऐसा कुछ और घटने की भी आशंका है ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद हमारे देश तक पहुंच गया है। मुझे यह ज्ञात नहीं कि क्या हम यूगोस्लाविया जैसी स्थिति का सामना करने जा रहे हैं ? मैं यह सब सोचकर कांपने लगता हूं। हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए। हम सभी राजनैतिक दलों को एकमत होकर ऐसी घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए और इसका कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो विस्फोट कलकत्ता में हुआ वह मेरे घर से बहुत नजदीक है। वास्तव में हमारा घर हिल रहा था। पहली बात जो मैं बताना चाहती हूं कि मुझे यह समाचार, मुझे अपने एक पोते से मिला और हमारा क्षेत्र बहु-धर्मावलम्बियों का क्षेत्र । वहां से लड़के भागकर घटना स्थल पर पहुंचे और इस घटना में जो मारे गए उनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के थे। लेकिन इन लड़कों ने मलबे के नीचे दबे व्यक्तियों को निकालने के अपने सभी प्रयास किए। 6 बजे तक वे लगभग 100 लोगों को निकालने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि अभी भी वहां अन्य शव रह गए थे।

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह किन्हीं पाकिस्तानियों का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मरने वालों में मुसलमान भी थे। (व्यवधान) जी हां, मैं यह समझती हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से जानना चाहती हूं कि इस घटना के पीछे कौन है वे कहां से आए थे। यह स्थान हमारे नए निर्माणाधीन मेट्रो-रेलवे के बहुत नजदीक है। यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं नहीं समझती कि सभी विस्फोट एक ही प्रकार के होते हैं। विस्फोट अन्य प्रकार के भी हो सकते है। हमें इनमें से प्रत्येक के बारे में सोचना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या कोई सम्बन्ध है। मैं इस बात से सहमत हूं और समझती हूं कि हम सभी को एक साथ मिलकर गम्भीरता से इसे लेना चाहिए और स्थिति का सामना करना चाहिए।

ऐसा खतरा पहले ही बना हुआ है कि दिल्ली में भी बम विस्फोट होगा। हमें यह नहीं पता था कि यह कलकत्ता में होगा। अतः यह काम उतना आसान नहीं होगा।

सर्वप्रथम मैं चाहती हूं कि कलकत्ता के इस घटना की समुचित जांच होनी चाहिए और यदि हमारी राज्य सरकार केन्द्र सरकार की सहायता चाहती है तो मुझे विश्वास है कि इस मौके पर उसे यह मदद मिलेगी। यह मदद दी जानी चाहिए। जो लोग घटना में मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए जैसा कि मुम्बई में किया गया तथा इस हादसे के पीछे जिनका हाथ है बिना किसी राजनीतिक फायदा के कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में उनका पता लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। परसों इस सदन में एक स्थगन प्रस्ताव के जरिए हम लोगों ने बम्बई घटना के ऊपर बहस की थी। लेकिन कल से सब लोगों के दिमाग मे और खासकर इस सदन के माननीय सदस्यों के दिमाग मे यह सूचना जानने के बाद जो अमरीकी सूत्रों से मिली है कि दिल्ली भी इसका शिकार बन सकती है, काफी चिन्ता व्याप्त है, क्योंकि कल रात को कलकत्ता में भी इसी तरह की घटना हो गई।

इस बहस को सुनने के लिए प्रधानमन्त्री और गृह मन्त्री दोनों मौजूद हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम लोगो को अन्तर्मुखी होकर सोचना चाहिए कि बम्बई मे 12 तारीख को जो घटना घटी, उसके पहले दो बार जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में इस सरकार के मन्त्रियों की क्या प्रतिक्रियाएं है। मैं हमारे वित्त के बयान का जिक्र करना चाहता हूं। उनकी मानवीयता की चिन्ता नहीं है, उनको चिन्ता है कि इवेस्टमेंट घट जाएगा। प्रधानमन्त्री के बाद प्रोटोकोल के हिसाब से उनका नम्बर आता है। मैं कहना चाहता हू कि वित्त मन्त्री के दिमाग में यह तुरन्त आ गया कि इवेस्टमेंट घटेगा, ठीक है कि घटेगा, लेकिन जो इन्टरनल सेबोटाज हो रहा है यह उनके बयान मे नही आया, उनके ध्यान मे नहीं आया, केवल यही उनके ध्यान मे रहा कि इवेस्टमेंट घटेगा। जो लोग कहते हैं कि 12 तारीख के बाद सविधान के ऊपर और सविधान की प्रिएम्बल के ऊपर, हमारे सविधान मे है कि हम धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौम राष्ट्र है, उस पर हमला हो रहा है।

6 तारीख के बारे में उनको यह महसूस करना चाहिए कि जो सविधान पर हमला हुआ है, जो सार्वभौमिकता पर हुआ है, उसकी शुरूआत 6 दिसम्बर से हुई। उस समय जिस तरीके से सरकार ने और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर को बरकरार नहीं रख पाए हैं, यह शुरूआत उस दिन से हुई है। 6 तारीख से और उसके बाद देश में असुरक्षा की भावना शुरू हुई। यदि 6 तारीख को नहीं होता, तो बम्बई में 12 तारीख को नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे मे बिलकुल साफ कहता हूं। इस पर सारे ससद का कान्सेंसज होना चाहिए जिस तरीके से देश मे संविधान की रक्षा करना संसद का और आपका कार्य है, वह नहीं हुआ हालांकि हमारे संविधान के बुनियादी अधिकारो में सारे लोगों—सारे धर्मावलम्बियो—ईसाई, मुसलमान, सिक्ख, हिन्दू—समान अधिकार दिया गया है। उनके समानता के अधिकार पर हमला होता है तो फिर देश मे इन्टरनल सेबोटाज करना लाजमी हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास—प्राइवेट मैम्बर्स आफ हाऊस— खुफिया विभाग नहीं है। सरकार की सुस्ती और असंकल्प के साथ देश में इस तरीके से जो इन्टरनल सैबोटाज हो रहे हैं, सरकार को कभी नहीं माफ करूंगा कि वह कुम्भकरण की नीद सोई हुई है। इस बारे मे सरकार का कोई सोच नहीं है। हाऊस को कान्फिडेंस मे नही लिया है। इसलिए इस बात को उठाने से पहले सरकार को इस बारे मे कहना चाहिए कि आज देश मे लोगो मे असुरक्षा की भावना हुई है। कलकत्ता की घटना के बारे मे सरकार को संसद का विश्वास में लेना चाहिए था। मैं इस बारे में कोई स्पेकुलेशन नही करना चाहता हूं। खबर सरकार के पास है, खुफिया विभाग सरकार के पास है, इसलिए मैं आपके माध्यम से

कहना चाहता हूं कि सैबोटाज करने वालों के खिलाफ जिस तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए, वह नहीं कर रही है। इसके चलते आज अखबार में निकला है कि बम्बई में दो लोग निकल भागे, सरकार उनको पकड़ नहीं पायी और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आए। यह क्यों हुआ ? यह सरकार की असफलता है, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, इसका खुफिया विभाग क्या कर रहा है ? क्या सरकार कोरा, आई० बी० से 12 तारीख को बम्बई की घटना के बारे में आगाह किया था या नहीं ? अखबार में तरह-तरह की चर्चा है। मैं जानता हूं कि किस तरीके से हमारी ये दो संस्थाएं काम कर रही हैं ? क्या विदेशों की तरफ से हमारी सरकार को डि-स्टेबलाइजेशन कर रही है, जैसा कि सरकार खुद कह रही है तो क्या रा और आई० बी० का काम पालिटिकल सैबोटाज करना ही है ? सरकार ने कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल यह है कि सरकार को जिस चुस्ती से काम करना चाहिए, वह नहीं कर रही है। हाऊस को इस बारे में विश्वास में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि यहां प्रधानमन्त्री बैठे हुए हैं। वे चिन्तित हुए हैं। इन चीजों को पढ़कर जिस तरीके से अखबारों मे निकला है कि जब हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री स्व० राजीव गांधी अमरीका गए थे तो अमरीका सरकार के खुफिया विभाग ने कहा था कि उन पर हमला करने की साजिश थी और वह नाकाम की गई। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से क्या भारत सरकार को पता था या नहीं ? मैं नहीं जानता लेकिन यह एक अच्छाई है कि अमरीकी सरकार ने कार्यवाही की। तो देशवासी यह जानना चाहते है कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमन्त्री के बारे मे यह चीज हुई, उस तरह इन इन्टरल सेबोटाज के बारे में भी सरकार का खुफिया विभाग जिस तरीके से एक्सपर्टाईज या प्रोफेशनलिज्म के साथ रहना चाहिए, है क्या नहीं ?

यह मेरा सन्देश है अध्यक्ष जी। जिस तरह से सरकार खुफिया विभाग चल रहा है, मेरा कहना है कि जैसे आज सुबह प्रश्न काल में पहले कहा कि टैक्नालाजी की कमी हो सकती है, उसको दुरुस्त करने के लिए आप सारे दलों के नेताओं के साथ बात करना चाहते हैं, वह शुभ सूचना है। मेरा कहना है कि क्या खुफिया विभाग जिस तरीके से सफलता के साथ काम नहीं कर रहा है, उसके प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी है तो वह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। अगर कोई कमी है तो सरकार उसको दुरुस्त करे ताकि इण्टरनल सेबोटेज के बारे में देश को और सरकार को पहले से खबर हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल यह है कि अभी लोगों में जिस तरह से भय और असुरक्षा की भावना 12 तारीख के बाद पैदा हुई है, इसके निराकरण के लिए सरकार के टेलीविजन, सचार माध्यम और अखबार इत्यादि के माध्यम से देश भर में सरकार की तरफ से प्रचार होना चाहिए ताकि लोगों में आत्मविश्वास बने और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इण्टरनल सेबोटेज के खिलाफ लड़ने के लिए जो जो काम करना चाहती है, उसमें सहयोग करने से किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन सबको यह आभास होना चाहिए।

[अनुवाद]

सरकार इस बारे में गम्भीर है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश मे जिस तरीके से इस संकट की घड़ी में सेबोटेज से जूझना है, उसके लिए हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं और सभी बोलना चाहेंगे। बहस शुरू हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप के भी विचार सुनना चाहेंगे :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपने विचार नहीं दे रहा हूं, एक सुझाव रख रहा हूं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि कलकत्ते की घटना के बारे में अथारिटेटिव स्टेटमेंट आए और फिर उसके प्रकाश में चर्चा हो ? बम्बई के बारे मे तो चर्चा हो चुकी है। हम चाहें तो फिर चर्चा कर सकते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि कलकत्ते के बारे में जो रिपोर्ट आए, उससे पता चले कि कलकत्ता मे जो कुछ हुआ है, उसका बम्बई के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है मगर अंधेरे मे हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा यह होगा कि आप गृह मन्त्री से कहें कि वह कलकत्ते के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके सदन को विश्वास में लें और फिर हम उस पर चर्चा करें। **(व्यवधान)**

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : और मुअज्जिज मेम्बरान को कुछ कहने का मौका दिया गया है, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या बोल रहा हूं आप सुनिए तो सही। आपकी बात सही है और हमने जानने की कोशिश की है कि कितनी इनफार्मेशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास आई है। ऐसा है कि ये सारी चीजें वहां की सरकार के हाथ में आएगी, वहां से इनके पास आएगी। कुछ जानकारी आई है ऐसा मैंने सुना है लेकिन पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। मैंने कहा है कि कितनी भी जानकारी है वह दें और उसके बाद शुरू करें। मगर एक चर्चा शुरू हो गई है, उसे तोड़ना अच्छा नहीं होगा। उसे पूरा होने के बाद करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर इसमें चर्चा हो तो इससे हमारे देश को मदद होगी, संसद को मदद होगी, सरकार को मदद होगी, सब पार्टियों को होगी और सब लोगों को मदद होगी। यह सर्जीदगी से चर्चा हो रही है, उसको उस तरीके से होने दीजिए। उसमें बिना वजह की पोलिटिक्स मत लाइए। **(व्यवधान)**

श्री तारा चन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : चर्चा होने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आडवाणी जी ने, आचार्य जी ने और ममता बनर्जी जी ने चर्चा शुरू की है, यह सन्देश देश में गया कि संसद में क्या हो रहा है··· **(व्यवधान)**·· मैं कहना चाहता हूं कि भाषण में राजनीति न लाएं।··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको बुलाया है। खण्डेलवाल जी, आप ऐसे नहीं बोलिए। बिना वजह अच्छी चर्चा को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। देखिए अपने-अपने विचार हैं, उसको बोल रहे हैं। तोल-मोलकर बोल रहे है। कुछ विचार ऐसे हो सकते है जो एक-दूसरे को पसन्द न आए मगर कुल मिलाकर जो डिस्कशन चल रहा है अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूं कि उसको आप डिस्टर्ब मत करिए।

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आज जब देश एक गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है तो ऐसे मौके पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम मैं मुम्बई तथा कलकत्ता में हुए बम विस्फोटों की कड़े शब्दों मे निन्दा करना चाहूंगा चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो। मै कोई भेद भाव नहीं करता। मैं इस घृणात्मक कार्य की भर्त्सना करता हूं जिससे हमारे देश मे काफी लोग मरे। इसके साथ ही मै उन लोगो के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करता हूं जो मुम्बई और कलकत्ता में हुए बम विस्फोट से प्रभावित हुए।

महोदय, मैं अब कहना चाहूंगा कि हर सम्भव प्रयास के साथ अपराधियों का पता लगाना सरकार का कर्त्तव्य है। इस सम्बन्ध में मै यह कहना चाहूंगा कि हमें अटकलबाजी से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अटकलबाजी लगाना शुरू करता है। हम इस अटकलबाजी से बचना चाहिए कि इसमें इस देश का हाथ है या उस देश का। जब तक सरकार वास्तविक अपराधी का पता नहीं लगा लेती, तब तक इस तरह की बातें अधिक भ्रम पैदा करेंगी जो गुमराहकारी हो सकती हैं और इस प्रकार अन्य लोगों के बारे मे सन्देह पैदा कर सकती है। देश के हित मे ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए।

जहां तक बाबरी मस्जिद गिराने का प्रश्न है, यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी थी। जो मुम्बई में हुआ वह भी त्रासदी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी पार्टियां है देश में हिंसा का माहौल पैदा कर रही हैं। आज उनके कारण देश मे हिंसा और घृणा का माहौल है। सरकार को इससे सख्ती से निपटना है और सरकार को देश के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योकि जब बाबरी मस्जिद ढहायी जा रही थी तो सरकार उस स्थिति को नियन्त्रित करने मे असफल रही। मैं इस बात को पुन दोहराता हूं। जहां तक 6 दिसम्बर की घटना का सम्बन्ध है, यदि केन्द्र सरकार ज्यादा सतर्क होती और यदि सरकार अपना कर्त्तव्य निभाती तो ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी नहीं होती। सरकार की दृढ़ता का पता उस समय चला जब 25 फरवरी को उसने दिल्ली में भाजपा की रैली पर प्रतिबन्ध लगाया था। सरकार ने पूरी दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला किया। परंतु जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो उस दृढ़ता की कमी थी। सरकार में वह दम नहीं था और वह उस कार्यवाही पर ढुलमुल हो गई। इस तरह की सभी कमजोरियो से यह संकटपूर्ण स्थिति हुई है। अतः हमें यह अवश्य देखने का प्रयास करना चाहिए कि देश मे हिंसा और घृणा न फैले। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह पता लगाएं कि दोषी कौन है। वास्तविक दोषी का पता लगाना है और काफी दृढ़ता से उस दोषी व्यक्ति से निपटना है। सरकार जो कुछ भी करती है ऐसा उसे देश की जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए करना होता है। हम सरकार से पूरा सहयोग करने को तैयार है जोकि हम अपने भाई-बहनों का जीवन बचाना चाहते हैं। हम देखना चाहते है कि देश में शांति कायम हो। हम नहीं चाहते कि देश में इन घटनाओं के पीछे जिनका हाथ है अथवा जिनका दिमाग लगा है उनपर कोई

अटकलबाजी लगायी जाए। यह गलत बात है और ऐसी परिस्थिति मे यह उपयुक्त भी नहीं है। अत: मैं चाहूंगा कि सरकार दृढ़ता से प्रयास करे तथा वास्तविक अपराधी का पता लगाए और उसे सजा दे। हम सरकार के साथ हैं और इस मामले में हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री चित्त बसु : मैंने आपको एक नोटिस दिया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात पहले सुनें। कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। एक अच्छी चर्चा हुई। शायद सभी नेताओं के साथ बात कर हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इस मामले में क्या किया जाना है और हम कैसे चर्चा करेंगे। अब मैं श्री चित्त बसु को अनुमति दूंगा क्योंकि वे उस क्षेत्र के है, इसके बाद गृह मन्त्री को उत्तर देने दें और तब हम इतने ही महत्वपूर्ण अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आपकी अनुमति से मैं सरकार का, विशेष तौर पर गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री का ध्यान आज सुबह कलकत्ता में हुई घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, सारी सभा मेरी बात से सहमत होगी तथा इस प्रकार की जघन्य घटनाओं, जिसके कारण अब तक 40 लोग मारे गए तथा 100 से अधिक लोग घायल हुए, जैसाकि कलकत्ता के व्यक्तियों ने मुझे बताया, पर अपनी चिंता जाहिर करेगी और उसकी भर्त्सना करेगी।

महोदय, यह मानना होगा कि सारा देश हिंसा, निराशा तथा भय के दौर से गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में सरकार को यह देखने के लिए उचित उपाय करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो भय चिन्ता हटे।

महोदय, इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि अयोध्या में पिछले 6 दिसम्बर को जो घटना घटी उसके बाद इस प्रकार के विस्फोट तथा हिंसा भड़कने की अनेक घटनाएं घटीं। पहले यह 6 दिसम्बर, मुम्बई में 12 मार्च को और आज 17 मार्च को कलकत्ता में। इसकी काफी प्रतिक्रिया हुई है। यह कुछ दूसरी बातों का परिणाम है। यह घटना पहले भी घटी है। इससे देश मे गम्भीर समस्या हुई है। इससे देश का स्थायित्व एकता और अखण्डता को खतरा पहुंचा है अत: सरकार को यह देखने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए कि देश की एकता में लगी सभी ताकतें, जो देश में एकता लाना और उसे सुदृढ़ करना चाहती है इस प्रकार के विघटनकारी विध्वंसकारी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ एकजुट हों तथा भय और चिन्ता की भावनाओं को दूर करने के लिए सरकार को देशव्यापी अभियान शुरू करने में अग्रसर भूमिका निभाने की विशेष जिम्मेदारी उठानी है। महोदय, ऐसा तभी किया जा सकता है जब सरकार ऐसी गड़बड़ी के कारण तथा इसमें शामिल देश के अथवा बाहरी व्यक्तियों का पता लगाए।

महोदय, सरकार को ही तथ्यों सहित, जो सरकार के पास उपलब्ध हैं, एक वक्तव्य शीघ्र देना चाहिए। कलकत्ता की घटना की पृथक जांच की जानी चाहिए। इसे एक साथ नही मिलाना चाहिए और उस दृष्टि से विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक विशिष्ट प्रकार की जांच, जैसा कि सुश्री बनर्जी ने सुझाव दिया है, अर्थात केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस घटना की जांच, जो आज सुबह घटित हुई है, करानी चाहिए और इस पूर्ण सन्दर्भ में भी हमें कुछ उपाय करने चाहिए ताकि डर और आशंका का वातावरण और अन्य प्रकार के खतरे, जो अस्पष्ट रूप से उत्पन्न हुए हैं, शीघ्र समाप्त किए जा सकें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से उग्रवादियों की गतिविधियों की निन्दा करते हुए एक संकल्प पारित किया जाना चाहिए ताकि सम्पूर्ण देश को इस बात की जानकारी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके अनुरोध को समझ लिया है। अब गृह मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे। कृपया विघ्न न डालें। कृपया सभा मे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सहायता करें।

12.59 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

कलकत्ता में हाल ही में हुआ बम विस्फोट

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के अनुसार कल रात एक बम विस्फोट हुआ जिसमे दो घर पूर्णतया नष्ट हो गए और दो घर एक इसके दोनों ओर तथा इन घरों के सामने वाला एक घर नष्ट हो गए। यह बम विस्फोट बी० बी० गांगुली स्ट्रीट में हुआ था। बताया गया है कि 35 व्यक्ति मारे गए हैं। पैंतालीस व्यक्ति घायल हुए हैं और उनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। अन्य सैंतालीस व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई। सेना के विस्फोटक विशेषज्ञों और अपराध विज्ञान विशेषज्ञों को विस्फोट के स्वरूप की जांच कार्य में लगा दिया गया है। आग को बुझा दिया गया है। मलवा हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने विस्फोट स्थल का दौरा किया है। बताया गया है कि आन्तरिक सुरक्षा राज्य मन्त्री शीघ्र कलकत्ता पहुंच रहे हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने जो कुछ मुझे बताया है मैं उससे कुछ भी अधिक नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु मैं समझता हू कि मेरे लिए एक दो बातें स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। एक तो मुम्बई के दो मैनन भाईयों के बारे मे, जो मुम्बई छोड़कर दुबई चले गए हैं। कुछ समाचार पत्रों और कुछ माननीय सदस्यों को किसी प्रकार का सशय है कि क्या यह घटना मे पहले की बात है अथवा घटना के बाद की। वे दोनों 11 तारीख को घटना से पहले मुम्बई चले गए थे और दो घटना के बाद गए थे। (व्यवधान) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि जो मुम्बई छोड़कर दुबई चले गए थे उनका मुम्बई में हुई घटना से किसी प्रकार का सम्बन्ध था। हमने विदेश मन्त्रालय को सयुक्त अरब अमीरात के अमीर के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह इस विशिष्ट मामले में अपेक्षित इन दो लोगों को वापस भेजने मे हमारी सहायता करने का प्रयास करें।

इसके मूल और अन्य बातों के सम्बन्ध में जब तक सब बातों की उपयुक्त रूप से जांच नहीं हो जाती तब तक मेरे लिए कोई भी राय देना उपयुक्त नहीं होगा कि घटना किस प्रकार हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और किस हद तक किसी एक अथवा दूसरे व्यक्ति पर जिम्मेवारी डाली जा सकती

है। परन्तु वातावरण के सम्बन्ध में, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश में हिंसा, नफरत का वातावरण फैल गया है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमें दलगत विचारों को ध्यान में रखे बिना हर सम्भव प्रयास करने होंगे। हमें विश्वास तथा एकता की भावना उत्पन्न करनी होगी। हमारे देश की एकता और अखण्डता को खतरा है। अतः हमें न केवल अपने दलगत विचारों को भूलना होगा अपितु विभिन्न धर्मों और अन्य सम्प्रदायों, जिनसे हम सम्बन्धित हैं, को भी भूलना होगा। हमें इस सब को भूल कर अपने देश के सम्मान और एकता की रक्षा करने का प्रयास करना होगा। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री जेना, यह विस्तृत चर्चा नहीं है। आप माननीय गृह मन्त्री जी से सम्पर्क कर सकते हैं। वे आपको बता देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड एरिया में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि वहां 125 बटालियन बी० एस० एफ०; सी० आर० पी० एफ० और पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दी गई हैं। वह गांवों में गरीब लोगों को लूट रही है और औरतों के साथ रेप कर रही है। उन गरीबों की भेड़, बकरियां लूटी जा रही हैं। 1500 से भी अधिक लोगों को जेलों में डाल दिया गया है। वहां भी पुलिस उनके साथ अत्याचार करती है। गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियां जला दी गई हैं। गृह मन्त्री ने झारखण्ड को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे ऐलान भी किया था। माननीय आडवाणी जी जोकि वनांचल की बात करते हैं लेकिन इस समय उनके मुंह से इस बारे में एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। संवाददाताओं को उस एरिया में जाने नहीं दिया जा रहा है। इस कारण हम तक पूरी खबर नहीं पहुंच रही है। इसलिए गृह मन्त्री जी हमें इसके बारे में ठीक से बतायें। संविधान में छठे शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है। उसके क्या मायने होते हैं? सी० पी० आई० के नेता यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने भी झारखण्ड को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया है। आज बातचीत द्वारा समस्या को हल करने का रास्ता न अपना कर पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने का रास्ता अपनाया जा रहा है।

1.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

यह संविधान के खिलाफ है। ऐसे अत्याचार करने की इस सरकार की आदत सी बन चुकी है। सरकार गरीबों और छोटे तबके के लोगों को दबाने की चेष्टा कर रही है। राम विलास पासवान जी यहां बैठे हुए नहीं हैं। वह सामाजिक न्याय की बहुत बातें करते हैं। लेकिन इस पर वह भी चुप हैं। जनता दल के लोग भी छोटे राज्यों का दोहन कर चुके हैं, यह इस जगह इस बात पर कुछ भी नहीं

बोल रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में अन्तर पाया जा रहा है। आप लोगों की इस आशा से वहां के लोग जाग चुके हैं और सब दलों के लोग जुट चुके हैं कि झारखण्ड का क्या करना है, देना है कि नहीं देना है। इसकी साफ नीयत से आज गृह मन्त्री जी यहां पर सदन को अवगत कराएं और वहां पर शान्ति स्थापित करने की हर व्यवस्था करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र में इस समय जो स्थिति है और जिस प्रकार से सरकार उसके साथ बर्ताव कर रहा है, यह बहुत चिन्ता का विषय है।

वहां पर एक सर्वानुमति बनी हुई है कि उस क्षेत्र का विकास तब सम्भव होगा जब उसको पृथक राज्य के रूप में अलग प्रदेश बनाया जाएगा। कोई उसे झारखण्ड कहता है, कोई उसे वनांचल कहता है लेकिन इसका जो सम्बन्ध है, वह मूलत: असन्तुलित विकास से है और संतुलित विकास अगर बिहार प्रदेश का होना है तो उसमें इस क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में बनाए जाने की मांग वर्षों से है और उस मांग का समर्थन केवल एक पार्टी नहीं लेकिन उस क्षेत्र की सभी पार्टियां प्राय: करती हैं। मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में है। इन दिनों में प्रदेश सरकार को शिकायत है कि झारखण्ड पार्टी से केन्द्र सरकार बातचीत करती रही है, उसको उलझाए बिना। अब यूं तो शिकायत हमको भी है, हमारे सांसद सबसे अधिक उस क्षेत्र से हैं। बिहार से हमारे 5 सांसद हैं और सभी के सभी उसी क्षेत्र से हैं। हमसे बात किए बिना आप झारखण्ड के बारे में बात करते रहे हैं लेकिन मैं इस शिकायत को इसका औचित्य नहीं मान सकता कि इसके कारण शान्तिपूर्ण ढंग से कोई अगर अपना आन्दोलन करता है तो उसके ऊपर हिंसा लाद दी जाय, उसके ऊपर गोली प्रहार किया जाय, लाठी प्रहार किया जाय। यह सरासर गलत बात है और कुल मिलाकर देश में राजनैतिक गतिविधि को रोकने के लिए, राजनैतिक आन्दोलन को रोकने के लिए हिंसा का अवलम्बन जो बढ़ता जा रहा है, उसकी मैं निन्दा करना चाहूंगा और मैं केन्द्रीय सरकार से चाहूंगा कि इस सवाल पर पुनर्विचार करे और अपने रवैये में परिवर्तन लाए।

कभी कभी मुझे लगता है कि झारखण्ड पार्टी के साथ कभी-कभी वे बात करते हैं तो इस उद्देश्य से नहीं करते हैं कि इस मांग के औचित्य के आधार पर निर्णय किया जाय, इस उद्देश्य से करते हैं कि संसद में हमारी वोट की संख्या कैसे बढ़ सकती है, उस दृष्टि से उनको कैसे पटाया जा सकता है, इसी एक बड़े संकुचित और दलगत उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस समस्या के साथ निपटने की कोशिश करना बहुत गलत है। इस समस्या को सही रूप में पहचानना चाहिए और बिहार प्रदेश की सरकार को भी इस बात पर बल देना चाहिए कि वे लाठी गोली के आधार पर अगर इस आन्दोलन को दबाना चाहेगी तो वह आन्दोलन नहीं दबेगा, वह बढ़ता जाएगा। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपने उनको एलाऊ किया है तो दूसरे लोगों को एलाऊ कैसे नहीं करेंगे, यह कैसे होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पटल पर रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

———

1.09 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 360?/93]

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : श्री जी० वेंकट स्वामी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3605/93]

(ख) (एक) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3606/93]

(ग) (एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3607/93]

भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय इलेक्ट्रोनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण के बारे में सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इलेक्ट्रोनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3608/93]

(3) (एक) शाहा नाभिकीय भौतिक संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शाहा नाभिकीय भौतिक संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3609/93]

हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनका नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : श्री एडुआर्डो फलीरो की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3610/93]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नालोजी, गुड़गांव के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालॉजी, गुड़गांव के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3611/93]

आयकर अधिनियम, 1961 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 255 की उपधारा (5) के अन्तर्गत जारी आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 जो 18 मई, 1963 की अधिसूचना संख्या आई-एटी/63 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3612/93]

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (दूसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 25 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 779(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3613/93]

भारत भारी उद्योग निगम लि० और इसकी समनुषंगी कम्पनियां कलकत्ता के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा लेखे और इसके कार्यकरण की पुनरीक्षा और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगी कम्पनियां, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगी कम्पनियां, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3914/93]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (1992 का संख्या 5) (वाणिज्यिक)—बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3615/93]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 587, जो 26 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 1 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 716 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा०का०नि० 19, जो 9 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 9 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 198 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) सा०का०नि० 20, जो 9 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 9 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 199 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3616/93]

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 6 दिसम्बर, 1992 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) (दसवां संशोधन) विनियम,

1990 जो 5 मई, 1992 उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/2/90-कार्मिक-1 प्रकाशित हुए थे।

(दो) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 1992 जो 22 जुलाई, 1992 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/19/91/का-1-1992 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) (बारहवां संशोधन) विनियम, 1992 जो 22 जुलाई, 1992 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13/2/90-कार्मिक-1 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3617/93]

1.10

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 17वां प्रतिवेदन

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.10½ म०प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्य 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्य 1 मई, 1993 से आरम्भ

तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्य 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्य 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) लोक लेखा समिति

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1993 से

आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप मे कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1993 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13.14 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के किसानों से कृषि ऋण किस्तों में वसूल करके उन्हें सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा के उन किसानों की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहूंगा जिनके घरों और सम्पत्तियों को कुर्क किया जा रहा है।

उड़ीसा सरकार की इस घोषणा से कि किसानों के कर्जों को माफ कर दिया गया है, उड़ीसा के किसानों को राहत मिली है और उन्होंने राहत की सांस ली है। परन्तु किसानों के लिए आश्चर्यजनक

बात यह है कि उड़ीसा सरकार ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्जे के ऊपर लगने वाले केवल ब्याज को ही माफ किया गया है और किसानों को दिसम्बर, 1992 से पहले मूल ऋण की अदायगी तो करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार दिसम्बर, 1992 के बाद से उन्हें मूल ऋण और ब्याज दोनों की ही अदायगी करनी पड़ेगी। किसानों ने किस्तों पर मूल ऋण और उस पर लगने वाले ब्याज दोनों की ही अदायगी कर दी होती। इस समय वे मूल ऋण और ब्याज दोनो को एक साथ अदा करने में असमर्थ है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह किसानों को उनके ब्याज की अदायगी हेतु उनके लिए सहायता की मंजूरी करके उनकी शिकायतों को दूर करे और राज्य सरकार से किस्तों पर उनसे देय राशि की वसूली करने को कहे।

(दो) केरल के पालाकाड, कन्नौर, केसरकोड और वायनाड क्षेत्रों को उपग्रह से जोड़े जाने की आवश्यकता

*श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : इस समय कालीकट के ग्रामीण क्षेत्र—पलक्कड, कन्नौर, केसरकोड, वायनाड के जिलो मे और केरल के इदुक्की और पठानामथिट्टा मे त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले मलयालम कार्यक्रम को देखने की सुविधा नहीं है। इस मामले को संसद में कई बार उठाया गया है। परन्तु राज्य की 40 प्रतिशत से भी अधिक जनता को अपनी मातृभाषा मे कार्यक्रम देखने की सुविधा से वंचित रखते हुए इस सुविधा को प्रदान करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस स्थिति से लोगो मे काफी नाराजगी उत्पन्न हो गई है। इन क्षेत्रों को उपग्रह से जोड़कर कार्यक्रमों को मलयालम में देखा जा सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध मे कुछ नहीं किया गया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उपग्रह की व्यवस्था करने हेतु तुरन्त कदम उठाये ताकि उपर्युक्त जिलों में त्रिवेन्द्रम से मलयालम में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सुविधा उपलब्ध हो सके।

(तीन) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, तमिलनाडु में विस्फोट की घटनाओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० पी० कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : मैं सरकार का ध्यान बम विस्फोटों और अग्निकांडों की घटनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा जिमके फलस्वरूप नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को भारी नुकसान हुआ है।

अक्तूबर, 1984 में निगम के एक बकल व्हील एक्सकेवेटर पर दुर्घटना हुई। निगम को इस दुर्घटना के कारण भारी नुकसान हुआ।

नवम्बर, 1991 मे निगम की खान-II बाढ़ से नष्ट हो गई। यह दुर्घटना भी निगम के प्रबन्धन द्वारा बारिश होने से पहले ही सुरक्षोपाय न करने के कारण घटी। इस घटना के कारण लगभग 47.91 करोड़ रुपये कम आय हुई।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी रूपान्तर का हिन्दी अनुवाद।

16 जून, 1992 को निगम के कार्बनीकरण संयंत्र को यूनिट 1 तथा 2 में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से भारी नुकसान हुआ और 14 कर्मचारी घायल हुए और दो की मृत्यु हो गई। 1989 में उसी संयत्र में वैसा ही विस्फोट फिर हुआ।

30 जुलाई, 1992 को निगम में भाप की पाईपलाईन फट गई। ए-210 मेघावाट दूसरी विद्युततापीय इकाई और कूलिंग सिस्टम दोनों को क्षति पहुंची। विद्युत उत्पादन पूरी तरह से ठप्प हो गया था।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अर्ज करता हूं कि वह नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन में हुई इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न घटें, अन्यथा नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन की प्रगति धीमी हो जाएगी।

(चार) राजस्थान में हनुमानगढ़ तहसील के पास चीनी फैक्टरी के लिए रखी गई भूमि बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : राजस्थान में हनुमानगढ़ तहसील में शहर के पास गन्ना फैक्टरी के लिए एक हजार बीघा जमीन राजस्थान सरकार ने रिजर्व की थी। इसे भाखड़ा से सिंचित भूमि को भूमिहीनों को विशेष आबटन में देने की जमीन बनाई गई थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने हमेशा यही उत्तर दिया कि यह जमीन गन्ना फैक्टरी के लिए रिजर्व है। किन्तु उक्त गन्ना फैक्टरी की रिजर्व जमीन ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर अलाट कर दी गई है जिनके नाम से हरियाणा के सिरसा जिले में जमीन पहले से ही मौजूद है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजस्थान सरकार को आदेश दे कि इस अलाटमेंट की जांच करवाए तथा गन्ना फैक्टरी की जमीन खाली करवाएं।

इन मुआवजाधारी लोगों को राजस्थान नहर में रामगढ़ के पास सरकार की खाली जमीन अलाट की जा सकती है।

[हिन्दी]

(पांच) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्लान के अनुसार पीलीभीत एक्सचेंज को 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में परिवर्तित हो जाना चाहिए था, लेकिन भवन के लिए मिट्टी की जांच के कारण यह काम रुका पड़ा है, जबकि चयनित जगह की मिट्टी सितम्बर, 1992 में ही जांच होने गई थी और अब तक जांच के आधार पर एस्टीमेट बनकर भवन का काम आरम्भ हो जाना चाहिए था। इस इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

को वरीयता न देकर पूरनपुर, बीसलपुर, तहसीलों के 14-14 ग्राम में 48-48 लाख रुपयों वाले रेडियो टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जा रहे हैं। जबकि मुख्यालय पीलीभीत में जब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज नहीं बनकर तैयार हो जाता है तब तक उक्त कार्य का कोई लाभ उपभोक्ताओं को नहीं होगा। पीलीभीत तराई क्षेत्र का सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र है। साथ ही इसकी सीमा नेपाल से भी जुड़ी हुई है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पीलीभीत में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज शीघ्र स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

(छः) मैसर्स इंडियन लैड प्राइवेट लिमिटेड (ठाणे) को तुरन्त किसी दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैसर्स इण्डियन लीड प्राइवेट लिमिटेड, माजीवाडे, ठाणे अत्यधिक घनी आबादी वाले निवासीय क्षेत्र के समीप स्थित है।

क्षेत्र के निवासियों ने भारत सरकार के पर्यावरण विभाग को इस कम्पनी के कारण उन्हें होने वाली प्रदूषण की समस्याओं के बारे में लिखा था।

यह सुना गया है कि सरकार ने कम्पनी को किसी दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण करने का नोटिस दिया था।

यह आश्चर्यजनक है कि अभी भी कम्पनी इसी क्षेत्र में कार्यरत है और प्रदूषण फैला रही है।

मैं सरकार से इस मामले में तुरन्त कार्रवाई करने की अर्ज करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार को और अधिक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य गम्भीर रूप से सूखे की चपेट में आ गया है। वहां पर लोग अन्न और पानी के अभाव से अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के बावजूद भी लोगों को बचाया नहीं जा सकता। बिहार सरकार की आर्थिक हालत बिल्कुल दयनीय है। हमारा क्षेत्र जहानाबाद है, जहां पर पानी का स्तर नीचे चले जाने से सैकड़ों गावों में बाहर से पानी लाया जा रहा है। सरकार अगर पर्याप्त ध्यान नहीं देगी तो मई और जून में लोगों को पीने के पानी के अभाव में और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहायता दें, ताकि जहानाबाद क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का निदान किया जा सके।

———

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। शून्यकाल का समय नहीं बढ़ाया जा सकता। इस मुद्दे को कल उठाया जा सकता है।

1.25 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.25 म० प० तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

———

2.29 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.29 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सांविधिक संकल्प जारी : आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश, (1993 का सं० 1)

और

आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक का निरनुमोदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं० 18 और 19 पर एक साथ विचार करेगी। श्री नीतीश कुमार।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा 2 जनवरी, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का सं० 1) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून (विशेष प्रावधान) को संशोधित करने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया 2 जनवरी, 1993 को और उसके स्थान पर इस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आवश्यक वस्तु कानून पुराना कानून है और 1955 का बना हुआ है। यह इसलिए बनाया गया था कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए चोर-बाजारी न हो, जमा-खोरी न हो। बाद के दिनों में विशेष प्रावधान करके इसमें संशोधन किया गया, यह संशोधन पांच साल के लिए किया गया था और पुनः पांच साल के लिए बढ़ाया गया 1987 में, फिर 1992 में पांच साल की अवधि

समाप्त हो गई और उस अवधि को और पांच साल आगे बढ़ाने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो भी इरादा रहा हो, इसके बारे में जो भी धारणा हो, कोई भी सरकार हो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार हो इस प्रकार का कानून चाहती है। मान लिया जाता है कि कानून से ही सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इस देश का कोई नागरिक यह नहीं चाहेगा कि उसको सही कीमत पर सामान न मिले, आवश्यक वस्तुएं सही कीमत पर मुहैया न हों, हम भी ऐसा मानते हैं कि सही कीमत पर मिलनी चाहिए। मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, चोर-बाजारी और जमाखोरी पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन क्या इस कानून मे विशेष प्रावधान करने के बाद ऐसा हो पाया, मेरे ख्याल से चोर-बाजारी में कोई कमी नहीं आई, मुनाफाखोरी मे कोई कमी नही आई, लेकिन सरकार अपने अनुभवो के बावजूद इस कानून में इस प्रावधान का जारी रखना चाहती है और आगे के पांच साल के लिए जारी रखना चाहती है। अगर सब दिन के लिए सरकार जरूरी समझती तो शुरू में ऐसा कानून बनाती कि सब दिन के लिए लागू होता। लेकिन यह स्पेशल प्रोविजन पांच साल के लिए था, इसमें सम्मरी ट्रायल का प्रावधान है, स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। इसके बाद भी यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। क्या इसके लिए यहां की जनता कसूरवार है, क्या इसके लिए यहां के व्यापारी जिम्मेदार हैं, वे कतई जिम्मेदार नहीं हैं। आमतौर पर लोग व्यापारियों के खिलाफ होते हैं। जब भी कोई बात आती है आवश्यक वस्तु अधिनियम में, जब कोई छोटा-मोटा व्यापारी गिरफ्तार होता है कस्बो में, बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, वहां के लोग बहुत खुश होते हैं कि फलाना आदमी पकड़ा गया और पूरे बाजार और कस्बे में चर्चा गर्म रहती है कि जरूर उसने चोरी की होगी। और सरकार उसी मनो-विज्ञान का फायदा उठाना चाहती है।

अब सरकार में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है कि इस कानून का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग हो रहा है। यह कानून छोटे-छोटे व्यापारियों को तंग एवं परेशान करने के लिए दुरुपयोग हो रहा है न कि जनता को आवश्यक वस्तुएं सही दाम पर उपलब्ध कराना। यह मैं नहीं अपितु लोक सभा में सरकार ने स्वयं आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उसके आधार पर कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5646, दिनांक 1-4-92 को जवाब दिया गया जो श्री भगवान शंकर रावत ने किया था। उस समय सही जवाब दिया गया या अप्रैल फूल कहा गया और मेरा मानना है कि यदि सरकार लोक सभा में जवाब देती है तो सही जवाब देती रही होगी जबकि माननीय सदस्य ने पूछा था कि इसके अन्तर्गत क्या-क्या कारंवाई हुई, तो सरकार ने जवाब दिया :

[अनुवाद]

28 फरवरी, 1992 तक प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कारंवाई की गई :—

छापों की संख्या	1,64,781
गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या	5,673

अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	6,690
दण्डित व्यक्तियों की संख्या	281
जब्त किए गए माल का मूल्य	रु० 25,41,55,000

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, कुल एक लाख 64 हजार 781 छापे पड़े जिनमें से 5673 गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला 6690 पर, 281 को सजा हुई और कुल 25 करोड़ 41 लाख 55 हजार रुपये का माल जब्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति छापा 2542 रुपये पड़ा अर्थात् खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब आप बताइए कि इतना बड़ा कानून और लग रहा है जैसे कोई पुनीत काम करने जा रहे हैं और आप इस देश की जनता को सस्ते दामों पर, सही दामों पर वस्तु उपलब्ध कराना चाहते हैं? क्या आप चोर-बजारी, मुनाफाखोरी को दूर करेंगे? इस पर सरकार का क्या खर्चा हुआ, छोड़ दीजिए अब तो स्पेशल कोर्ट बनती है जबकि फाईनेंशियल मैमोरण्डम में कहा गया है कि इसमें अलग से कोई खर्च नहीं हुआ है। इस तरह से सरकार मुकदमा चलाने के लिए हर स्तर पर वकील रखती है और इस हेतु पी० पी० का प्राविजन है। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। एक छापे में मिले 1542 रु० औसत और मुकदमा लड़ने पर सरकार का कितना खर्च होता है, इसका क्या हिसाब है? हर जगह अदालत की व्यवस्था की गई है लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा कोई नहीं निकल रहा है लेकिन यह कानून आगे तक भी चलेगा। अब किसको फायदा है? जनता को फायदा नहीं है। जितने व्यवसायी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। ये मन्त्री जी यहां नहीं थे लेकिन इनके राज्य मन्त्री अभी कायम हैं। एक शिष्टमण्डल लोगों का मिला, चारों तरफ से विरोध किया गया कि यह काला कानून है, यह तानाशाही का प्रतीक है, इसको समाप्त करें, इसमें संशोधन करायें। इन लोगों ने कहा कि हम इसको ठीक करेंगे। इसमें लोगों को तंग और परेशान किया जाता है इस बार नहीं होगा। एक संशोधन उस पुराने बिल में इन्होंने रख दिया :

[अनुवाद]

> "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में खण्ड 10 कक को जोड़ना अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार किसी पुलिस स्टेशन के अफसर इन्चार्ज के स्तर से नीचे का कोई अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित आधार पर अधिकृत कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को करने वाले दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा।"

[हिन्दी]

अब यही संशोधन हुआ है कि अफसर इन्चार्ज, थानाध्यक्ष, एस० एच० ओ० पकड़ेंगे या उसके आधार पर अधिकृत अधिकारी पकड़ेगा?

इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है थानेदार को एक कागज पर लिखना है कि पकड़ो और पकड़कर लाएगा तो लिख दिया जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है। दारोगा पकड़ता है या सिपाही पकड़ता है,

इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सारे काम दारोगा ही करता है। इसमे क्या फर्क पड़ा कि आप दारोगा को अधिकृत कर रहे हैं या दारोगा द्वारा अधिकृत दूसरा व्यक्ति करेगा। ये सारे जो आकड़े दिए है, ये बताते हैं कि पूरे के पूरे कानून का दुरुपयोग ही होता है। इसका कोई सदुपयोग नहीं होता है लोगों को तंग और तबाह करने के अलावा। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने रेड किए गए उसमे कुछ तथ्य निकलते। कहां चला गया रेड? आदमी क्यों इतने कम गिरफ्तार हुए? एक लाख चौंसठ हजार रेड पड़ते हैं और आदमी गिरफ्तार होते हैं 5,673। मात्र 281 व्यक्तियों को सजा मिलती है, तो क्या मतलब है इसका? या तो गलत रेड किए गए और आप यह देखिए कि एक लाख चौंसठ हजार रेड होते हैं और मुकदमे चलते हैं 5673 व्यक्तियों पर। इसका मतलब यह है कि जब रुपया घटता है तो रेड किया जाता है और जब रुपया मिल जाए तो थाने से ही छोड़ दिया जाता है। कमालुद्दीन जी पता नहीं क्यों सरकार में बैठते हैं, ऐंटोनी साहब तो पुराने प्रशासक हैं, वे केरल में भी कुछ समय रहे हैं। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए ये लोग क्या करते हैं। व्यापारी होने के नाते उनकी छवि बड़ी खराब रहती है। वह गड़बड़ करते रहते हैं और उस गड़बड़ी के खिलाफ उनको सजा भी मिलनी चाहिए लेकिन उस पर सजा नहीं मिलती है। पकड़कर ले गए, पैसा दिया और छूटकर चले आए। यह सारी बात यही कहानी बताती है। या फिर जो लॉ ऐनफोर्सिंग एजेंसी है जिनको कानून का सख्ती से पालन करना है, वैसे लोग भ्रष्ट और बेईमान हैं कि जो इतने छापे पड़ते हैं उसके बाद भी इतने कम लोग पकड़े जाते हैं। इसका प्रतिशत निकालिए तो 100 में ऐसे 98 आदमी छूट जाते हैं। या तो छापे गलत ढंग से मारे जा रहे हैं या 98 लोगों को, कुसूरवारों को छोड़ दिया जाता है। दोनों बातें गलत नहीं हो सकती हैं। क्या जरूरत है ऐसे विशेष प्रावधान की, इसको बढ़ाने की, इसका मेरी समझ में कोई लाभ नहीं है इसलिए हमने इसके खिलाफ निरनुमोदन का प्रस्ताव रखा है।

व्यापारियों को इसमें एक दिक्कत है। स्टॉक रखना, सारी बात समरी ट्रायल कर दिया, सारा कुछ किया लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? एक साल में देश भर में 281 आदमियों को सजा मिली। ऐसे कानून का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब कुसूरवार इस देश में मात्र 281 व्यापारी ही निकलते हैं तो इस प्रकार का कानून रखकर इतना भारी खर्चा करने की क्या जरूरत है। इतना पी पी बहाल करके वकील को पैसा देने की क्या जरूरत है? असल में यह कानून जनता के लिए नहीं है। असल में यह कानून उसका पेट भरता है जिसको आपने वर्दी दी है। यह इंस्पेक्टर, ऑफिसर इन्चार्ज और सप्लाई के कामों मे जुड़े हुए अफसरों का पेट भरने के लिए है यह सीधा आरोप हम लगाना चाहते हैं। पता नहीं उस थानेदार की नीचे से ऊपर तक क्या हिस्सेदारी बनती है, या नहीं बनती है यह हम नहीं जानते, यह तो मन्त्री जी बताएंगे। मगर यह स्थिति ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप इसको दूर करेंगे। यह तो अखबारों मे छपी हुई बात है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कितनी तस्करी होती जा रही है यह शायद आपको भी पता होगा। पिछले साल लगातार अखबारों में छपा है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं वहां राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का पूरा कोटा नहीं मिला और दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों में खाद्यान्न से भरे हुए ट्रकों की तस्करी होने का समाचार है। फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया को खाद्यान्न की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई।

———

[अनुवाद]

2.44 म० प०

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

इस सभा के सदस्य श्री शैलेन्द्र महतो 16 तारीख से अनुपस्थित रहे हैं। उन्हें बिहार पुलिस द्वारा छोटा नागपुर में गिरफ्तार किया गया था। वह अभी भी जेल में हैं। उनके बारे मे सभा को कोई जानकारी नहीं दी गई है।

उन पर दबाव डाला गया तथा उन्हें कुछ दण्ड भी दिया गया कि उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में अनिश्चित आर्थिक रुकावट को स्थगित करना चाहिए था। अतः सभा में यह समाचार आना चाहिए था कि वे अब कहां है, उनकी हालत कैसी है और पुलिस वहां पर क्या कर रही है? इससे सदस्य के विशेषाधिकार की ओर ध्यान आकर्षित होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : कल सभा मे निम्नलिखित घोषणा की गई थी :

"श्री शैलेन्द्र महतो; संसद सदस्य को जमशेदपुर के सब-डिवीजनल मेजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता के खण्ड 107/116/113/151 के अन्तर्गत मामला संख्या 288/93 के सन्दर्भ में आज इस जेल मे रखा गया है।"

— — —

2.46 म० प०

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश (1993 का संख्या 1) का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—(जारी)

और

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : एफ० सी० आई० और सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन और जो सरकारी संस्थाएं है उनकी नाक के नीचे खाद्यान्न की तस्करी हो रही है और यह उन्हीं का जिम्मा है। इसके बाद जो ऐसेन्शियल कमोडिटिज ऐक्ट स्पेशनल प्रोविजन है, यह एफ० सी० आई० और सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन वालों पर लगना चाहिए था। उस पर आप नहीं लगाते हैं लेकिन बेचारे गांव और कस्बे के जो गरीब दुकानदार हैं उनको बन्द कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, थाने में ले जाकर घूस लेते हैं और जो कुसूरवार नहीं हैं उनको जेल भेजते हैं और जो कुसूरवार हैं उसको थाने से ही छोड़ देते हैं। यही नहीं, आपके स्पेशल प्रोविजन ऐक्ट का हमने इसलिए निरनुमोदन का प्रस्ताव दिया है और हम आपके

माध्यम से सरकार से अपील करेंगे कि इस प्रकार का काला कानून ज्यादा दिन तक जारी रखने की जरूरत नहीं है। इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक इसकी कोई उपलब्धि नहीं है और जो उपलब्धि है वह जन विरोधी है। इसलिए इसको थानेदार के हाथ में ज्यादा ताकत देना और धन कमाने का स्रोत देना है, इसलिए ऐसे फालतू काम के लिए इस उच्च सदन का समय जाया नहीं किया जाना चाहिए था। सरकार को खुद रिव्यू करके इस बिल को नहीं लाना चाहिए था। हम इनसे आग्रह करेंगे कि इस बिल को ये विदड्रा कर लें और हम सदन से आग्रह करेंगे कि इस बिल को ये विदड्रा नहीं करते हैं अपने हाली मुहाली लोगों का पालन-पोषण करने के लिए आम लोगों का खून चूसकर, तो ऐसी हालत में हम आपके माध्यम से सदन से आग्रह करेंगे कि हमारे निरनुमोदन के प्रस्ताव को स्वीकार करके इस प्रस्ताव का विरोध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 2 जनवरी, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

मद संख्या 18 और 19 पर एक साथ चर्चा की जानी है। अब मैं श्री ए० के० एन्टनी को प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए बुलाता हूं।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एन्टनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसाकि सभा को विदित है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा व्यापारियों द्वारा शोषण से उनकी रक्षा करने का भी प्रावधान है। जमाखोरी और काला-बाजारी जैसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों से अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध), अधिनियम, 1981 को 1-9-1982 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था। उक्त अधिनियम मे विशेष अदालतों द्वारा सभी अपराधों की सरसरी जांच, कम से कम तीन महीने की अनिवार्य कैद, अपराधों को अप्रति भाव्य बनाना, न्यायिक प्राधिकरण की बजाय राज्य सरकार को जब्ती के विरुद्ध अपील करना आदि के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के सम्बन्ध में संशोधन करके विशेष उपबन्ध बनाए गए थे। अधिनियम की अवधि 1-9-198 को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई थी।

इस सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए आर्थिक और वित्तीय उपायों की कड़ी ने व्यापार और उद्योग को और अधिक खुला और संदर्शी बनाया है। हमारे दिमाग में एक प्रश्न स्वतः आता है कि हम

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक जैसे विनियमक विधान पर क्यों दृढ़ हैं। क्या वर्तमान आर्थिक नीतियों के सन्दर्भ में यह उपाय व्यर्थ नहीं है ?

इस प्रश्न का राज्य सरकारों द्वारा बड़े अच्छे ढग से उत्तर दिया गया था उन्होंने कहा है कि इस सीमा तक इस विधान को जारी रखने की अभी आवश्यकता है। हैरानी की बात है कि राज्य सरकारें ऐसे विचार स्वीकार करने में एकमत थी। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होने के नाते राज्य सरकारें इस बात का निर्णय लेने की स्थिति में हैं कि ऐसे प्रस्तावित कानून के बिना अपने आपको कितना असहाय महसूस करती हैं।

यह विधान केवल आवश्यक वस्तुओं से निपटने के बारे में है। हमारे जैसे देश में, जहां पर लाखों लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, इन मदों की निरन्तर निगरानी की आवश्यकता है। शरारती तत्व की कमी तथा विपरीत स्थानीय हालातों से लाभ उठाने के लिए अभी भी सक्रिय हैं। बनावटी कमी तथा असामान्य मूल्य सीधे गरीब और उनकी क्रय शक्ति पर प्रहार करते हैं। गरीबों को तो इन मदों के बिना रहना पड़ेगा या फिर इन मुख्य वस्तुओं का उपभोग कम करना पड़ेगा।

आवश्यक वस्तुओं में पशु-चारा, कोयला, सीमेंट, दवाएं आदि जैसी संकटकालीन मदें भी शामिल हैं। बहुत से महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेश भी इस श्रेणी में आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कभी भी शरारती तत्व या कालाबाजारी करने वाले को इन मदों की कमी के हालात पैदा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था का सार इन मदों की पर्याप्तता पर निर्भर करता है। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकारों ने यह महसूस किया है और एकमत होकर इस विधान की अवधि बढ़ाए जाने का पक्ष लिया है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा लोगों के कल्याण के विस्तृत क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए यह विधान बहुत आवश्यक है। अतः कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों के विरुद्ध कुछ दण्डात्मक उपाय अनिवार्य हैं। इस विधेयक में उद्धृत किए गए अपराध संज्ञेय तथा अप्रति भाव्य हैं। व्यापार एसोसिएशनों तथा अन्यों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया कि केवल जिम्मेवार पुलिस अधिकारी, अर्थात् पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होगी। निम्न पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की आशंका को इस संशोधन ने दूर कर दिया है।

चूंकि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की अवधि 31-8-1992 को समाप्त होनी थी तथा सरकार का यह सुविचारित मत था कि इस अधिनियम को बिना व्यवधान के जारी रखा जाए, 27-8-1992 को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1992 प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश को संसद के अधिनियम में बदले जाने का विधेयक शीतकालीन सत्र के दौरान पारित नहीं किया जा सका। हालांकि इसे सत्र के पहले दिन पुरःस्थापित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि श्री नीतीश कुमार जी ने

इस बिल के सम्बन्ध में जो आपत्तियां उठाई हैं, उन पर तो माननीय मन्त्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, केवल लिखा लिखाया भाषण ही पढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई है कि पुलिस के हाथों में आप एक और डण्डा देने जा रहे हैं, पुलिस को नये अधिकार देने जा रहे हैं। मन्त्री जी उसके सम्बन्ध में कुछ बतायें, उनका क्या कहना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी, श्री नीतीश कुमार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मद सं० 18 और 19 पर एक साथ विचार किया जाना है। माननीय मन्त्री जी मद स० 19 ले रहे हैं। वे श्री नीतीश कुमार जी का उत्तर नहीं दे रहे हैं बल्कि मद स० 19 ले रहे हैं।

श्री ए० के० एन्टनी : कृपया जल्दी मत कीजिए। मैं केवल प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि चर्चा के बाद हमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

अतः, महोदय, सरकार का दृढ़ मत था कि अध्यादेश को समाप्त नहीं होने दिया जाना चाहिए क्योंकि यह आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्रभावी विनियम के हितों के लिए हानिकारक होगा। 2-1-93 को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1993 प्रख्यापित किया गया था।

महोदय, ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार की राय है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 को, उसमें किए गए संशोधनों समेत, पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाए। श्री नीतीश कुमार के भाषण को सुनने के बाद भी मैं समझता हूं कि यह सभा इस विधान की एकमत समर्थन करेगी।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं। **(व्यवधान)**

श्री ए० के० एन्टनी : इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए श्री नीतीश कुमार ने कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं अभी इन टिप्पणियों के बारे में विस्तार से उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि सारी चर्चा समाप्त होने के बाद में उनका जवाब दूंगा। लेकिन इस समय मैं उसके बारे में एक या दो पंक्ति कहना चाहूंगा। श्री नीतीश कुमार बता रहे थे कि अनेक वर्षों से इस विधेयक को जारी रखने के बाद भी हम प्रगति करने में असमर्थ रहे है। यह आंशिक रूप से सच हो सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई विधान न होता तो इस देश के गरीब, आम-आदमी का भाग्य क्या होता।

वह पूर्ण रूप से कालाबाजारियो और मुनाफाखोरों की दया पर निर्भर हैं। हम यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 बहुत वर्ष पहले लाए थे। सरकार ने अनेक वर्षों के अनुभव के बाद राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके और केवल महत्वपूर्ण वर्गों के साथ परामर्श करके यह आवश्य वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1981 प्रस्तुत किया। यह नया कानून नहीं है। यह केवल समय की आवश्यकतानुरूप लाया गया है। यह कानून पिछले 11 वर्षों से लागू है। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार कार्यान्वयन प्राधिकारी नहीं है। राज्य सरकार ही कार्यान्वयन प्राधिकारी होती है।

पिछले 11 वर्षों से सभी राज्यों में अनेक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आज की भारत की स्थितियों में यह विधान सभी राज्यों में 100% है और अनेक राजनैतिक दलों की सरकारों—चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल की, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की या अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी की सरकार हो—इन सभी राज्य सरकारों ने सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि अगले पांच वर्षों के लिए इस कानून को और लागू किया जाना चाहिए। यह अनुरोध सभी राज्य सरकारों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया था। ऐसा क्यों है?

क्या राज्य सरकारें जन विरोधी हैं? नहीं, इन सभी राज्य सरकारों की सर्वसम्मति है कि सामान्य जनता के हित में यह कानून लागू रहना चाहिए। इसी कारण, सभी राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके तथा व्यापार क्षेत्र सहित अनेक प्रकार के हितों पर चर्चा करने के बाद हमने इसे लागू किया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह बात तो मैंने खुद कही है कि सभी राज्य सरकारों ने पसन्द किया है ऐसा एक्ट बनाना चाहिए। यह किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० एन्टनी : इसी परिणामस्वरूप हम यह कहते हैं कि संसदीय लोकतन्त्र भी सामान्य जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अन्ततः यह सभी निर्वाचित निकायों के हितों—केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा अन्य निर्वाचित निकायों के हित में है कि सामान्य लोगों के हितों की सुरक्षा की जाती है। हमें केवल इसी का पालन करना है।

इसलिए केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार करने तथा व्यापारिक हितों सहित सभी हितों पर विचार करने के बाद इसे लागू किया है। हम ईमानदार व्यापारियों, वास्तविक व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहते जो कालाबाजारी के कार्यकलापों में शामिल नहीं है और इसी उद्देश्य के लिए हमने संशोधन किया है। हमने राज्य सरकारों को भी निदेश दिए हैं कि वह ईमानदार व्यापारियों को परेशान न करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी की बात से सहमत हूं कि बहुत अधिक सन्तोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

3.00 म० प०

अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। वास्तव में कार्यान्वियन एजेंसी केन्द्र सरकार नहीं है, अपितु राज्य सरकार है। केन्द्र सरकार बार-बार राज्य सरकारों पर यह जोर डालने का प्रयास कर रही है कि "हमें अधिक सतर्क होना होगा, हमें अधिक राजनैतिक इच्छा दर्शानी होगी ताकि इस कानून, जो सामान्य लोगों के कल्याण के लिए है, का कार्यान्वियन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। परन्तु इसके साथ ही मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमें किसी भी व्यक्ति को ईमानदार लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सरकार भी इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। परन्तु क्या

आप समझते हैं कि यदि इसे पूर्णतया व्यापारियों पर छोड़ दिया गया तो हम सामान्य लोगों के हितों की सुरक्षा कर सकते हैं ? मैं इस बात से सहमत हूं कि ईमानदार व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह महसूस करता हूं, वर्तमान सरकार यह महसूस करती है कि ईमानदार व्यापारियों की सुरक्षा की जानी चाहिए परन्तु इसके साथ ही साथ वह व्यापारी, जो काला-बाजारी, जमाखोरी और विभिन्न वस्तुओं का हेर-फेर करने के कार्य में संलिप्त है, उन पर दया नहीं की जानी चाहिए। इसी कारण हम पांच वर्षों तक इस कानून की अवधि बढ़ाए जाने के लिए आपके समर्थन का अनुरोध कर रहे हैं। इस विषय पर हुई सम्पूर्ण चर्चा पर विचार करने के बाद मैं आपको यह विश्वास दिला सकूंगा कि यह कानून जारी रहना चाहिए। यदि आप इस कानून को समाप्त करना चाहेंगे तो हम इस देश की गरीब जनता, सामान्य जनता के साथ अत्यधिक अन्याय कर रहे हैं। अत: अन्त में श्री नीतीश कुमार सहित आप सबकी शर्तों सहित मैं भी यह महसूस कर रहा हूं कि आप सब इस कानून के बारे में सर्वसम्मति से सरकार को समर्थन देंगे। अभी भी मैं यह महसूस करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन द्वारा विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विचारार्थ प्रस्ताव में अनेक संशोधन हैं। जो सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 12 जुलाई, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (1)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 24 मई, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (4)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 4 जून, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (7)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 15 जून, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" **(व्यवधान)** (8)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम विधेयक को शीघ्र पारित करें। हमें 31 मार्च, 1993 से पहले लेखानुदान पारित करना है। अतः आपका सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। इस विषय के लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : इस देश के 10 करोड़ व्यापारियों की समस्या है उपाध्यक्ष महोदय, और इस पर चर्चा के लिए केवल 3 घण्टे निश्चित किए गए हैं, यह व्यापारियों के साथ अत्याचार है, उनके ऊपर व्यभिचार है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका समय ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि इसमें समय की पाबन्दी नहीं चलेगी।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : व्यापारी ही आज देश को लूट रहे हैं और ये व्यापारियों की वकालत कर रहे हैं।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारियों से ही पैसा लेकर चुनाव लड़ा जाता है और व्यापारियों को ही बुरा कहा जा रहा है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी इसमे संशोधन दिया है, हम भी बोलना चाहते हैं। इसलिए इस पर पर्याप्त समय दिया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अब हमें इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि सदस्य···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनें। इसके लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। आप ईमानदारी से जो महसूस करते हैं उसे लेकर निश्चित रूप से सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, यह समय पर निर्भर नहीं करता, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस प्रकार सरकार पर दबाव डालते हैं। अल्प अवधि में ही आप जो कुछ कहना चाहते हैं सरकार पर उसे लेकर दबाव डाल सकते हैं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालसोर) : मैं सम्पूर्ण सभा का ध्यान उन सब बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। मैं माननीय मन्त्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० पात्र, आपको बोलने के लिए अवसर दिए जाने पर निश्चित रूप से आप यह बात कह सकते हैं। मैंने श्री दिघेजी का नाम पुकारा है। वह खड़े हैं। इस समय यदि आप उनके अधिकार को छीनते हैं तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं यह चाहता हूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० पात्र, यह सब मुद्दे उठाने के लिए समय नहीं है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० पात्र, सभा का एक तरीका है। आपको बोलने का मौका दिए जाने पर आप निश्चित रूप से अपनी शिकायतें रख सकते हैं। जब मैंने माननीय सदस्य से बोलने का अनुरोध किया है तो इस बीच यदि आप खड़े होकर मामले पर तर्क करते हैं तो यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

क्या मैं श्री दिघेजी से अपना सवाल आरम्भ करने के लिए अनुरोध कर सकता हूं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

विधेयक बहुत साधारण है। सर्वप्रथम इसमें आवश्यक वस्तु (विशेष अनुबन्ध) संशोधन अधिनियम की अवधि को और पांच वर्ष के लिए बढ़ाना है और इसमें एक छोटा-सा संशोधन करने का भी प्रयास करना है कि 'पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अथवा इस बारे में लिखित में उसकी ओर से प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी के रैंक से नीचे का कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाले किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा।'

महोदय, जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है। दो दबाव रहे हैं। पहला दबाव उपभोक्ताओं का है। जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है इससे उपभोक्ताओं को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है और उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए यह विधेयक नितांत आवश्यक है। ऐसे कई अधिनियम भी है जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आदि। लेकिन समाज विरोधी गतिविधियों जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी में लगे व्यक्तियों और मूल्यों के बढ़ने की बुराई से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए यह प्रावधान नितान्त आवश्यक है।

अब माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है कि यह प्रभावशाली नहीं रहा है, इसका कोई उपयोग नहीं है, यह केवल लोगों को तंग करने के लिए है। महोदय, मेरा निवेदन है कि यदि कोई अधिनियम बहुत प्रभावशाली नहीं है और इसके सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उस अधिनियम को ही समाप्त कर देना इसका उपचार नहीं है बल्कि उस अधिनियम में और अधिक शक्तियों का प्रावधान किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को इस अधिनियम को यथासंभव अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के निदेश दिए जाने चाहिए।

इस समय प्रत्येक अधिनियम में भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। यदि आप किसी अधिनियम को पास करते है तो लोग आगे आ सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने इस कानून को पास किया है लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता इसमें बहुत सी कमियां हैं और कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्ट हैं और इसलिए वे इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस सामान्य आरोप से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इस अधिनियम को आगे लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस अधिनियम का उद्देश्य मौजूद है और यदि हमें अभी भी इस उद्देश्य को प्राप्त करना है तो ये प्रावधान सविधि पुस्तिका में होने चाहिए। कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप यदि आप आकड़े देखें तो केवल बहुत कम व्यक्ति दोषी ठहराए गए है। जैसाकि नीतीश कुमार ने इस सभा का ध्यान दिलाया है कि दोषी सिद्ध किए गए व्यक्तियों की सख्या बहुत ही कम है। इसके दो कारण हो सकते है। पहला, यह एक निवारक अधिनियम है और इस अधिनियम के कारण लोग कालाबाजारी, जमाखोरी नहीं कर रहे हैं और वे जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है वे उचित मूल्य ले रहे हैं। उन्हे डर है कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। इस प्रकार यह अधिनियम निवारक अधिनियम है और अधिक संख्या में लोगों को दोषी सिद्ध नहीं किया गया।

दूसरे, इस अधिनियम को कार्यान्वित करने में वहां कुछ निष्क्रियता और भ्रष्टाचार हो सकता है और इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप लोगो को तग किया जा सकता है या इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत कम सख्या में मामलो का पता लगाया जा सकता है। इसलिए, इस अधिनियम को वापिस लेना उपचार नहीं है। उपचार यह है कि अधिनियम को बहुत प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना है और यदि आवश्यकता हो तो हमें इन प्रावधानों को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलझाया जा सके।

अब इस अधिनियम में बहुत कड़े प्रावधान हैं जो काला-बाजारी और जमाखोरी को रोकते हैं और विशेष न्यायालयों द्वारा इन पर नियन्त्रण रखा गया है और अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है। इसमें तीन माह की सजा आवश्यक है और उसके लिए किसी अन्य न्यायिक निकाय में अपील नहीं की जा सकती। अपील सीधे राज्य सरकारों से की जाती है। इसमें चीजों को जब्त करने के लिए प्रावधान हैं। और इसलिए इन अधिनियम द्वारा निश्चित प्रावधानों के लोग समाज, गरीब लोगों के विरुद्ध अपराध और काला-बाजारी मे डरते हैं। और गरीब लोगों को इस अधिनियम से कुछ लाभ हो रहा है।

इस समय व्यापारियों का एक बड़ा गुट है जो इस अधिनियम को नहीं चाहते और इसलिए पिछले कई वर्षों से वे अभियान चलाते रहे हैं। जब इस अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी तब भी सरकार और सम्बन्धित निकायों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा था कि इस अधिनियम की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि इस अधिनियम से वे समाज विरोधी गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। इस अधिनियम में इन गतिविधियों के लिए निवारक सजा है लेकिन यदि इसमें कोई अड़चनें हैं तो सरकार उन पर गौर कर सकती है। उदाहरण के लिए किसी न्यायिक प्राधिकरण से अपील नहीं की जा सकती है और इसलिए इस सम्बन्ध में काफी परेशानी है और लोगों में यह भावना नहीं है कि अन्तत उन्हें न्याय मिलेगा। इसलिए सरकार से अपील करने के बजाय यदि सरकार

किसी न्यायिक प्राधिकरण मे अपील किए जाने की व्यवस्था करने पर फिर से विचार करती है तो लोगों में न्याय मिलने का विश्वास पैदा हो सकता है क्योंकि हमेशा केवल इतना ही नहीं लोगों को महसूस होना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है बल्कि यह अवश्य लगे कि न्याय किया जा रहा है। अतः यदि सरकार भविष्य में किसी प्राधिकरण के गठन पर विचार करती है जो सरकार की बजाय इन अपीलों को सुनेगा तो यह उचित होगा इसके अलावा एक अन्य बहुत ही कड़ा प्रावधान है कि तब तक कोई जमानत नहीं होगी जब तक अभियोजक को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता और मुझे बताया गया कि इसमें भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश रहती है। क्योंकि जब तक अभियोजक की सुनवाई नही होती जज जमानत देने पर बिल्कुल विचार नहीं कर सकता और अपराधी जेल मे रहता है। कभी-कभी अभियोजक इसके लिए काफी समय लेता है। वे रिकार्ड एकत्र करने के लिए, उचित सूचना एकत्र करने के लिए स्थगन के लिए आवेदन करते हैं और उस समय तक यदि अपराधी बेकसूर भी हो तो भी उसकी जमानत बिल्कुल नही हो पाती। अतः इस प्रावधान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

तीसरा एक अन्य कड़ा प्रावधान है जिसके अन्तर्गत सभी वस्तुए जब्त कर ली जाती हैं। मैं समझता हूं जो वस्तुए सन्देहास्पद हैं केवल वही जब्त की जानी चाहिए। लेकिन दी गई व्यापक शक्तियों के कारण आवश्यक रूप से बहुत सी वस्तुएं जब्त कर ली जाती हैं और संभवतया पूरी ही नीलामी में बेच दी जाती हैं।

जहां तक व्यापारियों का सम्बन्ध है। ये ही कुछ उत्तेजनात्मक बातें हैं और इन्हें दूर करने के लिए सरकार इन पर विचार करे और इन्हें समाप्त कर दिया जाए, जहा तक इस अधिनियम का सबंध है, इस बारे मे कम से कम शिकायतें प्राप्त होंगी। लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह उपभोक्ताओं के हित में है। इसी प्रकार यदि इन उत्तेजनात्मक बातो को दूर कर दिया जाता है तो ईमानदार व्यापारियों को इन प्रावधानो का स्वागत करना चाहिए।

महोदय, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य सरकारों का एकमत है कि इस अधिनियम को जारी रखा जाना चाहिए और सभी राज्य सरकारें एक ही राजनैतिक दल की नहीं हैं। इस समय अधिकांश महत्वपूर्ण राजनैतिक दल कहीं न कहीं सत्ता में हैं। निःसन्देह इस समय कुछ राज्यो मे राष्ट्रपति शासन लागू है परन्तु जब उनसे परामर्श किया गया था, वे सत्ता मे थे। इससे यह प्रकट होता है कि प्रत्येक राजनैतिक दल जिसका इस देश मे थोड़ा सा भी महत्व है। वे चाहते है कि ऐसा अधिनियम होना चाहिए। यदि कोई हथियार धारहीन हो गया है तो इसकी धार तेज की जानी चाहिए और इसमें कुछ और दावे बना दिए जाने चाहिए परन्तु आप यह कहकर इस हथियार को नहीं फेंक सकते कि यह ठीक काम नहीं कर रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य सरकारें इसका समर्थन कर रहीं है।

महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले दस वर्षों मे यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और किसी ने भी अत्यंत गम्भीरतापूर्वक इसके विरुद्ध शिकायत नहीं की है। जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ उत्तेजनात्मक बातें हैं। यदि उन्हें दूर कर दिया जाता है, तब इस अधिनियम का अनुपालन ठीक से किया जा सकता है और इसका लाभ अधिकतर उपभोक्ताओं, निर्धन व्यक्तियों और उन सभी को होगा जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। निःसन्देह एक और कारक पर भी विचार किया

जाना चाहिए। इस समय आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और 1981 अथवा 1987 के समान इस समय इसकी भारी कमी नहीं है और सम्भवतः हम चावल, गेहूं और चीनी का निर्यात करने की स्थिति में हों। और आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। अतएव, उस दृष्टि से सरकार को इस अधिनियम के कुछ कड़े उपबंधों को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि व्यापारी समुदाय की ओर से कम से कम शिकायतें आएं और उनमें कम से कम असन्तोष हो। अतः मैं इस अधिनियम को कुछ और समय तक बढ़ाए जाने का स्वागत करता हूं और इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए 1 घंटा 18 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लिए 37 मिनट जनता दल के लिए 18 मिनट और मा० क० पा० के लिए 11 मिनट का कुल समय नियत किया गया है। प्रत्येक दल के लिए नियत किए गए समय को जानना बेहतर है ताकि वक्ता अपने-अपने दल को नियत किए गए समय के अनुसार ही बोलें। मैंने केवल इसी उद्देश्य से इस सभा को यह बताया है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खंडेलवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता दल को जो 1 घंटा, 20 मिनट का समय दिया गया है, वह उनके इसलिए पर्याप्त है, क्योंकि यह जनता दल का ही बिल है, उनको ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, परन्तु हम लोगों को बोलने का अधिक समय दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह राजनैतिक दल की सदस्य संख्या पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मान्यवर, मैं, फेडरेशन आफ आल इण्डिया फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन का चेयरमैन व्यापारी क्लास और आल इण्डिया व्यापारी संघ का प्रेसीडेंट हूं और व्यापारी समाज की छवि पूरे हिन्दुस्तान में राजनीतिक दलों ने खराब की है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि व्यापारी समाज की बात कहने के लिए मैं आया हूं, भले ही कुछ सदस्य मुझे जमाखोरों का अध्यक्ष कहें, मुझे समय पूरा मिलना चाहिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह नोट किया जाए कि ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, व्यापारी समाज के प्रतिनिधि है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : नोट किया जाए, मैं कह रहा हूं। मुझे क्या दिक्कत है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने आज हम व्यापारी समाज के दुःख भरे आंसुओं को रखना चाहते हैं। देश में 10 करोड़ व्यापारी हैं और व्यापारी समाज की छवि, जैसे कि नीतीश कुमार जी ने अपने शब्दों में कहा है, बहुत खराब है। हमारे शरद दिघे साहब ने भी कहा है कि व्यापारी समाज बेईमानी करता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कानून वस्तु अधिनियम विशेष संशोधन लाया गया है, यह

अप्रजातांत्रिक है और देश में काले धन को बढ़ाने वाला है, भ्रष्टाचार को पनपाने वाला है। इससे उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज पूरा व्यापारी समाज लालफीताशाही के चंगुल में इस कानून के द्वारा फंसा पड़ा है। व्यापारी की क्या स्थिति है यह मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां केवल जो एक्ट आया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पेशल प्रोवीजन सन 1981 में किया गया। उस समय देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी थी। गेहूं, चावल और शक्कर विदेशों से आयात किया जा रहा था। उस समय यह कानून लाया गया और कानून में यह लिखा गया कि यह केवल पांच साल के लिए है। शुरूआत में ही जब 1981 में यह लाया गया तो इसमें लिखा गया "कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अस्थाई अवधि के लिए संशोधन के रूप में कुछ विशेष उपबन्ध के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है"। सन 1981 से आज तक देश की स्थितियों में अन्तर आ चुका है। सन 1981 में जहां हम चावल, गेहूं और शक्कर आयात कर रहे थे, वहां आज हम निर्यात कर रहे हैं। मंत्री जी ने स्वयं अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस समय शक्कर का बफर स्टाक हमारे पास है। अभी हमारे मन्त्री जी ने जो निर्यात के आंकड़े दिए हैं उसमें कहा है कि आज हम गेहूं भी निर्यात कर रहे हैं। सन 1990-91 में हमने देश से 38.51 हजार मिलियन टन गेहूं निर्यात किया गया है। बासमती चावल भी निर्यात किया है। उनमें भी हमारे मन्त्री जी ने स्वयं बताया कि बासमती चावल 288 56 हजार टन निर्यात किया है। गैर-बासमती चावल भी हमने निर्यात किया है। 187.85 लाख टन गैर-बासमती चावल हमने निर्यात किया है। इतना माल हमने निर्यात किया है। शक्कर के विषय में भी आंकड़े दिए गए हैं उनमें यह कहा है कि इस समय हमारे पास शक्कर का बफर स्टाक है, यह 46 लाख टन है। अन्य आवश्यक वस्तुओं में, अभी हमारे एन्थनी साहब ने लोहे और सीमेंट का उदाहरण प्रस्तुत किया है, लोहा और सीमेंट सन 1981 में कंट्रोल आइटम थे, आज नान-कण्ट्रोल आइटम हैं। सीमेंट आज कारखाने में इतना भरा पड़ा है कि बिक नहीं रहा है और सीमेंट इण्डस्टरी सिक होने जा रही है। लोहे की भी यही स्थिति है। 1981 में लोहे पर कंट्रोल था, आज हमारी सरकार ने उसको डी-कंट्रोल कर दिया है, क्योंकि लोहा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अन्य आवश्यक वस्तुओं पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। 1955 में 66 वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लिया था, उस समय देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी थी। साबुन और ब्लेड भी आयात किया जा रहा था। परन्तु आज हम साबुन, तेल, ब्लेड, साइकल के टायर ट्यूब, बैटरी सेल आदि निर्यात कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम, 1955 में जो कानून बनाया था और उसमें जो आवश्यक वस्तुएं ली गई थी, उसमें संशोधन करें। परन्तु संशोधन नहीं किया जा रहा है उल्टे यह कानून हमारे सिर पर फिर थोपा जा रहा है।

एक बात बड़ी अच्छी कही गई है, हम इससे सहमत हैं। हम व्यापारी होते हुए भी काला-बाजारी न हो, मुनाफाखोरी न हो, चोर-बाजारी न हो, इससे सहमत है। व्यापारी के लिए ग्राहक आराध्य देवता है। अगर ग्राहक मेरी दुकान में नहीं आएगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी, मेरे परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। ग्राहक मेरा आराध्य देवता है। हम ग्राहक की सुरक्षा करना चाहते हैं। परन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम विशेष संशोधन के द्वारा कोई ऐसा प्रावधान इसमें है? इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है, 1981 में कही थी, जिसे आज फिर 1992 में दोहराया जा रहा है कि यह काला-बाजारी जमाखोरी रोकने के लिए बनाया जा रहा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जमाखोरी के मायने यह है कि हमने आपका माल ज्यादा जमा कर लिया। परन्तु इसके लिए कानून अलग बना हुआ है। हमारे मन्त्री जी ने ही कानून बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं। आज हर चीज की स्टाक सीमा व्यापारी के लिए निर्धारित है। गेहूं की स्टाक सीमा 250 क्विटल है। इसी तरह से चावल की स्टाक सीमा, गुड़, शक्कर और खाद्य तेल तथा दालों की स्टाक सीमा निर्धारित कर रखी है। व्यापारी वर्ग के लिए अलग-अलग स्टाक सीमा निर्धारित कर रखी है, जबकि वह लाइसेंस लेकर व्यापार कर रहा है तथा स्टाक सीमा जो निर्धारित की है उसे ज्यादा माल कहीं नहीं बरामद हुआ है। जो छापे पड़े, मैं उदाहरण दूंगा, उसमें से किसी भी व्यापारी के पास अधिक मात्रा में सामान नहीं पाया गया है। चालान जो किए गए हैं ये छोटी-छोटी गल्तियों पर किए गए हैं। जिनकी जांच आप करा सकते हैं। अगर मेरे गोदाम में 500 बोरी माल है, 504 बोरी पाया गया है तो व्यापारी का चालान कर दिया गया है। जबकि व्यापारी ने कोई जमाखोरी नहीं की है। जो रिकार्ड है, जो केसिज हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। अगर जमाखोर रोकनी है तो इसके लिए अपने आलरेडी कानून बना रखा है। जमाखोरी इस कानून में नहीं है, इसके केवल व्यापारी को उत्पीड़न है। जमाखोरी रोकने के लिए आपने स्टाक सीमा हर चीज के लिए बांध रखी है। फिर, जमाखोरी कैसी। आप जमाखोरी का बहाना करके क्यों इस चीज को लाना चाहते हैं।

दूसरी बात कही है शक्कर के बारे में। आपने कहा कि आज हमारे पास 46 लाख टन शक्कर का बफर स्टाक है। इसको निर्यात भी नहीं कर सकते। इसलिए निर्यात नहीं कर सकते कि यहां की शक्कर की कोई मार्किट विश्व में नहीं है। विश्व का कोई देश भारत की शक्कर खरीदने को तैयार नहीं है। क्योंकि यहां उत्पादन लागत ज्यादा है, यहां की शक्कर महंगी है। उसके ऊपर आपने न केवल स्टाक सीमा लगा रखी है, समय की भी पाबन्दी लगा रखी है। जो माल मेरी दुकान में आज आए वह सात दिन में बेच लेना अनिवार्य है। अगर सात दिन में वह माल न बिका तो आपने कोई व्यवस्था नहीं की है कि उसे गंगा जी में डाल दें, उसमें आग लगा दें या उसका क्या करें अगर आठवें दिन स्टाक बच जाता है तो आप मुझे इस अधिनियम की धारा 3/7 के तहत जेल भेज देंगे। यह कौन सा कानून है, कौन सा नियम है, मैं यह जानना चाहता हूं।

एक आपने और बात कही है चोरबाजारी। चोरबाजारी के लिए मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राशन की दुकानों में जो माल बिकता है आप उसके लिए कह सकते हैं कि उसमें चोर-बाजारी हो रही है। परन्तु 1981 में हो रही होगी, आज स्थितियां ऐसी नहीं हैं। आज क्यों नहीं है ? आज राशन की दुकान में गेहूं का भाव 330 रु० है और खुदरा मार्किट में गेहूं का भाव 340 रुपये है। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार ने निर्गम मूल्य और बाजारी मूल्य के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार सरकार का जो इस समय मूल्य है गेहूं का 330 रुपये और चावल का 437 रुपए है।

चावल का भाव 437 रुपए है और इसी में सरकार ने आंकड़े दिए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सारी मार्किट सर्वे करने के बाद दिसम्बर 1992 में गेहूं की रिटेल प्राईस 340 रुपए थी और चावल की रिटेल प्राइस 430 रुपए थी। जब मार्किट में 340 रुपए और राशन में 330 रुपए का भाव है तो ब्लैक कहां से होगा।

अगर कोई आदमी ब्लैक मार्किटिंग, प्रोफिटियरिंग और होर्डिंग करता है तो आपने उसके लिए

एक और एक्ट बना रखा है। इस एक्ट में आपने सजा का प्रोविजन कर रखा है चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980। आपका यह कानून स्टैंड कर रहा है एक चीज के लिए और कितने कानून बनायेंगे। जमाखोरी, मुनाफाखोरी और चोर-बाजारी रोकनी है तो आपका यह एक्ट पर्याप्त है, अगर वह पर्याप्त नहीं है तो दूसरा एक्ट लाइए। व्यापारी समाज को प्रताड़ित करने के लिए चार-चार कानून बनाने जा रहे हैं। क्या दूसरे आर्थिक अपराधों के लिए भी यह करने जा रहे हैं। चोर बाजारी के सम्बन्ध में जिन वस्तुओं का सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है तो चोर बाजारी उसी में होगी। राशन की दुकानों मे हो सकती है। आप इस कानून को अगर लागू करना चाहते हो और केवल उन चीजों के ऊपर लागू करते हो जिसका मूल्य सरकार निर्धारित करती है, आपने जनरल लागू कर रखा है। जो किसान से गेहूं लेकर फुटपाथ पर बेच रहा है, उसके ऊपर मूल्य नियन्त्रण लागू नहीं किया है तो क्या चोर बाजारी हो सकती है कि केवल इसका बहाना चोरबाजारी का है। बार-बार आप कह रहे हैं कि सारे मुख्य मत्री तैयार हैं और सारी सरकारों ने कहा है कि आप मेनीपुलेट कर रहे हैं और आज इस सदन को भी गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी माननीय मन्त्री जी गुमराह कर रहे हैं कि हम तो चोर बाजारी और मुनाफा-खोरी के लिए हैं और कौन ऐसा नागरिक, नेता या अधिकारी होगा या मुख्य मत्री ऐसा होगा जो यह कहेगा कि हम चोरबाजारी ऐसे नहीं रोकेंगे वे तो कहेंगे ही। आप मेनीपुलेट करते हे और सही बात कहने की हिम्मत नही रखते। मत्री जी आप नए है, अध्ययन कीजिए। कमालुद्दीन साहब बैठे है और सो रहे है। उनको व्यापारी समाज की चिंता नही है। ऐसी निद्रा मे सो रहे है और कहने के बाद भी नहीं लग रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आपका भाषण सुन रहे हैं और साथ ऐडीटेशन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री (श्री ए० के० एन्टनी) : हम धैर्यपूर्वक आपकी बात सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : केवल मन्त्री जी नही सो रहे हैं बल्कि व्यापारी समस्या के लिए देश सो रहा है। व्यापारी समस्याओ की बहस के समय सारी सरकारी बेंचे खाली हैं जबकि व्यापारी समस्याओं के लिए डिसकशन हो रहा है। आज सारी कांग्रेस पार्टी सो रही है व्यापारी समस्याओं के लिए और अपनी गलतियों को ये व्यापारी समाज के माथे पर मढ़ना चाहते हैं। आवश्यक वस्तु नियम में संशोधन आवश्यक नहीं है। मैं सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूं और अपने उन साथियो से भी जिन्होंने कहा है कि व्यापारी क्या करते हैं। कितने लाइसेंस आपने बनाए हैं। एक व्यापारी को 13 लाइसेंस लेने पड़ते है। ब्लैक मार्किटिंग और जमाखोरी के लिए आपने कितने बड़े कानून बना रखे हैं। यह किताब मेरे पास है इसको देख लीजिए। यह अंग्रेजी मे है हिन्दी में नहीं है। जो विद्यार्थी पढ़ने में फर्स्ट क्लास फस्ट आता है तो वह आइ० ए० एस० अधिकारी बन जाता है और जो नागरिक संकण्ड डिविजन या फर्स्ट डिविजन आता है तो वह राजपत्रित अधिकारी बन जाता है। जो संकण्ड डिविजन मे

आता है वह उनका पी० ए० वगैरह बन जाता है, जो थर्ड डिवीजन आता है वह क्लर्क बन जाता है और जो कुछ नहीं आता, जिसकी सप्लीमेंटरी आती है वह व्यापारी बन जाता है। क्योंकि उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है उसके लिए इतना बड़ा कानून है। इतने बड़े कानून से भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इतने बड़े पोथे के बाद भी कट्रोल नहीं कर सकते। इनके अधिकारी इनको नहीं बता सकते। परन्तु एक अनपढ़ व्यापारी से अपेक्षा करते हैं कि वह इतने बड़े पोथे को पढ़कर अपनी दुकान चलाये। केवल यही नहीं है मैं निवेदन करना चाहता हूं

श्री शरद दिघे : किताब कमेंट्री के साथ है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : यह तो एसेंशियल कोमोडिटीज के कानून हैं। इसके अलावा सब लोगों ने आज एक बात कही कि उपभोक्ताओं का, गरीबों का हित हो। आपने इसके लिए भी तमाम कानून बना रखे हैं। हम भी चाहते हैं कि उनका हित हो, जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि उनका हित हो। क्योंकि व्यापारी का आराध्य देवता उपभोक्ता है, आप नहीं है। इसमें आपने यानि केन्द्र सरकार ने 43 कानून बना रखे हैं जिनकी सूची है। ये 43 कानून पहले से बना रखे हैं। इनके अलावा हर राज्य सरकार ने कानून बना रखे हैं किसी में 12 तो किसी में 18, हरेक आइटम का अलग-अलग कानून बना हुआ है। जब इतने कानून हैं तब आपको स्पेशल प्रोविजन की क्या आवश्यकता है। उसके अलावा सेल्स टैक्स का लाइसेंस लेना पड़ता है, हमें मण्डी शुल्क का लाइसेंस लेना पड़ता है, हमें इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं। हमारे ऊपर 18 लाइसेंस हैं उनके अन्तर्गत जब हम व्यापार करने जाते हैं तो विशेषतौर से यह मैं एसेंशियल कोमोडिटीज एक्ट के लिए कह रहा हूं...

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : इनकम टैक्स निकाल देना चाहिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप अभी जानते नहीं हैं, मैं उसपर भी आऊंगा, घबराइये नहीं।

हमारे ऊपर जितने कानून हैं, उसमें जमानत ली जाती है। हम व्यापार करने जाते हैं तो लाइसेंस लेने पड़ते हैं। हमसे नकद पांच हजार रुपये जमा कराये जाते हैं। इसके अलावा हमसे प्रापर्टी की जमानत ली जाती है। कितनी पाबन्दी व्यापारी पर लगायेंगे। इसके अलावा कारखाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। हम फूड ग्रेन का व्यापार करें तो हमें पांच लाइसेंस लेने पड़ेंगे। होल सेलर का अलग, कमीशन एजेंट का अलग, हमारे सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर गांव में एक व्यापारी चक्की लगाये तो उसको प्रोसेसिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर दाल मशीन भी लगाये तो मेनुफेक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको ट्रेडिंग का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक व्यापारी के साथ चार लाइसेंस इस एक्ट में हैं। हर लाइसेंस के लिए पांच हजार रुपए की नकद जमानत जमा करनी पड़ती है। हर लाइसेंस बिना दस हजार रुपए के नजराने के नहीं मिलता। हम व्यापार करने जायें, हम लाइसेंस मांगे, हम विधिवत् व्यापार करना चाहें तो आपके अधिकारी हम से पैसा मांगे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप लोग पैसा उन लोगों को क्यों देते हैं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हम पैसा क्यों देते हैं। आपने संशोधन कर दिया हमारी जमानत नहीं होगी। हमारी एंटायर पार्टनरशिप चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, फाइनेंसिंग

करने वाला पार्टनर हो, चाहें वर्किंग पार्टनर हो आप सभी को गिरफ्तार करेंगे, जेल में बन्द कर देंगे। इसके बाद हमारे एटायर स्टाफ का सीजर होगा। मान्यवर यह हंसने की बात नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : आप स्लीपिंग पार्टनर बोले तो उनको दूसरा कंफ्यूजन हो गया, आप जो पार्टनर बोल रहे हैं टेक्नीकल टर्म में, उसका अर्थ दूसरा समझ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि इस विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है ? अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि व्यापारी लाबी बड़ी संगठित है। हम संगठित होते तो आप इसे पास नहीं करा पाते। जो लाबी संगठित है, उसका काम आप पास करते हैं। हम संगठित नहीं हैं। परन्तु तकलीफ क्या है ? एंटायर स्टॉक का सीजर होता है। हमारी दुकान का जितना माल जब्त हो हो जायेगा, न तो इनकम टेक्स में उसे नीलामी द्वारा बेच दिया जाएगा ऐसी व्यवस्था है, न एक्साइज विभाग में, न कस्टम विभाग मे, न किसी सेल्स टेक्स में व्यवस्था है। केवल यह एक ऐसा कानून है। अगर व्यापारी के गेहूं में 5 बोरा की कमी हो जाए तो दाल भी जब्त हो जायेगी, तेल भी जब्त हो जायेगा, शक्कर भी जब्त हो जायेगी और इस प्रकार सारा माल जब्त हो जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, हम न्यायपालिका में अपील नहीं कर सकते। प्रजातंत्र की किस नियमावली मे लिखा है कि किसी नागरिक को न्यायपालिका में जाने का अधिकार न हो और आप आज यहां संशोधन पास कर रहे हैं। हमारे मन्त्री जी उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे दिघे जी उसका समर्थन कर रहे हैं...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय दिघे जी ने न्यायिक अपील का सुझाव दिया था।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मान्यवर व्यापारी की बात सुनिये। आपने अभी एक बात कही कि व्यापारी पैसा क्यों देते हैं ? कभी आपने व्यापारी की स्थिति को सोचा है ? हमारा व्यापारी जेल मे, हमारा सारा माल आपकी अदालत में और आपने उस माल को कम कीमत पर कंट्रोल रेट पर बेचकर रुपया सरकारी खजाने मे जमा कर दिया। वह माल हमारा नहीं था, बैंक का एडवास था, महाजन का रुपया था, बाजार का क्रेडिट रुपया था। क्या आपने सोचा कि ऐसी स्थिति में हमारे व्यापारी के बच्चे क्या खायेंगे ? जब मुकदमा लड़ेगा तो पैसा कहा से लायेगा ? चूंकि आपने सारा माल जब्त कर लिया है, इसलिए मजबूर होकर उसे पैसा देना पड़ता है। नीतीश कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं इसे क्यों देता हूं ? हमे देना एक मजबूरी है और एक और मजबूरी भी है। आपने कहा कि न्यायपालिका मे अपील करने का अधिकार नहीं...

एक माननीय सदस्य : आप माल बिना रसीद क्यों देते है ?

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मैं बिना रसीद नहीं बेचता हूं। हम से कहा जाता है कि आप जमानत के लिए जब जायेंगे तो पी० पी० से पूछा जायेगा, जैसा श्री दिघे जी ने प्रश्न उठाया और

पी० पी० भी सरकारी वकील होगा जो 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक मांगता है और कहता है— नहीं तो 8 दिन तक एप्लीकेशन पर रिपोर्ट नहीं दी जायेगी। अब कहेंगे —क्यों देते हैं ? हमारे सारे पार्टनर्स जेल में, सारा माल सरकारी खजाने में, यदि कल को मुकद्दमा जीत भी गये तो सरकारी खजाने से रुपया वापस नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो सरकारी रेट पर पैसा मिलता है बाजार रेट पर नहीं मिलता है। तो हम इस प्रकार भी घाटे में ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यापारी सरकारी अधिकारी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए मजबूर होता है। नहीं करे तो मरना है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक वस्तु अधिनियम तो व्यापारी समाज के लिए मर्डर है और इस मर्डर से बचने के लिए व्यापारी मजबूर होता है। जब आपको पैसा देते है तो खुशी से कोई नहीं देता है। अभी श्री नीतीश जी और दिघे जी ने कुछ बाते कही हैं और मन्त्री जी ने भी कहीं थीं। आंकड़े क्या बता रहे है ? नीतीश जी ने जो आंकड़े दिये, वे पुराने दिये हैं लेकिन मैं आपको 1990 और 1991 के दे रहा हूं। 1990 में एक लाख 34 हजार दो छापे डाले गये, 5984 मुकद्दमों में गिरफ्तार होकर जेल गये 4866 पर मुकद्दमे कायम हुए लेकिन जितने पर मुकद्दमे कायम नहीं हुए, उनमे गलत लोगों को जेल भेजा गया। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। इसके बाद अभी केवल एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं जमाखोरों का अध्यक्ष हूं···मुझे कम से कम जमाखोरों की सारी बात तो कह लेने दीजिये। मुझे कहने दिया जाये···

एक माननीय सदस्य : कौन बोले है ?

श्री श्याम बिहारी मिश्र : पीछे से कोई बोले थे।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक पॉइंट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार तो इन्होंने अपने को जमाखोरों का प्रतिनिधि कह दिया तो उन्होंने हल्के अंदाज में कहा होगा, लेकिन यहां पर जितने माननीय सदस्य है, वे जनता के प्रतिनिधि हैं, कोई जमाखोर या कालाबाजारियों का प्रतिनिधि नहीं है। कृपा करके ऐसी बात रिकार्ड में न जाए। मजाक में ठीक है मगर कोई रिसर्च करने वाले कल देखेंगे कि पार्लियामेंट मे ऐसा कहा जाता रहा है। कल कोई खड़ा होकर बोल देगा कि मैं तस्करों का प्रतिनिधि हूं, कोई बोल देगा कि मैं बलात्कारियों का प्रतिनिधि हूं, इसलिए यह अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा है कि वे कालाबाजारियों के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने केवल यही बताया है कि वे व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मान्यवर, इसमें 603 व्यापारी को सजा दी गई और इसके विषय में जो व्यापारी गिरफ्तार किए गए, आप कहते है कि वह छूटे कैसे। मैं एक अखबार आपके सामने रखना चाहता हूं और इस अखबार में आंकड़े छपे हैं वैस्ट मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का जो एक जिला है।

इसमें जो मुकदमे कायम किए गए उनके दो एक उदाहरण मैं देता हूं। दस डबलरोटी के ऊपर मुकदमा दायर हुआ। मैं नाम दे रहा हूं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इसरामपुर में केस न० 11/87 दिनांक 16-4-87 का और यह गणेश कुमार महत के खिलाफ कायम हुआ है इसमें एक टीन रेपसीड आयल का आरोप है और यह मुकदमा छूट गया।" (व्यवधान)"' आप कहेंगे कि इसलिए सारे मुकदमे छूट गए। इसी प्रकार से हमने आपसे कहा कि हमारे पास 48 मुकदमों की सूची है। दस डबलरोटी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। चार किलो आटे के लिए मुकदमा कायम हुआ है। क्या ये जमाखोर हैं ?और ये जेल भेजे गए हैं और जेल भेजने के बाद ये छूटे है। तब आप यह कहेंगे जैसे दिघे साहब ने कहा था कि इन सारे मुकदमो पर डर की वजह से व्यापारी ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अन्य समस्याओं को भी देखें। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे हाउस से कि व्यापारी समाज कितनी सेवा करता है और हमारे विभाग मे कितनी सेवा है। माननीय मन्त्री जी के यहां एक सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, उसमें कैबिनेट स्तर के मन्त्री हैं, एक स्टेट मिनिस्टर हैं, इनके बाद खाद्य विभाग में मिनिस्टर हैं, इसके बाद फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, इनके तमाम सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटी, जाइंट सेक्रेटरी, ऐडीशनल सेक्रेटरी, पूरा तामझाम है। हर प्रदेश में इसी प्रकार से मन्त्री हैं। उनके साथ सेक्रेटरी, अडर सेक्रेटरी, जाइंट सेक्रेटरी पूरी फौज-फाटा है। ये सारी फौज-फाटा केवल चार चीजो की सप्लाई करती है राशन की दुकानों में—गेहू, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल और इन चार चीजो की सप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। होली की शक्कर होली के बाद के बाद बटती है, ईद की शक्कर ईद के बाद बटती है, राशन की दुकान पर जाओ तो एक ही साइन बोर्ड मिलता है कि माल उठाने गए हैं, स्टाक समाप्त है। इतना बड़ा महकमा, इतनी बड़ी फौज, इतने सारे अधिकारी केवल चार चीजें हिन्दुस्तान के नागरिकों को नहीं दे पाते हैं और व्यापारी समाज जिस समय मई जून में गर्मी लू के थपेड़े पड़ते है, उस समय राजस्थान के रेगिस्तान मे दिन के 12 बजे कहता है कि आइए अपनी आवश्यकता की चीजें ले जाइए। और जनवरी फरवरी में जिस समय कड़ाके की सर्दी पड़ती है उस समय हिमालय की चोटी पर बैठा व्यापारी रात को बारह बजे कहता है कि आओ और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ले जाओ। इतनी मेहनत के साथ काम करने वाले व्यापारी को आप जमाखोर, मुनाफाखोर कहकर उसी छवि को बदनाम कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एफ० सी० आई० चारों चीजों का वितरण करता है और इन चार चीजों के वितरण करने मे 13-14 सौ करोड़ का घाटा हर साल होता है। वह घाटा सरकारी राजस्व से पूरा होता है। व्यापारी यह सेवाएं करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देता है, मंडी शुल्क देता है, केन्द्र सरकार को इनकम टैक्स देता है और यह सब टैक्स देने के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नदियों के घाट, धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल बनवाता है।

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : जो बनवाता है नम्बर दो के पैसे से बनवाता है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : उपाध्यक्ष जी, पूरे देश में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियों के घाट बने हुए हैं। हमारे सम्मानीय सदस्यो के क्षेत्र में भी बने हुए है।"'(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, हमारे मान्यवर सदस्य कह रहे हैं कि नम्बर दो के पैसे से बनवाता है। मेरा कहना यह है कि व्यापारी अपनी सेवा से ये काम करता है। उनसे तो यह

अच्छा है कि जो बोफोर्स की कमीशन को इटली में जमा करते हैं। दूसरे देशों में जमा तो नहीं करता। ...(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, दूसरी तरफ के सदस्य हमारे सदस्यों पर हमला कर रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बन्सल (चण्डीगढ़) : उन्हें चर्चा के विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मैं डिसक्शन पर ही आ रहा हूं। क्योंकि आप जमाखोरी, मुनाफाखोरी की बातें कह रहे हैं इसलिए मैं उस तरफ कहने लगा। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारी समाज की व्यथाओं को सुनना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, व्यापारी समाज की व्यथाओं पर इस तरह के आक्षेप नहीं लगने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारी समाज हमारे सदस्यों के क्षेत्र में इस देश में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियों पर घाट बनवाता है। किसी भी स्थान पर आप जाकर पत्थर देखें तो वह व्यापारी का लगा होगा, किसी अधिकारी या राजनेता का नहीं लगा होगा। राजनीतिक नेता का लगा होगा तो उदघाटन का लगा होगा। ऐसे ही व्यापारी समाज को बदनाम किया जा रहा है, उसकी छवि खराब की जा रही है और यही कारण है कि आज कोई भी चीफ मिनिस्टर व्यापारी समाज के प्रति कहने को तैयार नहीं है। इसका उदाहरण आप बार-बार दे रहे रहे हैं।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे मनमोहन सिंह जी भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करना चाहते हैं। इस ऐक्ट के द्वारा काला धन उत्पन्न हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। व्यापारी का जो सफेद धन है उसे घूस के रूप में अधिकारियों को देना पड़ता है, कारण मैं बता चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं, और जब वह पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है तो वह काला धन हो जाता है। यह संशोधन देश में भ्रष्टाचार और काला धन उत्पन्न करने वाला है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराएं। देखेंगे कि एक-एक जांच में दस दस हजार रुपए लिए जाते हैं पचास-पचास हजार रुपए लिए जाते है, व्यापारी की हैसियत देखकर पैसा मांगा जाता है। क्या ये गलत नहीं है ? आप देखें कि जो बेईमान व्यापारी हो उसको आप सजा दें और सजा देने के लिए आपके पास पर्याप्त कानून है। इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपने ऐसा कोई संशोधन नहीं किया है कि ब्लैक मार्किटिंग समाप्त हो सके।

एक निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमने व्यापारिक संगठनों से पूछा है। अभी ऐसा कहा और एक पत्र भी दिया। इस ऐक्ट के औचित्य पर उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा सारे देश के व्यापारिक संगठनों और संघों से बड़ी संख्या में...।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : वह और कितनी देर तक बोलेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को 37 मिनट का समय दिया गया है। यदि इन्होंने आधा घंटा ले लिया है। वह कुछ समय तक और बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : इनके सजेशन पर विचार किया जा चुका है और ये कहते हैं कि मैंने सारे व्यापारिक संगठनों को देखा है और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसी को नहीं देखा है, केवल अपने अधिकारियों की रिपोर्ट देखी है। माननीय आप इस विभाग में नए आए हैं। 16 जुलाई, 1992 को मैं श्री कमालुद्दीन अहमद के साथ मिला था। इन्होंने मंजूर किया था कि अध्यादेश में जो परिवर्तन है, ये गलत हैं।

उसके ऊपर इन्होंने मुझसे सुझाव मांगे थे। एसोचैम ने लिखित रूप में आपको सुझाव प्रस्तुत किये थे, उनके सुझावों की एक कापी आपको दी गयी थी और एक कापी हमारे पास आई थी। यह पूरा एक दस्तावेज है लेकिन उन सुझावों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

1987 में जब यही संशोधन फिर 5 साल की अवधि बढ़ाने के लिये सदन में लाये गये थे तो इस समय माननीय भगत जी सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे। उन्होंने मंजूर किया था कि हां, इसमें तबदीली की आवश्यकता है परन्तु उस समय उन्होंने कुछ गाइडलाइन्स ही ईश्यू की थीं। उन गाइडलाइन्स के ईश्यू होने के बाद भी किसी अधिकारी ने, किसी अदालत ने उन गाइडलाइन्स को नहीं माना। छोटे-छोटे मुकदमे किये गये। ऐसा नहीं कि आन्ध्र प्रदेश स्टेट ट्रेड एण्ड एक्शन कमेटी ने ही आपको कुछ कहा गया या लिखकर आया, अथवा एसोचैम से ही आपका यह लैटर गया, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश गुजरात-बंगाल से इस तरह के पोस्टर्स आपके पास भेजे गए। आपके पास 50 डेपूटेशन्स भेजे गये''' ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पेम्फलेट दिखाने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : लेकिन सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री जी आज फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं और कहते हैं कि व्यापारिक संगठनों से पूछकर हमने ऐसा किया है, परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। न तो उन्होंने व्यापारी संगठनों की बात को माना है और न कुछ किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को कहने के बाद, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि व्यापारी समाज की सारी सेवाओं को देखते हुए, व्यापारी समाज के ऊपर होने वाले अत्याचारों को देखते हुए, इस बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि व्यापारी समाज को नजरअंदाज किया जाएगा, उसकी छवि खराब की जाएगी, तो केवल एक ही बात व्यापारी समाज की ओर से कहना चाहता हूं—

　　खून लेकर भी अगर पसीने की कीमत नहीं दोगे,
　　तो बगावत के लिये बात काफी होगी।

इसलिये उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे सदन में प्रस्तुत संशोधन विधेयक को वापस लें, इसकी कोई आवश्यकता नही है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी और चोर-बाजारी को रोकने के लिए पर्याप्त कानून पहले से मौजूद है और व्यापारी समाज को शोषण से बचायें . दस करोड़ व्यापारी आज अपने को द्वितीय श्रेणी का नागरिक महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर समरी ट्रायल के मुकदमे चलाये जा रहे हैं। उनकी जमानतें नहीं हो रही है। उनके समाप्त स्टाक को सीज किया जा रहा है। चाहता हूं कि व्यापारी समाज पर होने वाले उत्पीड़न को खत्म किया जाए, उन्हें उत्पीड़न से बचाया जाए, उनको से किया जाए और इस कानून को न लाया जाए, क्योंकि यह काले धन को बढ़ाने वाला, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है। इससे उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। उपभोक्ता सरक्षण कानून पहले से ही हमारे देश मे मौजूद है।

इन शब्दों के साथ, मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यापारी समाज की पीड़ा और उनके दुख को समझें। मंत्री जी, अभी आप नये आये हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने इस अध्यादेश के निरनुमोदन का जो प्रस्ताव लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हू कि मन्त्री जी अपने विधेयक को वापस ले लेंगे। इस पर फिर से विचार करेंगे। मन्त्रीजी आपको शायद प्रतिवेदनों की जानकारी नहीं है, आपने वही किया जो आपके अधिकारियों ने आपको बताया है। इसलिए मैं चाहता हू कि अभी आप इस विधेयक को वापस ले लें, दोबारा सभी प्रतिवेदनों का मनन करें, सारे प्रतिवेदनों को देखें और फिर यदि आवश्यकता हो तो सशोधित विधेयक सदन के सामने लायें, अभी इसे वापस ले लें।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, इसमें 1981 के संशोधन तथा इसमें अंतर्विष्ट बाद के सशोधनों तथा उपबन्धों का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, उनकी सप्लायी तथा कीमतों को विनियमित करना है। अब, यह अधिनियम सरकार से आशा करता है कि वह यह देखे कि विक्रय योग्य अधिशेष वस्तुयें बाजार मे वितरण के लिए जायें, आवश्यक वस्तु उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सप्लाई की जायें तथा यह भी देखे कि वस्तुओं की जमाखोरी न होने पाए। इस अधिनियम के उपबन्ध इस बात को ध्यान मे रखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 40 प्रतिशत से अधिक भारतीय लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं तथा कोई भी सरकार निर्धन उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है। इस अधिनियम को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक तो व्यापारियों की दृष्टि से तथा दूसरे उपभोक्ताओं की दृष्टि से···

4.00 म० प०

हमने व्यापारियों की बात सदन के अन्दर तथा बाहर भी सुनी है। हमने सुना है कि अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्ध बहुत सख्त, कठोर है तथा वे बहुत असाधारण हैं। यदि हम इस प्रश्न को अनुपाती न्याय की दृष्टि से देखें, जिसकी गारन्टी सरकार को हमारे देश के लोगों को देनी चाहिए तो मैं यह कहूंगा कि किसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए कुछ असाधारण उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि व्यापारी क्यों डरते हैं। मैं नहीं जानता कि व्यापारियों के अध्यक्ष क्यों डरते हैं। ईमानदार व्यापारियों को किसी भी तरह से डरने का कोई औचित्य नहीं है। बेईमान और कपटी व्यापारियों, जो मुनाफाखोर और जमाखोर हैं, को ही इस अधिनियम के उपबंधों की चिन्ता करनी होगी। उन्हें सक्षिप्त विचारण के बारे में, इस उपबंध के बारे

में कि कोई जमानत नहीं होगी, इस उपबन्ध के बारे में कि सिर्फ राज्य सरकार को अपील की जा सकती है तथा इसी प्रकार के अन्य उपबन्धों की चिन्ता हो सकती है।

4 10 म० प्र०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, जब आप सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हैं, आप सुझाव देते है कि न्यायपालिका में अपील का प्रावधान किया जा सकता है। महोदय, ये लोग विषैले सर्पों की तरह हैं। ये वे लोग हैं जो लोगों के जीवन के साथ खेलते है। इस देश में जहां हम रहते हैं न्याय तक खरीदना पड़ता है। न्याय एक वस्तु बन गयी है। काफी समय पहले हमारे महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता 'प्राश्नों' —'प्रश्न'—में लिखा था कि उन्होंने देखा कि शक्तिशाली लोगों द्वारा किए जा रहे स्वैच्छिक अपराधों के कारण किस प्रकार न्याय का संदेश मूक रुदन करता है। ये शक्तिशाली लोग यहां रहते हैं।

अब यह बहुत अच्छा है कि अधिनियम में उपबन्ध हैं। परन्तु जब इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया जाता है तो इनको दस साल तक और जारी रखने की क्या आवश्यकता है। सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि वह कार्यवाही करने में असफल रही है। क्यों? इसका कारण यह है कि उसमें राजनीतिक इच्छा का अभाव है तथा उसमें उपबन्धों को लागू करने में दृढ़ निश्चय का अभाव है। प्रायः यह बताया जाता है कि सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है और व्यापारियों से उन्हें निपटना है। परन्तु महोदय, हम उस देश में रहते हैं जहां केन्द्र सरकार अपने बजट के जरिए, बैंकों के साथ अपने लेन-देन के जरिए तथा प्रतिभूति बाजार के साथ अपने लेन-देन के जरिए इन व्यापारियों को यह संदेश देती है कि वह वास्तव में उनके लिए है तथा उन्हें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। उसका उनके साथ एक रिश्ता है। हमने इसे देखा है तथा इतिहास ने यह सिद्ध किया है कि बड़े धोखेबाजों तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच एक रिश्ता है। यह दुःख की बात है कि इन दोनों के मध्य ऐसा रिश्ता कायम है। इस प्रकार का बजट कहां से आता है? उन्हें यह संकेत मिलता है कि उन्हें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें दण्डित करने वाला कोई नहीं है और उन्हें उनकी चुनावी आवश्यकताओं के लिए सिर्फ उनकी तिजोरियां भरनी है। यदि वह ऐसा करते है तो कोई दण्ड नहीं मिलेगा। यदि ऐसा सन्देश उन्हें दिया जाता है तो हम ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे? आप कहते हैं कि मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों के कारण और मुद्रास्फीति तथा कीमत वृद्धि के कारण आप इस अधिनियम को जारी रखेंगे। सिर्फ आपातकालीन स्थिति के दौरान उपभोक्ताओं की चयन करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की इस स्वतन्त्रता को सीमित करने के लिए आपको उनकी सम्पत्ति तथा सामान को जब्त करना होगा। इस मामले से निपटने के लिए आप इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर छोड़ दीजिए। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करनी चाहिए। इन वस्तुओं को व्यापारियों से वापस ले लें तथा रियायती दर पर लोगों को बटां दें। लेकिन आप सहमत नहीं हुए। आपने इस बात को वरीयता दी कि इस स्थिति को जारी रखा जाए। महोदय, हम इस स्थिति के विरुद्ध हैं। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हम क्रियान्वयन पर अधिक बल दें। कार्यपालिका को अधिक शक्तियां देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसे क्रियान्वित

किया जाना है और कड़ाई से क्रियान्वित किया जाना है। सरकार को दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए। राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं। इस अधिनियम के माध्यम से वे शक्तियां दी गई हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह जारी रहना चाहिए। लेकिन क्रियान्वयन का क्या होगा? यह मेरा मुख्य प्रश्न है और मैं सरकार से जवाब चाहता हूं।

महोदय, दूसरे मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या प्याप पट्ट पर विवरण न दर्शाना और कालाबाजारी जैसे अपराधों को एक जैसा समझा जाना है? इन दो अपराधों को एक जैसा नहीं समझा जा सकता है। इन दोनों अपराधों के लिए दण्ड एक जैसा नहीं हो सकता। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में और अधिक सचेत होना होगा।

व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतें आई हैं। उनको कौन उत्पीड़ित करता है। इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधिकारी हैं जो छोटे व्यापारियों को उत्पीड़ित करते हैं। इस उत्पीड़न को शीघ्र ही रोका जाना चाहिए। यह तर्क कि चूंकि व्यापारियों को परेशान किया जाता है इसलिए इस अधिनियम को वापस लिया जाना चाहिए इस तर्क जैसा है कि सिर में दर्द है तो आप सिर काट दीजिए और दर्द से छुटकारा पाइए। लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं।

एक बार पंडित नेहरू ने घोषणा की थी, "यदि हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो हम कालाबाजारियों को फांसी दे देंगे।" उस घोषणा के बाद कई वर्ष बीत गए है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने कालाबाजारियों को फांसी दी गई। आपने उनको फांसी क्यों नहीं दी? क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आपको उन्हें फांसी लगाने के लिए रस्सी की आवश्यकता है? यदि ऐसा था तो सरकार को नारियल जटा बोर्ड को रस्सी सप्लाई के लिए कहना चाहिए था और इससे उन्हें फांसी दी गई होती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया?

मेरी मांग है कि इस मामले को परखने के लिए इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि लोगों को लोक न्यायालय में ही परखा जाए। दूसरे मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। मेरा तीसरा सुझाव है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में तुरन्त संशोधन किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। जागरूक उपभोक्ता आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को शीघ्र ही कुछ प्रस्ताव लाने चाहिए। उसके बिना केवल कानून द्वारा, केवल कड़े दण्ड द्वारा हम उन बेईमान व्यापारियों को नियन्त्रण नहीं कर सकते जो केवल विषैले सर्प की तरह हैं।

ये कुछ सुझाव हैं। इन कुछ सुझावों के साथ मैं अधिनियम की अवधि बढ़ाए जाने का समर्थन करता हूं तथा मैं इस अधिनियम के उपबन्धों का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि उपबन्ध अवपीड़क है लेकिन इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए उपाय अवपीड़क होने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। कल्यान, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, के आसपास आज सुबह 8.30 बजे सेन्चुरी रेयान कम्पनी जोकि एक बिड़ला कम्पनी है, के सल्फ्यूरिक एसिड प्लान्ट में

गैस रिसने की खबर मिली है लगभग 41 श्रमिकों की जान गई है तथा 1000 श्रमिकों को चोटें आई हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें क्योंकि यह हमारा श्रमिकों के हित में है।

सभापति महोदय : कृपया इसे नोट करें और इसे सरकार को बतायें। –

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) महोदय, हम इसे संबंधित मन्त्री को बता देंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, श्री कानसे द्वारा सभा को दिया गया समाचार वास्तव में ही दुःखद है। मेरे विचार में हम सब को मिलकर शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए।

महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और मूल्य विनियमित करने के लिए बनाया गया था। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किए गए कानून को देश में सभी सही दृष्टि से सोचने वाले लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था। महोदय, उस समय यह सुविचारित मत था कि वैयक्तिक लाभ और लालच की बात में किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए उकसाया नहीं जाना चाहिए जो सम्पूर्ण समाज के लिए हानिकर हो।

महोदय, जैसे समय बीता और हमें अनुभव प्राप्त हुआ तो उस अधिनियम में कुछ कमियां पाई गईं और समय-समय पर उसमें संशोधन किए गए।

महोदय, वर्ष 1981 में यह महसूस किया गया कि 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के बावजूद इस अधिनियम के कुछ विद्यमान उपबन्ध उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मामलों को शीघ्र निपटाने तथा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी और उनमें मुनाफाखोरी को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए थे। चूंकि उस समय विभिन्न न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में मामले लम्बित पड़े थे तथा वर्ष 1979 और 1980 में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को अस्थायी रूप से अधिक कठोर बनाने के लिए आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 बनाया गया था। महोदय, संभवतः यह महसूस किया गया था कि इन कठोर उपबन्धों को अधिनियम में शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है और शायद पांच वर्ष बाद स्थिति में सुधार हो जाए और हम इन उपबन्धों को ध्यान दें। महोदय, जैसाकि अब हम सब जानते हैं कि वर्ष 1987 में इन उपबन्धों की समयावधि बढ़ाई गयी थी और अब पुनः 1992 में जलाये समाप्त किए जाने थे तब उसकी अवधि अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने लिए हमारे समक्ष यह अध्यादेश और विधेयक है।

महोदय, सिद्धान्त रूप में कानून के किसी भी उपबन्ध की अवधि अस्थायी रूप से बढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस मामले में समयावधि बढ़ाने से पता चलता है और मैं इस सम्मानित सभा के अन्य सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं जहां कानून के

उपबन्ध सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हों, सामाजिक उद्देश्य का दुरुपयोग किया गया था और कानून के उपबन्धों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी व्यक्तियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया गया था।

महोदय, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता और मुझे विश्वास है कि सभा में और सभा के बाहर भी कोई सदस्य ऐसे विधान की आवश्यकता को नहीं नकार सकता जो यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर हो कि वैयक्तिक रूप से ऐसा कोई लालच न दिया जाए जो लोगों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के लिए प्रेरित करे।

जहां तक इन उद्देश्यों का सम्बन्ध है, इस तरह के कानून की इस समय अत्यन्त आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम ऐसे समाजवाद को अपनाने की बात नहीं सोचते जैसा कि पाठ्यपुस्तकों में परिभाषित है अपितु ऐसा समाजवाद, मैं बाजार समाजवाद शब्द का प्रयोग करता हूं, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था को समाजवादी आयोजकों द्वारा प्रेरित और निर्देशित हो।

उस विषय से सम्बन्धित कानून, जो हमारे समक्ष है, एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार से सम्बन्धित कानून, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कानून, वस्तुओं में मिलावट रोकने वाले कानून की आज आवश्यकता है, और ये कानून हमारे पास हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उक्त विषय पर अत्यधिक कानूनों, लाइसेंसिंग और नियन्त्रण आदेशों से वास्तव में सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो गया है। वे लोग भ्रमित हो गए हैं जिनसे हम इन उपबन्धों के पालन की आशा करते हैं और यह नितान्त आवश्यक है—मैं इस विषय पर श्री मिश्रा जी से पूर्णतया सहमत हूं—कि आज इस विषय से सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिनियमों की व्यापक पुनरीक्षा की आवश्यकता है और एक सुस्पष्ट तथा सही विधान बनाया जाए, जिसकी जानकारी नागरिकों को हो, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी उन लोगों को हो जिनके लाभ के लिए यह कानून बनाया गया है जिसकी विषयवस्तु की जानकारी उन लोगों को हो जिनसे उसके अनुपालन की आशा की जाती है।

केवल इतना कह देना कि देश के प्रत्येक नागरिक से आशा की जाती है कि उसे इस बात का पता हो कि कानून क्या है यही पर्याप्त नहीं है; यदि हम चाहते हैं कि समाज चलता रहे, यदि हम चाहते हैं कि समाज अपने कार्य में न पिछड़े और इस सन्दर्भ में मैं अवश्य ही इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें इस सम्पूर्ण विषय पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में एक व्यापक कानून प्रस्तुत करना है। यदि हम तदर्थ तरीके से चलते रहे तो वास्तव में हम अपनी जिम्मेदारी का सही अहसास नहीं दिला सकते। हमने पांच वर्ष के लिए इस कानून को स्वीकार किया था, फिर उसकी अवधि पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दी और फिर इसे आगामी पांच वर्षों के लिए बढ़ाना चाहते हैं।

चूंकि मैं इस कानून के निर्माण के मूल सिद्धान्त से अवश्य सहमत हूं इसलिए मैं इसके विरुद्ध तर्क नहीं करना चाहता। परन्तु मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि यदि हमें विश्वास दिलाया जाए कि ऐसे कुछ उपबन्ध हैं जो संविधि पुस्तक में होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उन उपबन्धों को स्थायी रूप में उसमें शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु पिछले अनुभव से हमें यह भी पता चलता है कि कुछ विशेष उपबन्ध, जो 1981 में शामिल किए गए थे, से उद्देश्य पूरा नहीं होता। जब मैं

कहता हूं कि उद्देश्य पूरा हुआ तो मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों से असहमती प्रकट नहीं करता कि यदि कोई विशेष उपबन्ध है जिसका दुरुपयोग किया गया है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इस उपबन्ध को बिल्कुल भी लागू नही रहना चाहिए परन्तु महोदय, वास्तव मे यह हम सबके लिए चौंकाने वाली बात है और इस सन्दर्भ में मैं कुछ उपबन्धों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें 1981 में आवश्यक वस्तु अधिनियम मे शामिल किया गया था।

हमारे जैसे प्रगतिशील, सक्रिय और गतिशील समाज मे हमने न्यायपालिका को प्रमुखता दी है। जो भी शिकायतें हों हम राजनीतिज्ञ, अधिकारी वर्ग अनेक बातों की शिकायतें करते है। परन्तु जब हमें किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई शिकायत होती है तो हम न्यायालय में जाते है। और मुझे वास्तव में ऐसे उपबन्ध की कोई तर्कसंगतता नही दिखाई देती जिसमे कहा गया है कि सम्पत्ति जब्त करने के विरुद्ध न्यायपालिका के समक्ष अपील नही की जा सकती अपितु राज्य के अधिकारियों के समक्ष अपील की जा सकती है।

हमारे कानून में विश्वास पैदा करने, हमारी न्यायिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न करने के लिए मै समझता हूं कि यह आवश्यक है, यह अपेक्षित है कि न्यायपालिका के कार्य स्वयं न्यायपालिका मे ही निहित हों। हमे अपनी न्यायिक प्रणाली मे विश्वास रखना होगा यदि किसी आदेश से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति न्यायपालिका मे जाता है तो मुझे विश्वास है कि वहां का न्यायाधीश सामाजिक बातों से भी प्रेरित होगा और वह उस व्यक्ति को, जो न्यायालय मे पेश हुआ है, अकारण ही कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता।

महोदय, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में खाते रखने वाले, बही खाते रखने वाले अति तकनीकी कानूनों से लोगों पर मुकदमे चलाए जाते है। मुझे एक ऐसे मामले की जानकारी है जहां एक विशिष्ट वस्तु के खुदरा दुकानदार की मासिक बिक्री 10 बोरे थी, जिसमें से प्रत्येक बोरे का भार एक क्विंटल था। एक विशेष माह मे वह 10 क्विंटल बोरे नहीं बेच सका और इस बीच उसने जिस सप्लाई के लिए आर्डर दिया था वह माल आ गया। ऐसे समय में जब उसके पास 10 क्विंटल से अधिक माल इकट्ठा हो गया तो उसका चालान हो गया था।

आपराधिक न्यायशास्त्र की एक मूल अवधारणा यह है कि दोषी व्यक्ति के दोष को सिद्ध करने के लिए अपराधिक मनःस्थिति आवश्यक तत्व है। मैं समझता हूं कि ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं। इसके आंकड़े दिए गए थे। मैंने आंकड़े इकट्ठे नही किए हैं। परन्तु उनमे विद्यमान स्थिति की बहुत भीषण तसवीर उभरती है क्योंकि हम देखते हैं कि 95% से अधिक लोग, जिन्हें छोटे अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ में पकड़ लिया जाता है, वे अन्ततः दोषी सिद्ध नहीं हो पाते।

हमें अवश्य देखना चाहिए कि उपबन्ध मे कुछ गलती है। इस समय इस मामले मे हमारे पास धारा 12 कक है, मैं बहुत संक्षेप मे इस धारा 12 कक का उल्लेख करना चाहूंगा, उपधारा 1(ख) इस प्रकार है कि :

कोई व्यक्ति ······दोषी है

मैं यह समझ सकता हूं कि—

"....या इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का संदेह होने पर उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है"....और वह मजिस्ट्रेट क्या करता है ? वह उसकी जमानत के लिए आवेदन पत्र नहीं ले सकता जैसा कि अन्य अपराधिक मामलों में किया जाता है। वह उसे 15 दिन के लिए नजरबन्द रखने का आदेश देता है और विशेष न्यायालय में भेज देता है। मुझे खुशी है कि 1981 में विशेष न्यायालय बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसमें कुछ अच्छे उपबन्ध भी थे, क्योंकि विशेष न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए सक्षम है या कम से कम एक वर्ष तक सेशन न्यायाधीश या अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश रहा हो। वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मामले पर ध्यान देता है। लेकिन इस अवधि से पहले क्या होता है ? कोई व्यक्ति किसी अधिकारी, जिसने केवल सन्देह होने पर उसे गिरफ्तार किया है, की सनक के कारण अपराध करने का सन्देह होने पर 15 दिन के लिए कारावास में रहता है। उसको कितनी मानसिक यातना सहनी पड़ती होगी ? जैसाकि पहले भी ध्यान दिलाया गया था कुछ मामलों में सभी सहयोगी— सक्रिय, निष्क्रिय, वृद्ध दुर्बल, पुरुष, महिलाएं गिरफ्तार की जा सकती हैं। यदि ऐसे मामले हमारे ध्यान में आते है तो मैं समझता हूं हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए।

महोदय, आपने अपना भाषण देते हुए बहुत ठीक कहा था कि कुछ कमियां है जिनके कारण कठिनाई हुई है। यदि हम खुले मस्तिष्क से उन कमियो को दूर कर सकते है तो हमें कानून के बारे में बहुत निश्चित होने की आवश्यकता नहीं है। कानून की विषयवस्तु महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि कुछ उपबन्धो से, जो 1981 में जोड़े गए थे, ईमानदार व्यक्तियों को क्षति पहुंची है, ईमानदार व्यापारी परेशान हुए है और इन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। यदि कुछ उपबन्ध, जो हम समझते है कि कसौटी पर खरे उतरे है, अस्थाई तौर पर सविधि पुस्तिका में रखने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें इसमें नियमित सविधि सशोधन द्वारा शामिल किया जा सकता है। इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में शामिल किया जा सकता है और इसे अधिनियम के मुख्य भाग बन सकते हैं।

मैं यह जैफरसन के कथन कि अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है की प्रतिक्रिया स्वरूप कह रहा हू।

मैं जानता हूं कि सरकार की मंशा किसी व्यक्ति को परेशान करने की नहीं है। कानून किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए होते है। केन्द्रीय या राज्य सरकारें तंग किए जाने के प्रत्येक मामले की जानकारी नहीं रख सकती। इस तरह सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि कुछ मामलो को ध्यान में लाए जाने पर, जब किसी प्रकार के कदाचार सरकार के ध्यान में लाए जाते है तब कुछ उपचारात्मक उपाय किए जाते है। सरकार की यह जिम्मेदारी है और मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे व्यापारियों व प्रतिनिधियों को बुलाए उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति और इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों की बैठक बुलाए और किसी निर्णय पर पहुंचे जिससे उचित निर्णय लिया जा सके।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं फिर एक कारण पर आना चाहता हूं जिससे 1981 में विशेष उपबन्ध कानून बनाना पड़ा। जैसाकि हम जानते है कि आवश्यक वस्तुओं की सूची में वे वस्तुएं शामिल है जिनके मूल्य किसी व्यक्ति विशेष, व्यापारी द्वारा निर्धारित नहीं होते बल्कि सरकार द्वारा

निर्धारित होते हैं। हमने यह भी देखा है कि पेट्रोलियम, कागज, औषध जैसी वस्तुओं के मामले में सरकार का निर्णय होता है जिसमें समय-समय पर इनमें मूल्य वृद्धि हुई है। यदि हम उसी परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं तो यह हमारे लिए विवेकपूर्ण नहीं होगा और मुझे सभा के विभिन्न वर्गों से की जा रही कुछ टिप्पणियों के लिए खेद है जो कि विवेकपूर्ण नहीं होगा और सम्पूर्ण व्यापारिक समुदाय को एक ही दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हमारा यह कहना ठीक नहीं है कि सम्भवतः समाज की सभी बुराइयां व्यापारिक समुदाय के कारण है। मैं किसी पर दोष मढ़ना नहीं चाहता। एक सरकारी संगठन भारतीय खाद्य निगम का उल्लेख किया गया था। हम जानते हैं कि कहां क्या हो रहा है। हम यह भी जानते हैं कि यह देखने के लिए कोई भी स्पष्ट या ठोस कदम कभी भी नहीं उठाया गया कि कोई भी निकाय, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, जिसके लिए उसकी स्थापना की जाती है, अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता। यदि ऐसी स्थिति में हम कार्य कर रहे हैं और जब हम जानते हैं कि व्यापारी समुदाय ने इसमें सहयोग दिया है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कम नहीं है। इस बात पर बल देते हुए अपनी बात दोहराऊंगा कि हमारे लिए यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा कि व्यापारी समुदाय पर दोष डाला जाए। हम उनकी भूमिका को पहचानना चाहिए। हमें हमेशा शताब्दियों से चीन और भारत के बीच होने वाले बढ़े हुए व्यापार पर गर्व करना चाहिए। व्यापार के महत्व को स्वीकार करने की भावना जारी रखनी होगी। हमें इसी भावना से चीजों को देखना होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि दुश्चरित्र लोगों के लिए सांविधि पुस्तिका में कठोर कानून शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच, मैं चाहता हूं कि कानून में ऐसी कमियां नहीं होनी चाहिए जिससे बेईमान छोटे अधिकारी द्वारा ईमानदार व्यक्ति को पकड़ा जा सके, तंग किया जाए या मानसिक भावना दी जाए और बाद में उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह नए सिरे से इस मामले पर पुनः विचार करें, ताकि इस विषय पर एक समेकित विधेयक लाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, यहां आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 1993 पर बहस चल रही है, उसके साथ श्री नीतीश कुमार का भी प्रस्ताव है।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो नियम बने हुए हैं, उसमें संशोधन किया जा रहा है, इसमें अधिक दण्ड का प्रावधान रखा गया है। बार-बार दण्ड बढ़ाते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। इस कानून में दण्ड चाहे छोटा हो, या बड़ा हो, वह तभी लागू होता है, जब इसको बनाने वाले या सत्ताधारीपक्ष ईमानदारी से इसे लागू करें। यदि दुनिया में कहीं लोकतन्त्र पथभ्रष्ट हुआ है तो उसकी जगह प्रपंचतन्त्र की व्यवस्था बन जाती है और यहां भी लोकतन्त्र पथभ्रष्ट हो गया है और वही प्रपंच व्यवस्था के जरिए राज चला रहे हैं।

सभापति महोदय, जमाखोरी पर आप चोट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन यह जमाखोरी कम क्यों नहीं हो रही है? यह तो और बढ़ रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम जमाखोरों के पक्षधर हैं तो ये आपकी मदद कर रहे हैं और आप भी बड़े व्यापारियों के पक्षधर हैं। कभी

एक तरफ से और कभी दूसरी तरफ से स्पोर्ट मिल रही है। आप स्वयं उनका बचाव करते हैं। अगर आप बचाव नहीं करते, तो उनका काला धन देश में इतना नहीं बढ़ता ? यदि हमारा सही लोकतन्त्र रहता तो चरित्रहीनता, आदर्श-हीनता और परम्परागतहीनता नहीं रहती लेकिन आज आपका लोकतन्त्र पथभ्रष्ट हो गया है। इसका कारण यह है कि सत्ताधारी पक्ष आज बड़े-बड़े सेठों से सम्बन्ध रखे हुए है और इसलिए रखे हुए हैं कि चुनाव में पैसा मिले। चुनाव इतना खर्चीला हो गया है कि काले धन की थाह नहीं है। यह सब कहां से आता है ? इसका जवाब आपको देना होगा क्योंकि कानून लागू नहीं हो रहा है। हम अधिक दण्ड बनाए हुए हैं। यद्यपि आई० पी० सी० में 302 के अन्तर्गत फांसी की सजा है लेकिन इससे आदमी डरता नहीं है और दिन प्रतिदिन हत्यायें हो रही है। इसका कारण क्या है ? यदि लोगों को गुमराह कर दिया जाएगा, अखबारों में प्रचार होगा कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम ऐसे बना है तो उसका भी वही कारण होगा जो आई० पी० सी० 302 का है। इसलिए स्वयं को शुद्ध कीजिए तो लोकतन्त्र शुद्ध होगा। लोकतन्त्र सत्य पर आधारित होता है, धर्म पर आधारित होता है न कि अधर्म पर। इसलिए जब तक ठीक नहीं करेंगे, कानून लागू नहीं कर सकेंगे।

सभापति महोदय एक बात और कहूंगा कि देश में नकली दवाएं धड़ल्ले से बन रही हैं और बिक रही हैं। कानून तो आपने बना दिया कि दवा की जांच-पड़ताल की जाएगी लेकिन फिर भी नकली दवाएं बनती जा रही हैं। यह सब क्यों होता है, इसका कौन जवाब देगा ? मैं कहता हूं कि जब कानून से फायदा नहीं तो कागज खर्च करने की क्या आवश्यकता है ? इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप जो कानून लाए हैं, जमाखोरी रोकेंगे, काला धन को रोकेंगे लेकिन जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो दुकान बनाए है, वहां गरीबों को 5 प्रतिशत भी समय नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या सोचते है ? मैंने एक मीटिंग मे कलेक्टर से कहा तो वे बोले कि हम गरीबों तक पहुचाएंगे ? कैसे पहुचा देंगे ? जब एक गरीब आदमी लाइसेंस लेता है तो वह अपनी पत्नी का झुमका बेचकर पैसे देता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके पास कोई चारा नहीं है। आपने 44 वर्ष में जो देश को बरबाद किया है यह उसी का परिणाम है। आज कल ये सब बमबारी वगैरह भी उसी का दूसरा परिणाम है। पहले आप अपने लोकतन्त्र को ठीक करें जो पथभ्रष्ट हो गया है। बिना कानून बनाए हुए पुराने कानून से ही अगर डर पैदा हो जाएगा तो नए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब पुराने कानून मे डर खत्म हो जाता है तभी नए कानून बनाए जाते हैं डराने के लिए। टाडा ऐक्ट आपने लगाया, इसलिए क्योंकि पुराने कानून से लोगों को डर नहीं था।

तीसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारे देश मे बड़े-बड़े बिजनेसमैन छोटे उद्योगपति भी है जो सभी टैक्स देते हैं। मगर कभी-कभी कुछ ईमानदार लोगों के साथ उचित बर्ताव नहीं होता। हमारे यहां एक घटना हुई है।

एक आदमी जिसका नाम महेश प्रसाद है, वह ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहा था लेकिन उसको झूठा केस बनाकर फंसवा दिया। अब आप सोच सकते है कि वह कैसे ईमानदारी से काम करेगा। राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह सेल्स टैक्स का मामला है लेकिन आप राज्य सरकार से पूछें कि उस ईमानदार व्यापारी को क्यों तंग किया जा रहा है ? इस प्रकार से अगर ईमानदार व्यक्तियों को तंग किया जाएगा तो वे कैसे रह पाएंगे। अगर वह ईमानदार रहना चाहता है तो अधिकारी उसको बचने नहीं देते। उनको दस लाख रुपया चाहिए, एक एक करोड़ रुपया चाहिए। क्यों

ऐसा होना है ? जब तक इस व्यवस्था को आप सुधारेंगे नहीं, तब तक आपका भाषण देना को धोखा देना है। आप बार-बार देश को धोखा मत दीजिए। इसके भयंकर परिणाम हो रहे हैं। रोज समाचार आ रहे हैं, इसलिए इस कानून का तो हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन कहेंगे कि यह कानून वास्तविक रूप में लागू नहीं होगा। यह कानून तो आपने बनाया है सिर्फ झूठे प्रकार के लिए अपनाया है तथा छोटे-छोटे व्यापारियों को परेशान करने एवं पुलिस को पैसा कमाने का हथकंडा होगा। इससे न जमाखोरी, काले धन में कमी होगी, न नकली दवाएं बनने में कमी होगी जब तक कि आप स्वयं ईमानदार नहीं बनेंगे, आपकी सरकार ईमानदार नहीं बनेगी तब तक यह लागू नहीं हो सकता। अगर सचमुच आपने शपथ ली है, उस पर नहीं चल सके तो इस वजह से यह कानून लागू नहीं होगा, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं बहुत सारे मुद्दों पर जो व्यथा के रूप में यहां श्याम बिहारी मिश्र जी ने प्रस्तुत किए हैं, बहुत कुछ हद तक अपने को सहभागी मानता हूं।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के कारण और उद्देश्यों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा था। किन परिस्थितियों में अल्पकालिक व्यवस्था को अस्थाई बनाया जा रहा है इसका विकल्प भारत सरकार ने बताने का कष्ट नहीं किया है। जब यह कानून पास हो रहा था 1982 में, उस समय इस सदन में भारत सरकार की ओर से कहा गया कि 1980 में इस देश में भयंकर सूखा पड़ा, करीब-करीब 60 प्रतिशत सूखे की वजह से फसल क्षतिग्रस्त हुई जिसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का सम्पूर्ण अभाव हो गया और ऐसी परिस्थिति में जमाखोरी, कालाबाजारी, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ने लगी और 1955 का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उस चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस एक विशेष परिस्थिति में पांच वर्ष के लिए हम संशोधन करके विशेष प्रावधान लागू किए जा रहे हैं और उन्हें लागू करना आवश्यक है लेकिन फिर 1987 में यह तर्क दिया गया। और कहा गया कि इस देश में अभी भी आवश्यक वस्तुओं की कमी है इसलिए और 5 वर्ष की अवधि के लिए, इसे लागू करने हेतु, हम इस विधेयक को सदन में लाए हैं। लेकिन आज जब 1992 में इस विधेयक पर चर्चा हो रही है तो भारत सरकार बड़े जोरों से अपनी पीठ थपथपा रही है कि हिन्दुस्तान आज दुनिया का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश हो गया है। हमारे देश में एक करोड़ 33 लाख टन चीनी इस वर्ष बनी है। बड़े दावे के साथ, तीन दिन पहले, भारत के प्रधान मन्त्री जी इसी सदन में कह रहे थे कि इस वर्ष इतनी अच्छी बरसात और मौसम हुआ है कि हमें बाहर से गेहूं मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास गेहूं का पर्याप्त भण्डार है। जब सभी चीजें हमारे यहां भरी-पूरी हैं तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गयी कि एक अल्पकालिक आकस्मिक व्यवस्था को आप स्थायित्व प्रदान करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण मन्त्री जी ने विधेयक को प्रस्तुत करते समय इस सदन में नहीं दिया।

मैं कहना चाहता हूं कि इस अल्पकालिक व्यवस्था को आप अल्पकालिक ही रहने दीजिए, इसे स्थायित्व प्रदान न किया जाए क्योंकि मेरी राय में यह व्यापारियों के शोषण का एक औजार है। व्यापारी भी हमारे यहां दो तरह के हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री श्याम बिहारी जी जिन व्यापारियों की वकालत कर रहे थे, मैं उन व्यापारियों के नुमाइन्दे की हैसियत से बात नहीं कहना चाहता हूं। केवल दो फीसदी ही ऐसे व्यापारी हो सकते हैं जो काला-बाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी में संलग्न होंगे।

98 फीसदी ऐसे कारोबारी है, जिन्हें मै व्यापारी नहीं कहता, बल्कि कारोबारी कहता हूं जो केवल अपना पेट पालने के लिए, अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए वह काम कर रहे हैं। इस आवश्यक वस्तु कानून के सर्वाधिक शिकार वे 98 प्रतिशत कारोबारी ही होते हैं जो अपना पेट पालने के लिए कोई कारोबार कर रहे हैं।

पहले ही 11-12 इन्सपेक्टर—सैनेटरी इन्सपेक्टर, इन्कम टैक्स इंसपैक्टर, लेबर इन्सपेक्टर··· (व्यवधान)···आप मेरी बात सुनिये, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं और न आपका विरोध कर रहा हूं।

दुनिया भर के इन्सपेक्टर व्यापारिक कार्यों मे हस्तक्षेप करने के लिए पहले से ही थे और केवल एक ही इन्सपेक्टर इससे मुक्त था। वह पुलिस इन्सपेक्टर था। उस इन्सपेक्टर को भी आपने इस कानून के जरिये व्यापारिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की इजाजत दे दी, पूरे अधिकार दे दिए। यदि समाज का बड़ा आदमी किसी छोटे व्यापारी से नाराज है, किसी ने उसके साथ बेअदबी से सलूक किया या झगड़ा किया तो वह दरोगा से मिलकर उसका चालान करा देगा। किसी दूसरे कानून में तो तुरन्त उसकी जमानत हो जाएगी लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के तहत उसकी जमानत भी नहीं होगी, हाई कोर्ट तक उसको जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट तक अपने मामले को ले जाने के लिए छोटे व्यापारी के पास इतना पैसा कहां से आएगा ताकि उसकी जल्दी से जमानत हो सके। इतना ही नहीं, उसकी सारी सामग्री जब्त कर ली जाएगी और थाने में रख ली जाएगी। थाने मे पड़े पड़े उसका सारा सामान सड़ जाएगा, चोरी कर लिया जाएगा, सामान निकाल लिया जाएगा। यदि बाद में उसे वापस करने की नौबत आएगी तो थाने में जो सामान होगा, वही उसे दे दिया जाएगा, जो भी आधा चौथाई उसका सामान होगा, वह लौटा दिया जाएगा। व्यापारी के सामान आदि की ये ऐसी समस्याए है जिनका निदान इस विधेयक में नहीं है, व्यापारी को बचाने की कोई व्यवस्था इसमे नहीं है।

इसलिए मैं मन्त्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक के जरिये जो अल्पकालिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने जा रहे हैं, आप इस पर फिर से विचार करें। वर्ष 1955 का अधिनियम भारत की तत्कालीन परिस्थितियों मे विशेष तौर से लाया गया था। उस जमाने मे इस देश में आवश्यक वस्तुओं का अभाव था। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था और बाहर से वस्तुओं को मंगाकर सस्ते गल्ले या राशन की दुकानों के जरिए आप लोगों को खाने का सामान पहुचाते थे।

इस वर्ष आपने खुली चीनी 60 फीसदी कर दी, करीब 78 लाख टन चीनी खुले बाजार मे आ जाएगी और यह सरकार की मौजूदा नीतियों के चलते हो रहा है। देश मे पिछले साल केवल 95 लाख टन चीनी खायी गयी थी। अभी एक माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि हमारे देश की चीनी किसी दूसरे देश में नहीं खपती। उसके खरीदार इस देश के बाहर नहीं हैं। क्या इसकी जरूरत नहीं कि हम अपने देश में इतनी चीनी बनाएं जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी खपत है। फिर आपने कौन सा ऐसा अहसान इतनी चीनी पैदा करके इस देश पर कर दिया कि उसकी काला-बाजारी, जमाखोरी या मुनाफाखोरी इस देश मे होगी।

इसलिए मैं समझता हूं कि आपका यह विधेयक किसी अच्छी सोच की उपज के बाद नहीं आया है, उसकी यह विचारधारा नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक पर नये सिरे से विचार विचार करे।

मैं चाहता हूं कि सदन की एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो आवश्यक वस्तु कानून 1955 की

जो बहुत सारी धाराओं पर पुनर्विचार कर के आज की बदली हुई परिस्थितियों में नये सिरे से एक नए कानून को प्रस्तुत करें क्योंकि श्रीमन सरकार कहती है कि हम उदारवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं और उदारवादी नीतियों के अनुसरण के चलते जो कोफेपोसा एक्ट है, जो बाहर से स्मगलिंग करने का कानून था या इस देश में विदेशी मुद्रा के कंजर्वेशन का कानून था उसको आपने निरर्थक कर दिया मुद्रा को परिवर्तनीय करके, कंजरवेशन आफ फारेन एक्सचेंज एक्ट को आपने निरर्थक कर दिया। बाहर से कोई आदमी किसी भी स्रोत से धन अर्जन कर के 5 किलो तक सोना इस देश में ला सकता है और एक क्विंटल तक चांदी इस देश में ला सकता है, लेकिन इसी देश का व्यापारी, जो उसकी निर्धारित सीमा है, उससे क्विंटल दो क्विंटल भी अपने थोक व्यापारी की हैसियत से अपने गोदाम में राशन रख ले या कोई वस्तु रख ले, तो उसका चालान करने के लिए आपके पास बहुत से कानून बने हुए हैं।

इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून की मंशा यह होनी चाहिए कि समाज में जो कालाधन चल रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और जहां तक कानून की यह मंशा है कि गलत तौर-तरीके पर रोक लगाई जाए, व्यापारियों द्वारा जो उल्टे तौर तरीके से समाज का शोषण हो, तो उस पर रोक लगाई जाए, इस मंशा का मैं समर्थक हूं, लेकिन इसके बहाने जो साधारण व्यापारी अपना पेट पालन करने के लिए व्यापार करते हैं, उनको गन्दे कानूनों के जरिए, काले कानूनों के जरिए, उनका उत्पीड़न किया जाए, उस गतिविधि का मैं विरोधी हूं और विरोध करता हूं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अगर यह समझती है कि आज बदली हुई परिस्थितियों में सारी उदारवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, बाहर से विदेशी मुद्रा लाकर, मनमाने ढंग से बिना किसी भी लाइसेंस के कोई भी एन०आर०आई० इस देश में अपना एक उद्योग चला सकता है, यह आपने नियम बना दिया है। उससे इस बात की पूछताछ नहीं होगी कि आप किस स्रोत से इस देश में विदेशी मुद्रा लाए हैं, इस बात की कोई भी पूछताछ भारत सरकार नहीं करेगी, आपकी उदारवादी नीति के चलते, लेकिन इसी देश का रहने वाला व्यापारी जो अपने अर्जन से आपको सही ढंग से सेल्स-टैक्स देता है, सब तरह के टैक्स देता है, आपके बनाए हुए सभी कानूनों का अनुसरण करता है, उसका उत्पीड़न करने सम्बन्धी कानून में प्रावधान है और उसके उत्पीड़न का जो कानून है उस पर कृपया पुनर्विचार करके, बदली हुई परिस्थितियों में नये कानून की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के जरिए मैं यह मांग करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं तथा सभापति महोदय मैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे अपने 2 सुझाव रखने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री ए० वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : सभापति महोदय, मैं 1993 के विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मैं 1981 के विशेष उपबन्ध अधिनियम पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कमजोर तबके को काफी आसान और उचित तरीके से आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की वचनबद्धता के मद्दे-नजर सरकारी वितरण प्रणाली को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।

महोदय, मेरा विचार है कि जब्ती आदेशों के खिलाफ अपीलीय शक्ति न्यायपालिका से छीन ली गई है तथा कार्यपालिका अर्थात राज्य सरकार को दे दी गई है। कार्यपालिका इस शक्ति का दुरुपयोग

करती है और इन शक्तियों का इतना दुरुपयोग करती है कि इसकी निष्पक्षता पर जनता का विश्वास उठ गया है। 1955 के अधिनियम की धारा 6(क) कार्यपालिका को जब्ती की शक्ति प्रदान करती है जिसमें न्यायपालिका के समक्ष अपील का प्रावधान है परन्तु 1981 के अधिनियम द्वारा इसका लोप कर दिया गया है तथा इसमें एक अन्य कार्यपालक प्राधिकारी अर्थात राज्य सरकार के समक्ष अपील का प्रावधान है। यह उचित नहीं है तथा कानून का पालन नहीं होता है। जनता का विश्वास खत्म हो गया है तथा जनता को पुन विश्वास दिलाना होगा। साधारण वस्तुओं सम्बन्धी अधिनियम के विपरीत अधिकारी सभी खाद्य पदार्थों को जब्त कर रहे हैं जो उचित नहीं है। 1955 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि ये अपराध जमानत योग्य है परन्तु 1981 के संशोधन के अनुसार इसे गैर-जमानती बनाया गया है।

प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा डीलरों को काफी परेशान किया जाता है। इस उपबन्ध को समाप्त करना होगा। अनेक सदस्यों ने 1981 अधिनियम में संशोधन के बारे में कहा है। यदि 1981 के अधिनियम में संशोधन होता है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा।

मेरा विचार है कि आगामी सत्र में एक अलग संशोधन विधेयक लाकर 1981 के अधिनियम के विशेष तथा कड़े उपबन्धों में संशोधन किया जाये। मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी तथा भविष्य में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, एसेंशियल कमोडिटीज बिल के सम्बन्ध में अब तक जो विचार प्रस्तुत हुए है, मैं समझता हूं कि एक अपवाद को छोड़कर, दलों के विभिन्न विचार भेदों को छोड़कर भी समस्त सदस्यों ने इस बात की भर्त्सना की है कि इस बिल में जो विशेष प्रावधान, नॉन-बेलेबल ओफेंस, समरी ट्रॉयल, जूडीशियल अथारिटी के पास अपील का अभाव, टोटल कनसफिकेशन, इन विशिष्ट प्रावधानों को, अब समय आ गया है जब और अधिक पांच वर्ष के लिए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सब सदस्यों ने इस बात की स्वीकृति की है कि आज के सन्दर्भ में सरकार की जो उदार नीति, लिबरलाईजेशन की पॉलिसी, फ्री ट्रेड, फ्री एटरप्राईज, फ्री बिजनस और पिछले युग में जो समाजवादी नीतियों के द्वारा सोशल कंट्रोल था, जिसका कम्प्लीट रिवर्सल करके अब सरकार ने कम्पीटीटिव बिजनस और फ्री इकोनोमी के विचार को स्वीकृति दी है, उसके संदर्भ में यह बिल अब मेरे विचारों के अनुरूप नहीं है। मैं यह समझने में इसके पश्चात् असमर्थ हू कि जबकि श्री बसल और कांग्रेस के ही माननीय अन्य मित्र, श्री शरद दीघे, जनता दल के समस्त सदस्यों ने एकमत होकर भाजपा के इस विचार का समर्थन किया है कि अब कम से कम अगले पाच वर्षों के लिई इन तीन प्रावधानों को आपने हिटरेट कहा है इसमें जो इरीटेंट है उनको दूर करने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय इसको प्रैसटिज का विषय बनाकर पाच साल के लिए फिर लागू करने के लिए जिद पर क्यों अड़े हुए है।

यह भी एक विडंबना है कि कहा यह जाता है कि हम उनके प्रोवीजन्स को मिटिगेट करना चाहते है लेकिन क्रिमिनल प्रासीजर कोड में यह लिखा हुआ है कि जहा समरी ट्रॉयल होता है वहां तीन महीने से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। आपका जो ओरीजनल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है,

उसमें आपने प्रावधान रखा है, उनमें 6 महीने, 2 वर्ष, 7 साल तक की सजा रखी है और समरी ट्रॉयल करके आपने स्वयं एक ओर तो मैनडेटरी सेनटेंस तीन महीने का रख दिया, दूसरी ओर जो प्रोवीजन्स पहले थे, उन प्रोवीजन्स के कंट्राडिक्शन्स में लीगल ऐनामली क्रिएट कर दी।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करें कि क्या यह लीगल ऐनॉमली सस्टेनेबल है कि जब आप सजा ओरीजनल सैक्शन 37 के अन्दर 7 साल की रखे हुए हैं तो फिर उसकी समरी ट्रॉयल कैसे हो सकती है और अपील के अभाव में जो हमारी न्यायपालिका का वर्चस्व हमेशा रहा है, उसकी समरी ट्रॉयल के द्वारा केवल सारांश लिखकर, जहां पर स्टेटमेंट रिकार्ड नहीं होता, गवाह क्या बोलता है, उसका केवल सबस्टैन्स रिकार्ड नहीं होता है और समरी जजमैंट दी जाती है, अपील का अभाव रहता है, यह सब हमारी संवैधानिक न्याय प्रणाली के विरुद्ध है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समरी ट्रायल के प्रावीजन को समाप्त किया जाये। यह भी कैसी विडम्बना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट से लाखों रुपए सरकारी अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट खाएंगे। वहां का ऑफिस बेलेबल है। यहां पर एक छोटा सा व्यापारी एक माचिस कम बता दे या अपनी प्राइस लिस्ट में या स्टाक में माचिस कम रखे या उसका मूल्य ज्यादा लिख दे तो उसको सजा तक हो जायेगी। ऐसा गरीब छोटा व्यापारी अलग से स्टाफ नहीं रख सकता है और फॉरमेलिटिज को पूरा नहीं कर सकता है। वह न तो रजिस्टर रख सकता है, न पूरा रिकार्ड रख सकता है, न ही स्टाफ चैकिंग के लिए रख सकता है जो कि उसकी प्राइस लिस्ट में सुबह शाम एन्ट्री को चेंज करे। इसमें इतनी अधिक कागजी कार्यवाई है कि छोटा व्यापारी उसको कर नहीं सकता है। 80 परसेंट छोटे व्यापारियों को इसके द्वारा सजा देने का प्रावधान है और उनका ऑफिस नॉन बेलेबल होगा। ऐसे में उसको जेल में रहना पड़ेगा। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान में किए गए प्रावधानों के खिलाफ है। आप छोटे व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा बोझा लादना चाहते हैं।

एक और एनॉमली की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें आपने समरी ट्रायल, नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ एक कनफिसकेटरी प्रावीजन रखा है। अगर एक व्यापारी अपनी दुकान में लोहा, गेहूं, साबुन या कपड़ा आदि रखता होगा तो उसका पूरा का पूरा स्टॉक कनफिसकेट हो जाएगा। यह होने के बाद उसकी अपील न्यायिक अधिकारी नहीं सुन सकता है। उसकी अपील सरकारी अधिकारी ही सुनेगा। प्रशासनिक तरीके से अधिनायकवाद लाने का यह तरीका है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक गलत चीज है। मन्त्री महोदय ने जो अभी यह चार्ज लिया है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस टेम्परेरी प्रावीजन को बार-बार अनावश्यक रूप से एक्सटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो परमानेंट स्टेच्युट लाइए। जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा है कि ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी या सिलेक्ट कमेटी बना दीजिए। उसमें सारे प्रावधानों को नये सन्दर्भ में, नये नई नीति के दृष्टिकोणों से आप रिएग्जामिन कर लीजिए। उसके बाद कोई कानून बनाइए।

आपने 111 आइसं निकाले हैं। यह कंट्रोल आर्डर एसेंशियल कमोडिटिज के 3 सैक्शन के नीचे 111 हैं। इसके हरेक आर्डर में 10, 5, 20, 25 सैक्शन हैं। उसके नीचे रूल्स बने हैं। उन रूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन्स हैं। इन सब का एक छोटा व्यापारी किस प्रकार से पालन करेगा। यदि अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई या ईमानदारी से छोटा सा वॉयलेशन हो गया यानी कि प्राइस चैकिंग के अन्दर, ऐसे में उसका जीवन हमेशा के लिए बरबाद हो जायेगा।

मैं उपभोक्ता के नाते आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक व्यापारी को कितना नुकसान होता है या फायदा होता है, यह एक अलग बात है लेकिन उपभोक्ता को क्या मिलता है, यह आप देखें। जो आंकड़े दिये गये है, वे बोलने वाले है। एक लाख 86 हजार लोगों में से केवल 200 के करीब कनविक्शन्स हुए। 1990 91 और 1992 के जो आंकड़े है, वह स्पेशल प्रावीजन के नीचे आंकड़े सरकार ने उपलब्ध करवाये हैं। उसमे कनविक्शन की संख्या .05 परसेंट सब मिला कर है। इसके लिए इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा सरकारी खर्चा, इतना बड़ा टैअरर, इतना बड़ा इन्स्पेक्टर राज, इतना बड़ा कंट्रोल का राज स्थापित कर अन्ततोगत्वा व्यापारी और उपभोक्ता को आप नुकसान पहुंचा रहे है। आप यह नुकसान उपभोक्ता से पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं भारत के उपभोक्ताओं की ओर से अपील करना चाहता हूं कि इस काले कानून के डैकोनियन प्रावीजन को आप वापस लीजिए, जो आउट-डेटिड हो चुके हैं, आज के सन्दर्भ में जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, उनको समाप्त कीजिये। यह कहना कि सारी स्टेट गवर्नमेण्ट्स ने इसको सपोर्ट किया है, यह अपने आपमे कोई तर्क नही है। मैं इस बात को जानता हूं, आप भी सभापति महोदय जानते है और मन्त्री महोदय भी जानते है कि जितने सस्ती लोकप्रियता के कानून हो है, उनके बारे मे आब्जैक्टिविटी नहीं होती, यह पोपुलर्स अपील के लिए पास कर दिए जाते है लेकिन कम से कम केन्द्रीय सरकार को इस पोपुलर्स अपील से उठकर आब्जैक्टि-विटी पर्टिकुलरली दि कंमेज नम्बर अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक भला कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे श्री बंसल ने कहा है और अन्य सदस्यों ने कहा है, इस पर सारा सदन लगभग एकमत का है, केवल हमारे एक जो कम्युनिस्ट मित्र बोले थे, उन्होंने व्यापारी को काले जहरीले सांप की संज्ञा दी है, वह ठीक है कि कहने के लिए यहां कहा जा सकता है लेकिन जब मैं कलकत्ता जाता हूं तो वहां के बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स यह कहते हैं कि ज्योति बसु के साथ हमारा जिस प्रकार का सम्बन्ध है, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नही होता। अभी आपने बम्बई का बताया कि कल्याण के अन्दर बिड़ला की इण्डस्ट्री में एक हजार लोग अभी-अभी शफाखाने मे भेज दिए गए है, गैस लीकेज के कारण और उनमे से करीब 40-50 मर चुके है, उनके बारे मे सरकार को चिन्ता नहीं है। भोपाल गैस लीकेज का इतना बड़ा काण्ड हुआ, वहां नॉन बेलेबल ऑफेंस नही हुआ। उसके मालिक को अमेरिका जाने दिया गया, वह आज अमेरिका मे जाकर बैठा हुआ है, उसको आज तक लाने नहीं दिया गया लेकिन एक छोटा सा मर्चेन्ट, माचिस बेचने वाला, पान बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, हल्दी बेचने वाला, उसके ऊपर दुनिया भर के कानूनों को लादकर जो अन्याय किया जा रहा है, वह सामाजिक न्याय के अनुकूल नहीं है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को, जो हमारे कांस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल में है, वह तकाजा है, यह समय की मांग है, जैसा मिश्रा जी ने कहा, कि उसके अनुकूल उपभोक्ताओं के लिए, भारत की आम जनता के लिए, आम कन्ज्यूमर के लिए यह जो काला कानून है, इसको समाप्त किया जाय।

यह कानून को चलाने की बात नहीं है, विदड्रा करने की बात नहीं है, यह तो नया बनाया जा रहा है। 1981 में 5 साल का बनाया गया, 1987 मे समाप्त होना था, 1987 में समाप्त होने के बाद मे फिर 5 साल का लाया गया। आज यह बिल लाया गया है जिससे कि पांच साल के लिए फिर इसको बढ़ाया जाएगा, यह उसी प्रकार का मोडस ओपरेण्डी है, जैसे हमने आर्टिकल 370 में की, बार-

बार टैम्परेरी लिखा हुआ है, आपके प्रिएम्बल में, स्टेचुटरी कानून में है, यह टैम्परेरी मैजर है लेकिन यह कैसा टैम्परेरी है कि हर पांच साल के बाद में बढ़ा दिया जाता है।

स्थिति सामान्य हो जाए, चावल का हम निर्यात करें, गेहूं का निर्यात करें, शक्कर का निर्यात करें, देश की आत्मनिर्भरता का ढोल पीटते हुए हम सारे विश्व में जायें और जब यह काला कानून आए तो उस समय कह दें कि यहां पर शार्टेज है, यहां पर ब्लैक मार्केटिंग होगी, यहां पर प्रोफिटियरिंग होगी, इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि ब्लैक मार्केटिंग और प्रोफिटियरिंग के खिलाफ हम सब हैं लेकिन यह कैंची स्लोगन, यह अट्रैक्टिव स्लोगन, यह पोपुलस स्लोगन भारत के लाखों करोड़ों व्यक्तियों के ऊपर अन्याय थोपने के लिए काम में नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए सामाजिक न्याय के नाम पर मैं अपील करना चाहता हूं कि यह ड्रकोनियन कानून के चार प्रोवीजन्स, इसमें से समरी ट्रायल का, नान अपील का, जो इसमें अपील प्रोवाइड नहीं की गई है और जो नान बेलेबल बनाया गया है, इसमें से इन सब को समाप्त कर दिया जाए और इसमें एक कमेटी बनाकर इस पर विचार किया जाए। मैं समझता हूं कि यह प्रेस्टीज की बात नहीं है।

सदन में लगभग सारे ही दल इस पर एकमत होकर यहां पर विचार व्यक्त कर रहे हैं और इस बिल का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों ने भी, जो नीतीश भाई ने कहा या जो मिश्र जी ने कहा या जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, उनको आपने रिटेन करके समर्थन किया है, उनको बन्द करने के लिए उन इटेण्ट्स को मिटा दिया जाए, कम से कम उसमें एमेंडमैंट कर दिया जाए।

इसलिए मैं नीतीश भाई का जो आर्डिनेंस के विरोध का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं और इस बिल का विरोध करता हूं। एसेंशियल कमोडिटीज (स्पेशल प्रोवीजन्स) बिल, 1981 को जो आज एक्सटेंड किया जा रहा है, उसका विरोध करता हूं।

मुझे विश्वास है कि नए माननीय मन्त्री महोदय जो यहां पर आए हैं, वह नए डायमेंशंस देंगे, नए होराइजन्स खोलेंगे और सोशल जस्टिस के लिए ओब्जेक्टिविटी के साथ इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : सभापति महोदय, मैं अपनी अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सुलभ कराने तथा बेईमान विक्रेताओं द्वारा उन्हें शोषण से बचाने के लिए लागू किया गया था। यह कहा जाता है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए अधिनियम को लागू करने के लिए वचनबद्ध है।

यहां दो ग्रुप हैं। पहला उपभोक्ता ग्रुप है जो कालाबाजारियों तथा जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का समर्थक है और दूसरा व्यापारी समुदाय है जो यह शिकायत करता है कि यह अधिनियम काफी कड़ा है और राज्य सरकार उन्हें परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। पिछले दस वर्षों के कार्यकरण के दौरान इस अधिनियम से सरकार को विशेषतौर पर विभिन्न कारणों से कमी अथवा बाजार में गड़बड़ी होने के समय जनता को निर्बाध रूप से आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने

में मदद मिली है। ऐसी स्थिति का कुछ व्यापारी समुदाय द्वारा लाभ उठाने की प्रवृत्ति है तथा अधिनियम सिर्फ कानूनी पुस्तकों में दबा रहना है। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी सलाहकार समिति ने अधिनियम के उपबंध को कड़ाई से लागू करने की मांग की है।

अधिनियम के कुछ कड़े उपबन्धों को उदार बनाने का मामला है, जिसका सरकार तथा अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है। अधिनियम के खिलाफ ज्यादातर शिकायतें अदालतों में संक्षिप्त मुकदमा, कम से कम तीन महीने का कारावास देने, व्यापारी के सभी स्टाक को जब्त करने, यद्यपि सिर्फ एक ही वस्तु में अधिनियम का उल्लंघन हुआ हो, अधिनियम में अपराध को गैर-जमानती घोषित करना तथा न्यायिक अपील के अधिकार से वंचित करने सम्बन्धी है। अनेक समस्याएं कार्यान्वयन स्तर पर हैं। उपबन्ध में परिवर्तन करके इन्हें दूर नहीं किया जा सकता बल्कि सिर्फ प्रशासनिक उपायों से किया जा सकता है।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1993 का उद्देश्य मूल अधिनियम को 5 वर्ष तक और लागू करना है। इसका उद्देश्य यह प्रावधान करने के लिए नई धारा का अन्तःस्थापन करना है कि किसी भी थाना के प्रभारी स्तर से नीचे का अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई भी पुलिस अफसर इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने वाले अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा। जमाखोरी तथा काला-बाजारी तथा मूल्य वृद्धि जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से निपटने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981, 5 वर्षों की अवधि के लिए सितम्बर 1982 को लागू किया गया था और बाद में उसे 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया।

जानकारी की कमी के कारण विद्यमान अधिनियम में पहले ही प्रदत्त तीन स्तरीय निवारक तंत्र का पूरा लाभ उपभोक्ता नहीं उठा पा रहे थे। उपभोक्ता को निवारक तन्त्र के बारे में जानकारी देना काफी जरूरी था। इस तथ्य से कि पूरे देश में कार्यरत उठा जिला मंचों द्वारा दिए गए निर्णय में 82 प्रतिशत मामले उपभोक्ताओं के पक्ष में गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की निवारक अभिकरणों द्वारा प्रभावकारी सुरक्षा की जा रही है। सिर्फ एक ही बात को बढ़ावा देना है और वह यह है कि उपभोक्ताओं में और जागरूकता बढ़ाई जाए।

मैं समझता हूं कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सुझाव दिया है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम के उपबन्धों को 5 वर्ष तक और लागू करने वाले विधेयक को संसद की प्रवर समिति को भेज देना चाहिए। यह भी कहा गया है कि इस विधेयक से व्यापारी समुदाय में काफी असन्तोष है क्योंकि वे यह महसूस करते है कि यह विधेयक काफी कड़ा है तथा इससे व्यापारियों को ऐसी परेशानी हुई है जिससे बचा जा सकता था।

छोटे तकनीकी अपराधों के मामले में भी इसे लागू किया गया। आपराधिक मनःस्थिति से निपटने के लिए कोई उपबन्ध न होने से व्यापारी समुदाय की परेशानियां और बढ़ी हैं। श्री बंसल ने भी इस पर ध्यान दिलाया था। ज्यादातर मामलों में दुकान की जांच के तत्काल बाद व्यापारी गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें 1 से 7 दिनों या उससे भी अधिक दिनों के लिए जेल जाना पड़ता है। उन्हें सभी आरोपों से मुक्त किया जा सकता है परन्तु उन्हें काफी मानसिक यन्त्रणा तथा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मंत्री महोदय को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

अन्न में चावल अत्यावश्यक वस्तु है। मुझे यह ध्यान दिलाते हुए खेद है कि केन्द्रीय सरकार ने चावल का मूल्य पहले ही बढ़ा दिया है। और इसी कारण राज्य सरकार को भी उसके अनुरूप मूल्य वृद्धि करनी पड़ी। अतः तमिलनाडु सरकार को 35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 58 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने पड़े। यही कारण है कि तमिलनाडु के हमारे माननीय मुख्य मन्त्री डा० पुरात्वी थलायवी ने यह कहते हुए जोर दिया है कि जब कभी भी केन्द्र सरकार मूल्य बढ़ाती है उसके पहले उसे राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए।

मैं यह बात विशेषरूप से कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य और कांग्रेस के सदस्य भी यह कह रहे हैं तमिलनाडु में सरकार के मूल्यों में वृद्धि की थी जबकि केन्द्रीय सरकार यहां पर पहले ही मूल्यों में वृद्धि कर चुकी थी। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भविष्य में मूल्यों मे वृद्धि करने से पहले कम से कम राज्य सरकारों से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : सभापति आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को 1 सिम्बर से 5 वर्ष तक के लिए प्रभावी रखने सम्बन्धी विधेयक को पारित करने से पहले व्यापक चर्चा करने की जरूरत है। 1955 मे लागू होने के बाद ही अधिनियम मुख्यतः वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण में उपभोक्ताओं का कल्याण देखने के लिए है। अतः मूलतः यह इस वर्ग विशेष के लिए एक कल्याणकारी उपाय है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान हम यह देख रहे हैं और अब इस माननीय सभा के अनेक माननीय वक्ताओं को यह कहते हुए सुना गया कि पहले वर्षों में जो हो रहा था उसके मुकाबले किस प्रकार इसने एक दूसरी दिशा ली है यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया है, ने विशेषकर नागरिक पूर्ति विभाग में नौकरशाहों का नया वर्ग तैयार कर दी है। अधिकतर पदों में बहुत अधिक शक्तियां निहित हैं और उनके धारकों का कर्तव्य इस अधिनियम के प्रावधानों की रक्षा करना है। परन्तु प्रत्येक पद का मूल्य निर्धारित हो गया और वह बध गया है। नागरिक पूर्ति विभाग में तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव होता है क्योंकि इसे प्रतिष्ठित और मूल्य वाला पद समझा जाता है।

महोदय, इस अधिनियम के पूर्ण प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में यद्यपि अधिनियम मे व्यापारी वर्गों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का प्रावधान है जो अवांछनीय व्यापारी हैं, परन्तु क्रियान्वयन में इसने एक क्षोभकारी आयाम ग्रहण कर लिया है। इससे समाज में भी बहुत गड़बड़ी फैल रही है जबकि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। वास्तव में, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की बजाय यह व्यापारियों को हैरान-परेशान करने के लिए रह गया है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं के दो विभिन्न वर्गों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक दूसरे जब तक व्यापारी उपभोक्ताओं को कुछ सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं तो सम्पूर्ण तन्त्र व्यापक रूप से कार्य नहीं कर पाएगी।

इस विधेयक में कुछ आपत्तिजनक व्यवस्थाएं है जिनके बारे में हमारे माननीय मित्रों ने बार-बार बताया है। जहां तक बिना भेदभाव के गैर जमानती अभियोजन सम्बन्धी धाराओं का सवाल है, आंकड़ों से पता चलता है कि कुल लोगों के मुश्किल से 0.05% लोगों को, जिन पर अनेक कारणों से अभियोग चलाया गया है, दण्डित किया गया है। अन्त में 0.05 प्रतिशत लोगों के लिए, जिन्हें अन्त में

दण्डित किया गया, लगभग 99.95 प्रतिशत को भी परेशान किया गया है। इनमें 2000 में से एक व्यक्ति को दण्डित किया गया है और इस एक व्यक्ति की तलाश में लगभग 1999 व्यक्तियों को परेशान किया गया। यह व्यापार और आपूर्ति प्रक्रिया के हित में नहीं है। इसकी बारीकी से जांच की जाए और अधिकारियों को इतनी शक्ति देना ठीक नहीं है। दूसरे, माल को जब्त करने के मामले में कुछ अशिक्षित लोगों और निर्दोष व्यापारी यदि मामूली सी गड़बड़ी में शामिल भी होते हैं, तो भी उनका सारा माल जब्त कर लिया जाता है और कई-कई महीनों तक एक ही स्थान पर रख दिया जाता है जिससे माल की गुणवत्ता में कमी आती है और उसका मूल्य कम हो जाता है। यह नहीं पता कि माल के मूल्य और गुणवत्ता के कम होने और माल के पूर्ण मूल्य के नुकसान के लिए अन्तिम रूप से किसको जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

तीसरी बात पूरी प्रक्रिया के प्रचार की बात है। जब कोई व्यापारी कोई छोटा अपराध करता है, तो उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जाता है और प्रेस में उसका व्यापक प्रचार किया जाता है। अधिकारियों को प्रेस में इतना अधिक प्रचार करने और व्यापारियों को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया है? व्यापारी वर्ग को बदनाम किया जाता है, यह पता नहीं है। जब तक उन्हें अन्तिम रूप से अपराधी नहीं ठहराया जाता है और प्रावधानों का उल्लंघन साबित नहीं हो जाता है, जब तक इतना प्रचार करने और उन्हें अपराधी कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस विधेयक में एक संशोधन है—10 क क, इसमें कहा गया है:

"......... थाना प्रभारी से कम स्तर का कोई पुलिस अधिकारी और कोई अन्य पुलिस अधिकारी, जिसे उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का अधिकार मिला हो, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित किया हो।"

इसके दो पहलू हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं, एक तो वे कहते हैं कि वह अधिकारी जिसे थाना प्रभारी द्वारा लिखित में अधिकृत किया हो। अतः सिपाही के पास हमेशा उसकी जेब में पर्ची होगी, जिसमें थाना प्रभारी से प्राप्त अधिकार होगा और वह इन लोगों को गिरफ्तार करता चला जायेगा और गैर-जमानती धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज करता चला जाएगा। इस गैर-जमानती प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए और तुरन्त जमानत कर देनी चाहिये और अपीलीय अधिकारी को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए न कि सरकारी।

अन्ततः, इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि कोई पुलिस कांस्टेबल भी संदेह के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। यहां यह दोषारोपण नहीं है। पहली नजर में ही यह एक आरोप है। आरोप लगाये जाते समय भी वे इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और इन पर मुकदमा चल रहे हैं। यह वांछनीय नहीं है। चूंकि इस विधेयक में कई खामियां हैं, अतएव मैं सरकार से इस सम्पूर्ण अधिनियम पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं और यदि आवश्यक हो तो इस विधेयक को चयन समिति के पास भेजकर और उसे एक व्यापक विधान सहित सभा में फिर से लाया जाए।

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर): सभापति महोदय, मैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 1993 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से

कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करने की सरकार की दृढ़निश्चयता को दर्शाया गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने से निःसन्देह कमजोर वर्गों के हितों की देखभाल हो सकेगी।

इस विधेयक के उपबंधों पर आते हुए यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है। जमाखोरों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान पर निगरानी रखना अत्यन्त आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। राज्य सरकारों को ही उचित कदम उठाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार को सप्लाई किये गये चावल का रंग ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के पास पहुंचने तक बदल जाता है। ऐसा मेरे निर्वाचन क्षेत्र बोलगीर में हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से इस बारे में ध्यान देने का अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि उन्हें 'वीकली मार्किटों' में दुकानें खोलनी चाहिए।

मुझे माननीय प्रधानमन्त्री और नागरिक-पूर्ति मन्त्री को ऐसे अपराधों से निपटने के लिए विशेष अदालत की व्यवस्था करने के लिए अवश्य बधाई देनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि मुकदमे का निर्णय जल्दी किया जाना चाहिए। इसके लिए समयबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसी अदालतों में शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।

उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों में लगे स्वैच्छिक संगठनों की मदद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि अदालत की स्थापना करने का उद्देश्य पूर्णतया सार्थक हो सके। जहां तक दण्ड देने के प्रावधान का सम्बन्ध है, इसे और अधिक सख्त होना चाहिए। जैसाकि इस विधेयक में सुझाव दिया गया है, न्यूनतम कारावास की अवधि तीन माह के स्थान पर छः माह होनी चाहिए।

अधिनियम के उद्देश्य में सरकार का दृढ़संकल्प स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए अपराधी की जमानत नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में जमानत याचिका पर सुनवाई राज्य उच्च न्यायालय द्वारा पदनामित एक विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जानी चाहिए। उसके अलावा यदि इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को दो बार सजा होती है, उसे दीर्घावधि के लिए जेल होनी चाहिए।

जिन कारणों से इस अधिनियम को पहले बनाया गया था, वे अब भी वैध हैं। जब देश को बाहर से और अन्दर से खतरा है और विकास और परिवर्तनों के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार की साहसिक पहल को चुनौती दी जा रही है, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए इस विधेयक के प्रावधानों के लागू रहने की अवधि को बढ़ाने का यही उचित समय है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि जब यह बिल सबसे पहले आया था और सदन में कानून बना तो हम लोग

गाव मे थे। इस कानून की चर्चा लोग करते थे कि यह एक अच्छा कानून बना है जिससे कम से कम हम लोग लिखेंगे तो काला धंधा करने वालो पर कार्रवाई हो जाएगी। ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह के कानून का उपयोग होने लगा। तो काले धन्धे पर रोक लगी थी। यह बात ठीक है कि कानून की लम्बी अवधि हो जाने के कारण—जैसा कि हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे—दुरुपयोग हुआ। मैं यह भी मानता हूं कि कानून बनते हैं लेकिन कानून के उपयोग और दुरुपयोग में व्यक्ति क्या करता है, यह अच्छी बात नहीं है। अगर ये नहीं बनें तो देश कैसे चले? इस संविधान के अन्तर्गत ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग न हुआ हो? क्या इसलिए कानून को हटा दें, नही। इसलिए कानून की आवश्यकताएं है। यह बिल आप 5 वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिए लाए हैं, इसलिए इसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, अभी लोढ़ा साहब बोल रहे थे कि सामाजिक न्याय के तहत इस कानून को हटाया जाये। लेकिन मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय के तहत यह कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अति आवश्यक है। अगर यह कानून न हो तो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग गांव मे रहने वाले छोटे व्यापारियो को पनपने तक नही दे सकते है। जब कानून बना है तो उससे डरोगे तो मैं चोर कहूंगा। यदि चोर यह कहे कि यह कानून मेरे लिए है तो बहुत गलत है। इसलिए यह कानून बनाना आवश्यक है और मै सीधे-सीधे यह बात कहना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस बिल का महत्व है क्योंकि यदि बड़ा व्यापारी कोई गलत काम करता है तो वह जेल जाएगा तो उनकी जमानत नहीं होगी। इसलिए जब हम चोर नहीं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): सभापति महोदय, मेरी समझ के बाहर है कि श्री नीतीश कुमार जी इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? हर पार्टी की कहीं न कहीं राज्य मे सरकार है। यद्यपि बिल केन्द्रीय सरकार बनाती है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है। बी०जे०पी० भले इसका विरोध कर सकती है इसलिए कि जब इसका सपोर्ट किया था तो इनकी राज्य सरकारों की संख्या 4 थी। अभी उनमें से कोई सरकार नही है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। यदि वे सरकारें रह जातीं तो शायद इस बिल का समर्थन करते।

एक माननीय सदस्य: हम तो पिछले साल से इसका विरोध कर रहे हैं...

श्री सैयद मसूदल हुसैन: लेकिन मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि यह मेरी समझ के बाहर बात है कि सचमुच इस कानून की कितनी जरूरत है? आप सबको मिलाकर एक काम्प्रेहेंसिव एक्ट बनाएं क्योंकि अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम मे 16-17 कानून बना है। इन सबको एक जगह लाईये और एक कानून के अन्दर रखिये ताकि सरकार का काम भी इसमे आसान हो और जो व्यापारी हो, उनका भी काम आसान हो।

सभापति जी, बी०जे०पी० के मित्र श्री मिश्र ने अपने विचार रखते हुए जिन व्यापारियो की बात कही, मैं उन व्यापारियों का सख्त विरोधी हूं, इसलिए यह कानून होना जरूरी है।

मिश्रा जी ने अपने विचार रखते हुए यहां कहा कि जो 18 लाइसेंस देने पड़ रहे हैं इनके लिए दस हजार रुपए घूस एक लाइसेंस पर देना पड़ता है। एक लाख अस्सी हजार घूस में चले गए और उसके बाद जनता जनार्दन की वह पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, स्कूल भी बनाते हैं, धर्मशाला, मन्दिर भी बनाते हैं इसी पैसे से और वह भी सही धन्धे के पैसे से इतना कुछ नहीं बन सकता है। एक-एक इस्पेक्टर को दस हजार रुपए घूस देते हुए 18 लाइसेंस लेना और उसके बाद हर महीने उसको पैसा देना और उसके बाद स्कूल, कालेज, रास्ते, मन्दिर बनाना इतना सब कुछ सही पैसे से नहीं होता है। उनके लिए यह कानून बहुत जरूरी है। हकीकत तो यह है कि यह कानून छोटे ट्रेडर के ऊपर ज्यादा लागू होता है। आपके जो आंकड़े हैं इनसे यह साबित हो जाएगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, उनको जो पकड़ते हैं और इसको अमेंड करते हुए खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने एक छोटा-सा शब्द इसमें जोड़ दिया है। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस सबको हटा दीजिए।

"इस्पेक्टर अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के रैंक से नीचे का नहीं हो।"

इसमें "और ऑथराइज्ड परसन" को हटा दीजिए। अगर पहला भाग रहे तो इस्पेक्टर के लिए छोटे-छोटे ट्रेडर के पास जाना बेइज्जती की बात होगी और वह बड़े ट्रेडर के पास जाएगा। बड़े-बड़े पैसे लेने जाएंगे और छोटे-छोटे दुकानदार जैसे हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि एक माचिस भी कम हो गई तो उसके लिए इनका प्रासीक्यूशन हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि पांच साल बाद आप इसको लागू करते हैं। कानून तो परमानेंट होना चाहिए। अगर चोरी खत्म हो जाएगी तो क्या आई० पी० सी० से 379 सेक्शन खत्म हो जाएगा।

5.31 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

चोरी खत्म हो गई तो क्या पर्टिकुलर सेक्शन ऐप्लिकेबल नहीं रहेगा? जो कानून आप बार-बार लाते हैं यह तरीका ठीक नहीं है। इसे परमानेंट बनाइए और "ऑथराइज्ड परसन" को हटा दीजिए, इतना कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति जी, यह बिल कालाबाजारी रोकने के लिए लाया गया है और यह बिल पांच वर्ष के लिए स्थायी तौर पर पास हुआ था और फिर इसको समय बढ़ाने के लिए यहां पेश किया गया है। एक बात साफ है कि जिस तरह से आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० परमानेंट है, उसी तरह से इस कानून को भी परमानेंट रहना चाहिए, हर पांच वर्ष बाद इसको लाना ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह कानून किस पर लागू होगा यह सवाल उठता है। बड़े व्यापारियों पर लागू हो या छोटे व्यापारियों पर, यह भी बड़ा प्रश्न है क्योंकि हमारे देश में बहुत छोटे-छोटे व्यापारी हैं और छोटे व्यापारियों को अगर इस कानून के तहत रखा जाएगा तो उससे देश में तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन अगर बड़े व्यापारियों के खिलाफ इस कानून को लाया जाएगा तो उससे समस्याएं हल होंगी। लेकिन यह कानून ऐसा बन गया है या जो पेश हुआ है वह ऐसा है कि इससे अधिक मात्रा में छोटे

व्यापारी ही मारे जाएंगे, बड़े व्यापारियों पर हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मेरी समझ से यह कानून फेल है। इसे ठीक तरह से सुधारकर लाना चाहिए। यह बिल अगर पास किया जाएगा तो इसमें देश में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इस कानून के मुताबिक पांच कौड़ी चीनी रखने वाला भी जेल चला जाएगा। इस कानून के मुताबिक दस टिन डालडा रखने वाला भी जेल चला जाएगा। यह स्थिति हो जाएगी लेकिन यह कानून अगर केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होगा जो दस हजार टन डालडा रखते हैं या दो हजार क्विंटल सामान रखते हैं, उन्हीं तक इसको सीमित रखा जाए तो इससे देश में समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन जहां तक बात मेरी समझ में आ रही है, यह कानून छोटे व्यापारियों को ही तबाह करेगा इसलिए इस कानून को ठीक ढंग से लाने की जरूरत है।

अभी हम किसान लोग जो सामान पैदा करते हैं और 15 एकड़ तक जमीन रखने का अधिकार लैंड सीलिंग एक्ट के मुताबिक एक किसान को है। इस हिसाब से 300 क्विंटल के लगभग अनाज एक किसान पैदा करेगा, इससे कम नहीं होगा। यदि 300 क्विंटल सामान रखने वाले किसान को इस विधेयक के तहत ले लिया जाएगा तो इससे किसानों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विधेयक में आप कोई सीमा बांध दें कि इतनी सीमा तक सामान रखने वाले किसान पर यह कानून लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई सीमा इस विधेयक में नहीं बांधी गयी है इसलिए इस कानून को पास करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

जहां तक गरीब लोगों के सामान रखने का सवाल है, वैसे तो देश में जन वितरण प्रणाली है और वैसा सामान यदि कोई दुकानदार बेचता है तो वर्तमान कानून के मुताबिक एक निश्चित सीमा से अधिक बेचने पर, चाहे वह अमीर दुकानदार हो या गरीब दुकानदार हो, उस पर मुकदमा चलता है, लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें भी एक वर्ग छूट जाता है जो वर्ग 30 या 40 रुपया प्रति बोरी चीनी में अपना हिस्सा लेता है या एक ड्रम तेल के ऊपर 200 रुपया लेता है। वह वर्ग साफ छूट जाता है और कहीं सरकार के हाथ नहीं चढ़ता क्योंकि वह उस सामान की रखवाली करने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो वही आदमी आवश्यक सामान की ब्लैक मार्केट कराने में अपना हाथ रखता है, जिम्मेदार होता है। इसलिए उस आदमी को पकड़ने के लिए भी वर्तमान विधेयक में आवश्यक व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और इसमें संशोधन करना आवश्यक है ताकि वह व्यक्ति भी इसमें फंस सके। यदि कोई कहता है कि छोटा व्यापारी ही किरासिन तेल में ब्लैक मार्केटिंग करता है, लेकिन छोटा व्यापारी खुद ब्लैक मार्केटिंग नहीं करता है बल्कि उससे ब्लैक मार्केटिंग करायी जाती है और नीचे से लेकर ऊपर तक आपके जितने अधिकारी इसकी रोकथाम के लिए बैठे हैं, उन सबका इसमें हिस्सा बंधा हुआ है, किसी को 10 रुपए, किसी को 20 रुपए और किसी को 30 रुपए उसे पहुंचाने पड़ते हैं। कोई 100 रुपए बोरा तक लेता है। मैं समझता हूं कि आपका एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो अपना हिस्सा न लेता हो, घूस न लेता हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक छोटे व्यापारी पर अगर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसका प्रावधान पहले से है तो केवल डीलर को ही इसका शिकार क्यों बनाया जाए बल्कि जितने अधिकारी और कर्मचारी उस सामान की सप्लाई के लिए जिम्मेदार होते हैं अंचलों में अंचल अधिकारी और जिलों में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अधिकारी और सोल हैड डी० एम० होता है, इन तीनों अधिकारियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन वे इसकी परिधि में नहीं लाए जाएंगे क्योंकि वे ही तो इस कानून की रखवाली करने वाले हैं। इसलिए वर्तमान कानून में और संशोधन लाने की जरूरत है, इन कमियों को दूर करने की जरूरत है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून को अगर बड़े व्यापारियों तक ही सीमित रखा जाए तो भी इसे नौन-बेलेबल रखा जा सकता है लेकिन यह कानून सरकार द्वारा आम व्यापारी के लिए लाया गया है, इसलिए मेरे मत के अनुसार इसे नौन-बेलेबल रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बेलेबल होना चाहिए, बेलेबल बनाया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि इस कानून में अपील का प्रावधान भी रहना जरूरी है। अपील का प्रावधान न रहने से संविधान का हनन होता है। संविधान के मुताबिक नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों को प्रोसीजर के मुताबिक अपील में जाने का अधिकार रहना चाहिए। वर्तमान विधेयक में सरकार ने यह अधिकार नहीं दिया है और अपील करने पर रोक लगा दी है, जिसे मैं संविधान की भावनाओं का हनन मानता हूं। इसलिए भी यह बिल पास करने लायक नहीं है।

इसमें एक और व्यवस्था की गयी है कि समरी ट्रायल के लिए पहले ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट को दिया जाता था या डी० एम० को यह अधिकार था, लेकिन वर्तमान विधेयक में ये अधिकार सैशन जज को दिए जा रहे हैं। सैशन जज जिले में बैठता है। यदि कोई गरीब आदमी इस कानून के तहत पकड़ लिया जाता है, किसी छोटे व्यापारी को यदि इसमें फंसा दिया जाता है तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वकीलों की फीस स्थानीय वकीलों की तुलना में दो गुना या तीन गुना अधिक होती है यानी अब उसे पहले से दो-तीन गुना ज्यादा फीस के रूप में वकीलों को देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इससे छोटा व्यापारी तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरा मत है कि जो व्यवस्था पहले थी, समरी ट्रायल के लिए ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट आदि को आपने अधिकार दिए थे, वही इस विधेयक में व्यवस्था रहनी चाहिए। इससे अधिक यदि आप बढ़ जाएंगे तो इसके दुरुपयोग की सम्भावनाएं अधिक हो जाती हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह कानून केवल बड़े व्यापारियों पर ही लागू होना चाहिए, छोटे व्यापारियों पर लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इस कानून को फिर से विचार करके नये सिरे से लाने की आवश्यकता है। इस समय जो विधेयक पेश किया गया है, उसमें कई कमियां मुझे दिखायी देती हैं, वह पास कराने योग्य नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सिविल सप्लाईज मिनिस्टर श्री एन्टनी साहब को जिन्होंने इस विधेयक को सदन के सामने पेश किया है, बधाई देना चाहता हूं, अभिनन्दन करता हूं क्योंकि हमने देखा है कि पूरे देश के लिये जब भी यहां कानून बनते हैं लेकिन उनकी इम्पलीमेंटेशन का काम, हर राज्य में वहां की राज्य सरकारों को करना पड़ता है और आज के हालात के अन्दर, गांवों से लेकर शहरों तक में जो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी गुनाह करते हैं, चोरी करते हैं, उनको कानून का डर होना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसके पहले भी कानून बनाया था, लेकिन हमने देखा कि जब यह कानून अमल करने का समय आया, तो केसेस तो हमने पकड़ लिए और लोगों को पकड़ लिया, लेकिन उनको सजा देने का काम, उनको कोर्ट में ले जाने का काम नहीं हुआ। जो कानून को अमल में लाने का काम है, जो उनके इम्पलीमेंटेशन का कानून है, वह नहीं होता है। चूंकि मैं महाराष्ट्र में सिविल सप्लाईज मिनिस्टर रहा हूं, इसलिए मुझे इसके बारे में मालूम है, इस बारे में जो कमियां रहती हैं, वे हमारी ब्यूरोक्रेसी के कारण रहती हैं। इसलिए मेरी मांग है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए भी इसमें सजा का प्रावधान करना चाहिए। जो इन्सपैक्टर जाता है, उसको भी यदि केस कोर्ट में न ला सके, तो सजा का प्रावधान होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इस पर हमारी सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। सस्ते दर पर गेहूं, चावल व अन्य खाद्यान्न उपलब्ध करवाने पर हमारी सरकार पूरे देश में करोड़ों रुपए खर्च करती है और बड़े पैमाने पर इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, लेकिन हमारे जो एम्प्लाइज होते हैं, उनकी वजह से यह सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि जो हमारे अधिकारी/कर्मचारी इस काम को देखते है, उनको भी सजा के प्रावधान में सहभागी बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से व्यापारी को 3 महीने की सजा होती है, तो इन्सपेक्टर को भी 3 महीने की सजा होनी चाहिए। यह बात मैं मानता हूं कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको सजा होना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो बम्बई में देखा है, जो लोग गोदाम में से ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, वही लोग हजारों बोरे गायब कर देते हैं और हालत यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए माल पहुंचता ही नहीं है। वह ब्लैक में ही चला जाता है, लेकिन किसी भी बड़े व्यापारी को कोई भी सजा नहीं होती है। इंसपेक्टर चाहे तो उसको अरेस्ट कर सकता है, एक कानून में नहीं, तो दूसरे में अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको कोई सजा नहीं होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका इम्प्ली-मेंटेशन हो और यह जो 5 साल की अवधि बताई गई है कि यह 5 साल के लिए होगा, मैं चाहता हूं कि यह तो परमानेंटली रहना चाहिए कि बड़े व्यापारियों में इस कानून की दहशत बनी रहे और जो भ्रष्टा-चार होता है, वह बन्द हो और भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का माल ब्लैक में जाता है इसके लिए सजा तहसीलदार देता है, फिर उसके ऊपर एस० डी० ओ० देता है और फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इस प्रकार के केसेस स्टेट के मिनिस्टर के पास जाते हैं, अब होता क्या है कि नीचे के अधिकारी सजा देते हैं उस सजा को स्टेट के मिनिस्टर माफ कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में दोषी है और उसको नीचे के अधिकारी ने सजा दी है जबकि उसे मन्त्री या कैबीनेट के मन्त्री छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास आकर आमदार कहेगा और दूसरे लोग प्रभाव डालेंगे, तो वह उस व्यापारी को जो वास्तव में दोषी होता है छोड़ देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि इसमें कानून ही अन्तिम अस्त्र होना चाहिए। इसमें राज्य के किसी मन्त्री की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें राजनीतिक आदमी को बिलकुल इंटरफीयर नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जो कलेक्टर होता है, वह व्यापारी को दोषी ठहराता है, लेकिन मन्त्री उसको छोड़ देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कानून में जो कमी है, उसको दूर करना चाहिए। जो ईमानदार व्यापारी होता है, उसकी इज्जत सभी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति गरीबों पर अत्याचार करता है, आवश्यक वस्तुओं की काला-बाजारी करता है, भ्रष्टाचार करता है, उसको सजा मिले और जो इम्पलीमेंट करने वाली अथारिटी है, उसको भी सजा मिले क्योंकि यहां सदन में बताने के लिए तो हमें बता दिया जाता है कि हमने एक हजार केस पकड़े हैं, लेकिन सजा एक को भी नहीं होती है। मेरा कहना है कि हम 25 केस पकड़ें, लेकिन 20 में सजा होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हो और जो भ्रष्टाचारी तथा कालाबाजारी करने वाले हैं, उनको सजा होनी चाहिए तथा यह जो बिल लाया गया है, इसका मैं सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं श्री नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह अधिनियम सबसे अधिक भयंकर है, यह अधिनियम सबसे बड़ा घातक है, यह अधिनियम व्यापारी विरोधी है। अगर मैं यह कहूं कि यह अधिनियम व्यापार विरोधी है तो भी अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह अधिनियम भ्रष्टाचार और इन्सपैक्टर राज को बढ़ावा देने वाला है।

मैं विरोधी पक्ष से खड़ा हुआ हूं इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि मैं सरकार की हर बात का विरोधी हूं। हमने सरकार की कुछ नीतियों का पक्ष भी लिया है। पिछले वर्ष हमारे वित्त मंत्री ने इन्डस्ट्रीज पर लाईसेंस की छूट दी, हमने उसका स्वागत किया। एक ओर लिबरलाईजेशन की नीति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली यह विरोधाभासी नीति हमारी सरकार की क्यों है ?

मैं सरकार का ध्यान 12 वर्ष पहले की ओर ले जाना चाहता हूं। 1981 में जब 1955 के एक्ट में संशोधन किया गया तो उस समय कहा गया कि यह पांच वर्ष के लिए अस्थायी रूप से बनाया जा रहा है। हम सरकार की नीतियों पर, सरकार की घोषणा पर किस प्रकार विश्वास करें। क्या क्रैडिबिलिटी है सरकार की ? उस समय यह नियम तब बनाया गया था जब देश में अनाज की कमी थी, सूखा पड़ा था। सप्लाई लाइन जारी रखने के लिए, ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए, उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तु दिलाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। आज सरकार ने स्वयं गेहूं का निर्यात हमारे देश से कर दिया है। यह सिद्ध करता है कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। जब खुद निर्यात करते हैं, आज की बदली हुई परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि इस नियम को हम दुबारा चालू करें। हमारा 1955 का जो अधिनियम है, उसके अन्तर्गत सारे नियम इस प्रकार के हैं जो इन सब चीजों को रोक सकते हैं।

मिश्रा जी ने कहा था कि हमारे देश में दस करोड़ व्यापारी हैं। अगर सही कहा जाए तो हमारे देश में सबसे बड़ा समुदाय व्यापारियों का है। आठ करोड़ व्यापारी छोटे, मध्यम और बड़े वर्ग के हैं। अगर एक परिवार के तीन व्यक्ति भी गिने जाएं तो 90 करोड़ की जनता में 25 करोड़ व्यापारी इस देश में हैं। व्यापारी इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। व्यापारी देशभक्त हैं, व्यापारी वितरण प्रणाली को बिल्कुल सुरक्षित करता है, व्यापारी ईमानदार है। आज अगर देश में व्यापारी न हो तो जो चीज मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में पैदा होती है, घर की ड्योढ़ी के बाहर हर समय उपलब्ध होती है, वह न हो। सरकार की राशन की दुकानों पर केवल 4-5 चीजें होती हैं। दिवाली की चीनी एक महीने बाद मिलती है। कहीं गेहूं नहीं है, कहीं चावल नहीं है। अगर और सारी चीजें सरकारी तन्त्र में चली जाएं तो इस देश का बंटाधार हो जाए।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मुझे लगता है कि सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को ऐबालिश करना पड़ेगा।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : वह तो करना ही पड़ेगा।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोक सभा में व्यापारियों की लाबी है इसलिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है। हमारे व्यापारियों का दुर्भाग्य यही है, आजादी के 45 साल बाद भी

इतने बड़े देश में इतना बड़ा व्यापारी समुदाय होते हुए भी लोक सभा में व्यापारियों की लॉबी नहीं है। जो व्यापारियों ने यह सोचा कि हम देशभक्त इतने हैं कि देश के राजस्व में सारा पैसा हमारा एकत्रित होता है और हमारे व्यापारियों की लॉबी नहीं है। इस लोक सभा में 16-17 व्यापारी चुनकर आये हैं। मैं लोक सभा सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि अब तक व्यापारियों को चोरबाजारी, बेईमान और चूसने वाला जो कहा जाता है, अब यह कहना सम्भव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब मिश्र जी बोल रहे थे···(व्यवधान)···मैं आत्मा की आवाज बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि व्यापारी स्कूल, कालेज, धर्मशालायें और मन्दिर बनाते हैं। आज मैं सच्ची बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। उधर से आवाज आई कि कालेधन की वजह से ये सब बनाया जाता है। मैं पूछना हूं कि किसी भी लोक सभा के सदस्य को कालाबाजारी कहने का क्या अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी लोक सभा की नींव काले धन से शुरू होती है? हम सर्टिफिकेट देते हैं कि 50 हजार और एक लाख रुपए इलेक्शन में खर्च हुए। मैं पूछता हूं कि क्या 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख से कम किसी लोक सभा चुनाव में खर्च हुआ है? पहले अपनी अन्तर्मुख देखो, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। कौन चूसता है? पुलिस चूसती है, सरकारी अधिकारी चूसते हैं, सेल्स टैक्स वाले चूसते हैं, इनकम टैक्स आफिसर चूसते हैं, सरकार चूसती है।

एक रिक्शा वाला अपने पसीने की कमाई से डेढ़-दो रुपए में चाय पीता है और हम लोक सभा के सदस्य 35 पैसे में चाय पीते हैं। वह चार रुपए में काफी पीता है और हम 65 पैसे में काफी पीते हैं। डेढ़ सौ रुपए में फाइव स्टार में जो खाना मिलता है वह हमें यहां 11 रुपए में मिल जाता है। कौन चूस रहा है? हम लोग चूस रहे हैं।

पहली बार मानव अधिकार पर कुठाराघात किया गया है। एक कलप्रिट किसी का मर्डर करके आता है तो उसकी बेल हो जाती है। इसमें जमानत नहीं हो सकती। दूसरे, आप अपील नहीं कर सकते। यह क्या है? अगर किसी के पास 200 बोरी गेहूं है, अगर रजिस्टर में 199 या 201 बोरी मिलेगा तो जेल हो जाएगी। यह क्या नियम है?

5 53 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

अब दूसरे सभापति जी को नमस्कार। स्टॉक उसका जब्त हो जाता है। उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, वे जेल में चले जाते हैं। स्टॉक जब्त होने से पेरिशेबल आइटम्स सड़ जाती हैं। 6-6 महीने जेल में रहने के बाद भी केस का निर्णय नहीं हो पाता है। जब तक वह स्टाक सरकार के कब्जे में रहेगा तो नुकसान तो होगा ही। इससे राष्ट्र की कितनी क्षति होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये सब चीजें इसके अन्दर हैं। अनाज अब सड़ जाता है तो वह किसी के उपयोग की वस्तु नहीं रहती है। इससे पैसे का भी नुकसान, राष्ट्र का भी नुकसान होता है और जनता को भी लाभ नहीं होता है।··· (व्यवधान)···इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने और श्याम बिहारी मिश्र जी ने जो आंकड़े दिये, वह आंकड़े मेरे पास भी हैं लेकिन उन को दोहराकर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आप अंदाजा लगाइये, एक लाख 60 हजार छापे पड़े, लगभग 6000 लोगों पर मुकदमे चले और उनमें से कलप्रिट है 288। तो एक लाख 60 हजार छापे पड़ने में कितना खर्चा हुआ, 6000 मुकदमों के चलने पर सरकार और व्यापारी का कितना खर्चा हुआ और केवल 288 लोगों को

मजा हो तो यह सोचने वाली बात है। एक आंखें खोलने वाला ज्वलन्त उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि इस नियम का कितना दुरुपयोग होता है। पिछले वर्ष जनवरी, 1992 में इसी नियम के अन्तर्गत दिल्ली के चावल व्यापारियों और अनाज व्यापारियों के ऊपर छापे डाले गये, समाचार पत्रों में एक सप्ताह तक बड़े-बड़े कालम्स भरे भरे गये, चीफ सैक्रेटरी और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के बयान दो-दो, तीन-तीन पेज के आते रहे, वह आंकड़े मैं देना चाहता हूं। 3 लाख 658 बोरियां पकड़ी गईं, क्योंकि वह इल्लीगली पकड़ी थीं तो दो महीने के बाद 2 लाख 75 हजार बोरियां छोड़ी गईं, क्योंकि इस कानून के अन्तर्गत उनको अधिकार नहीं था और जब वह हाई कोर्ट में गये तो बाकी सारी बोरियां भी उनको छोड़नी पड़ीं। इसका मतलब यह हुआ कि तीन लाख बोरियां पकड़ी गयीं, उसमें एक व्यक्ति पर भी जुर्म कायम नहीं हुआ लेकिन उससे यह हुआ कि वह एक्सपोर्टर्स थे, उससे हमारे देश की छवि विदेशों में बिगड़ी।

मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, बहुत से देशों के व्यापारियों ने हिन्दुस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया, इतनी छवि हमारे देश की बिगड़ी है, क्योंकि एल०सी० एक्सपायर हो गई थी, वह उसका उपयोग नहीं कर सके इसलिए···(व्यवधान)···आप अभी आये हैं इसलिए आपने देखा नहीं होगा कि मैं कितने मिनट से बोल रहा हूं। मैं एक मिनट और बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यहां सारा रिकार्ड है। हमें 6-30 बजे तक इस विधेयक को पारित करना है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रैस्टीज का का प्रश्न बनायें, सरकार को यह बिल पास करना है तो यह जरूर पास होना चाहिए। आपको सब की भावना देखते हुए एक उदार दृष्टि लेनी चाहिए और इस बिल को विदड्रा करना चाहिए, यह मेरी अपील है।

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस विधेयक में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और मूल्यों के विनियमन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस विधेयक में जमाखोरी और कालाबाजारी इत्यादि जैसी समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने का भी प्रावधान किया गया है।

माननीय मन्त्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि अधिनियम में किए गए इन सभी उपबन्धों के बावजूद भी क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम मे उल्लिखित ये सारी वस्तुएं क्या वास्तव में आम आदमी में वितरण के लिए उचित दर दुकानों पर पहुंच पाती है और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध होती है। क्योंकि केवल निर्धन व्यक्तियों के ही काम में आने वाला मिट्टी का तेल भी वहां उपलब्ध नहीं होता। हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं कि मिलावट के लिए सभी टैंकर सीधे पेट्रोल पम्प में जा रहे हैं।

मिट्टी का तेल उचित दर दुकानों पर बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है। यह गरीब व्यक्तियों तक पहुंच ही नहीं पाता। इस कार्य को देखने वाले नौकरशाही के सभी अधिकारियों और उचित दर दुकानों के सभी एजेंटों की आपस में सांठगांठ होती है जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी का तेल गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता।

6.00 म०प०

उसे केवल पेट्रोल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतः उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

चीनी के बारे में काफी कुछ कहा गया है। यह सच है कि 40 प्रतिशत चीनी को गरीब लोगों के लिए लेवी चीनी के रूप में सीधे तौर पर खरीदा जाता है तथा जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपए का निवेश करती है ताकि गरीब लोग इसे उचित मूल्य की दुकानो मे सस्ते दामों पर ले सकें, इस चीनी को व्यापारियों द्वारा सीधे तौर पर थोक में खरीदा जाता है। अतः यह सारी चीनी गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती। इसलिए यदि ये सारी वस्तुए, जोकि गरीब लोगों के लिए होती हैं, उचित दर दुकानों के माध्यम से उन्हें न मिले तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि जिस अधिनियम का हम उपयोग कर रहे हैं वह उपयोगी है या नहीं। चूंकि अधिनियम हैं इनमे दण्ड की व्यवस्था भी है लेकिन इस बात को देखना है कि क्या इसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। इस अधिनियम की धारा 15(क) मे प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, यदि वह कर्मचारी राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार की और यदि वह कर्मचारी केन्द्र सरकार का है तो केन्द्र सरकार की इजाजत लेनी होती है। ऐसी इजाजत कभी भी नहीं ली गई और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को कभी दण्डित नहीं किया गया है। इन सभी अपराधों के बावजूद मैंने कभी नही सुना या देखा है कि किसी अधिकारी को दण्ड दिया गया या इन कार्यवाहियों में संलिप्त किसी भी एजेंट को सजा दी गई। अतः यदि अधिनियम मौजूद हैं लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं होता है तो इस पर विचार किया जाना है कि क्या अधिनियम उपयोगी है या नहीं। यह मेरे प्रश्नों में से एक है जिस पर माननीय मन्त्री जी को विचार करना चाहिए।

संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाए जाने के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैंने विधेयक में पढ़ा है कि उच्च न्यायालय या सब-न्यायालय के समकक्ष पद का जज उसके लिए होता है। अतः यदि यह मुकदमा संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाए जाने का भी मामला है तो भी इस पद का जज निश्चित रूप से बेहतर विनिर्णय देगा। अतः मैं संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाए जाने सम्बन्धी उपबन्ध का समर्थन करता हूं।

गैर-जमानती अपराधों के बारे में एक उपबन्ध है। हम देखते हैं कि यदि अपराध जमानत योग्य है तो पुलिस को जमानत देने की इजाजत है। मैंने ऐसा हत्या के मामलों में भी देखा है, न्यायालय हमेशा जमानत दे देते हैं। अतः गैर-जमानती अपराधों के सम्बन्ध मे उपबन्ध होना चाहिए; अपराध जमानत योग्य नहीं होने चाहिएं।

यह कहा गया है कि अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिस आदमी पर मुकदमा

चलाया गया है वह उच्च न्यायालय में जा सकता है और उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ रिट याचिका दायर कर सकता है।

अतः विधेयक में जो भी उपबन्ध हैं वे अच्छे हैं। मेरी शिकायत केवल इसके क्रियान्वयन के बारे में है क्योंकि आपने जो व्यवस्थाएं की हैं उनके बावजूद यदि इसका क्रियान्वयन नहीं होता है तो अधिनियम अपने आप में उपयोगी नहीं है। अतः मेरा माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध है कि अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए भी कुछ आवश्यक उपबन्ध होने चाहिएं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का फिर से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, यह जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, इससे कहीं कोई मेरा विरोध नहीं है, इस कानून में 1981 में जो 2 वर्ष पहले जो 6 संशोधन किए गए थे, उनसे मेरा विरोध है। मेरा निवेदन यह है कि 18 कानून पहले से बनाए हुए थे, 1955 में, एक कानून और बन जाएगा तो ये 19 कानून हो जायेंगे। व्यापारी 19 कानूनों के 19 लाइसेंस की फोटो अपनी दुकान में लगाएगा, भले ही भगवान की फोटो न लगाए, व्यापारी इन लाइसेंसों के दर्शन पहले करता है, भगवान के दर्शन बाद में करता है। जो अधिकार पुलिस आफिसर को दिए गए हैं, वे अधिकार अगर लाइसेंसिंग अथारिटी के पास ही रहते और 1955 वाला कानून बना रहता तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। ये 6 जो संशोधन किए गए हैं, इनसे मेरा विरोध है। इसके अनुसार मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। यह बहुत साधारण सी बात है। इसी तरह से कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 7 वर्ष की सजा का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी गैर-जमानती होगी, इससे भी मेरा सख्त विरोध है। मामलों की पुनः सुनवाई किसी न्यायालय में नहीं हो सकती, इससे भी मैं विरोध प्रकट करता हूं। दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठान का सारा का सारा माल, जब्ती वाले माल के साथ वह दूसरा सामान भी हो सकता है, सब जब्त कर लिया जाएगा, यह प्रावधान भी उचित नहीं है। रीटेल प्राइस जो कलेक्टर तय कर देगा, उस कीमत पर सारा सामान बेचा जाएगा। प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होते ही पुलिस अधिकारी व्यापारी को पकड़ कर ले जाएगा, इन सारी चीजों से समस्या और बढ़ जाएगी। स्टाक जब्ती का कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में सौंप देने से कोई समाधान नहीं होगा।

इसके सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी तक 10,40,000 रेड्स पड़ी हैं, जिसके तहत 5046 गिरफ्तारियां हुई है और केवल 267 लोगों को सजा हुई है, अर्थात् केवल 5 प्रतिशत ही अपराधी पाए गए हैं।

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से हमको इस कानून को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे व्यापारियों को राहत मिलने वाली नहीं है। इस सम्बन्ध में 28 जुलाई, 1992 को व्यापारियों ने रैली भी निकाली है और 9 अगस्त से 19 अगस्त 1992 तक धरना दिया गया है। इस सम्बन्ध में 24 नवम्बर को भारत बन्द रखा गया, परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय, आज व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, लेकिन उसको हमेशा अपराधी समझा जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप 30 लोगों की एक समिति बना दीजिए, जिसमें 10 राजनेताओं को ले लीजिए, 10 कर्मचारियों को ले लीजिए और 10 व्यापारियों को ले लीजिए और एक सुप्रीम कोर्ट का जज ले लीजिए और जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन बेईमान है। आज कांग्रेस पार्टी व्यापारियों को बेईमान मानती है, आज यह माना जाता है कि सारा व्यापारी तबका बेईमान है, लेकिन मेरा मानना है कि व्यापारी तबका बेईमान नहीं है। व्यापारी को बदनाम करने का मतलब है भारतीय जनता को बेईमान कहना। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आप अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल कर व्यापारी जनता पार्टी रख लीजिए। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : किसी भी वर्ग को तकलीफ हो, किसी भी वर्ग की समस्याओं को उठाना हमारा धर्म है, इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता।

इसलिए मेरा निवेदन है कि 1955 का कानून रहने दिया जाए, उसी को चलने दिया जाए और जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, इनको वापिस लिया जाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार जी ने जो निरनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एन्टनी) : सभापति महोदय, मैं धैर्यपूर्वक उन सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी का आभारी हूं क्योंकि मैंने पाया कि माननीय सदस्यों से बहुत से बहुमूल्य सुझाव आए हैं। फिर भी मैं आज उनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि दिए गए बहुत से सुझाव सरकार के लिए भविष्य में दिशा-निर्देश का कार्य करेंगे।

महोदय, वास्तव में आज मुझे विस्तृत उत्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि इस विधान में कुछ भी नया नहीं है। वास्तव में यह पहले से चला आ रहा विधान है। यह पिछले 11 वर्षों से प्रचलन में है। हम केवल एक संशोधन, वह भी व्यापारी समुदाय की कुछ आशंकाओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं। असंख्य अधिकारियों से उत्पीड़न को टालने की दृष्टि से हम उनका क्षेत्र केवल पुलिस अधिकारी तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं जोकि स्टेशन का प्रभारी होगा या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति होगा, इसके बाद केवल वही हिरासत में ले सकता है। इसी कारण हम किसी संभावित उत्पीड़न को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा है पक्ष तथा विपक्ष के अधिकांश वक्ताओं ने बहुत से बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार की ओर से मैं इस पर गम्भीरता से विचार करूंगा तथा इसकी जांच करूंगा, हम दिशा-निर्देशों की भी पुनः जांच करेंगे। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ दुःखी मन से यह भी कहना चाहूंगा कि मैं श्री नीतीश कुमार जी और अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़ी तत्परता से सुन रहा था। उनमें से कुछ ने यहां तक कह दिया कि

यह नागरिक स्वतन्त्रता पर हमला है। मैं इसे नहीं समझ सकता और यह वक्तव्य उन सदस्यों पर प्रतिक्षेप होगा जिनके दलों की कुछ राज्यों में सरकारें हैं। मैं इस मामले को राजनीति का रंग नहीं देना चाहता लेकिन मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने सभी लोकतांत्रिक मानदण्ड तथा वे सभी मानदण्ड, जिनका संघीय प्रणाली में एक सरकार को पालन करना होगा, बनाए रखने के लिए अधिकाधिक प्रयास किए हैं।

यह विधान अचानक ही नहीं लाया गया। जैसाकि मैंने आपको बताया है कि यह पिछले 11 वर्षों से प्रचलन में है। जब इसकी अवधि समाप्त हो रही थी तो वर्तमान सरकार ने सोचा कि चूंकि यह विधान देश के एक बड़े वर्ग, सभी उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा अन्य सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा है इसलिए हमें सभी समुदायों के लोगों के साथ विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। अतः 1991 में ही अर्थात अगस्त, 1991 में केन्द्र सरकार ने वर्तमान विधान की व्याख्या, इसका प्रभाव तथा न केवल विधान की अवधि को बढ़ाने पर बल्कि विधान के सभी उपबन्धों की अवधि बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए एक पत्र लिखा। अतः किसी राज्य सरकार को इस पर हैरानी नहीं हुई। राज्य सरकार को नियंत्रित करने वाली किसी भी राजनैतिक पार्टी को हैरानी नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : क्या किसी राज्य सरकार ने इसका विरोध किया ?

श्री ए० के० एन्टनी : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं।

28 अगस्त, 1991 को लिखे गए एक पत्र में हमने राज्य सरकारों से निम्नलिखित पूछा :—

"मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान उपबन्धों के क्रियान्वयन में उनके अनुभव तथा अन्य कारणों की वे पुनरीक्षा करें और राज्य सरकारों/यू० टी० प्रशासनों के सुविचारित विचारों के बारे में हमें अवगत करायें, क्या ये उपबन्ध जारी रहने चाहिए, क्या समाज में असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए ई० सी० अधिनियम, 1955 के विद्यमान उपबन्ध पर्याप्त हैं तथा राज्य सरकारें/यू० टी० प्रशासन अधिनियम के विशेष उपबन्धों में कुछ संशोधनों/जोड़ने का सुझाव देना चाहते हैं।"

अतः राज्य सरकारों को यह कहने का अवसर दिया गया था कि क्या वे इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना चाहती हैं, क्या वे इसकी अवधि बढ़ाने का विरोध करते हैं या वे उपबन्धों में कोई संशोधन चाहती हैं। राज्यों में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार होने पर उनके कोई भेदभाव किए बिना सभी राज्य सरकारों को ये सभी अवसर दिए गए। हमें केवल तीन राज्यों, आसाम, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार की राज्य सरकारों से कोई उत्तर नहीं मिला। इन तीन राज्यों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया लेकिन किसी राज्य सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाए जाने का विरोध नहीं किया।

महोदय, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि न केवल केन्द्र में सत्तारूढ़ दल वाले राज्यों बल्कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसी अन्य राज्य सरकारों तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी अनुरोध किया था कि इस कानून को और पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। (व्यवधान) माननीय सदस्यों को इस

बात का विश्वास करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारें न केवल इस विधान का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि वे सत्ता में थी, बल्कि वे इस विधान के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार कर रही थीं। उसके बाद जब विधान की अवधि समाप्त होने वाली थी तब उन्होंने इसे और पांच वर्ष तक बढ़ाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि इस विधान को बढ़ाया जाता है तो काला-बाजारी और जमाखोरी करने वालों के साथ वे अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकेंगे।

इसलिए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी राजनीतिक दल, जिनका लोक सभा में प्रतिनिधित्व है, जैसे भाजपा, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक, का एक मत था कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए यह एक बहुत प्रभावी विधान है। अतः पहले तो इस कानून के लागू रहने की अवधि बढ़ाने पर सहमत होना और अब यह कहना कि यह नागरिक अधिकारों पर हमला है सही नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी राज्य सरकारें जब सत्ता में थीं तो वे इस विधान का उपयोग उन राज्यों के लोगों के नागरिक अधिकारों पर हमला करने के लिए करती थीं।

अतः, महोदय, यह कानून कांग्रेस पार्टी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह विधान भाजपा या जनता दल या किसी अन्य दल के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह कानून राष्ट्रीय हित में है और यह कानून भारत की आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए है, क्योंकि आपने अनुभव के द्वारा हमने यह महसूस किया कि 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम पर्याप्त नहीं है तथा प्रभावकारी नहीं है। यही कारण है कि उस अधिनियम में 1981 में संशोधन किया गया तथा यह पिछले 11 वर्षों से जारी था। अब हम इसे सिर्फ और पांच साल बढ़ाने का पुनः प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाए जाने, विशेष न्यायालय, जब्त करने सम्बन्धी शक्तियां तथा राज्य सरकारों को अपील सम्बन्धी जैसे कुछ उपबन्धों को लोप कर दिया जाना चाहिए। यदि इन सभी उपबन्धों को लोप किया गया तो इसका अर्थ है हम पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, हम आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की स्थिति में फिर पहुंच जाएंगे, जो कालाबाजारी तथा जमाखोरी रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि हमने यह संशोधन पेश किया है। इसलिए कृपया स्थिति को समझिए। यह राजनीतिक विधान नहीं है। इससे किसी पार्टी को फायदा नहीं होगा। सरकार आती-जाती रहती है। वर्तमान परिस्थितियों में हमें इसे जारी रखना होगा। मुझे यह जानकर खुशी है कि सभी दलों के सदस्य अब इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि इस समय सारे देश में कुल मिलाकर सप्लाई की स्थिति बढ़िया है। इससे मैं प्रसन्न हूं। उस हद तक कोई कीमतों में वृद्धि की शिकायत नहीं कर रहा है। आप बता रहे थे: "1981 में सूखा पड़ा था; तब कमी थी तथा कालाबाजारी होती थी। अब चीनी की अधिकता है, गेहूं की अधिकता है, चावल तथा सीमेंट की अधिकता है। हम इन वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। इसलिए इस कानून की आवश्यकता क्या है?" आप अप्रत्यक्ष रूप से यह बता रहे हैं कि हम वस्तुओं की अच्छी तरह व्यवस्था कर रहे हैं। एक सरकार के नाते हम मात्र इस कानून से सन्तुष्ट नहीं हो सकते है। हम बेहतर स्थिति में हैं। इस वर्ष आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के सम्बन्ध में हम बेहतर स्थिति में हैं। परन्तु हमें सावधान अवश्य रहना चाहिए। हम एक बार के आधार पर लम्बी अवधि के निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमें भविष्य के लिए

सोचना होगा । यह विधान अगले पांच वर्षों के लिए है । इसे जारी रखना होगा । एकमात्र शिकायत जिसमें श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 11 वर्षों की अवधि के बावजूद हमें अब तक इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है । आंशिक रूप में यह मेरा भी मत है । परन्तु कृपया समझें कि हम यद्यपि कानून पारित करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं । अन्ततोगत्वा इसे लागू करना राज्य सरकार का दायित्व है । केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया है कि वह इसको ज्यादा प्रभावकारी ढंग से लागू करें, ज्यादा राजनीतिक इच्छा दिखाएं तथा कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों से अत्यधिक दृढ़ता से निपटें । अतः हमारे साथ सहयोग कीजिए । हम सभी राज्य सरकारों से अब से अधिक प्रभावकारी होने का अनुरोध करते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कानून पर्याप्त नहीं है । यह आवश्यक है । परन्तु हम उनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि संसद का यह मत है कि चीजें आशानुरूप तेजी से आगे नहीं बढ़ रही हैं । कृपया कठिनाई समझें । इन सब शक्तियों के बावजूद कालाबाजारी करने वाले, जमाखोर तथा मुनाफाखोर इस कानून के उद्देश्यों को विफल करने में अत्यधिक आगे हैं । हमें यह कानून बनाने दीजिए; हमें इसे लागू करने में अधिक सफल बनाने के लिए इसे एक साथ पारित करना चाहिए । आपके सुझाव नोट कर लिए गए हैं । हम ईमानदारी से उन पर विचार करेंगे ।

राज्य सरकारों को दिशा-निर्देशों के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए । ईमानदार व्यापारी, ईमानदार व्यवसायी तथा लोग जो अपना व्यवसाय कानून के अनुसार कर रहे हैं, धन लेने के लिए उत्पीड़ित नहीं किए जाने चाहिए । इसके साथ ही जमाखोर, मुनाफाखोर तथा कालाबाजारी करने वालों पर दया न की जाए तथा उन्हें दण्ड देना होगा ।

श्री नीतीश कुमार जी, मेरा अनुरोध है कि आप कृपया अपना प्रस्ताव वापस ले लें तथा हमें इसे सर्वसम्मति से पास करने दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी की बात मैं मान लेता, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन खराब सोहबत में हैं ।

[अनुवाद]

एक अच्छा आदमी बुरी संगत में । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालें । इस विधेयक को 6.30 म० प० तक आज ही पारित करना होगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : यदि आप व्यवधान डालते रहेंगे तो इससे मन्त्रियों के लिए परेशानी पैदा होगी । उन्हें फिर फोन करना पड़ेगा और उन्हें सदन में पुनः आना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

मन्त्रियों की भी दुर्गति देख ली, अन्तिम समय में आना पड़ता है। मन्त्री जी ने हमारी बातों का सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। अब मेरी शिकायत तो इनसे है ही लेकिन जिन्होंने इसका समर्थन किया उनसे भी कम नहीं है। अब यह बिल जिस उद्देश्य के लिए था कि लोग हरास न हो और कंज्युमर के इन्ट्रेस्ट का प्रोटेक्शन हो, कामन मैन इन्ट्रेस्ट का प्रोटेक्शन हो और पुलिस राज कायम न हो। हमारी शिकायत इस बात को लेकर थी कि इन्होंने कहा कि सब सरकारें चाहती हैं और मैंने भी प्रारम्भ में यही कहा था कि इस प्रकार के एक्ट को सब सरकारें चाहती हैं। चाहे उसका पॉलिटिकल कलर कुछ भी हो, चाहे तिरंगा हो, या भगवा हो, सब सरकारें चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत चारों सरकारों ने इसके पक्ष में लिखा है। हम तो इस मामले से अलग हैं। हमारे बिहार सरकार ने अपनी कोई राय नहीं दी। इसलिए हम लोग इसका कन्टीन्यूशन नहीं चाहते थे। जो संकल्प निरनुमोदन के लिए इसके खिलाफ दिया, वह कितना जस्टीफाईड है कि बिहार के एम० पी० का ही मॉरेल राईट है इस बात को रखने का कि इसको आगे कंटीन्यू न किया जाए। बिहार सरकार ने जन भावनाओं को देखते हुए अपनी राय नहीं दी। बी०जे०पी० को इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है जब चारों राज्य सरकारों ने पक्ष में राय दी थी। मेरी अपनी पार्टी के श्री श्रीकांत जैना ने ठीक कहा है कि बी० जे० पी० को अपनी पार्टी का नाम व्यापारिक जनता पार्टी रख लेना चाहिए। हम तो आम आदमी के इन्ट्रेस्ट को रिप्रेजट करने के लिए आए हैं, हम लोग व्यापारियों के खिलाफ नहीं हैं? हमने यह संकल्प रखा है··· (व्यवधान)···जिस प्रकार से इस देश में जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 संविधान में है, उसी तरह से जनता दल के संविधान में उड़ीसा के जनता दल के लिए धारा 370 है। इसलिए कृपा करके बार-बार उड़ीसा के बारे में मत पूछिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

बीजू बाबू कुछ बातों से ऊपर हैं। आप बीजू बाबू को जानते हैं। बीजू बाबू वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। आप नियमित रूप से उन पर क्यों टीका-टिप्पणी करते रहते हैं?

[हिन्दी]

हम लोगों की हैसियत है बीजू बाबू पर बोलने की? यह तो उड़ीसा का सौभाग्य है कि उन्होंने वहां का मुख्यमन्त्री पद स्वीकार किया है। ऑफ्टर—नेहरू हूं? तो उनका नाम आता था, आप किताब पढ़ लीजिए, उसमें नाम था। ऐसे बात समझा करिये।

सभापति महोदय, हमारा विरोध करना बिल्कुल जस्टीफाईड है हमने इसीलिए इस संकल्प को रखा लेकिन इन्होंने हमारी एक भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इनको कुछ बातों को कभी-कभी स्वीकार करना चाहिए। अब एक जिस में गड़बड़ी हुई तो पूरा स्टॉक ही जब्त कर लिया, यह नहीं करना चाहिए यह गलत है। फिर आपका समय कम है, हम अपनी बात को सूत्र में रख देते हैं।

दूसरी बात यह है कि ज्युडिशियल अपील का राईट नहीं। यह कम से कम जरूर होना चाहिए। ये दो बातें ऐसी हैं कि जब किसी राज्य में किसी व्यापारी को तंग करना है, तो उसके पास चन्दा लेने

के लिए चले गए। आपने कहा कि यह कानून कंटीन्यूंग लेजिस्लेशन है। अगर जरूरत है तो परमानेन्ट स्टेचुअरी बुक में डालिये सिर्फ पांच साल के लिए नहीं। यदि 1955 का एक्ट सफिशियंट नहीं है तो उसमें कम्प्रीहेंसिव बिल लाकर अमेंडमेंट कर दें। इससे पैनिक क्रिएट होता है और जेनुअल ट्रेडर्स हेरास होता है। यह बात हम और आप अलग-अलग बैठकर डिबेटिंग प्वायंट स्कोर करने के लिए कर लें लेकिन जो फैक्ट्स हैं, लोगों को हेरास और पनिश किया जाता है। मैं आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता कि एक लाख 64 हजार रेड्स में मात्र 200 से कुछ अधिक लोगों को ही सजा मिली। इसका मतलब साफ है कि या तो घूंस लेकर छोड़ दिए जाते हैं या घूंस के लिए पकड़ा जाता है। इसमें कोई और बात नहीं हो सकती है। हम इस बात को जानते हैं और इस बात को उठा रहे हैं कि हमारे बिहार में व्यापारी वर्ग के लोग सामाजिक न्याय में आते हैं, मण्डल में आते हैं…

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार से सभा, सदन का समय तब तक बढ़ाने के लिए सहमत है जब तक कि विधेयक पारित नहीं हो जाता है।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जैसा खण्डेलवाल जी, मिश्रा जी बोल रहे थे, ऐसे लोग व्यापारियों में नहीं आते हैं। हमारे यहां व्यापारी लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। बनिया लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसके नेता श्री सीता राम केसरी हैं ये पिछड़े वर्ग मे आते हैं। उनको ज्यादा हैरेसमेंट न हो इसलिए बिहार में आपको नहीं भेजा है, हम भी उसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए कि मिश्रा जी कह रहे थे कि हम जमाखोरों के अध्यक्ष हैं। मैंने कहा कि आप ऐसा मत कहिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मैंने नहीं कहा कि मैं जमाखोरों का अध्यक्ष हूं। आपने टिप्पणी की तो मैंने कहा कि आप मुझे ऐसा कह रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : मुझे मालूम नहीं मिश्रा जी कहां के व्यापारी हैं। ये व्यापारियों के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही चार वर्ण बनाए—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वैश्यों के भी अध्यक्ष ये ब्राह्मण बन गए। मगर क्या करें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : वैश्य अलग है और व्यापारी अलग है। व्यापारी में हर वर्ग के लोग आते हैं। उसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आते है, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, सारे लोग उसमें आते है। आपकी पार्टी हमेशा देश को इसी प्रकार से बांटती रही है और व्यापारी समाज को भी बांटने का प्रयास आप कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, कृपया मुख्य बात से इधर-उधर मत भटकिए। अब आप अपनी बात को समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, आपने देख लिया मिश्रा जी अपनी बात छिपा नहीं पाए। मैंने तो यही कहा कि वर्ण व्यवस्था है लेकिन इसके भी अध्यक्ष ये ही बन गए। इसलिए अब व्यापारियों का क्या होगा हम नहीं जानते। इतना शोषण, कि एक तरफ बैठकर नरसिंहराव जी ऐसे कानून बनाते हैं और चन्दा नहीं दें तो पकड़कर बन्द कर देते हैं और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष मिश्रा जी बन जाते हैं। इस चक्की के पाट में बेचारे व्यापारी वर्ग को पिसना है इसलिए उसकी निजात के लिए हम यह संकल्प लाए और बिहार सरकार ने इस पर अपनी राय नहीं दी। इसलिए दोनों एक-दूसरे के साथ ट्यूण्ड हैं।

सभापति महोदय : आपने सब पाइंट्स कवर कर दिए हैं।

श्री नीतीश कुमार : मैं अन्तिम बात कहकर समाप्त करूंगा। ऐंटोनी साहब ने अपने जिक्राई में सिविल लिबर्टीज की बात कही। हम ऐंटोनी साहब को जानते हैं। ऐंटोनी साहब ने उस समय के उतने बड़े नेता की तानाशाही स्वीकार नहीं की थी और इस्तीफा दे दिया था। हम जानते हैं कि आपका विश्वास सिविल लिबर्टीज में है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आप उसका वॉयलेशन नहीं होने देंगे, हमें आप पर विश्वास है। अगर सचमुच सिविल लिबर्टी की बात कभी आपके सामने आई तो आप मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देंगे इसलिए हम इस पाइंट को इंफेसाइज कर रहे हैं और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको इस्तीफा देने की नौबत न आए। आपने मुख्य मन्त्री पद से इस्तीफा दिया और इतना समय लगा आपको यहां कैबिनेट में आने में, तो हम नहीं सोचते कि आप फिर से यहां से इस्तीफा करके चले जाइए। इसलिए हम इस पाइंट को बार-बार इम्फैसाइज कर रहे हैं कि आप इस कानून के स्थान पर एक कांप्रिहेन्सिव बिल लाएं और इस बिल को छोड़ दें। ऐसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट कर कांप्रिहेन्सिव बिल लाए और आर्डिनेन्स को लैप्स हो जाने दें या इसे किसी ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी को रेफर कर दें और उसमें हर पाइंट पर तय हो जाए और बाद में एक अच्छा बिल आ जाए जिसमें आम लोगों के हित की रक्षा हो और सचमुच जो ईमानदार ट्रेडिंग कम्यूनिटी के लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। वह भी समाज के अंग हैं, उनका हम जितना मजाक उड़ा लें, जितनी गाली दे लें लेकिन उनके बिना काम चलने वाला नहीं है। अगर उनके बिना किसी का काम चलता है तो वह हम जनता दल और कुछ वामपंथी हैं। ऐसा न हो तो चन्दा इनको भी देना है और उनको भी देना है। इनमें और उनमें फर्क यह है कि चन्दा देकर ये लोक सभा में उनकी बात बोल रहे हैं लेकिन चन्दा देने के बाद उन पर दमनचक्र चलाते हैं। उससे अलग हम ही लोग हैं जो उनके खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी लिबर्टीज पर कोई आक्रमण नहीं हो और आम जनता का हित हो। चूंकि मन्त्री जी ने किसी बात का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है, इनकी पूरी बात मैंने सुनी है, इनके व्यक्तित्व को छोड़कर इनकी कोई बात हमको प्रभावित करने वाली नहीं है, इसलिए मैं मजबूर हूं और पूरे अदब के साथ, मेरे हृदय में मन्त्री जी के लिए पूरा सम्मान है, लेकिन इस सबके बावजूद मैं अपने संकल्प को वापस लेने की स्थिति में नहीं हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 जनवरी, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करेंगे। परिचालित करने के लिए यही संशोधन दिए गए हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति जी, मुझे निवेदन करना है कि चूंकि यहां माननीय मन्त्री जी ने चर्चा का उत्तर देते हुए हमारी किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया, आखिर इस विधेयक में 5 वर्ष की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या वे कोई काम्प्रीहेंसिव बिल लायेंगे या नहीं। इतने सारे कानून पहले से होते हुए, सामाजिक न्याय की दृष्टि से, इस बिल की उपयोगिता क्या है। इसलिए हमारा मत यह है कि इससे किसी भी प्रकार उपभोक्ताओं का हित होने वाला नहीं है और न इससे व्यापारी समाज को कोई लाभ मिलने वाला है। वैसे मन्त्री जी ने आम जनता को लाभ मिलने वाली बात कही है, लेकिन उनके उत्तर से वह भी सही सिद्ध नहीं हो पाती। पहले से ही हमारे देश में इतने कानून है, उनके रहते हुए, इस नये कानून के द्वारा पांच वर्ष की वृद्धि का प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय गुमान मल लोढा जी ने कहा, जो स्वयं एक विधिवेत्ता हैं कि इस बिल से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार समरी ट्रायल और अधिकार ट्रांसफर करने वाली बात कही गई है, उससे आम जनता का हैरेसमैंट होगा, उनका हित इससे सिद्ध नहीं होता है अत हम इस बिल के पारित होने में भागीदार नहीं होना चाहते और सदन से वाक-आउट करते हैं।

6.37 म० प०

इस समय डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री श्याम बिहारी मिश्र तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री मोहन सिंह, श्री दाऊ दयाल जोशी तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, 4, 7 तथा 8 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : अब खण्ड 4 ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन—अनुपस्थित

श्री गिरधारी लाल भार्गव—अनुपस्थित

सभापति महोदय : खण्ड 5 में कोई संशोधन नहीं है । मैं खण्ड 4 तथा 5 को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 तथा 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़े दिए गए ।

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० के० एन्टनी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा के विषय को लेंगे। अब डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति जी, दिनांक 1 मार्च को, विद्युत मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया जो सूचना दी, वह उत्तर अपूर्ण था, तथा सदन में जो जानकारी मांगी गई थी, वह जानकारी हमे नहीं दी गई। उस प्रश्न के ऊपर, सदन मे जिन अन्य माननीय सदस्यों ने उसमें सप्लीमेंटरी प्रश्नों के जरिए भाग लिया, उन सदस्यों के भी पूरक प्रश्नों का उत्तर मन्त्री जी द्वारा समुचित रूप से नही दिया गया। इसी कारण यहां पर आज आधे घण्टे की चर्चा के द्वारा, इस विषय को फिर से प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कृपया इस तरह मार्ग में खड़े न हों? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, या सभा से बाहर चले जायं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हू कि देश में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है, मात्रा में, जिस परिमाण में हमारे यहां विद्युत का उत्पादन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है और इसके कारण किसान जिस प्रकार से उन्नति करना चाहते हैं, वह उस प्रकार से उन्नति नहीं कर पा रहा है और न ही उद्योग जिस प्रकार से बिजली चाहते है उनको उस प्रकार से बिजली मिल रही है और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी आगे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की निश्चित संभावना है और पड़ा भी है। वर्तमान में जो विद्युत उत्पादन है वह केवल हमारी मांग की पूर्ति में 60 या 65 प्रतिशत से अधिक नहीं है और हमारी जितनी उत्पादन की क्षमता है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है और कई ऐसी परियोजनाएं है जिनको राज्य सरकारों मे केन्द्रीय सरकार को भेजा है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको अब तक स्वीकृति नहीं दी गई, इस कारण वे अधूरी है। यह भी उत्पादन की दिशा मे इस प्रकार से अवरोध की स्थिति पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश की कई योजनाएं केन्द्र के पास विचाराधीन हैं।

मैं प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैंने विद्युत मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि विदेश की कितनी ऐसी कम्पनियां है जिनको आपने इस बात का ठेका दिया है कि वे भारत में आकर विद्युत परियोजनाओं को हाथ मे ले ठेका लें। वैसे ऐसी कई परियोजनाएं है, लेकिन उत्तर मे केवल 3 का ही उल्लेख किया गया है जिनमें से एक तामिलनाडु मे एक आंध्र प्रदेश में और एक महाराष्ट्र मे है। एक

कम्पनी को 750 करोड़ का ठेका दिया गया है, दूसरी को 7 हजार 800 करोड़ का ठेका दिया गया है। इनमें दो यू०एस०ए० की कम्पनी है और एक दूसरी कम्पनी है जो भारत की है, वह भी विदेशी कम्पनी के साथ। मेरा निवेदन यह है कि भारत में भी ऐसी कम्पनियां हैं या ऐसे उद्योग हैं जो इस काम को पूरा करते हैं। भोपाल स्थित हैवी इन्जीनियरिंग, भेल तथा हैवी इन्जीनियरिंग रांची, ये दोनों हमारी ऐसी कम्पनियां हैं, जो विद्युत उत्पादन की दिशा में हमें पूरी-पूरी मदद कर सकती हैं और पूरा-पूरा काम भी कर सकती हैं। दोनों कम्पनियां ऐसी कम्पनियां हैं, जो न केवल भारत की आवश्यकता की बिजली के उत्पादन में जो संयत्र लगते है या जिस प्रकार के अन्य उपकरण लगते हैं, उनको, अपितु विश्वभर में बिजली के उपकरणों की सप्लाई भी इसने की है और अभी भी विदेशों में भेल और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा संगठनों का उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि हमारी देश के कम्पनियों पर हमें विश्वास नहीं रहा और विदेशी कम्पनियों को ठेका देना पड़ा और वह भी बहुत बड़े परिणाम में? क्या यह कहा जाए कि विदेशों से ऋण प्राप्त करने के लिए विदेशी कम्पनियों को ठेके देना आवश्यक था या आई०एम०एफ० की कुछ ऐसी अनिवार्य शर्तें थीं जिनके कारण विदेशी कम्पनियों को ठेका देना आवश्यक हो गया है या हमारे स्वदेशी तन्त्र में वह क्षमता नहीं रही है और वह इतना दुर्बल हो गया है कि वह इसको नहीं कर सकता है या हमारे इन्जीनियर और विद्युत उत्पादन करने वाले अन्य लोगों के ऊपर आपका भरोसा नही है और इस कारण इस प्रकार से विदेशी कम्पनियों को ठेका देकर हमारे यहां के स्वावलंबन पर चोट कर रहे हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं। एक नहीं 3 तो इन्होंने अपने उत्तर में बताई हैं। ऐसे कई है जिनसे चर्चा चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे हाथ में यह 30 अप्रैल की नवभारत टाइम्स की कटिंग है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के विद्युत मंत्रालय ने एक साथ 6 विदेशी कम्पनियों को विद्युत निर्माण का ठेका देने का निर्णय किया है। इसमें 6 के नाम आ गए हैं। पहले अपने उत्तर में 3 बता ही चुके हैं। विश्व बैंक से 14 परियोजनाओं में हमें सहायता मिलनी है। इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जिनको आप विदेशी कम्पनियों को देने जा रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको स्पष्ट करें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची या भेल क्या अक्षम थीं, क्या उनको उपकरण बनाने का या संयंत्र की सामग्री का काम नहीं दिया जा सकता था? क्या कोई निजी कम्पनी ऐसी नहीं है, जो काम को आकर कर सकती, इस काम को हाथ में लेती?

जहां तक मेरी जानकारी है मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजना को हाथ में लेने के लिए महेश्वरी परियोजना की एक निजी कम्पनी ने हाथ में ले लिया है। उसको उन्होंने हाथ में लिया है और पूरा करने का काम प्रारम्भ किया है। इस प्रकार की कई ऐसी निजी कम्पनियां भी हो सकती हैं जो स्वदेशी हैं। वह भी काम पूरा कर सकती हैं, आपको विदेशों के सामने जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे यहां ऐसे विशेषज्ञ हैं, कम्पनियां वे कार्य कर सकती हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि जब आप समझौता करने जा रहे हैं तो उससे हमारे यहां का कितना विद्युत उत्पादन बढ़ेगा और हमारी कितनी आवश्यकता की पूर्ति होगी? जो ठेके दिए जा रहे हैं, उसमें एक बात कही गई है कि 50 वर्ष तक उनको पूरी स्वायत्तता दे दी गई है,

जो जैसा चाहे करें । जैसा मैंने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसका बिल स्वीकार हुआ है, उस सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि वहां पर जो मेन पावर स्टेशन बनाया, सारी तकनीक उनके पास रहेगी । आपके पास कोई तकनीक भी नहीं रहेगी । उनके हाथ में सोचकर सारी विदेशी कम्पनियों को ठेका देकर, जो विद्युत जाल है, उसके अन्तर्गत विदेशी तकनीक लाकर देश के भविष्य को भी उनके हाथ मे देना चाहते हैं ।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार से विदेशी कम्पनियों को ठेका देना हमारे स्वावलंबन पर सीधा आघात नहीं है ? विदेशी कम्पनियों के साथ आपने जो ठेका किया है, उनके टर्म्स एण्ड कन्डीशन क्या हैं ? किन-किन आधारों पर समझौता किया गया है, कितने समय के लिए किया गया है, किस स्थिति में किया गया है ? क्या यह सही नहीं है कि विदेशी कम्पनियों को जो ठेका दिया गया है, वे सारे उपकरण अपने ही लाकर लगाएंगे और हमारे स्वदेश में जो उत्पादित हो रहा है, वह माल नहीं लगाएंगे । वे कहेंगे कि यह तो लो क्वालिटी का है, ठीक नहीं है, हमारे स्तर का नहीं है । ऐसा कहकर हमारे माल को रिजैक्ट करके अलग कर देंगे और सारा माल बाहर से आयात होगा । हमारे यहां के उद्योग विशेषज्ञ या कम्पनियां जिनके बारे मे मैंने कहा, बाहर निर्यात कर रहे हैं । बाहर के ठेके ले रहे हैं, वहां पर जाकर विद्युत योजनाओं और अन्य योजनाओं मे काम कर रहे हैं । वहां पर बड़े-बड़े कार्य कर रहे हैं लोकोमोटिव्ज देकर रेल परिचालन में काम कर रहे हैं और यहां हम कह रहे हैं कि वे अक्षम हैं, हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट जानना चाहूंगा कि वे क्या करने जा रहे हैं ?

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आजकल विदेशों में भयंकर मंदी विद्युत क्षेत्र के उद्योग में है । इसलिए वे विद्युत कम्पनियां हमारे यहा आकर घुटने टेक रही हैं और आप उनसे प्रभावित होकर कि चलो अच्छा है पैसा आ रहा है, उदारता बरत रहे है । आपकी वह उदारता देश की स्वायतता और स्वावलंबन को सीधा धोखा दे रही है, सीधा आघात कर रही है ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिन सदस्यों ने अपने नाम सुबह 10.00 बजे से पहले दे दिए हैं, केवल व ही प्रश्न पूछ सकते हैं, और कोई नहीं ।

(व्यवधान)

यह आधे घण्टे की चर्चा है, पूर्ण चर्चा नहीं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं भी श्री पाण्डेय ने जो बातें उठाई हैं, उन्ही को दोहराना चाहता हूं । विद्युत परियोजना का जो समझौता विदेशों से किया जा रहा है, वह क्यों किया जा रहा है ? जैसा आप बता रहे थे कि 50-50 वर्ष तक वे जैसा चाहें वैसा करेंगे, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी विद्युत मन्त्री बताएंगे । मेरा निवेदन है कि भारतवर्ष में जब भेल और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन मौजूद है, उनको आर्डर नही मिल रहे हैं और हम विदेशों को आर्डर दें, यह उचित नही है । दोनों संगठन आज भूखे मर रहे हैं, उनकी हालत है और विदेशों को हम यहां पर ला रहे हैं । मेरा सवाल है कि हम फोरन कम्पनियों से समझौता क्यों करते हैं ? समझौता उस समय किया जाए जब भारतवर्ष में कोई सामान उपलब्ध नहीं हो या कोई सामान सस्ता मिलता हो ।

हम विदेशों से जो सामान लेते हैं वह 20 गुना महंगा मिलता है। यह हमारे स्वावलम्बन को चोट पहुंचाता है। भारत में विद्युत का उपयोग बनये, उस पर ध्यान न देकर विदेशों को वे सारे उद्योग देंगे और विदेशों से केवल कर्जा लेने के कारण और दूसरे दबाव के कारण कुछ करेंगे तो वह मुनासिब नहीं होगा। देश में जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उसकी ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें। अगर वहां विदेशों में कोई चीज सस्ती मिलती है तो समझौता कीजिए। निश्चित रूप से माननीय मन्त्री जी हमारी इन बातों का उत्तर देंगे।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इस समय कितने बिजली परियोजनायें अधूरी पड़ी हुई है ? उसके क्या कारण है ? कुल कितनी विदेशी कम्पनियो से किन-किन परियोजनाओं के लिए कर्जे लिए गये ? क्या इसके लिए विदेशों से उधार लिया जाता है ?

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज किसान इतने बेहाल हो गए हैं उसका कारण है कि उनको अपनी उपज की उचित कीमत नहीं मिल रही है। इसका एक कारण यही है कि हम स्वावलम्बी बनना नहीं चाहते हैं। माननीय मन्त्री जी ने जिस तरह से विदेशी कम्पनियों को आकर्षित किया है, वह हमारे देश के लिए सही नहीं है। किसानों को आज मारने वाली हालत हो रही है। अगर किसानों को सही तौर से बिजली और पानी मिलेगा तभी वे उत्पादन ठीक से कर सकेंगे और हमारा देश स्वावलम्बी बन सकता है। मेरा कहना यह है कि केन्द्र गुजरात के साथ और गुजरात ने सौराष्ट्र के साथ हमेशा अन्याय ही किया है। वह ज्यादा देर तक सहन नहीं किया जा सकेगा। अगर ऐसा ही रहेगा तो लोग अलग से एक स्टैण्ड लेंगे। वह मैं अभी नहीं बता सकूंगी।

गुजरात में ऐसी कई योजनायें हैं जिनको अब तक पूरा नहीं किया गया है जैसे पिपावाव गैस आधारित विद्युत योजना। इसको केन्द्र ने मान्यता तो दे दी है लेकिन गैस नहीं मिलने के कारण वह पूरी नहीं हो पायी है। क्या सरकार इसको पूरा कराने के लिए जल्दी से जल्दी कोई स्टैण्ड लेने वाली है या नहीं ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि जो विदेशी पूंजी निवेश हमारे देश में हो रहा है और पब्लिक सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश जिस तरह से हमारे देश मे करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में मंत्री जी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करें। सवाल के जवाब में मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि तीन प्रोजेक्ट्स के लिए समझौता तीन कम्पनियों के साथ हो गया है। दो अमेरिकन कम्पनियां हैं और एक दूसरी कम्पनी है। हमारे देश में जितनी बिजली की जरूरत है, वह अवश्य ही पूरी होनी चाहिए। अगर बिजली नहीं होगी तो हमारे देश की उन्नति भी नहीं होगी लेकिन बिजली का उत्पादन हम करना नहीं चाहते हैं। हमारे देश में जो कारखाने हैं—भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये पावर पर निर्भर है। एक कारखाना है एम० एम० सी०। कहा जाता है कि एक कारखाना जो कि निजी क्षेत्र में है जबकि वह निजी क्षेत्र में नहीं है, उसके शत-प्रतिशत सरकारी शेयर आ रहे हैं। जो ए० सी० सी०-बैंबकाक है, जितने डायरेक्टर हैं, फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन्स के डायरेक्टर्स हैं, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में डायरेक्टर्स हैं, वहां की

क्या हालत होगी, इसका अन्दाजा आपको भी है। कल ही एक सवाल छेड़ा गया था, कि बी० एच० ई० एल० जो हमारे देश का इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, जहां पर लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, उसकी आर्डर बुक पोजीशन क्या है ? आर्डर बुक की स्थिति बहुत अनिश्चित है। 1994-95 में हरिद्वार में कैपेसिटी की 7 परसेंट आर्डर बुकिंग है, हैदराबाद में 12 परसेंट है, भोपाल में निल है, ट्रिची में केवल 4 परसेंट है। उसके बाद हाइड्रो इलैक्ट्रिक की जो पोजीशन है, हरिद्वार में तीन परसेंट, भोपाल में तीन, चार, पांच परसेंट, हैदराबाद में 10 परसेंट। 95-96 में हरिद्वार में निल, हैदराबाद में निल, भोपाल में निल, ट्रिची में निल। भोपाल में 44 परसेंट, 19 परसेंट, 63 परसेंट और हैदराबाद हरिद्वार में निल है, दो साल बाद भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स की यह पोजीशन है।

[अनुवाद]

दो वर्ष बाद इस एकक को बन्द कर दिया जाएगा और वे तमाम श्रमिक जिन्होंने इस भा० है० इ० लि० को बनाया है, जो हमारे देश का गौरव है, वे अपने परिवारों के साथ सड़कों पर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त बी० आई० एफ० आर० द्वारा एक पैकेज प्रस्तुत किया गया। जब ए० बी० एल० को 18 महीने के लिए बन्द किया गया था। तब भी एक पैकेज की पेशकश की गई थी। बी० आई० एफ० आर० ने इस पैकेज को तैयार किया था और भारत सरकार को इस पैकेज को लागू करना था। उसकी वचनबद्धता और शर्त क्या थीं। वचनबद्धता 1988-89 के प्रत्येक वर्ष के लिए 800 मेगावाट की थी और तत्पश्चात के आर्डर थे विद्युत विभाग, भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 800 मेगावाट के बायलरों के लिए आर्डर प्राप्त किए जाने थे। 1988-89 में स्थिति क्या थी ? यह दो यूनिटों के लिए 210 मेगावाट, अर्थात 2 × 210 मेगावाट था और 1989-90 के लिए यह 3 × 210 मेगावाट था और 1990-93 के लिए यह 2 × 250 मेगावाट था। उनके पूर्ववर्ती मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने मेरे पत्र के उत्तर में और सभा में भी एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि ऊंचाहार और यमुनानगर में दो विद्युत परियोजनाओं के लिए ए० बी० एल० को आर्डर दिया जाएगा। अब मुझे पता चला है कि ए० बी० एल० को आर्डर नहीं मिल रहा है, अतः ए० बी० एल० को घाटा हुआ है।

यह कम्पनी जो 18 महीने तक बन्द रही थी, इस वर्ष लाभ कमायेगी, परन्तु दो वर्ष बाद इसे आर्डर नहीं मिले और यह यूनिट फिर से बन्द हो जाएगी। मंत्री महोदय, विदेशों से ऋण ले सकते है, परन्तु राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं। हमारी अपनी स्वदेशी कम्पनियां बन्द न हो जैसे

7.00 म० प०

भा० है० इ० लि०, एच० सी० एल०, एम० एम० सी० एल० और ए० बी० एल०। मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। कल उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया था कि वे अन्तर्राष्ट्रीय बोलियों में भाग ले सकते हैं। परन्तु यदि वे प्रतिस्पर्धा में आगे न आ पाए तो सरकार उनकी मदद नहीं कर सकती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कोई मूल्य अधिमान नहीं है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : यह सही नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान दिया जाना अभी भी जारी है ?

श्री पी० वी० रंगैया नायडू : यह 15 प्रतिशत है, 10 प्रतिशत नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : आज भी मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन लेना चाहता हूं। विदेशी निवेश-कर्ताओं से बातचीत करते समय मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे स्वदेशी उद्योगों, जैसे बायलर विनर्माण उद्योग, विद्युत उपकरण विनिर्माण उद्योग आदि के हितों की रक्षा की जाएगी।

दूसरे, महोदय, आप बकरेश्वर के बारे में जानते होंगे। इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत संघर्ष चल रहा है। क्या भारत सरकार बकरेश्वर परियोजना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने पर विचार करेगी? बकरेश्वर ने पहले ही ए० बी० एल० को आर्डर दे दिए हैं और ए० बी० एल० को पश्चिम बंगाल सरकार से धन नहीं मिल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में धन की बहुत कमी है। धन की कमी अड़चन बनी हुई है। फिर महोदय, पश्चिम बंगाल में एक और परियोजना है। यह पुरलिया-अयोध्या पम्प स्टोरेज योजना है। यह जापानी प्रौद्योगिकी से बनने वाली पनबिजली परियोजना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस परियोजना पर भी विचार करेगी और उसको स्वीकृति प्रदान करेगी। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह भी विदेशी सहायता और जापानी सहयोग पर निर्भर है। क्या सरकार इसे स्वीकृति दे देगी? यह परियोजना भी पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अत: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि विदेशी निवेश-कर्ताओं से बातचीत करते समय हमारे स्वदेशी उद्योग, जैसे बायलर विनिर्माण उद्योग, विद्युत उपकरण विनिर्माण उद्योग आदि को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या मन्त्री महोदय सभा को इन पहलुओं के बारे में आश्वस्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभापति महोदय, देश के विकास के लिए बिजली का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है, मेरी जानकारी के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में फारन इन्वैस्टमैंट के लिए चौदह हजार मेगावाट का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। मैं यह मानता हूं कि बिजली के विकास के लिए फारन इवैस्टमेंट की जरूरत हो, उसको लेना चाहिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। सवाल यह पैदा होता है, जिस क्षेत्र में फारन इन्वैस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जिस क्षेत्र में फारन लोन लेने की जरूरत नहीं है, उस एरिया में भी लोन लिया जाता है। हम लोग ऐसी स्कीम लेते हैं, जिनका हमारे विकास के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। जो हमारे देश के लिए जरूरी है, फारन इन्वैस्टमेंट की जरूरत है, वह लेना है। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्यों लेते हैं। मैं आपसे यह एक बहुत ही स्पैसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं? एक बहुत ही सुनिर्दिष्ट सवाल पूछ रहा हूं। विन्ध्याचल में जो सिस्टम है, वह भी फारन एसिस्टैंस लेकर हुआ था और उसका निर्माण 1989 में हुआ था। क्या यह सच है कि इसका यूटीलाइजेशन 7 परसेंट है, जब इसका यूटीलाइजेशन 7 परसेंट है तो इसको कमीशन करना क्यों जरूरी था। यह कार्य सीधा लोन लेकर 1989 में किया गया, लेकिन इसका यूटीलाइजेशन 7 परसेंट है, फिर इसको कमीशन क्यों किया गया।

[अनुवाद]

बाद में इसे क्यों छोड़ दिया गया ?

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अनिल बसु : मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं । मैं किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हैं । आप पहले ही दो प्रश्न पूछ चुके हैं ।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु : सभापति महोदय, यह जो चन्द्रपुर एच० बी० जे० के लिंक है एल्तसम के साथ कोलाबरेशन करके लोन लेकर यह काम हो रहा है । गवर्नमेंट आफ इण्डिया का क्या कहना है कि वेस्टर्न रीजन से सदर्न रीजन में पाकर लाएंगे, एच०बी०जे० लिए के मारफत, लेकिन गवर्नमेंट का जो 14वां इलेक्ट्रिकल पावर सर्वे है, इसमें क्या बताया है—

[अनुवाद]

"आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में पश्चिमी क्षेत्र में 619 लाख यूनिट बिजली की कमी होगी ।"

वहां एक लाइन है, एक परेषण प्रणाली जो सम्पूर्ण प्रणाली का ध्यान रख सकती हैं ।

[हिन्दी]

वेस्टर्न रीजन में पावर का घाटा ही होगा और और एच० बी० डी० सी० लगा रहे हैं वेस्टर्न रीजन से सदर्न रीजन मे पावर लेने के लिए, इसका जस्टीफिकेशन क्या है ? इलेक्ट्रिकल पावर सर्वे रिपोर्ट में यह बताया—

[अनुवाद]

आठवीं पंचवर्षीय यजना के अन्त में पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की कमी होगी । तो आप यह क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

दूसरा जो एच० बी० डी० सी० सिस्टम आठवीं पंचवर्षीय योजना में रहा है, एच० बी० डी० सी० सिस्टम हो रहा है, यह भी एक कांसपीरेशी है, इसमें इस्टर्न रीजन से नादर्न रीजन में पावर जाएगा । एक दूसरा एच०बी०डी०सी० सिस्टम जयपुर एच०बी०डी०सी० सिस्टम, इससे ईस्टर्न रीजन से सदर्न रीजन में पावर जाएगा और प्लानिंग कमीशन की क्या रिपोर्ट है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि ईस्टर्न रीजन में पावर एक्सस होगा 5-6 मिलियन यूनिट, यह 5-6 मिलियन यूनिट ट्रांसफर करने के लिए अभी एग्जीस्टिंग सिस्टम है, ईस्ट टू नार्थ है, डिहरी-मुगलसराय सिस्टम, करमोनासा-मुगलसराय सिस्टम, कटबारो-बिहान सिस्टम, ईस्ट साउथ में सिस्टम है, बालीमेला उसलर सिस्टम और मचकुंद-लायडिबू सिस्टम । ईस्ट से वेस्ट लाने के लिए मचकुन्द सदर्न कोरबा सिस्टम, यह सिस्टम है,

लेकिन आप फिर भी ईस्टर्न इण्डिया में, ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, 16 मिलियन यूनिट सरप्लस होगा, आठवीं योजना में उसी के लिए नया सिस्टम है। जब इलेक्ट्रिकल पावर सर्वे की रिपोर्ट में उस कंडीशन में इतनी बिजली पैदा नहीं होगी, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी है कि इतनी बिजली पैदा नहीं होगी फिर बड़े मल्टीनेशनल के इक्वीपमेंट्स लाने के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है, यह गलत बात है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बात सच है या नहीं।

मेरा एक और प्रश्न है कि यह 800 केवी सिस्टम किशनपुर-मोगा सेक्टर, आपका लोड नहीं है, 20 वर्ष में आपका लोड नहीं आएगा, फिर भी आप 800 के० वी० सिस्टम को लाते हैं, फोरन से लोन लेकर लाते हैं, इसका कोई लाभ नहीं होगा, आने वाले 20 वर्ष में आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

वे देश तक जो विद्युत का निर्यात करते हैं, उन तक के पास 800 के०वी०सी० प्रणाली नहीं है। और हम 800 के०वी०सी० प्रणाली बनाने वाले हैं। जिसकी आगे आने वाले 20 वर्षों तक कोई जरूरत नहीं होगी।

यदि यह जरूरी है तो आप ऋण ले लें, यदि यह जरूरी है तो आप प्रौद्योगिकी का आयात कर लें।

सभापति महोदय : यदि आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय, उत्तर दें तो आप अपनी बात समाप्त करें।

मन्त्री महोदय !

विद्युत मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस आधे घण्टे की चर्चा में भाग लिया। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया पहले मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें। यदि कुछ बाकी रह जाता है, तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने यह चर्चा शुरू की और जिन्होंने इसमें भाग लिया।

मैं कुछ आधारभूत बातों को बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमने निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए निमन्त्रण दिया है; विद्युत क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र को समाप्त करके चालाकी से निजी क्षेत्र को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी क्षेत्र के पूरक के रूप में कार्य करने के लिए।

एक और बात है जिसको मैं बिलकुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं भा० है० इ० लि० के बारे में हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितने कि माननीय सदस्य। मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं ?

सबसे पहले जहां तक माननीय सदस्य डा० नारायण पांडेय का सवाल है, वे कह रहे थे कि हम निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें भारत में निजी क्षेत्र में निवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं है। आप निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश क्यों कर रहे हैं जब भा० है० इ० लि० हमें आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए मौजूद है ? सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि उपकरणों की सप्लाई विद्युत उत्पादन से भिन्न है। भा० है० इ० लि० विद्युत उत्पादन नहीं करता

है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और अन्य कम्पनियां विद्युत उत्पादन करती हैं। अतः कृपया इन दो बातों को एक साथ न मिलाए। (व्यवधान) मैं इस पर आ रहा हूं। कृपया मेरी बात सुने। भा० है० इ० लि० के सम्बन्ध में मैं आपको बताता हूं। (व्यवधान) मैं आपके दबाव में अपनी बात कहना नहीं छोड़ूंगा। मैं माननीय सदस्य को उत्तर दे रहा हूं। मेरे लिए इस तरह अपनी बात जारी रखना असंभव हो जाएगा। यदि आप अन्त में असन्तुष्ट हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।

जहां तक भा० है० इ० लि० का सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं और हमारी चिन्ता कितनी गहरी है क्योंकि बायलरों और टरबाईनों की सप्लाई के लिए हम भी भा० है० इ० लि० पर निर्भर करते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय के वक्तव्य में विघ्न न डालें कृपया उन्हें उत्तर देने दें। उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं माननीय सदस्य को उत्तर दे रहा हूं। कृपया मेरे साथ सहयोग करें और मेरे प्रति न सही उनके प्रति तो शिष्टाचार दिखाए। मैं उनको अध्यक्षपीठ के माध्यम से उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) मैंने आपको महेश्वरी परियोजना का उदाहरण देते हुआ कहा कि मध्य प्रदेश में निजी हाथों में आपने ठेका दिया है, निजी कम्पनी वहां आ कर कार्य कर रही है। जहां तक सप्लाई करने और उपकरण का मामला है, बी० एच० ई० एल० करे या हैवी इन्जीनियरिंग करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी कम्पनी यहां पर करने के लिए तैयार नहीं है। उपकरण सप्लाई करने वाले यहां उद्योग भी हैं, उनको न देकर आप बाहर क्यों जा रहे है? बाहरी कम्पनियों को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एन० के० पी० साल्वे : वह दूसरा प्रश्न था। मैं आपको यह बताना चाहता था कि निजी क्षेत्र की 45 कम्पनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। हम उनके पास जा रहे हैं क्योंकि, जैसा मैंने कहा था, हम विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन के बाद रह गई कमी को पूरा करना चाहते हैं। इसकी काफी कमी है। मैं आपको हमारी भावी आयोजना के बारे में कुछ बता दूं। कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि मुझे आपको जो बताना है वह उसी के सन्दर्भ में है जो मैं आपको उत्तर में बताऊंगा। अगले 15 वर्षों के लिए हमें 1,48,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी और इस समय की लागत के हिसाब से देश को इसकी लागत 5 लाख करोड़ रु० से कम नहीं पड़ेगी। समस्या की गम्भीरता के बारे में विचार कीजिए, अपेक्षित समाधनों की भारी मात्रा के बारे में विचार कीजिए और इस बारे में भी विचार कीजिए कि क्या हम इस कमी को पूरा कर पायेंगे अथवा नहीं, मैं नहीं जानता। ये समस्या इतनी बड़ी है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में इतनी अधिक धनराशि हमें उपलब्ध हो जाए, तो मैं आपको अभी एक आश्वासन दे दूं कि मैं कभी सार्वजनिक क्षेत्र का मुखापेक्षी नहीं होऊंगा, मैं एन० टी० पी०

सी० और अन्य कम्पनियों से ऐसा करने के लिए कहूंगा। परन्तु चूंकि ससाधनों की अत्यधिक कमी है मुख्यतः इसी कारण बी० एच० ई० एल० कठिनाई में चल रही है। हम इस समय कठिनाई में हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में ऐसी 45 कम्पनियां हैं जिन्होंने इसमें अपनी रुचि दर्शाई है और सभी पांच परियोजनाए जोकि इस समय निर्माणाधीन हैं, वे भारतीय कम्पनियां हैं।

दूसरे, यहां पर प्राप्त आवेदनों में से जिनका मैंने जिक्र किया है, 14 कम्पनियां भारतीय हैं हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसमें कुछ और भारतीय कम्पनियों को आने दीजिए। यह ऐसा नहीं है कि हम विदेशी कम्पनियों को अधिक वरीयतापूर्ण शर्तों के आधार पर आमन्त्रित कर रहे हैं।, प्रत्येक के लिए शर्तें एक समान हैं। हम उत्सुक इस बात में है कि वे आगे तो आएं। कई व्यक्ति अपनी रुचि दिखाएंगे परन्तु आखिर में वे आते नहीं हैं। आप जानते हैं कि यह एक अत्यधिक पूंजीप्रधान उद्योग है। व्यक्तियों का मिल पाना आसान नहीं है। अतएव मैंने एक बात पर आश्वासन दिया है कि······

श्री अनिल बसु : मामला यह नहीं है। परन्तु द्विपक्षीय अनुदान और ऋण सम्बन्धी समझौते मुख्य कारण हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं माननीय श्री पाण्डे जी के प्रश्न में पूछी गई बात का उत्तर दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : आप किसी एक व्यक्ति को इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सकते।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं किसी एक व्यक्ति को इसके बारे में नहीं बता रहा हूं बल्कि मैं किसी व्यक्ति को उत्तर दे रहा हूं। आपको समझ आ गया ? (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह ऐसा नहीं कर सकते। नियम बिल्कुल स्पष्ट है। जब कोई मन्त्री कोई विवरण दे रहा होता है अथवा प्रश्न का उत्तर दे रहा होता है, तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से सभा को सम्बोधित कर रहा होता है।

सभापति महोदय : आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दे रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : महोदय, नहीं, उन्होंने कहा कि वह किसी एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : उन्हें सभा को उत्तर देना चाहिए न कि किसी एक सदस्य को।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं लम्बे अर्से से सांसद के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैं संसद के विषयों को काफी कुछ जानता हूं।

श्री अनिल बसु : जी हां, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : अतः मैं आप से विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने की अनुमति दें क्योंकि मैं उनके इस प्रश्न के सम्बन्ध में उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस कम्पनी को वरीयता क्यों दे रहे हैं। वास्तव में, उनके द्वारा किए गए प्रश्न में इस बात को प्रमुखता दी गई है और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनका यह कहना है कि इस प्रश्न में इन विदेशी कम्पनियों को अपने देश में आमन्त्रित करने के कारण नहीं बताए गए हैं। यहां कई कम्पनियां है जो इस प्रकार का बड़ा कार्य प्रारम्भ कर सकती हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी। यदि सभी भारतीय कम्पनियां निजी क्षेत्र में आती हैं तो मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी परन्तु उनके पास ससाधन नहीं हैं। मैं श्री पाण्डे जी से निवेदन करना चाहता हूं। अनिल जी, यह प्रश्न का महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए मैं इसका उत्तर इतने विस्तार में देना चाहता हूं।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी। इस समय जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्षमता लगभग 75,000 मेगावाट की है परन्तु हम लगभग 35,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहे है। आठवीं योजना के अन्त तक हम चाहते हैं कि कम से कम 35,535 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास योजना आयोग से लगभग 70,000 स्रोत हैं। 3.5 करोड़ अथवा 3 करोड़ प्रति मेगावाट की दर पर यह मुश्किल से 20,000 से 22,000 मे० वा० के लिए पर्याप्त होगा। हमारे विचार से इसका शेष भाग निजी क्षेत्र से आएगा और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में, मुझे यह आशंका है कि इसकी कमी उतनी ही रहेगी जितनी कि इस समय है। अतः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र को अनुपूरित करने के लिए निजी क्षेत्र को इसमें लाना होगा।

अब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केवल आत्म-निर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से हम विदेशों से ऋण लेकर—द्विपक्षीय ऋण, बहुपक्षीय ऋण और तीसरे प्रकार के ऋण लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की निधियों को अनुपूरित कर रहे हैं।

श्री अनिल बसु : विश्व बैंक से देश की कीमत पर ऋण लेकर……

श्री एन० के० पी० साल्वे : जी हां, परन्तु हम देश के हितों के बदले में; देश की कीमत पर ऐसा नहीं कर रहे हैं।

तीन प्रकार के ऋण हैं—बहुपक्षीय, और निजी क्षेत्र के। इन तीनों स्रोतों से ही हम ऋण ले रहे हैं। इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी होगी, परन्तु यह व्यर्थ नहीं है। उसके बदले में हम बिजली का उत्पादन करेंगे। यह कोई फिजूल व्यय नहीं है। हम व्यर्थ व्यय नहीं कर रहे हैं। हम इसे अत्यन्त मूल्यवान परिसम्पत्ति में लगा रहे हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र है, वास्तव में देश की सम्पूर्ण आर्थिक शक्ति अन्त में प्रदूषण मुक्त विद्युत क्षेत्र की चिमनियों से प्रवाहित होगी। मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूं।

अतएव आत्मनिर्भर बनने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास अधिक विद्युत, इसका अधिक उत्पादन होना चाहिए और विद्युत उत्पादन के लिए हमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है और जब तक हम विद्युत-उत्पादन हेतु पर्याप्त धनराशि अर्जन हेतु सभी स्रोतों का उपयोग नहीं करते, तब तक विद्युत प्राप्त करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री अनिल बसु : इसके अलावा आपको एक पावरफुल कैबिनेट मन्त्री की जरूरत है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : आत्मनिर्भर बनने के लिए समय-सीमा क्या है? मेरे लिए समय-सीमा बताना अत्यन्त कठिन है। माननीय सदस्य को मेरे प्रति थोड़ा और अधिक उदार होना चाहिए। मैं आपको कोई समय-सीमा नहीं बता सकता।

उनका अन्तिम प्रश्न काफी रोचक है। उन्होंने पूछा कि क्या विदेशों में मन्दी आने के कारण ही ये कम्पनियां यहां पर आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिए कि यह उतना आसान नहीं है। इस समय यहां पर निवेश पाना आसान नहीं है। इन लोगों के लिए विश्व में कई बड़े क्षेत्र खुले पड़े हैं जहां कि ये जा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। इसीलिए हमें उन लोगों के लिए इन्हें आकर्षक बनाना है। अन्त में, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि भारत में हमें एक अत्यधिक पूंजी प्रधान उद्योग के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त नहीं होंगे। हम अरबों रु० के हिसाब से बात कर रहे हैं और इसीलिए हमें विदेशों से धनराशि प्राप्त करनी होगी और यदि विदेशों से पैसा आ रहा है, ऋण लेने वाले प्रतियोगियों में से हम भी एक होंगे हम ही अकेले प्रतियोगी नहीं हैं। यदि कोई दबाव नहीं होता, तब यदि भारत ही अकेला एक ऐसा देश होता जहां पर उनके लिए विद्युत क्षेत्र में निवेश करना सम्भव होता, तो मैं सर्वाधिक प्रसन्न व्यक्ति होता। परन्तु ऐसा नहीं है। हमें अन्य देशों के साथ स्पर्धा करनी है और इसीलिए हम आकर्षक शर्तों पर उनसे पेशकश कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव यहां पर नहीं हैं। उनका प्रश्न यह था कि हम उन उपकरणों का आयात क्यों कर रहे हैं जोकि उनके अनुसार भारतीय उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक महंगे हैं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जब हम अन्तर्राष्ट्रीय बोलियां आमन्त्रित करते हैं, तो हम 15 प्रतिशत मूल्य अधिमानता केवल भारतीय कम्पनी बी० एच० ई० एल० को देते हैं और किसी अन्य को नहीं और यदि ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि बी० एच० ई० एल० की बोली अपेक्षाकृत कम है; तो निश्चित रूप से यह मूल्यांकन के लिए आ रही है। हम उन उपकरणों का आयात क्यों करें जोकि विदेशों में अधिक महंगे हैं? यह अन्तर्राष्ट्रीय बोली है और अन्तर्राष्ट्रीय बोली का एक नियम यह है कि हमें सर्वोत्तम सम्भव मूल्य पर उपकरण खरीदने चाहिए ताकि हम जनता को सस्ती और प्रतिस्पर्धी दरों पर नियमित रूप से पर्याप्त विद्युत प्रदान कर सकें। अतः मेरे विचार से यह प्रश्न ही गलत है।

श्रीमती भावना चिखलिया निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में जानना चाहती थीं। मुझे आशंका है कि मुझे निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में उन्हें लिखना पड़ेगा और उन्हें सूचित करना पड़ेगा।

उन्होंने एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था—वह इस समय यहां पर नहीं हैं—कि विदेशों से धन आ रहा है, वे विद्युत उत्पादन करेंगे और बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि अन्त में किसान उसका मूल्य वहन नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उनके प्रश्न का मूल अंश यही था। मेरे विचार से इसका पूरी तरह से गलत अर्थ लगाया जा रहा है। ये कम्पनियां विद्युत उत्पादन करेंगी और इसे राज्य विद्युत बोर्डों को बेचेंगी और विद्युत मूल्य निर्धारित करना राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत ग्रिड निगम का कार्य होगा। इस समय राज्यों ने किसानों से 50 प्रतिशत मूल्य वसूल करने का निर्णय किया है। क्या

इस बारे में विचार किया जाएगा कि राज्य विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत ग्रिड निगम इन कम्पनियों से कितना मूल्य वसूल करेंगे ? (व्यवधान) मैं आपके दबाव में आकर अपनी बात कहना नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए कितना विद्युत मूल्य शुल्क होने जा रहा है। यह निर्धारित करना राज्य विद्युत बोर्डों का कार्य है तथा तथा विद्युत उत्पादन और विद्युत शुल्क जो उपभोक्ता को अदा करना है, इसका निर्णय विभिन्न स्तर पर लिया जाता है। अतः ऐसी व्यर्थ आशंका करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी न किसी रूप में किसान तबाह हो जाएंगे।

गुजरात में गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान)

यदि आप इसके प्रति गम्भीर हैं तो इस तरह की टीका-टिप्पणी बन्द होनी चाहिए।

श्री अनिल बसु : आप पूरे उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

सभापति महोदय : कृपया इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यदि कोई चीज बच जाती है, तो आप उनसे अन्त में पूछ सकते हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : कठिनाई यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य सोचता है कि संसार का समस्त ज्ञान एक व्यक्ति में निहित है तो इससे संसद की कार्यवाही बहुत कठिन हो जाती है।

(व्यवधान)

मैं यह दावा नहीं करता कि मैं बहुत जानकार हूं। मैं इस विषय में नया हूं। मैं प्रतिदिन सीख रहा हूं। ठीक बात तो यह है कि इस मामले में दूसरे व्यक्ति को जो भी कहना है, उसका प्रत्येक व्यक्ति को आदर करना सीखना चाहिए जितना कि आपको जो कहना है उसका मैं आदर करता हूं। मेरे विचार में उसके प्रश्न बिल्कुल अर्थहीन हैं। देखने से ही वह अर्थहीन है और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। परन्तु मैं आदरपूर्वक सुनता हूं कि उन्हें क्या कहना है। मेरा विचार है उनका ज्ञान बिल्कुल अधूरा है, अपरिपक्व है, परन्तु कम से कम मैंने ध्यानपूर्वक सुना।

अब अपर्याप्त गैस के बारे में प्रश्न उठता है। मेरे विचार से उनको यह प्रश्न कैप्टेन सतीश शर्मा से पूछना चाहिए—गैस की अपर्याप्तता मेरे हाथ में नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा 'भेल' के बारे में उठाया गया प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। हमें भेल के बारे में बहुत अधिक चिन्ता है। भेल ने हमें बताया है कि वह 3.500 मेगावाट क्षमता के उपकरण—ब्वाइलर, टरबाइन, जेनरेटर—प्रतिवर्ष सप्लाई करने की क्षमता रखता है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : 6,000 मेगावाट।

श्री एन० के० पी० साल्वे : सैद्धान्तिक रूप में 6,000 हैं। वह कहते हैं आप हमें 3,500 दीजिए, पूरे समय के कार्य के लिए पर्याप्त होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : उनकी क्षमता 6,000 मेगावाट प्रतिवर्ष है इसलिए क्या उन्होंने आपको लिखा है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है इसलिए मुझे जवाब देना ही है। सामान्यतया मैं नौकरशाही को बीच में नहीं लाता हूं। आज अपनी मुलाकात के दौरान, हमने 'भेल' के एक अधिकारी को बुलाया है और जब मेरे मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि वे 3,500 मेगावाट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, मैंने भेल के उस अधिकारी से पूछा और उसने कहा, हां, यह 3500 मेगावाट से ज्यादा नहीं हो सकती है। फिर भी, यदि यह सत्य नहीं है तो जिम्मेदारी मेरी होगी उस अधिकारी की नहीं। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि उन्हें 3,500 मेगावाट से अधिक नहीं चाहिए…(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : क्षमता 6,000 की है, वे 3,500 कैसे कह रहे हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने बता दिया है और आप उनसे मालूम कर सकते हैं। यदि मैं गलत हूं तो मैं स्वयं को ठीक करके बहुत प्रसन्न होऊंगा। परन्तु हमें यही बताया गया है और मुझे दी गई जानकारी के आधार पर ही मैं बता रहा हूं।

जहां तक भेल का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि हम 'भेल' के लिए क्या कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी पूर्ण क्षमता से हम प्रयास करते रहेंगे कि 'भेल' को कठिनाइयां न हों। माननीय सदस्य ने कहा है कि भोपाल, हैदराबाद तथा त्रिची में 'भेल' कठिनाई में है। परन्तु वह इसलिए है क्योंकि हम कठिनाई में हैं। हमारे पास धन नहीं है। यदि आप चाहते हैं हम उधार न लें, तो क्या होगा ? न सिर्फ विद्युत नहीं होगी, मैं देश को अन्धकार में ले जा रहा होऊंगा। परन्तु इससे पहले कि मैं देश को अन्धकार में ले जाऊं, भेल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए, आपके अपने हित के लिए, जिसमें मेरा हित भी है मतलब भेल के हित के लिए, यह अत्यधिक आवश्यक है कि मैं बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय उधार लूं। यहां तक कि बकरेश्वर के लिए भी यह आवश्यक है। ज्योति बसु, मुझसे हरबार पूछते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु बकरेश्वर के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने ए० बी० बी० एल० को पहले ही आर्डर दे दिया है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : उनके साथ आदेश की समस्या नहीं है, ए०बी०बी०एल० के साथ भुगतान की समस्या है। कृपया मन्त्री तथा सरकार को राजी करें…(**व्यवधान**)। कृपया ए० बी० बी० एल० को भुगतान करने के लिए धन की व्यवस्था करें। कृपया अपने अधिकार का प्रयोग करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे समस्या का पता है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : यदि आप मुझसे भी अच्छी तरह समस्या से अवगत हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप उनकी सहायता कीजिए। परन्तु मुझे आशा है वहां समस्या है। मुझसे भेल की सहायता करने को कहना व्यर्थ है, जब वास्तविक सहायता की आवश्यकता उस क्षेत्र में है जिसमें सिर्फ आप ही सहायता कर सकते हैं, मैं नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) तथा केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए पैकेज में जो भूमिका केन्द्र सरकार को अदा करनी थी, वह उनके द्वारा अदा नहीं की गई है। 800 मेगावाट का आर्डर जो केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना था, उसके द्वारा दिया नहीं गया है। राज्य सरकार ने ए० बी० एल० को ब्वाइलर निर्मित करने का आर्डर पहले ही दे दिया है।

ऊंचाहार तथा यमुनानगर के बारे में क्या कहना है ?

मेसर्स ए० बी० एल० ने सी० ई० एफ० सी० बज-बज ब्वाइलर को हथिया लिया है। सरकार इसके प्रति पूरी तरह कटिबन्ध है। हमें आशा है पश्चिम बंगाल बकरेश्वर को जारी रखेगा जिस हमने इस समय ओ० ई० सी० एफ० के सामने रखा है। यह स्थिति है जिसे आपने स्वीकार किया है। मेरे पास मंत्रालय का एक नोट है जिसमे कहा गया है कि यदि ए० बी० एल० कठिनाई में है तो ऐसा इस समय आर्डर की कमी से नहीं है। यह आने वाले वर्षों के लिए हो सकता है। परन्तु जो कठिनाई मैं इस समय बतला रहा हू वह संसाधनों की कमी से सम्बन्धित है। पश्चिम बंगाल सरकार को जो कुछ सप्लाई किया गया है, वह उसका भुगतान नहीं कर रही है। आप कृपया इस ओर ध्यान दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : जब तक राज्य सरकार धन न दे, वे कैसे दे सकते हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : हम इस तरह कैसे कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, हम अनिश्चित काल तक इस तरह बहस नहीं कर सकते हैं। मन्त्री महोदय, कृपया अपना उत्तर पूरा कीजिए। हम इसे समाप्त करना चाहते हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं विद्युत सचिव, भेल के चेयरमैन, भारी उद्योग विभाग तथा योजना आयोग के मध्य हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के एक भाग से पढ़ रहा हूं। श्री पाण्डे जी, इससे आपको अनुमान भी हो जाएगा कि हम भेल पर क्या कर रहे है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "इस सन्दर्भ में देखते हुए आठवीं योजना में लाभ देने वाली परियोजनाओं तथा 8वीं योजना के बाद नवी योजना में जारी रहने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक मूल्यांकन किया गया था तथा उनके लिए आर्डर अभी दिए जाने हैं। यह अनुभव किया गया कि रिहन्द-दो, चन्द्रपुरा यूनिट-7 और आमगुड़ी जैसी परियोजनाओं के लिए आर्डर, जिनको बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा धन दिए जाने की सम्भावना है, भेल को इसके प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की दृष्टि से इन परियोजनाओं के लिए उपकरणों की सप्लाई के आर्डर प्राप्त करने की उम्मीद थी।
>
> अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में, आर्डर प्राप्त करने के कम अवसर है क्योंकि या तो वह कम प्राथमिकता वाली परियोजनाएं हैं या उन्हें लागू करने वाली एजेन्सियों के पास धन नहीं है। सचिव (पी) ने विचार व्यक्त किया कि भेल को और ज्यादा आर्डर मिल सकते हैं यदि वह निजी कम्पनियों समेत विभिन्न कम्पनियों के बोली प्रस्ताव को मान ले।
>
> भारी उद्योग विभाग के सयुक्त सचिव ने इच्छा व्यक्त की कि पी० एफ० सी० के धन देने के क्षेत्र को बढ़ाने की सम्भावनाएं खोजना उचित होगा। यदि पी० एफ० सी० विद्युत परियोजनाओं को धन दे सके, भेल को अच्छे आर्डर मिलने की आशा हो सकती है।

वास्तविक समस्या यह है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह बैठक कब हुई थी ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : बैठक हाल ही में 29-1-1993 को हुई थी। आप इसकी पुष्टि कर सकते है। मैं सभा के समक्ष बयान दे रहा हूं।

मेरे विद्युत मन्त्रालय के अन्तर्गत न आने वाले स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण के लिए भी कुछ उपाय उपलब्ध है, जिनमें से प्रथम है अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया। अन्तिम रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि निविदाओं के मूल्यांकन में मूल्यों का मिलान आयातित उपकरणों से किया जाएगा। मिलान की मूल्य स्थापना लागत तथा 15 प्रतिशत तथा प्राप्तियों का एक चौथाई होगा। स्वदेशी उपकरणों के मिलान का मूल्य उतना रखा जाएगा जो उपर्युक्त आधार पर आबकारी तथा बिक्री कर को छोड़कर होगा। यह निश्चित किया जाएगा कि इसके मूल्यांकन के लिए कौन सी दर कम है। हम यही कर सकते हैं, यहां तक हम जा सकते हैं। हम स्वदेशी उपकरण सप्लाई करने वालों को पूर्णतया प्रतिस्पर्धा से मुक्त नहीं कर सकते है। हम जो कर सकते है वह यह है कि हम उन्हें निश्चित रूप से कीमतों में वरीयता देंगे। हम इस प्रकार स्वदेशी उद्योग को अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं।

दूसरे, सरकारी क्षेत्र के 'भेल' सहित स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। हाल ही में आयात शुल्क में 20 प्रतिशत कमी की गई है। आयात शुल्क में अवरोधन ही स्वदेशी उद्योगों का संरक्षण है। कीमत जो भी हो। अन्ततोगत्वा वे जो कुछ भी यहां लाते हैं उस पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ेगा। यह दूसरा निवारक है। स्वदेशी निर्माताओं को 20 प्रतिशत शुल्क नहीं देना होता है।

और अन्त में जब हम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ तकनीकी-आर्थिक रूप से जांच करते हैं, तो वे उपकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं। यदि भारतीय उपकरण उपयुक्त नहीं है तो हम इस स्वदेशी सप्लाई करने वालों को दे देते हैं।

अतः मैं माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करूंगा कि हम सब इस क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों के लिए हैं परन्तु यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमें समाधन प्राप्त हों और हम उन शर्तों पर उधार न लें जो देश के हितों के लिए घातक हों। मैंने कल भी यह कहा था। हम अपनी शर्तों पर उधार लेंगे जिससे हमें विद्युत उत्पादन में सहायता मिलेगी, सबसे उचित कीमत पर उपलब्ध उपकरण खरीदेंगे तथा इस प्रक्रिया में स्वदेशी उद्योग को अधिकाधिक वरीयता देंगे।

मैं यहां इस समय स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करना चाहता हूं।

> "एकमात्र चीज जो इन सभी मुद्दों से जुड़ी हुई है वह विद्युत परियोजनाओं को धन देने से सम्बन्धित है। स्वदेशी सप्लायरों को आर्डर देने की हमारी सामर्थ्य हमारी अपनी परियोजनाओं को धन देने की हमारी क्षमता के सीधे अनुपात में होती है। विगत में विद्युत परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण भाग को बजट समर्थन के द्वारा धन दिया जाता था।"

महोदय, अब यही मुख्य अन्तर है जो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ० पाण्डेय के ध्यान

में लाना चाहता हूं, कि पिछले वर्षों में विद्युत परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण भाग को बजट समर्थन द्वारा धन दिया जाता था। अब बजट समर्थन नहीं आ रहा है तथा हमें विद्युत उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए, स्थिति यह है कि अब इन संस्थानों को अपने साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

"बहुपक्षीय एजेन्सियों द्वारा धन दिए जाने वाली परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी छंटनी प्रक्रिया के कारण स्वदेशी सप्लाई को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी तथा सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, मूल्यों में अन्तर होने के कारण तथा आयात शुल्क प्रतिबन्धों के कारण उनकी परियोजनाओं को द्विपक्षीय धन की सहायता का सहारा लेना पड़ेगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उपकरणों की सप्लाई घरेलू उद्योगों की पहुंच से बाहर हो जाती है।"

हम असहाय हैं। "जब एक देश बहुत आकर्षक प्रस्ताव के साथ आता है, कभी-कभी वे सीधे अनुदान तथा सहायता लेकर आते हैं, तब वह निश्चित रूप से अपने देश को आगे लाना चाहेंगे, वह चाहेंगे कि उनके देश को आर्डर मिले। यह मार्ग भारतीय उद्योग के रास्ते में निश्चित रूप से रोड़े नहीं अटकाता है। वास्तव में, यह निजी क्षेत्र की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए है, सरकारी क्षेत्र के पैर उखाड़ने के लिए नहीं, अतः यह भारतीय उद्योग को उसके सिद्ध तुलनात्मक लाभों के आधार पर उसे आर्डर प्राप्त करने के नये अवसर देती है। इन सभी पहलुओं पर विद्युत मन्त्रालय तथा भारी उद्योग मन्त्रालय के मध्य निरन्तर तथा रचनात्मक से सामंजस्य पूरी तरह ध्यान रखा गया है।"

महोदय, मुझे आशा है इससे सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने जमुनानगर तथा ऊंचाहार के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : महोदय, यह निवेश के बारे में एक सामान्य प्रश्न है। अन्य प्रश्न, जो कुछ विशेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में हैं, श्री अनिल बसु द्वारा उठाए गए हैं।

श्री अनिल बसु : मैंने कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा है। मैंने सामान्य सिद्धान्तों पर पूछा है। आपने परियोजनाओं के लिए ऋण लिया है जिनकी आवश्यकता नहीं है। यह एक साधारण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : प्रश्न का जोर इस बात पर है कि वे इन विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रित करने का कारण नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि देश में ही कई ऐसी कम्पनियां हैं जो इस प्रकार का बड़ा कार्य करने में समर्थ है। अब उनका प्रश्न है : हम उधार के धन से कुछ परियोजनाए क्यों चला रहे हैं, जो परियोजनाएं उनके अनुसार व्यर्थ तथा अनावश्यक हैं। मैं इसके बारे में कल बता रहा था, परन्तु यदि वह उत्तर चाहते हैं और कहते हैं "आप किसी विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे"। श्री अनिल बसु मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, मैं आपको लिखकर बहुत प्रसन्न होऊंगा। (व्यवधान)

महोदय, मुझे सूचना की आवश्यकता है। इस प्रश्न के लिए सूचना की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, मैंने सरकारी जांच प्रतिवेदन तथा योजना आयोग की रिपोर्ट की

ओर ध्यान दिलाया है। एक जानकार आदमी जिसको कि जानकारी है, वह उस जानकारी को सभा को नहीं दे रहा है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने जमुनानगर तथा ऊचाहार के संबंध में अतिविशिष्ट प्रश्न पूछा है। इनके पूर्वाधिकारी ने आश्वासन दिया था। (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : परन्तु मेरे विशेष प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया गया है। मैं कहता हूं उनमें लिखने का शिष्टाचार तो होना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं आपको लिखूंगा। महोदय, वह जवाब चाहते हैं, मैं जवाब उनको भेज दूंगा। मैं उन्हें उत्तर देने से इन्कार नहीं कर रहा हूं। (**व्यवधान**) वह इसे यहीं और इसी समय चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं आपके पूर्वाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में उत्तर चाहता हूं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मुझे दुख है, मैं इसे देखूंगा। आप दिए गए आश्वासन का उल्लेख कर रहे हैं।

जहां तक दिए गए आश्वासन तथा इसके लागू होने का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास कागजात नहीं हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं देखूंगा कि आश्वासन क्या है तथा मैं आपको स्थिति की जानकारी दूंगा। महोदय, मुझे खेद है, जहां तक मामले के उस पहलू का सम्बन्ध है, यह मेरा भारी कर्तव्य है। मैंने उसकी अनदेखी की।

महोदय, बाकी प्रश्नों का मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब आधे घण्टे की चर्चा समाप्त होती है।

सभा कल 18 मार्च, को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

07.39 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 18 मार्च, 1993/27 फाल्गुन, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

————

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस दिल्ली।